खण्ड-403, अंक-10
शुक्रवार, 9 फाल्गुन, शक संवत् 1913
(28 फरवरी, 1992 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 403 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	१–१००
विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन	१०१–१०८
विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर श्री राम आसरे वर्मा के निर्वाचित होने की घोषणा	१०८
विधान सभा के नव निर्वाचित उपाध्यक्ष श्री राम आसरे वर्मा को बधाई	१०८–११३
नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचनायें.	११३–११४
सूचना विभाग द्वारा "उत्तर प्रदेश" पाक्षिक पत्रिका को प्रकाशित न किये जाने तथा उसमें सरकारी धन के घोटाले के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना.....	११४–११५
पर्वतीय क्षेत्रों में आदमखोर बाघों के आतंक से जनता में भय व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	११५
जनपद उन्नाव में विद्युत आपूर्ति अव्यवस्थित होने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	११५
जनपद फैजाबाद के भियांव विकास क्षेत्र में राजकीय बालिका विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	११६
जनपद बदायूं की पूर्व विधायक श्रीमती पुष्पा देवी के साथ क्षेत्राधिकारी गुन्नौर एवं कोतवाल द्वारा अभद्रता किये जाने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना ..	११६
जनपद बांदा में बांदा विकास प्राधिकरण के अवर अभियन्ताओं द्वारा मनमानी एवं धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	११६–११७
सूचना विभाग के श्रेणी १ एवं २ के पदों पर नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में की गई धांधली के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	११७
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	११७–११८
प्रदेश में करोड़ों बुनकरों से सूत के बढ़े हुए मूल्य व ऋण की वसूली में सख्ती करने से हथकरघा उद्योग को धक्का लगने तथा बुनकरों की स्थिति खराब होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न.....	११८–१२२

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम–३११ के अन्तर्गत सूचनाएं	१२२–१५०
उत्तर प्रदेश विनियोंग (१९९१-१९९२) का द्वितीय अनुपूरक विधेयक, १९९२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	१५१
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१५१–१५४
राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१५४
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	१५४–१६४
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, १९९२ के अननुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत) तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, १९९२ (स्वीकृत)	१६४–१८२
उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आवन्धन) (चतुर्थ) अध्यादेश, १९९१ के अननुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत) तथा उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आंवधन) (चतुर्थ) विधेयक १९९१ .....(स्वीकृत)	१८२–१९४
उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९९२ (पुरःस्थापित)	१९५
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं.	१९५
प्रदेश में बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के विषय में दिनांक १३ फरवरी, १९९२ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–१ से सम्बन्धित नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा	१९६
यू० पी० स्टेट हार्टिको के कर्मचारियों के छंटनी के उपरान्त उनका समायोजन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कृषि मंत्री का वक्तव्य...	१९६
उत्तर प्रदेश में हैण्डलूम और पावरलूम उद्योगों में व्याप्त गम्भीर संकट से उत्पन्न प्रदेश के लाखों बुनकरों में फैली बेरोजगारी तथा फाकाकशी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में उद्योग राज्य मंत्री का वक्तव्य	१९७–१९८
नत्थियां	१२९–२०७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार दिनांक २८ फरवरी, १९९२

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:–

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	बृजराज त्रिपाठी, श्री	बहराइच
अमरनाथ यादव, श्री	वाराणसी	बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर	भागीरथी, श्री	इलाहाबाद
इम्तियाज अहमद, श्री	मऊ	मदन भइया, श्री	मेरठ
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	माया शंकर पाठक, श्री	वाराणसी
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	मोहम्मद वसीम हाजी, श्री	रायबरेली
ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
कृष्ण कुमार, श्री	फतेहपुर	रमापति उर्फ रमाकांत, श्री	देवरिया
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा	रमेश चन्द्र द्विवेदी, श्री	बांदा
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	राधेश्याम वर्मा, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल मिश्र, श्री	हमीरपुर	राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
जगराम सिंह यादव, श्री	कानपुर	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
जी० एस० विनोद, डा०	मुजफ्फरनगर	राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
दीना नाथ सिंह यादव, श्री	वराणसी	राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
दीपलाल भारतीय, श्री	देवरिया	राम सिंह, डा०	अलीगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया	राम सेवक, श्री	बदायूं
दुर्गा प्रसाद यादव,श्री	आजमगढ़	रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर	लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नवाब सिंह, श्री	मथुरा	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल	सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, श्री	मुरादाबाद
पवन कुमार पाण्डेय,श्री	फैजाबाद	हरद्वार दूबे, श्री	आगरा
पूरन सिह बुन्देला, श्री	ललितपुर	हरनारायण सिंह, श्री	रायबरेली
फतेह बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
बंशीधर राज़, श्री	लखीम्पुर खीरी	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं		

प्रदेश महा

दिनांक २८ फरवरी, १९९२

शुक्रवार, दिनांक २८ फरवरी, १९९२

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में कुष्ठ रोग के प्रसार को रोकने के लिए योजना की जानकारी की मांग

**१–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कुष्ठ रोग के प्रसार को रोकने हेतु क्या कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डा० अमर सिंह)–

राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है । कुष्ठ रोग के प्रसार को रोकने के लिए समस्त योजनायें/परियोजनायें भारत सरकार द्वारा तैयार की जाती हैं । प्रदेश सरकार रोग के उपचार/प्रसार को रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करती है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षण कर कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्तियों की खोज, उनका उपचार एवं लोगों को कुष्ठ रोग के विषय में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, यह जो प्रश्न मैंने उपस्थित किया है सामाजिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है, यह रोग एक प्रकार से सामाजिक अभिशाप के रूप में देखा जाता है और इसका रोगी भी बहुत ही हीन भावना से ग्रस्त रहता है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने अपने उत्तर में कहा है उसके संदर्भ में पिछले १० वर्षों में कब-कब सर्वेक्षण कराया गया और वर्तमान में प्रदेश में रोगियों की संख्या क्या है और जनसंख्या के आधार पर इसका प्रतिशत क्या है ? मांन्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है । मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि मुझे २-३ प्रश्न करने हैं एक बार में अनुमति दे दें तो एक साथ पूछ लूं और खण्डों में अनुमति दें तो खण्डशः एक-एक करके पूछ लूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप छोटे-छोटे प्रश्न करें, खण्डशः प्रश्न करें ।

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

मान्यवर, कुष्ठ रोगियों की प्रक्रिया निरन्तर प्रक्रिया है और उसमें किसी वर्ष विशेष में नहीं, निरन्तर कार्य चलता रहता है । पूरा कार्यक्रम ३ श्रेणियों में है पहला सर्वेक्षण, दूसरा ट्रीटमेन्ट और तीसरा स्वास्थ्य शिक्षा, तो यह निरन्तर कार्यक्रम चलता रहता है प्रतिवर्ष, प्रति माह । मान्यवर, जानकारी कराने वाले को

३ रुपया और कुष्ठ रोगी को १० रुपया मिलता है और जब वह इलाज कराके जाता है तो उसे १०० रुपया और मिलता है । पूरे कुष्ठ रोगियों की संख्या क्या है इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, यह तो बहुत अहम प्रश्न था और मैं समझता था कि इसका उत्तर विभाग देने में सक्षम होगा, यह सर्वेक्षण निरन्तर चलता है तो आंकड़े भी लिये जाते होंगे । मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इन रोगियों की संख्या, जनसंख्या के आधार पर इसका प्रतिशत क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पूरी जनसंख्या के आधार पर कुष्ठ रोगियों की संख्या प्रति हजार ५.२७ प्रतिशत है, पूरे भारत का औसत ५.७६ है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य शिक्षा के अन्तर्गत सरकार द्वारा क्या-क्या कार्य किस स्तर पर किये जाते हैं ? इस पर वार्षिक व्यय क्या आता है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में ग्राम स्तर से यह कार्य प्रारम्भ होता है, मैदानी क्षेत्र में २० से २५ हजार तक की जनसंख्या पर एक एन० एम० ए० का पद है और १०-१५ हजार की आबादी पर पर्वतीय क्षेत्र में यह पद है । ये कुष्ठ रोगियों की खोज करके, जानकारी करके इलाज के लिये काम करते हैं । इनके ऊपर एन० एम० एस० का पद है जो ५ या ७ एन० एम० ए० के कार्य का सुपरविजन करते हैं । इनके भी ऊपर प्रत्येक जनपद में एक हेल्थ एजूकेटर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने के लिये व कुष्ठ रोगियों के प्रति जो अभिशाप का भाव है, उसकी भी शिक्षा देता है, जिसे हम सामाजिक पुनर्वास कहते हैं । प्रत्येक जनपद में एक कुष्ठ अधिकारी होता है । व्यय का जहां तक प्रश्न है यह उत्तर में भी बताया गया है कि यह पूर्णतया केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित जो लगभग दो करोड़ की योजना है, जिसमें औषधि के लिये १९९०-९१ एवं१९९१-९२ में भी ४० लाख रुपये दिये गये । सर्वेक्षण और नयी इकाइयों के लिये १९९०-९१ में १६० लाख रुपये और १९९१-९२ में १७५ लाख रुपये दिये गये । स्वास्थ्य शिक्षा में साढ़े तीन लाख रुपये १९९०-९१ में और तीन लाख रुपये १९९१-९२ में दिये गये ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री नरेश अग्रवाल को बुलाये जाने पर)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

कुष्ठ रोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन-सा जिला है इस प्रदेश में ?

श्री अध्यक्ष–

बिना मेरी अनुमति के आपने प्रश्न पूछ लिया है, मैं इसका जवाब दैने के लिये नहीं कहूंगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने इसके लिये पहले ही आपसे अनुमति ले ली थी कि खण्डों में प्रश्न करूंगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

बताया गया कि ५.२७ प्रतिशत एक हजार पर कुष्ठ रोगियों की संख्या प्रदेश में है । इसकी गम्भीरता को देखते हुए मंत्री जी इस योजना में प्रदेश सरकार से भी कोई पैसा खर्च करने की घोषणा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की जिज्ञासा के लिये बता दूं कि यह योजना शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार की है,परिवार नियोजन की योजना भी केन्द्र सरकार की है लेकिन वित्तीय भार प्रदेश सरकार भी वहन करती है । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि दो करोड़ रुपया इसमें केन्द्र सरकार वहन करती है और इसका, जो इस्टेबिलसमेंट आदि का, जो खर्चा आठ करोड़ रुपया का है वह प्रदेश सरकार वहन करती है ।

श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में सर्वाधिक कुष्ठ रोगियों से प्रभावित कौन-सा जिला है और उसकी संख्या क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, प्रदेश में जनपदों के हिसाब से तीन श्रेणियों में इसका विभाजन किया गया है । एक तो वह जिसमें जीरो से लेकर दो व्यक्ति प्रति हजार है, दूसरा वह जो २ से लेकर ५ व्यक्ति प्रति हजार और तीसरा वह जो पांच से अधिक है । ५ व्यक्ति प्रति हजार से अधिक के जनपद ३६ हैं, २ से ५ प्रति हजार वाले जनपद १७ हैं और सर्वाधिक प्रभावित वाले जनपद वे हैं जो ५ व्यक्ति प्रति हजार से अधिक वाले हैं ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुष्ठ रोगों के नियंत्रण के सम्बन्ध में जो योजना बनायी है उसका जिक्र किया । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि काफी वर्षों से डब्ल्यू० एच० ओ० के तत्वाधान में यह अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि ट्यूबरक्लोसिस और लिप्रोसी के जो वेक्टेरिया है इनमें काफी सिमलैरिटी है और इन्हें एक तरह के ट्रीटमेंट से कन्ट्रोल किया जा सकता है । इस शोध के बारे में डब्ल्यू० एच० ओ० ने १९८०–८५ के बीच में तीसरी दुनिया के देशों में लिप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक ज्वाइन्ट कन्ट्रोल में पाइलेट प्रोजेक्ट योजना चलायी थी और हमारे जनपद देहरादून के चकराता में वहां पर इसे लिया गया था । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ट्यूबरक्लोसिस और लिप्रोसी के लिए इस प्रकार की कोई योजना बनायी है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, कुष्ठ रोगों के निवारण के लिए योजना है उसका विस्तृत ब्योरा दिया गया है और यह भी बताना चाहूंगा कि पहले यह केवल कुष्ठ नियंत्रण योजना थी लेकिन अब इसका नाम परिवर्तित करके कुष्ठ निवारण योजना किया है । जहां तक ट्यूबरक्लोसिस और लिप्रोसी का सवाल है तो पूरे प्रदेश में ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक अलग योजना है और लिप्रोसी के लिए अलग योजना है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि जो ट्यूबरक्लोसिस और लिप्रोसी के वेकटेरिया हैं उसमें काफी समानता है और चिकित्सा के क्षेत्र में इसी समानता के कारण संयुक्त प्रयास किया जा रहा है तो क्या वहां पर भी यह प्रयास किया जा रहा है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

संयुक्त प्रयास के लिए अलग-अलग योजनाएं हैं, अलग-अलग उसका प्रयास हो रहा है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ आबादी को लेकर कुष्ठ आश्रम बनाने की योजना बनायी गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

योजना के बारे में माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है ।

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, विश्व में हिन्दुस्तान ही कुष्ठ रोगों से ज्यादा प्रभावित है और मान्यवर, उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जहां पर सबसे अधिक कुष्ठ रोगी हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में कौन-सा स्थान है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर दे दिया है । ३६ जिलें ऐसे हैं जो सर्वाधिक प्रभावित हैं ।

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सारे देश के अन्दर उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान है क्योंकि केन्द्र की जो योजना बनती है वह इसी आधार पर बनती है ?

श्री अध्यक्ष–

केन्द्र अपनी योजना के लिए स्वयं उत्तरदायी है ।

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, लेकिन उत्तर प्रदेश किस नम्बर पर आता है ?

श्री अध्यक्ष–

केन्द्र के पास वरीयता होगी, कौन-सा प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसके हिसाब से ही केन्द्र अपनी योजना बनाता होगा । वैसे उत्तर प्रदेश में ३६ जनपदों का उल्लेख मंत्री जी ने किया था ।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की सेवायें नियमित किये जाने की भांति जल निगम से निकाले गये कर्मचारियों की सेवायें नियमित किये जाने की मांग

**२–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि उ० प्र० जल निगम में २४० दिनों से अधिक अवधि की सेवा वाले कर्मचारियों की सेवायें समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या स्थानीय निकायों में २४० दिन से अधिक सेवा काल वाले कर्मचारियों की सेवायें नियमित किये जाने की भांति ही जल निगम से निकाले गये कर्मचारियों की सेवायें भी नियमित की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

जल निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुये कार्यप्रभारित/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गयी हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, जल निगम में रिक्त पदों पर नियुक्ति न किये जाने के कारण दैनिक वेतनभोगी तथा वर्कचार्ज पर कर्मचारी रखे गये थे, जो हटाये जाने के दिन तक सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रहे थे, पर अनावश्यक रूप से उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं । मान्यवर, इन वर्कचार्ज दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जो २४० दिनों से अधिक अवधि से कार्य कर रहे थे, उनको बिना दोष के या बिना उचित आधार के हटाये जाने का कारण क्या है ? दूसरी बात, जो इन कर्मचारियों द्वारा महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य सम्पादित किये जा रहे थे, वह कार्य उनकी सेवाओं के अभाव में किस तरह से करायें जायेंगे ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, इन कर्मचारियों के हटाने से कार्य प्रभावित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । वर्तमान समय में जल निगम के पास सरप्लस कर्मचारी भी हैं । अभी तो केवल ३१ अगस्त, १९८९ के बाद के कर्मचारियों को हटाया गया है , हमारे पास कार्य की दृष्टि से अभी भी सरप्लस कर्मचारी मौजूद हैं ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, शासन को अधिकार है कि वह किसी भी विभाग में स्टाफिंग पैटर्न लागू करे, वित्तीय नियमता को स्थापित करने के लिये स्टाफ को सरप्लस घोषित करे । लेकिन जहां तक मैं समझता हूं , जल निगम में स्टाफिंग पैटर्न लागू नहीं है और न किसी कर्मचारी को सरप्लस घोषित किया गया, उसके बाद भी इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया । जल निगम एक एसेंशियल सर्विस है, इस सेवा को किसी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या पदों को सरप्लस घोषित किया गया या नहीं, यदि किया गया तो उन्हें आगे भरती के समय, जो कर्मचारी अभी निकाले गये हैं, उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि जल निगम के पास वर्तमान समय में सरप्लस कर्मचारी हैं और इन कर्मचारियों को निकाले जाने के दो कारण हैं, एक तो वित्तीय संसाधनों की कमी, जिससे काम की कमी हुई और काम की कमी के नाते स्टाफ सरप्लस हो गया । जहां तक माननीय सदस्य की जिज्ञासा है, जहां तक २४० दिनों को पूरा करने का सवाल है, औद्योगिक अधिनियम के नाते जो रिक्त पद होते हैं, नियमित पद होते हैं, उनको रिक्त रखकर नहीं निकाला जा सकता ।

वर्तमान में जल निगम में कोई रिक्त पद नहीं है ।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि जब वर्कचार्ज दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी २४० दिन काम कर चुके होते हैं, तो उनका नियमतः हक बनता है, मौलिक अधिकार भी है, उन्हें नहीं हटाया जा सकता है । फिलहाल जो निकाले गये हैं, उन्हें आप अन्य किसी विभाग में समायोजित करने की व्यवस्था करने जा रही हैं ?

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भावनाओं से कर्तव्य ऊंचा होता है। किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाय, यह हमारे लिये भी पीड़ा की बात है। माननीय श्री गांधी जी भी इस बात को जानते हैं कि जल निगम में क्या काम होता है ? जैसे किसी क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट गया और उस प्रोजेक्ट में वर्कचार्ज व मस्टररोल पर दो सौ कर्मचारी रखे गये। यदि यह प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो उसके बाद या तो हम उन कर्मचारियों को कहीं और ले जायं या उनकी छुट्टी कर दें। इस तरह से जल निगम में १,५०० कर्मचारी थे सरप्लस में, जिनकी छुट्टी कर दी गई। २४० दिन की बात यहां पर कही गयी। माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होगी कि इण्डस्ट्रियल ऐक्ट के तहत जब किसी कर्मचारी को सेवा से निवृत्त किया जाता है तो उसे या तो एक महीने का नोटिस दिया जाता है या एक महीने का वेतन दिया जाता है या फिर यदि उसने एक वर्ष की सेवा की हो तो उसे १५ दिन का वेतन दिया जाता है। ये सारी शर्तें हमने पूरी कर लीं। लेकिन इसके विरुद्ध वह उच्च न्यायालय चले गये और उच्च न्यायालय ने उन्हें स्थगन आदेश दे दिया। उस स्थगन आदेश के विरुद्ध जल निगम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय ने उस स्थगन आदेश को रद्द कर दिया। अब जो विधिक स्थिति है, उस विधिक स्थिति के अनुसार जिन्होंने २४० दिन भी पूरे कर लिये हैं, उन्हें अब काम पाने का अधिकार भी नहीं रह गया है। मैंने पूर्व में ही कहा कि भावना से कर्तव्य ऊंचा होता है। हमारी भी भावना है। इसीलिये वित्तीय संसाधनों को देखते हुए, जनता के हित में हमने यह कठोर कदम उठाया है।

[श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी (ख) पर प्रश्न संख्या–१ पुकारे जाने पर]

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अगला प्रश्न ले लिया है। अब आप कृपा करके बैठ जायं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मान्यता प्राप्त विद्यालयों को छात्र संख्या के आधार पर शिक्षा शुल्क की क्षति-पूर्ति बढ़ाये जाने की मांग

*१–श्री नसीम उद्दीम सिद्दीकी–

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को कक्षा १ से ५ तक क्षति-पूर्ति सन् १९७४ के आधार पर दी जा रही है उसकी क्षतिपूर्ति छात्र संख्या के अनुसार क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है ? क्या क्षतिपूर्ति छात्रों के अनुसार बढ़ाई जावेगी ? यदि नहीं बढ़ाई जायेगी तो क्यों ? जबकि कक्षा १ से १२ तक शिक्षण शुल्क माफ है ?

बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला, क्षतिपूर्ति देने के मानक क्या हैं ? दूसरा, १९७४ में एक छात्र को कितनी क्षतिपूर्ति दी जाती थी ? और १९९२ में एक छात्र को कितनी क्षतिपूर्ति दी जा रही है ? तीसरा, वित्तीय संसाधनों की आप जो दुहाई दे रहे हैं, वह जूनियर हाई स्कूल, इण्टमीटिडएट व महाविद्यालयों पर भी लागू होती है या फिर केवल प्राथमिक विद्यालयों पर ही यह लागू होती है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो क्षतिपूर्ति दी जाती है, यह जो शिक्षा-शुल्क होता है, इस शिक्षा-शुल्क को जो नहीं लेता है, उनको हम क्षतिपूर्ति देते हैं। वित्तीय संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए हम ऐसे सभी विद्यालयों को क्षतिपूर्ति देने का काम करते हैं। १९७४ व १९९२ में इसमें कोई अन्तर नहीं आया है। छात्र संख्या के आधार पर क्षतिपूर्ति देने का काम करते हैं। यह व्यवस्था अब बढ़ गई है। पिछली बार यह तय किया गया था कि कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। उसके बाद कक्षा एक से लेकर कक्षा बारह तक क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दकी–

मान्यवर, मैंने पूछा कि एक छात्र को १९७४ में कितनी क्षतिपूर्ति दी जाती थी और १९९२ में कितनी दी जा रही है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि क्षतिपूर्ति छात्रों को नहीं दी जाती है, क्षतिपूर्ति विद्यालय को दी जाती है।

श्री अध्यक्ष–

छात्रों की संख्या के आधार पर दी जाती है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्षतिपूर्ति उन विद्यालयों को दी जाती है जो शिक्षण शुल्क नहीं लेते हैं। विद्यालय में जितने छात्र होते हैं वह हमारे कार्यालय को भेजता है उसके आधार पर क्षतिपूर्ति शिक्षण शुल्क की करने की व्यवस्था है। यह सुविधा संसाधनों के आधार पर की जाती है। छात्रों को क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न नहीं है।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने कहा क्षतिपूर्ति शुल्क के आधार पर दी जाती है तो मान्यवर, जितने छात्र होंगे उसी हिसाब से शुल्क लिया जायेगा, छात्रों से शुल्क नहीं लिया जाता है जिसकी क्षतिपूर्ति आप करते हैं। इसलिए प्रश्न उठता है कि प्रति छात्र शुल्क कितना माना गया है जिसके अनुसार क्षतिपूर्ति करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक मैं समझ पाया हूं माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि जहां शुल्क नहीं लिया जाता है वहां छात्रों की संख्या के आधार पर क्षतिपूर्ति विद्यालय को दी जाती है।

श्री लालजी वर्मा–

एक छात्र का कितना शुल्क माना गया है जिसके आधार पर विद्यालय को दिया जाता है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

माननीय अध्यक्ष जी यह तो अलग-अलग है, माध्यमिक स्तर पर अलग और बेसिक स्तर पर अलग । बेसिक शिक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके अन्तर्गत कहा गया कि जो विद्यालय ७४ की स्थिति में शिक्षण शुल्क नहीं लेते हैं उनको क्षतिपूर्ति देंगे । आज की स्थिति यह है कि हम जो भी दे रहे हैं वह वित्तीय संसाधनों को दृष्टि में रख कर दे रहे हैं । फिर भी फैसला हो गया है कि वह शुल्क १७ करोड़ ६६ लाख ८७ हजार है जो पूरे बजट का १७ प्रतिशत है प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों का जिसे हम क्षतिपूर्ति के रूप में देने का कार्य कर रहे हैं ।

श्री पूरन प्रकाश–

मैं जानना चाहता हूं कि इसमें १९७४ में १ से ५ तक कितना धन था और ९२ में कितना धन रखा गया है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

एक करोड़ ४० लाख पहले दिया जाता था इस समय कक्षा १ से ५ तक अलग है, कक्षा ८ तक अलग है और कक्षा १२ तक की अलग है । इस समय २ करोड़ ९२ लाख ८७ हजार क्षतिपूर्ति दी गयी है ।

श्री दौलतराम–

मान्यवर, प्राइमरी एजुकेशन फ्री है लेकिन क्या विकास शुल्क के नाम पर पैसा लिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न की परिधि के बाहर है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इण्टरमीडिएट कालेजों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों के वेतन वितरण अधिनियम में लिया जाता है तो क्या उसी तरह जो जूनियर हाई स्कूल मान्यता प्राप्त जो हैं उनके प्राइमरी स्कूलों को भी वेतन वितरण अधिनियम में ले लेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, प्रश्न से संबंधित है, इसलिये उत्तर दिलवा दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि से बाहर है, इसलिये इस संबंध में आप अलग से प्रश्न कर लेंगे ।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि प्राथमिक शिक्षा के लिये वित्तीय संसाधनों की बात आ जाती है और माध्यमिक शिक्षा के जो विद्यालय और महाविद्यालय हैं उनके लिये क्षतिपूर्ति कैसे आप दे देते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा से संबंधित है, इसलिये यह नहीं ।

जिला अस्पतालों /मुख्यालयों पर कार्यरत राजकीय होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के पदों के सृजन की मांग

*२–श्री मो० रिजवानुल हक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९९०-९१ में जिला अस्पतालों/मुख्यालयों पर कार्यरत राजकीय होम्योपैथिक चिकित्साल्यों के लिए ५३ महिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के पदों का सृजन किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को कब भेजा गया ? आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या उक्त पदों के अन्तर्गत ऐसे जनपद/मुख्यालय भी सम्मिलित हैं जहां जिला अस्पताल/मुख्यालय पर राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय है ही नहीं ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने पद हैं ? उनका उपयोग किन-किन राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में किया जाएगा ? उत्तरांचल के जिला अस्पतालों में कार्यरत राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिए भी महिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद सृजित किए जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० अमर सिंह–

जी हां ।

पदों का अधियाचन शासन द्वारा आयोग को २ जनवरी, १९९१ को भेजा गया तथा आयोग द्वारा पदों को २० दिसम्बर, १९९१ को विज्ञापित किया जा चुका है ।

जी हां । ऐसे कुल चार पद है, जिनका उपयोग आवश्यकतानुसार अन्य राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में किया जायेगा ?

उत्तरांचल के जिला अस्पतालों में कार्यरत राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिए कालान्तर में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर, महिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद सृजित किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रश्नगत ५३ महिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के पदों में से हमारे जिले मुरादाबाद में रिक्त महिला डाक्टरों की नियुक्ति कर दी जायेंगी ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, ५३ महिला चिकित्साधिकारियों के पद सृजन हेतु कार्यवाही की गयी है, अधियाचना की गयी है और मुरादाबाद भी उस में सम्मिलित है, इसलिये मा० सदस्य को आशंका नहीं होनी चाहिये ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, प्रश्नगत मामले में समय निर्धारित कर दें कि कब तक उत्तरांचल के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिये महिला डाक्टरों के पद सृजन कर दिये जायेंगे और संसाधन उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

डा० अमर सिंह–

मान्यवर, जैसे ही धन की व्यवस्था हो जायेगी पद सृजित कर देंगे ।

श्री गंगा बक्श सिंह–

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ५३ महिला चिकित्साधिकारियों के पद जो सृजित हैं उनको कब तक भर दिया जायेगा ? अन्य चिकित्सा पद्धतियों की भांति मुख्य मंत्री जी ने जैसा कहा कि चिकित्साधिकारियों के पद ३ माह में भर दिये जायेंगे, क्या यही व्यवस्था होम्योपैथिक में रिक्त चिकित्साधिकारियों के पदों पर लागू की जायेगी और महिला डाक्टरों के पद भर दिये जायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, सरकार ने पद सृजित कर दिये । पद सृजित करने के पश्चात् यह पब्लिक सर्विस कमीशन की परिधि में आते हैं । हमने जो अधियाचन दिया था उसके लिये २० दिसम्बर, १९९१ को विज्ञापन जारी कर दिया गया । उसके लिये फरवरी के अंत तक प्रार्थना-पत्र मागें हैं । यह तो पब्लिक सर्विस कमीशन की परिधि में आता है । वह जितनी जल्दी साक्षात्कार करा लेगा हम उसके बाद नियुक्ति दे देंगे ।

श्री गंगा बक्श सिंह–

मान्यवर, यह तो सौतेला व्यवहार है, होम्योपैथी और ऐलोपैथी के साथ । ऐलोपैथी को वरीयता देते हैं, उनके लिये ऐडहाक नियुक्ति कर ली जाती है । अभी कहा गया है कि ऐलोपैथी के जो रिक्त पद हैं उन्हें जल्दी ही भर दिया जायेगा । होम्योपैथी के पदों को भरने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं । चार साल हो गये हैं पद रिक्त पड़े हैं । मेरा अनुरोध है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि वह चिकित्सकों के जो पद रिक्त हैं, उनका ऐडहाक एप्वाइन्टमेंट एक सरकारी सेलेक्शन कमेटी बना कर कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आपका अनुरोध है कि जब तक लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्तियां नहीं होती हैं, इन पदों को तदर्थ रूप से भर दिया जाय ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५९ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

आयुर्वेदिक विभाग के स्नातकोत्तर चिकित्साधिकारियों को भत्ता एवं चिकित्सालयों में तैनात करने में वरीयता दिये जाने की मांग

*१–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद विभाग में स्नातकोत्तर चिकित्साधिकारियों को कोई स्नातकोत्तर भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या उन्हें तैनाती में भी कहीं वरीयता दी जाती है ?

यदि नहीं, तो क्या उन्हें १५ शैय्यायुक्त या २५ शैय्यायुक्त चिकित्सालयों में तैनात करने में वरीयता दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

आयुर्वेदिक विभाग के स्नातकोत्तर उपाधि धारक चिकित्साधिकारियों को स्नातकोत्तर भत्ता दिये जाने का प्रकरण विचाराधीन है । वर्ष ८७-८८ तथा ८९-९० में निर्गत आदेशों के अनुरूप तीन वर्ष की सेवा अवधि वाले स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त चिकित्सकों को १५/२५ शैय्यायुक्त तथा ४ शैय्यायुक्त चिकित्सालयों में तैनाती में वरीयता दी जाएगी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मात्र चिकित्सालयों की सुविधा देने की बात नहीं है । रोगियों को जो २५ शैय्या और १५ शैय्या वाले अस्पताल हैं, उनकी बात नहीं है । प्रश्न है वहां के पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्साधिकारियों को वरीयता दिये जाने की, वहां विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध कराने का हमारे देश में कई प्रदेश हैं, जैसे मध्य प्रदेश में ही वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्साधिकारियों को दो इन्क्रीमेंट बढ़ाकर दिया जाता है । मेरा कहना है कि क्या आप इन पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सकों को प्रोत्साहन देने के लिये ऐसी कोई व्यवस्था कर रहे हैं जिससे इस प्रदेश में विशेषज्ञों की सुविधा अस्पतालों में उपलब्ध हो सके ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है । सम्भवतः उन्होंने मैंने जो उत्तर पढ़ा, उसे गौर से नहीं देखा । यहां सभी इस बात से सहमत होंगे कि जिनकी क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता अधिक है, उन्हें वरीयता दी जाय । वर्ष ८७-८८, ८९-९० इन दोनों आर्थिक सालों में जो स्थानान्तरण की नीति बनाई गई थी, उसमें भी कहा गया था कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल आफिसर्स को वरीयता दी जायेगी । लेकिन मान्यवर, इसका अनुपालन नहीं किया गया । यह तो हमारी सरकार आई है जो इसे पुनः लागू कर रही है । यह पहले नहीं हो पाया था ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

माननीय मंत्री जी की बात सही है, कुछ अनुपालन में कमी रही है परन्तु दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए कि जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल आफिसर्स हैं वे अपनी तैनाती की जगह छोड़कर नहीं जाना चाहते । वे अनिच्छुक हैं । उन्हें जब तक प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा तब तक वे जहां पर नियुक्त हैं जैसे आयुर्वेदिक कालेजों में, वे वहीं रहना चाहते हैं, जहां उन्हें सुविधाएं मिलती हैं । निर्माणशालाओं में, प्रदेश मुख्यालयों में जहां उन्हें आवास की सुविधा है, वे वहीं पर रहना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह आपका मूल प्रश्न की परिधि के के बाहर है । आपने पूछा है स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों के भत्तों के बारे में और उनकी वरीयता के बारे में पूछा था .

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

पोस्ट ग्रेजुएट के पद सृजित करें, जैसे कि एलौपैथी में हैं । विशेषज्ञों की व्यवस्था इन २५ और १५ शैय्यायुक्त चिकित्सालयों में उपलब्ध कराई जाए ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जहां तक वरीयता का सवाल है इसको जल्दी कर दिया जाएगा । पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं उनकी विशेष योग्यता है इसलिए इनको ऐसे चिकित्सालयों में रख रहे हैं, जहां विशेष योग्यता की जरूरत है ।

श्री मुन्ना चैहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि १९८७-८८-८९ में यह तय हो गया कि स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त चिकित्सकों को ट्रांसफर-पोस्टिंग में वरीयता दी जाएगी । इस समय चर्चा आयुर्वेदिक के बारे में हो रही है । तो जो पी० एम० एस० हैं, एम० डी० हैं उनको तो लाभ देने की बात कही है लेकिन जो एम० डी० के अतिरिक्त एम० एस० की क्वालिफिकेशन रखते हैं उनके बारे में कोई नीति नहीं बताई ।

श्री अध्यक्ष–

आप यह मूल प्रश्न के बारे में पूछ नहीं रहे हैं ।

शुक्रवार, दिनांक २८ फरवरी, १९९२ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

वाराणसी जल संस्थान द्वारा नियमित सीवर टैक्स वसूली एवं अन्य कार्य न किये जाने के कारण

*१–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को यह जानकारी है कि यू० पी० वाटर सप्लाई एण्ड सीवेज ऐक्ट की धारा २४ की उपधारा (२) एवम् (३) के अन्तर्गत सीवर का निर्माण, मरम्मत तथा सफाई रख-रखाव आदि समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व जल संस्थान का है ? क्या इन्हीं सेवाओं की पूर्ति हेतु उक्त ऐक्ट की धारा २५ की उपधारा (६) के तहत सीवर टैक्स की वसूली आदि के अधिकार के अन्तर्गत वाराणसी जल संस्थान द्वारा नियमित सीवर टैक्स की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो वाराणसी जल संस्थान द्वारा टैक्स की वसूली के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य न किये जाने के क्या कारण है ? क्या इस संबंध में सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, १९७५ की धारा २४(२)(३) के अनुसार, नगर में सीवर निर्माण, मरम्मत, सफाई तथा रखरखाव आदि का दायित्व जल संस्थान का है । कार्य की सीमा उसके संसाधनों पर निर्भर करती है ।

उक्त अधिनियम की धारा २५(६) के अधीन व्यवस्थित अधिकारों के अनुसार धारा ५२ बी एवं ५५ सी (१) (२) के अन्तर्गत नगर के भवनों के वार्षिक मूल्यांकन का ३ प्रतिशत उपभोक्ताओं से सीवर कर के रूप में लिया जाता है ।

जल संस्थान द्वारा वाराणसी में मेन सीवर लाईन की सफाई तथा सीवेज पम्पिंग स्टेशनों के रखरखाव का कार्य किया जाता है । गलियों में अवस्थित ब्रान्च सीवरों की सफाई एवं अनुरक्षण का कार्य नगर महापालिका द्वारा किया जाता है । वाराणसी नगर के अनेक हिस्सों में सीवर लाईन बिछाने के लिए जल संस्थान ने ५०.८७ लाख रु० का ऋण विश्वबैंक से प्राप्त किया है तथा यह कार्य उ० प्र० जल निगम के माध्यम से कराया जा रहा है । गंगा परियोजना निदेशालय से प्राप्त ३७.६३ लाख रुपये के अनुदान से एक जेटिंग मशीन एवं तीन गली इम्पटीयर मशीन क्रय करने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, वराणसी का हर दृष्टि से बहुत महत्व है, लेकिन मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा जिन बिन्दुओं को मैं उठा रहा हूं, जिन बिन्दुओं को पिछली विधान सभाओं में उठाया है आज वाराणसी की स्थिति यह है कि वहां सीवर लाईन है उसका कहीं निर्माण नहीं हो रहा है । उसका रख-रखाव भी नहीं हो रहा है । परिणामस्वरूप पेयजल की जो सप्लाई हो रही है .....

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न पूछें । आप तो भाषण देने लगे ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, स्थान-स्थान पर सीवर लाईन और जल का इन्टरनल कनेक्शन हो जाता है फलस्वरूप गन्दा पानी आता है यह दायित्व जल संस्थान का है यह मंत्री जी ने स्वीकार किया है ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने जो स्वीकार कर लिया है, वह तो सामने है ही । आप अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जल संस्थान सीवर कर के रूप में टैक्स वसूल कर रहा है । वह मूल्यांकन के आधार पर वसूल रहा है ।

जो जलकर है वह फ्लेट रेट के आधार पर वसूल कर रहे हैं तो यह दोहरा मापदण्ड होने का क्या कारण है ? दूसरी बात यह है कि जो वराणसी नगर में सीवर बिछाने के लिये ५०.८७ लाख रुपया प्राप्त हुआ है, इस रुपये से जो सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है उसकी प्राथमिकतायें क्या हैं और वह कार्य कौन से हिस्से में किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न के पहले हिस्से के उत्तर की आवश्यकता नहीं है । दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, ४५ लाख ८७ हजार रुपये से, जल निगम के माध्यम से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में १३०० मीटर सीवर डाला जा चुका है और शेष ५०० मीटर सीवर लाइन डाली जानी है और यह कार्य दिसम्बर, ९२ तक हो जाना है । जो ५ लाख रुपया बचता है वह नगर पालिका में रोड कटिंग के लिए जमा कर दिया गया है । विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में यह कार्य किया जा रहा है वह चाहे पंपिंग स्टेशन की दृष्टि से चाहे कार्य की दृष्टि से हों वह अस्सी घाट, मानसरोवर घाट, राजेन्द्र प्रसाद घाट, जलेसर एवं त्रिलोचन एवं मुख्य सीवेज पंपिंग स्टेशन संबंधी रख-रखाव का कार्य भी किया जा रहा है ।

श्री ऊदल–

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगी कि वरुना नदी के ऊपर की तरफ जो नगर महापालिका का क्षेत्र है वहां जल संस्थान भी टैक्स लेता है और उसी तरह से अस्सी के दक्षिण और लहरतारा के पश्चिम में जो महापालिका का क्षेत्र है उन क्षेत्रों में सीवर का काम आज तक नहीं किया

गया है और न जल सप्लाई का काम किया गया है । क्या इसकी जांच कराकर इन पिछड़े क्षेत्रों में जल और सीवर की व्यवस्था करायेंगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल विषय से कुछ हटकर है । उनकी जिज्ञासा के लिये मैं बताना चाहती हूं कि ये सारी सूचनायें एकत्रित करके उन्हें अवश्य जानकारी में लाऊंगी ।

(ता० प्र० सं०–२ पुकारे जाने पर)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरे साथ अन्याय हो रहा है । मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, मुझे केवल १ (एक) अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय और महत्व देखते हुये, जितना महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उतना समय दिया जाता है । आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

आधा मिनट दे दें, एक जानकारी करनी है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी से मिलकर अपनी जिज्ञासा शांत कर लीजियेगा ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हेतु ली गई परीक्षा एवं सफल अभ्यर्थियों को प्रोन्नति के आदेश की मांग

*२–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राम लखन वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नाति हेतु कोई परीक्षा/साक्षात्कार दिनांक १५-१६ जनवरी, ९० को हुआ था ? यदि हां, तो कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी में प्रोन्नत हुये ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक सफल अभ्यर्थियों को प्रोन्नति के आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे ? यदि नही, तो क्यों ?

डा० अमर सिंह–

जी हां ।

चरित्र पंजिकाओं के अभाव में चयन परिणाम घोषित नहीं हो सका । चरित्र पंजिकाएं प्राप्त की जा रही हैं । यथा शीघ्र चयन परिणाम घोषित कर प्रोन्नति की कार्यवाही की जाएगी ।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति हेतु परीक्षा १५/१६ जनवरी, ९० में हुयी थी लेकिन आज तक उसका रिजल्ट नहीं घोषित किया गया है । तो क्या उसकी निश्चित तारीख बताने की कृपा करेंगे कि कब तक यह रिजल्ट घोषित कर दिया जायगा ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, माननीय सदस्य की जिज्ञासा को देखते हुये मैं कहना चाहता हूं कि वाकई में यह बड़ी पीड़ादायक स्थिति है । साक्षात्कार १५ जनवरी, ९० को हुआ था, २ वर्ष पूरा होने को आये, कुछ नहीं किया गया है ।

यह तो वर्तमान सरकार जब आयी तो सितम्बर में इसमें कार्यवाही की । अभी कुछ दिन पहले उनके लिये कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये हैं और यथा शीघ्र कार्य पूरा हो जायगा ।

श्री किशोरी लाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिन फार्मेसिस्टों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और जो फार्म भर चुके हैं, उनकी परीक्षा कब तक ली जायगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न की परिधि के बाहर है । इसके लिये स्वतंत्र प्रश्न कीजिये । यह पूरक प्रश्न में नहीं आता ।

आयुर्वेदिक विभाग में चिकित्साधिकारियों का स्थायीकरण

*३–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक विभाग में वर्ष १९७७ के बाद कितने चिकित्साधिकारियों का स्थायीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा किस तिथि तक इन चिकित्साधिकारियों का स्थायीकरण कर दिया जायेगा ?

डा० अमर सिंह–

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभाग में वर्ष १९७७ के बाद ५८२ आयुर्वेदिक तथा ६२ यूनानी चिकित्साधिकारी के पद धारकों को राजपत्रित पद पर स्थायी किया गया है । बचे हुए स्थायी पदों पर चिकित्साधिकारियों का स्थायीकरण यथाशीघ्र कर दिया जायेगा ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, कितने पदों पर स्थायीकरण किया जाना अवशेष है और अवशिष्ट पदों पर अभी तक स्थायीकरण न किये जाने का क्या कारण है और कब तक स्थायीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

मा०मंत्री जी कितने पदों का स्थयीकरण किया जाना है, कितने शेष हैं और अब तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, कुल स्थायी पद १६०६ हैं और अस्थायी पद ९६२ हैं । जो ९६२ तदर्थ हैं, उनका जब तक विनियमितीकरण न हो जाय, उनके स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता । इसमें १३३ रेगुलर कर दिये गये हैं, २६ का विनियमितीकरण होना है । एक सप्ताह में प्रस्तावित है । जो तदर्थ हैं जब तक उनका विनियमितीकरण न हो जाय, उनका स्थायीकरण नहीं हो सकता ।

श्री पूरन प्रकाश–

इसमें कितने अनुसूचित जाति के पद हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है कि कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, इसकी सूचना तो होनी चाहिये थी, उनकी संख्या बता दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, माननीय सदस्य बाद में हमसे मिल लें, हम जिज्ञासा शांत कर देंगे ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं आपके माध्य से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक विभाग में अंशकालिक महिला चिकित्सकों की भर्ती पांच साल पूर्व से की गयी है और उनका विनियमितीकरण अब तक नहीं हो पाया है और आपको शायद ज्ञात होगा कि विधान सभा के गेट पर इसी प्रश्न को लेकर कि उनको भी विनियमित कर दिया जाय, धरने पर बैठे हैं । क्या सरकार इस पर कोई विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

अंशकालिक महिला आयुर्वेदिक चिकित्सकों के बारे में बता दें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । यह प्रश्न आयुर्वेदिक के कार्यरत लोगों के स्थायीकरण के बारे में है । उनकी जिज्ञासा महिला चिकित्सकों के बारे में है । मैं बताना चाहूंगा कि यह शासन उनके प्रति पूर्ण सहानुभूति रखते हुए विचार कर रहा है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, उनके स्थायीकरण की कोई रूप रेखा हो तो माननीय मंत्री जी बता दें । उन्होंने कहा कि अस्थायी पदों के विनियमितीकरण की जरूरत है उसकी कोई रूपरेखा हो तो बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी क्या आप तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण पर विचार करेंगे ?

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

अस्थायी पदों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन हो तो बता दें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जो शासन की प्रक्रिया है, उसके तहत हम कार्यवाही कर रहे हैं ।

जनपद मेरठ में बरनावा विधान सभा क्षेत्र में जल स्तर नीचे होने के कारण इण्डिया मार्क–२ हैण्ड पम्प लगवाने की मांग

*४–श्री कटार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मेरठ में बरनावा विधान सभा क्षेत्र में जल स्तर ८० फिट से भी अधिक नीचे चला गया है, जिस कारण जनता को पीने के पानी की उपलब्धता की घोर समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के समाधान के लिये कोई उपाय करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस क्षेत्र में इण्डिया मार्क–२ हैण्डपम्प शीघ्र लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र के कुल ७८ ग्रामों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए ३५ ग्रामों को ६ ग्राम समूह पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया गया है तथा २४ ग्रामों में ४ ग्राम समूह पेयजल योजनायें निर्माणाधीन है । ६९ ग्रामों में २२३ इण्डिया मार्क–२ हैण्डपम्प लगाये गये हैं ।

उक्त क्षेत्र में ३ नगर क्षेत्र समितियां हैं जिनमें से २ में पाइप पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति की जा रही है तथा तीसरी योजना निर्माणान्तर्गत है । उक्त ३ नगरों में २३ हैण्डपम्प भी लगाये गये हैं ।

श्री कटार सिंह–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह काफी संतोषजनक है, लेकिन मेरा कहना यह है कि उस क्षेत्र में जब कार्य निर्माणाधीन है, तो उनको कब तक पूरा करा देंगी ? वहां की समस्या ऐसी है कि खेत के लिए तो पानी है ही नहीं, पीने के पानी का भी संकट है, तो वे किस प्रकार से अपनी जीविका चला रहे हैं । माननीया मंत्री जी कृपया यह भी बता दें कि आप कब तक इस निर्माणाधीन कार्य में सफलता प्राप्त कर लेंगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, वर्तमान में हमारी नीति के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों में जहां ५० प्रतिशत से ऊपर कार्य हो चुके हैं, उन्हें हम यथा संसाधन जुटाने से अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करा रहे हैं और जहां तक इस योजना का सवाल है, स्पेशिफिक क्षेत्र की योजना है, इसमें तो ८५ प्रतिशत काम हो चुका है और शेष कार्य शीघ्र पूरा हो जायगा ।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, अलीगढ़ जनपद का बरौली विधान सभाई क्षेत्र ऐसा है, जहां पर नगरपालिका, टाउन एरिया, शहर नहीं है, पिछले समय में सरकार ने शहरों में पेयजल की व्यवस्था की थी, जिसमें मेरा क्षेत्र बंचित रह गया था । पानी का जल स्तर ८० फिट नीचा है । क्या अन्य क्षेत्रों की बराबरी में सरकार पेयजल की व्यवस्था कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न के बाहर है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, प्रश्नकर्ता का प्रश्न एक क्षेत्र तक सीमित है और उसमें एक समस्या का उल्लेख किया है और मान्यवर, प्रश्नकर्ता ने अपनी अभिरुचि जाहिर करने के लिए अपने क्षेत्र का प्रश्न तो पूछ लिया, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जल स्तर को मेनटेन करने के लिए या यथावत रखने के लिए क्या सरकार इस दिशा में कारगर प्रयास करने में प्रयत्नशील है अथवा नहीं ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, जल स्तर के नीचे जाने का जो संकट प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है, उसके कारण भी सामान्य हैं, सिंचाई के पानी का ज्यादा उपयोग होना, विभिन्न क्षेत्रों में जो आमद से अधिक जल के उपयोग के कारण विगत ३ वर्षों के लगातार सूखे के कारण यह समस्या विभिन्न क्षेत्रों से आई है, जो पेयजल समस्या उत्पन्न कर रही है, उन कारणों से जो स्रोत सूखने से गांवों के कुएं नीचे चले गये हैं, यह समस्या शासन में चिन्ता का विषय है और जहां ८० फिट नीचे पानी जाने की सूचना हमें मिली है, मैं वहां पर प्राथमिकता के आधार पर सर्वे कराऊंगी और पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जायेगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राणा जी आप इस पर अलग से चर्चा के लिये लिख कर दे दें ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जहां पर ८० प्रतिशत जल स्तर नीचे चला गया है, वहां पर कोई योजना चलाने की व्यवस्था करेंगी, जिससे जल स्तर बना रहे ?

श्री अध्यक्ष–

आप स्थान बता दें ।

नगरपालिका लखीमपुर स्थित शिवपुर कालोनी, ग्राम त्रिकोलिया नौगवां तथा ब्रह्मपुर में 'समूह पेयजल योजना' को लागू किये जाने की मांग

*५–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

ग्यारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र १९९१ के पहले शुक्रवार हेतु निर्धारित अता० प्र० सं०-१२ के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन्दर्भित ग्रामों में "समूह पेय जल योजना" लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि उपलब्ध हैण्ड पाइपों से आवश्यकता भर पेयजल प्राप्त नहीं हो पा रहा है और जनता पेयजल की समस्या से त्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सन्दर्भित ग्रामों में "समूह पेय जल योजना" तत्काल लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

समस्याग्रस्त ग्रामों में स्वच्छ पेयजल सुलभ कराने के कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष १९८२ में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार जिन क्षेत्रों में इण्डिया मार्क–२ हैण्डपम्प सफल हैं उन क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना लागू न करने की शासन की नीति है, क्योंकि पाइप पेयजल योजना मितव्ययी नहीं होती ।

जी नहीं । निधासन तहसील के विकास खण्ड पलिया एवं निधासन के ग्राम त्रिकोलिया नौगवां (राजस्व ग्राम बबोना का मजरा) तथा ब्रह्मनपुर में अब तक क्रमशः ९,४, तथा ८ इण्डिया मार्क–२ हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर जनता के उपयोग हेतु चालू किये गये हैं । मानक के अनुसार इन ग्रामों में आवश्यक हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं एवं पेयजल की कोई समस्या प्रतीत नहीं होती है ।

विकास खण्ड निधासन तथा रमिया बेहड़ के राजस्व ग्राम निधासन तथा बैरिया में क्रमशः १७ एवं ५ इण्डिया मार्क–२ हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर पेयजल सुलभ कराया जा रहा है ।

उक्त समस्त हैण्डपम्प भली-भांति कार्यरत हैं और जनता पेयजल की समस्या से त्रस्त नहीं है ।

जी नहीं ।

जनपद खीरी के ऊपर वर्णित ग्रामों में इण्डिया मार्क–२ हैण्डपम्पों के सफल होने के फलस्वरूप शासन की उक्त नीति के अनुसार प्रश्नगत ग्रामों हेतु पाइप योजना के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या तराई क्षेत्र में जल भराव के कारण हैंड पम्पों का पानी दूषित हो जाता है ? क्या हैंड पम्पों के दूषित पानी को पिलाना ही हैंड पम्पों की सफलता का मानक है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, जल भराव के कारण हैंड पम्पों के जल के दूषित होने की कोई सूचना शासन के पास नहीं है ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, निधासन तहसील को उत्तर प्रदेश शासन तराई क्षेत्र मानता है और यह सभी को मालूम है कि तराई क्षेत्र में जल भराव होता है और जल भराव के कारण हैंड पम्पों का पानी दूषित होता है, किसी से छिपा नहीं है, फिर भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि क्या इस दूषित पानी का विश्लेषण करा कर कोई पेय जल योजना लागू करायेंगी ?

श्री अध्यक्ष–

क्या जहां जल दूषित है, उसका विश्लेषण कराकर पेय जल योजना लागू करायेंगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

परीक्षणोपरान्त व्यवस्था की जा सकती है ।

चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को प्रतिदिन दिये जाने वाले मुफ्त भोजन पर व्यय की जानकारी की मांग

*६–श्री लाल जी वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालयों अथवा मेडिकल कालेज के चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को शासन द्वारा मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है ? यदि हां, तो प्रति मरीज प्रतिदिन भोजन हेतु कितना रुपया व्यय किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० अमर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि भर्ती मरीजों को शासन द्वारा मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है, तो प्रति मरीज प्रतिदिन भोजन हेतु कितना रुपया व्यय किया जाता है ? इसमें सूचना एकत्र कराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ? यह तो मालूम ही होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूं ।

जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा नगरपालिका हरदोई के वित्तीय अनियमितता के कारण अध्यक्ष को बर्खास्त करने की शासन को संस्तुति एवं कार्यवाही

*७–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी, हरदोई ने नगरपालिका, हरदोई में लाखों रुपये की गम्भीर अनियमितता पाते हुये नगर पालिका अधिनियम की धारा ४८ में अध्यक्ष को बर्खास्त करने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि शासन ने उस संस्तुति को स्वीकृत करके नगरपालिका, हरदोई को धारा ३० में कारण बताओ नोटिस दे दी है ? यदि हां, तो धारा-४८ की संस्तुति को धारा ३० में परिवर्तित करने का क्या कारण रहा है ? जिलाधिकारी की संस्तुति पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जिलाधिकारी हरदाई ने अपने पत्र दिनांक ११-५-१९९१ द्वारा नगरपालिका हरदोई के अध्यक्ष को धारा-४८ के अन्तर्गत पदच्युत करने की संस्तुति की थी । जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या का शासन स्तर पर परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि अध्यक्ष के साथ-साथ सम्पूर्ण नगरपालिका बोर्ड के स्तर से अनियमिततायें की गयी हैं । अतः धारा-४८ के स्थान पर धारा-३० के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी ।

इस कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में अध्यक्ष ने बोर्ड की ओर से जो उत्तर प्रेषित किया उसको जिलाधिकारी ने इस संस्तुति के साथ शासन में भेजा कि धारा-३० के अन्तर्गत बोर्ड को अवक्रमित कर दिया जाय ।

तदनुसार शासन के द्वारा नगरपालिका हरदोई को अवक्रमित किया गया और जिलाधिकारी हरदोई को प्रशासक एवं बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिये गये ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन् मेरे प्रश्न के उत्तर में, जैसा मंत्री जी ने कहा है कि ११-५-९१ को डी० एम०"की आख्या के अनुसार डी०एम० ने धारा ४८ अध्यक्ष को बरखास्त करने की अपनी सिफारिश की थी तं मैं जानना चाहता हूं कि डी० एम० ने जो ११-५-९१ को अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप लगाये थे वह क्या-क्या थे ? क्या यह सत्य है कि अध्यक्ष नगरपालिका हरदोई के विरुद्ध जो आरोप लगाये थे उनको असत्य मानते हुये सभी आरोपों का बोर्ड ने विरोध किया था तो बोर्ड को कौन सा परीक्षण का आधार रखकर धारा ३० की नोटिस दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बता दें कि धारा ४८ से धारा ३० में परिवर्तन का आधार क्या था ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अध्यक्ष नगरपालिका बी० जे० पी० के सदस्य हैं क्या इसीलिए यह परिवर्तन किया गया है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, जिलाधिकारी ने धारा ४८ का जहां प्रयोग किया वहीं अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी भेजी है । धारा ४८ की बात जिलाधिकारी ने जरूर कही है लेकिन जो रिपोर्ट भेजी उसके आधार पर बोर्ड अनियमितताओं में संलग्न था, इस कारण परीक्षण की आवश्यकता पड़ी और वह धारा बदली ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जिलाधिकारी द्वारा धारा ४८ में नगरपालिका अध्यक्ष को बरखास्त करने के आरोप लगाये गये थे तो क्या बोर्ड ने भी नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप लगाये थे और आरोपों की सत्यता थी और उसको नगरपालिका में पास किया था यदि पास किया था, तो बोर्ड को बरखास्त करने का क्या अधिकार था ?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर का पहला भाग देखें, इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष के साथ-साथ सम्पूर्ण नगरपालिका बोर्ड के स्तर से अनियमिततायें की गयी हैं । अतः धारा ४८ के स्थान पर धारा-३० के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी की गयी । इस उत्तर में निहित है कि अध्यक्ष के साथ-साथ अनियमितताएं बोर्ड ने की ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अध्यक्ष के विरुद्ध जो आरोप लगाये थे नगरपालिका बोर्ड ने, अध्यक्ष के खिलाफ बोर्ड ने भी सिफारिश की थी और उसको पास किया था तो जब बोर्ड ने अध्यक्ष की अनियमितताओं को माना तो फिर बोर्ड पर चार्ज लगाने का क्या आधार रहा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, बोर्ड की भी लम्बी कहानी है । पूर्व में पत्रावली जब हमारे सामने आई तो मैंने उसमें यह भी देखा कि सन् ९० में पहले भी बोर्ड को भंग करने की संस्तुति अध्यक्ष द्वारा पूरे बोर्ड की अनियमितताओं को लिखकर के जा चुका था, कोई कारण रहा होगा, जिस कारण उस समय कार्यान्वयन नहीं हो सका और एक दूसरी चीज भी स्पष्ट है कि जब कारण बताओ नोटिस धारा ३० के अन्तर्गत दी गयी तब जिलाधिकारी की संस्तुति भी ३० के ही पक्ष में आई है तब बोर्ड भंग किया गया ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इस बात को मैं पहले नहीं लाना चाहता था जो माननीया मंत्री जी ने उत्तरित किया। १५-५-९० को अध्यक्ष नगरपालिका द्वारा बोर्ड को भंग करने की सिफारिश की गयी आर्थिक कमियों के कारण बोर्ड को भंग करने की संस्तुति जिलाधिकारी ने नगरपालिका अध्यक्ष को की और भ्रष्टाचार के आरोप बताये धारा ४८ में बरखास्त करने की सिफारिश की। मान्यवर, माननीय मंत्री जी गम्भीरता बरतती तो शायद सम्पूर्ण बोर्ड को भंग नहीं करतीं, एक समस्या और पैदा हो गयी चूंकि इन्होंने सम्पूर्ण बोर्ड को भंग कर दिया। नगरपालिका अध्यक्ष को हाईकोर्ट से इसी आधार पर स्टे है। मान्यवर, इन्हीं सब कारणों से नगरपालिका हरदोई में एक माह से हड़ताल चल रही है। अध्यक्ष ने १९९० में बोर्ड भंग करने के लिये आर्थिक कमी का आधार लिखा। भ्रष्टाचार के आधार पर जिलाधिकारी की संस्तुति आयी, दोनों को मिलाकर के बोर्ड को भंग करने की बात की गयी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीया मंत्री जी अगर सूचना हो तो प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, पूर्व में स्पष्ट किया है। धारा ४८ के अन्तर्गत जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ-साथ विस्तृत रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर धारा ३० में नोटिस दी गयी, तदुपरान्त नोटिस के जवाब में धारा ३० की ही पुष्टि की गयी है, इसी आधार पर बोर्ड भंग किया गया।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नगरपालिका हरदोई में एक महीने से हड़ताल है, वहां गंदगी व्याप्त है। मैं मंत्री जी से इसमें आश्वासन चाहूंगा। आज ही मंत्री जी सचिव और विधि सचिव को बुलाकर इसका परीक्षण करा लें। जनभावना पर गौर करते हुए, हाईकोर्ट से स्टे तो अध्यक्ष ने लिया, उनकी बरखास्तगी धारा ४८ के तहत हो सकती है। आज ही इस पर विचार कर लेंगी और हमें भी बुला लें, इस पर कार्यवाही हो जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीया मंत्री जी माननीय सदस्य को अपने कक्ष में बुला लें और समस्या के समाधान पर इनसे विचार कर लें।

*८–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

*९–डा० दिनेश जौहरी–

[१०वें मंगल में ता० प्र० सं० ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उचित मूल्य की उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण अलीगंज में भूखण्ड का क्रय किया जाना

*१०–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा सुपर बाजार के माध्यम से उचित मूल्य की उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के अभाव के कारण उपभोक्ताओं का

शोषण हो रहा है ? क्या इस संदर्भ में उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण से अलीगंज में एक भूखण्ड आधुनिक सुपर बाजार प्रारम्भ करने हेतु वर्ष १९८७-८८ में क्रय किया गया था परन्तु विगत लगभग तीन वर्षों की अवधि में भी इस संबंध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

सहकारिता मंत्री (श्री सुधीर कुमार बालियान)–

जी नहीं ।

जी नहीं, वर्ष १९८८ में लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में लखनऊ विकास प्राधिकरण से एक भूखण्ड गोदाम निर्माण एवं बड़े आकार का भण्डार स्थापित करने के उद्देश्य से क्रय किया गया था ।

धनाभाव के कारण अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, पहले भाग के प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि "जी नहीं"। जबकि लालबाग में जो सुपर बाजार है वह उपभोक्ता संघ वहां बन्द पड़ा है, किसी को सम्मान नहीं मिल रहा है । क्या ऐसे उपभोक्ता संघ से आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, वितरण कराने की व्यवस्था की जा रही है, व्यवस्था जारी है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, लालबाग सुपर बाजार आपके बगल में ही स्थित है उसमें उपभोक्ता संघ के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण, दाल, घी, रिफाइन्ड आयल इन सब वस्तुओं का वितरण उपभोक्ता संघ के माध्यम से करेंगे ? भूखण्ड के बारे में कहा गया कि धनाभाव के कारण हम नहीं निर्माण करा पाये हैं । इस बाबत जो भारत सरकार की वित्त पोषित योजना है क्या उसको आप प्रस्ताव भेजेंगे ताकि धन स्वीकृत हो जाय और भूखण्ड का निर्माण हो सके ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, जिस भूखण्ड की बात इन्होंने की है यह अलीगंज का भूखण्ड है न कि लालबाग में । दूसरी बात, जहां तक उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण की बात हैं, उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण सुचारु रूप से जारी है । इसके लिये लखनऊ में ३ बिक्री केन्द्र उपभोक्ता संघ से संचालित हैं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नही है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि यह लालबाग के बारे में नहीं है, मेरा प्रश्न का पहला भाग देख लें । लालबाग सुपर बाजार जहां से वितरण नहीं किया जा रहा है....

तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है । तो क्या माननीय मंत्री जी उपभोक्ता सहकारी संघ के माध्यम से वितरण की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संघ के माध्यम से वितरण पहले से ही जारी है ।

प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग एकीकृत में चिकित्साधिकारियों की प्रोन्नति एवं एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के समान सुविधाएं दिये जाने की मांग

*११–श्री विश्वनाथ (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग एकीकृत में कितने चिकित्साधिकारी प्रोन्नत किये गये हैं ? शेष चिकित्साधिकारियों की प्रोन्नति कब तक की जायेगी ? क्या प्रोन्नति प्राप्त चिकित्साधिकारियों को एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के समान सुविधा दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

२४ चिकित्साधिकारी प्रोन्नति किये गए हैं ।

प्रोन्नति के रिक्त पद उपलब्ध होने पर ही विचार किया जा सकता है ।

जी नहीं ।

चूंकि प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग एकीकृत के चिकित्साधिकारियों के पदों हेतु न्यूनतम निर्धारित अर्हता एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के समान नहीं है, अतः समान सुविधा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

[तारांकित प्रश्न संख्या–११ पुकारे जाने पर]

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकर्ता उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं प्रश्न संख्या–१३ लेता हूं ।

*१२–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०), वाराणसी द्वारा मोहन दास जू० हा० स्कूल, मुस्तफाबाद, जनपद मऊ की वित्तीय अनियमितताओं आदि की जांच एवं प्रबन्ध तंत्र को अपदस्थ न करने के कारण

*१३–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०), वाराणसी ने दिसम्बर, ९० में मोहन दास जू० हा० स्कूल, मुस्तफाबाद, जनपद मऊ के वित्तीय अनियमितताओं की जांच की थी और उसमें धन की हेराफेरी एवं नियुक्तियों में धांधली पाई थी ? यदि हां, तो अभी तक प्रबन्ध तंत्र को अपदस्थ न करने का क्या कारण है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

विद्यालय प्रबन्धक को वेतन वितरण अधिनियम की धारा ६(२) के अन्तर्गत ''कारण बताओ'' नोटिस देने, उत्तर प्राप्त करके निर्णय करने आदि की कार्यवाही की जाती रही और अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने पत्रांक शि०/२२२३-२६/९१-९२, दिनांक १४-२-९२ द्वारा उक्त विद्यालय के लिये साधिकार नियंत्रक नियुक्त किये जाने की संस्तुति कर दी है ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी का पत्र दिनांक १४-२-९२ प्राप्त हो गया है, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो यह मामला शासन के विचाराधीन है उसकी तत्काल कार्यवाही करायें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, हम इसको अति शीघ्र करा देंगे ।

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड आराजी लाइन के ग्राम-भिखारीपुर राजा तालाब में पेयजल आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल बोरिंग व पाइप बिछाने का कार्य एवं व्यय की गयी धनराशि

*१४–श्री दीनानाथ सिंह यादव (अनुपस्थित)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी के विकास खण्ड-आराजीलाइन के ग्राम-भिखारीपुर राजा तालाब में ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल बोरिंग व पाइप बिछाने के कार्य में अभी तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? इस क्षेत्र की जनता को भीषण पेयजल संकट से मुक्ति दिलाने हेतु कब तक प्रस्तावित-समस्त गांवों में अवशेष पाइप लाइन व पानी टैंक का निर्माण कराकर जलापूर्ति शुरू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो शासकीय धन के अपव्यय का क्या औचित्य है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

रु० २२.२८ लाख ।

योजना में सम्मिलित ११ ग्रामों में भीषण पेयजल संकट नहीं है एवं उक्त में से १० ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु ६८ हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं । शेष एक ग्राम कन्हाईपुर में पाइपलाइन से जलापूर्ति है ।

योजना के अवशेष कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण होकर जलापूर्ति शीघ्र सम्भव होगी ।

धन का कोई अपव्यय नहीं हुआ है । धन की कमी के कारण ही समस्त कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हुआ है । कार्य तत्काल पूर्ण करने हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

[तारांकित प्रश्न संख्या-१४ पुकारे जाने पर]

श्री अध्यक्ष–

चूंकि प्रश्नकर्ता उपस्थित नहीं हैं इसलिए अब मैं प्रश्न संख्या-१५ लेता हूं ।

रा० एलोपैथिक अस्पताल पिडंरा, ब्लाक-पिडंरा व रा० अस्पताल, बसनी बड़ागांव, ब्लाक बड़ा गांव, वाराणसी को उच्चीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रश्न कर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

*१५–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० एलोपैथिक अस्पताल (पी० एच० सी०), पिडंरा, ब्लाक-पिडंरा, व रा० एलोपैथिक अस्पताल, बसनी बड़ागांव, ब्लाक बड़ागांव, जिला-वराणसी को उच्चीकृत करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र उनको दिनांक २८-६-९१ को तथा मुख्य मंत्री को दिनांक २७-६-९१ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस

तथ्य की जांच करायेंगे कि पिडंरा अस्पताल में सभी इमारतें बना दी गयी हैं किन्तु वहां सिर्फ ९४ बेड ही हैं ? यदि हां, तो अब तक अस्पताल को उच्चीकृत न करने का क्या कारण है ?

डा० अमर सिंह--

जी हां ।

चूंकि उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना जिला सेक्टर की योजना है । अतः उच्चीकरण का प्रस्ताव जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे उक्त समिति ने अनुमोदित नहीं किया । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिडंरा का भवन मानकों के अनुसार पूर्ण है और भारत जनसंख्या परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत १० अतिरिक्त शैय्याओं के लिये वार्ड निर्मित कराया गया ।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा परिव्यय आवंटित न किये जाने एवं उक्त स्थानों के नाम न अनुमोदित किये जाने के कारण प्रश्न में उल्लिखित केन्द्रों का उच्चीकरण नहीं किया जा सका ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि पिडंरा अस्पताल का भवन निर्माण मानक के अनुसार उच्चीकृत करने के लिए पूरे का पूरा बना दिया गया है लेकिन अभी तक उच्चीकृत नहीं किया गया है, सिर्फ १४ शैय्याएं वहां पर लगी हैं । यदि हां, तो क्या सरकार उसको उच्चीकृत करने की कृपा करेगी क्योंकि इसमें धन की आवश्यकता नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था है तो क्या यह भवन बना है इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है । यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० अमर सिंह--

मान्यवर, यह जो भवन निर्मित है वह सामुदायिक स्वास्थ्य के हिसाब से नहीं है । यह ४ शैय्याओं का है, १० अलग हैं इसी तरह से १४ शैय्याओं का है और इसी स्तर की बिल्डिंग है ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि स्व० पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने उस स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण के लिए भवन का शिलान्यास किया था और पूरे का पूरा भवन बन गया है । मेरी सूचना को सही मानकर क्या आप पुनः इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ।

डा० अमर सिंह--

यह तो बड़ा स्वभाविक है । आपकी सद्भावनाओं की कदर हम करते हैं । हम इसकी जांच करा देंगे ।

(श्री जागेश्वर द्वारा बिना अनुमति के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

इसके उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है ।

शासनादेशानुसार माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध कतिपय अशासकीय प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों का कथित रूप से रोके गये वेतन की भुगतान की मांग

*१६–श्री भारत सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजाज्ञा सं०-३०४८/१५-८-८९/३०५४/८७, दिनांक ६ सितम्बर, १९८९ जिसके द्वारा माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध ३९३ अशासकीय प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन वितरण अधिनियम की परिधि में लिया गया है जो संलग्न सूची में प्राइमरी अनुभाग गुरुकुल सर्वोदय इण्टर कालेज पांचली खुर्द जिला मेरठ को जनपद मेरठ के स्थान में जनपद गाजियाबाद के सम्मुख अंकित कर दिये जाने के कारण उक्त विद्यालय के अध्यापकों का वेतन का भुगतान माह अक्टूबर, १९९० से रोक दिया गया है ? यदि हां, तो इस त्रुटि के लिए कौन दोषी है ? क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच कराकर रोके गये वेतन का तुरन्त भुगतान करायेंगे तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा था, वह बहुत साधारण था । मान्यवर, जो शासनादेश है, उसके अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध अशासकीय प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन वितरण अधिनियम की परिधि में लिया जाना था, लेकिन तकनीकी भूल से या किसी अधिकारी द्वारा जानबूझकर के एक विद्यालय गुरुकुल सर्वोदय इण्टर कालेज, पांचली खुर्द, जिला मेरठ को जनपद मेरठ के स्थान में जनपद गाजियाबाद अंकित कर दिया गया जिसकी वजह से उक्त विद्यालय के अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है ।

श्री अध्यक्ष–

समय समाप्त होने को है, इसलिये मंत्री जी जल्दी से उत्तर दे दें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसके संदर्भ में बता दूं कि यह सही है कि उसमें मेरठ के स्थान पर गाजियाबाद लिखा हुआ था, लेकिन वहां के तत्कालीन डी० आई० ओ० एस० वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत वहां पर पैसे का भुगतान किया करते थे, लेकिन जब सर्वेक्षण कराया गया और डी० डी० आर०, मेरठ ने रिपोर्ट पेश की, यह जानने के लिये कि अर्ह है या नहीं, तो पाया गया कि अर्हता में वह आता ही नहीं है । इसके कारण उसे वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत हटा दिया गया, इसी प्रकरण में जिला विद्यालय निरीक्षक के संदर्भ में जांच अभी चल रही है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ । [1]

*१७–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

।७वें बुधवार में ता० प्र० सं० १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

आगरा नगर महापालिका सीमा क्षेत्र को बढ़ाया जाना एवं स्वामी बाग और दयाल बाग टाउन एरिया क्षेत्रों को नगर महापालिका के अन्तर्गत सम्बन्धित किया जाना

*१८–श्री विजय सिंह राणा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर महापालिका सीमा क्षेत्र को पुनः बढ़ाया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या स्वामी बाग और दयाल बाग टाउन एरिया क्षेत्रों को भी नगर सीमा में नगर महापालिका के अन्तर्गत सम्बन्धित किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वामीबाग व दयालबाग टाउन एरिया क्षेत्रों को महापालिका सीमा में मिलाये जाने के सम्बन्ध में सन्दर्भ प्राप्त हुये हैं । चूंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रकरण है । अतः दोनों टाउन एरिया को नगर महापालिका में संविलीन किये जाने के औचित्य तथा निहित बिन्दुओं के व्यापक परीक्षण के उपरान्त ही कोई निर्णय लिया जाना संभव होगा । इस कार्य हेतु समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति दिये जाने पर सरकार का विचार

*१९–श्री खालिद गौरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कुल कितने मेडिकल कालेज कहां-कहां खोलने का शासन का विचार है ?

श्री कल्याण सिंह–

सम्प्रति कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में इंदिरा नगर की सीमा पर इस्माइलगंज के उत्तर में स्थित झील के पानी के निकासी के उपाय किये जाने की मांग

*२०–श्री लाखन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में इंदिरा नगर की सीमा पर कस्बा इस्माइलगंज के उत्तर में एक बड़ी उथली झील स्थित है, जिसमें कमता, पानी गांव, तकरोही, इंदिरा नगर की समीपवर्ती

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–१६ के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

इलाकों का पानी बरसात में आकर इकट्ठा होने से सैकड़ों बीघे जमीन बरसात में डूब जाती है तथा इस्माइलगंज के बहुत से घरों में पानी भरने के कारण भारी हानि व आवागमन ठप्प हो जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त झील के पानी की निकासी के लिए कोई स्थायी उपाय करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

प्रश्नगत क्षेत्रों में बरसात के दिनों में जल भराव हो जाता है । यह एक अस्थाई समस्या है जिसका समय-समय पर नगर महापालिका लखनऊ द्वारा निराकरण किया जाता है ।

अतारंकित प्रश्न

तुर्रा-बदौसा पेयजल योजना (बांदा) के लिए जिला योजना से उपलब्ध धन एवं इसे पूरा करने में बलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की मांग

१–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या तुर्रा-बदौसा पेयजल योजना (बांदा) के लिये जिला योजना से धन उपलब्ध करवाया गया था ? यदि हां, तो यह धन कब और कितना उपलब्ध करवाया गया था ? इस योजना को अभी तक पूरा न करने का क्या कारण है ? क्या इसमें विलम्ब हेतु दोषी अधिकारी को दण्डित किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

वर्ष १९८८-८९, ८९-९०, ९०-९१ एवं ९१-९२ में क्रमशः रु० ९.०२, १६.४९, ६.३५ एवं ३.७९ लाख उपलब्ध कराये गये थे ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण योजना अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है ।

कोई दोषी नहीं है, अतः किसी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में जल संकट के समाधान हेतु जल निगम द्वितीय निर्माण शाखा को स्थानान्तरित न करने की मांग

२–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री को यह ज्ञात है कि वर्ष १९७६ में बांदा जनपद में जल संकट के समाधान हेतु जल निगम द्वितीय निर्माण शाखा को बांदा में सृजित किया गया था ? क्या वर्तमान समय में भी जनपद बांदा में गम्भीर जल संकट व्याप्त है यदि हां, तो ऐसी दशा में द्वितीय निर्माण शाखा, बांदा को झांसी स्थानान्तरित करने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उक्त शाखा को बांदा में ही सृजित रखेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

वर्तमान समय में बांदा में पेयजल की दृष्टि से आदर्श स्थिति भले ही न हो, लेकिन गम्भीर पेयजल संकट नहीं है । बांदा में मात्र एक ही निर्माण शाखा के लिए कार्य पर्याप्त है, अतः दूसरी शाखा को कार्यभार के अनुसार स्थानान्तरित करने का औचित्य है ।

उक्त परिस्थिति में प्रश्न नहीं उठता

जनपद फैजाबाद में नगरपालिका अकबरपुर में वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अवधेश कुमार मेहरोत्रा के विरुद्ध की गयी अनियमितता सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी को दिया गया पत्र एवं कार्यवाही

३–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की नगरपालिका अकबरपुर में लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद से वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अवधेश कुमार मेहरोत्रा द्वारा अध्यक्ष की हैसियत से नगरपालिका अकबरपुर में की गयी गम्भीर आर्थिक क्षति तथा स्थानीय निकाय अधिनियमों के विपरीत आचरण करने की दशा में नगरपालिका के सभासदों सहित प्रश्नकर्ता ने दिनांक १२-९-९१ को जिलाधिकारी फैजाबाद को लिखित प्रतिवेदन और १४ पृष्ठों का संलग्नक सभासदों के साथ प्रस्तुत होकर देते हुये नगरपालिका अकबरपुर को आर्थिक क्षति, राजस्व क्षति आदि में गम्भीर घपला होने से बचाने के लिये तत्काल प्रशासनिक नियन्त्रण में किये जाने की मांगयुक्त ज्ञापन जिस पर कुल २० में से १२ सभासदों के हस्ताक्षर हैं, दिया है ? यदि हां, तो इस ज्ञापन पर जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

अध्यक्ष, नगरपालिका अकबरपुर फैजाबाद के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच परगनाधिकारी, अकबरपुर से कराई जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में सिकन्दरपुर बाजार में पानी की टंकी निर्माण करायें जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

४–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर की तहसील में पड़ने वाली सिकन्दरपुर बाजार में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक १४-८-९१ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सिकन्दरपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु वर्ष १९९१-९२ में २ हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं ।

चूंकि उक्त क्षेत्र में हैण्डपम्प सफल हैं अतः शासन की नीति के अनुसार कोई पाइप पेयजल योजना / टंकी का निर्माण प्रस्तावित नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थ नगर में विद्यालयों के भवन निर्माण की स्थिति

५–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर में कितने विद्यालयों के भवन वर्ष १९८९-९०, ९०-९१ में बनने थे ? उनमें से कितनों का निर्माण पूरा हो गया एवं कितने अधूरे हैं ? क्या उनकी छतें केवल ईंट की ही हैं तथा उन पर मिट्टी नहीं डाली गयी है ? यदि हां, तो क्यों व सभी अधूरे कार्यों का निर्माण कब तक पूरा हो सकेगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में वर्ष १९८९-९० तथा १९९०-९१ में क्रमशः २३ व ४५ अर्थात कुल ६८ प्राइमरी पाठशालाओं के भवन, स्वीकृतिनुसार बनने थे, जिनमें से ५९ भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा ८ भवन निर्माणाधीन (अधूरे) हैं और एक भवन का निर्माण स्थगित है ।

जी हां ।

भवन की निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार छत पर गिट्टी डालने का प्राविधान नहीं है ।

सभी निर्माणाधीन अधूरे भवनों का निर्माण अविलम्ब पूरा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

६–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[५वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

नगरीय बैंकों के सम्बन्ध में उप निबन्धक (अर्बन बैंक) सहकारी समितियां द्वारा बनाये गये माडल सर्विस रूल्स को शासन द्वारा इसकी अधिसूथना जारी किये जाने की मांग

७–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय बैकों के संबंध में उप निबंधक (अर्बन बैक) सहकारी समितियां द्वारा माडल सर्विस रूल्स बनाये गये थे ? यदि हां, तो क्या इन्हें निबन्धक समितियां, उ० प्र० से अनुमोदन के उपरान्त शासन को भेजा गया था ? यदि हां, तो शासन द्वारा इसकी अधिसूचना कब तक जारी कर दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या विस्फोट के विरुद्ध कार्यक्रम

८–डा० दिनेश जौहरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इस समय प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये जनसंख्या विस्फोट के विरुद्ध कोई कार्यक्रम चलाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो जन आन्दोलन को सफल बनाने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । कार्यक्रम पूर्व से ही चल रहा है ।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम शतप्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित कार्यक्रम है, तद्नुसार राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को जनान्दोलन के रूप में चलाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

९–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

पुरवा (उन्नाव) के स्वीकृत प्राइमरी स्कूल एवं भवन निर्माण की स्वीकृत दिये जाने की मांग

१०–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा (उन्नाव) के कुल कितने नये प्राइमरी स्कूल वर्ष ८९ या उसके बाद स्वीकृत हुए हैं ? क्या यह सच है कि ब्लाक हिलौली का पश्चिम गांव व लोहली तथा ब्लाक असोहा का गढ़ीकरमली व सेदपुर में खुले स्कूलों के भवन निर्माण का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या नए स्कूलों के खुलते ही भवन निर्माण की भी स्वीकृति दे दी जाती है ? यदि हां, तो उक्त स्कूलों के भवन निर्माण में विलम्ब का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस विलम्ब के लिए दोषी व्यक्ति का उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

वर्ष ८९-९० में एक तथा वर्ष ९०-९१ में सात नये प्राइमरी स्कूल स्वीकृत हुये हैं ।

केवल प्राइमरी पाठशाला पश्चिम गांव ब्लाक हिलौली का भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

११–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

१२–श्री राम प्रसाद सिंह–

[३सरे सोमवार में अता० प्र० सं० १७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में सहकारिता विभाग द्वारा वसूला गया कलेक्शन चार्ज एवं आडिट

१३–श्री राम प्रसाद सिह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में सहकारिता विभाग द्वारा सन् १९८५ से १९९० तक कितना कलेक्शन चार्ज वसूला गया है ? क्या इस धन का आडिट कराया गया ? यदि हां, तो किसके द्वारा और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जनपद बांदा में सहकारिता विभाग द्वारा सन् १९८५ से १९९० तक कुल रु० १७,८६,६७५.०२ पै० कलेक्शन चार्ज वसूला गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आडिट करने हेतु अधिकृत क्षेत्रीय लेखाधिकारी का पद लम्बी अवधि से रिक्त होने के फलस्वरूप आडिट नहीं कराया जा सका है ।

श्री भगवान बख्श सिंह, सदस्य विधान परिषद् का फहमीदा बानो, फूल बाग, लखनऊ के पत्र के साथ संलग्न प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दिया गया पत्र एवं कार्यवाही

१४–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि श्री भगवान बख्श सिंह, सदस्य विधान परिषद् का अर्धशासकीय पत्र दिनांक २९-८-९१ फहमीदा बानो निवासी-२७८, फूलबाग, लखनऊ के संलग्न प्रार्थना-पत्र सहित प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ जिसमें प्रमुख सचिव ने निदेशालय स्वास्थ्य से आख्या मांगी थी ? यदि हां, तो पत्र का विवरण क्या है एवं अनियमितता हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी एवं शोषित को क्या राहत पहुंचायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

माननीय सदस्य विधान परिषद् का पत्र तथा उसके साथ संलग्न फहमीदा बानो का पत्र श्री नौशाद अली, लैब टैक्नीशियन, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मलिहाबाद, लखनऊ के अकारण एवं अनावश्यक उत्पीड़न तथा चिकित्सा सम्वर्ग से स्वास्थ्य सम्वर्ग में स्थानान्तरण कर दिये जाने के सम्बन्ध में था ।

श्री नौशाद अली का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर चिकित्सा सम्वर्ग के लैब टैक्नीशियन के पद पर ही किया गया है । अतः इनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं हुई है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम में योगदान दिये जाने के फलस्वरूप विशेष वेतन वृद्धि स्वीकृत करने आदि के सम्बन्ध में प्रवर वर्ग सहायकों के चिकित्सा अनुभाग में प्राप्त हुए प्रार्थना पत्र एवं कार्यवाही

१५–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में योगदान दिये जाने (ट्यूबेक्टामी आपरेशन) के फलस्वरूप विशेष वेतन वृद्धि स्वीकृत करने तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कितने प्रवर वर्ग सहायकों के प्रार्थना पत्र दिनांक १९-१२-८९, दि० १२-१२-९० तथा दि० १०-१०-९१ शासन के चिकित्सा अनुभाग-५ में प्राप्त हुये हैं ? इन प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त प्रवर वर्ग सहायक में से कितने प्रवर वर्ग सहायकों का चिकित्सा सचिव शाखा से स्थानान्तरण हो गया है ? ऐसे स्थानान्तरित प्रवर वर्ग सहायकों को शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य उक्त विशेष वेतनवृद्धि तथा अन्य सुविधाओं को वास्तव में कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ? इन स्थानान्तरित प्रवर वर्ग सहायकों के उक्त प्रकरण से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों आदि को चिकित्सा सचिव शाखा द्वारा निस्तारण न किए जाने के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत विषय से सम्बन्धित प्रश्न में उल्लिखित तिथियों का एक प्रवर वर्ग सहायक का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ।

सम्बन्धित प्रवर वर्ग सहायक ग्राम्य विकास विभाग के स्थानान्तरित हो जाने एवम् दिनांक ४-६-९० को कार्यमुक्त हो जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत प्रकरण ग्राम्य विकास विभाग को भेज दिया गया ।

एक प्रवर वर्ग सहायक का स्थानान्तरण हुआ है ।

विशेष वेतनवृद्धि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वीकृत कर दी गई है । अन्य सुविधाएं दिये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित कर्मचारी, जिनका चिकित्सा शाखा से स्थानान्तरण हो गया है, को शिथिलता बरतने के लिए सचेत करने हेतु उनके संबंधित वर्तमान विभाग को लिख दिया गया है ।

१६–श्री राम आसरे वर्मा–

[तीसरे सोमवार में अता० प्र० सं० १८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ के नगरपालिका-मुबारकपुर के निवासियों के पेयजल समस्या के निवारण हेतु प्रस्तावित योजना

१७–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के नगरपालिका-मुबारकपुर के लगभग एक लाख निवासियों के पेयजल समस्या के लिए एक ही पानी की टंकी उपलब्ध है जिससे वहां के अधिकांश निवासियों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो उनकी पेयजल की समस्या के निवारण हेतु कौन सी योजना प्रस्तावित है और उसका क्रियान्वयन कब तक होगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

पेयजल की पूरी सुविधा नहीं है ।

पेयजल समस्या के निवारण हेतु वर्ष १९९०-९१ में अनुमानित लागत रुपया ३४६.०० लाख का एक प्राथमिक प्राक्कलन बनाया गया है । योजना का क्रियान्वयन एवं निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद आजमगढ़ के नगर पालिका मुबारकपुर के सौन्दर्यीकरण हेतु उपलब्ध भूमि पर अवैध निर्माण एवं कब्जा हटाने की सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

१८–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के नगरपालिका मुबारकपुर के सौन्दर्यीकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि नगरपालिका मुबारकपुर के सौन्दर्यीकरण हेतु उपलब्ध भूमि पर "नगर" के एवं बाहरी लोगों ने अवैध निर्माण एवं कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो उक्त अवैध निर्माण एवं कब्जा खाली कराने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? कब तक पूर्ण कब्जा भूमि पर कर लिया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां । संगठित नगर विकास योजना के अन्तर्गत नगरपालिका, मुबारकपुर, आजमगढ़ को चयनित किया गया है ।

जी हां ।

इस सम्बन्ध में विविध न्यायालयों में वाद विचाराधीन हैं । वादों के निस्तारण के बाद ही विवादित भूमि पर कब्जा लिया जा सकता है ।

जनपद सुल्तानपुर में स्थित जल निगम के कार्यालय के उप खण्ड अधिकारी (सहायक अभियन्ता) द्वारा जगदीशपुर और उसके समीपवर्ती विकास क्षेत्रों की यात्राओं पर हुआ व्यय

१९–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद सुल्तानपुर में जल निगम का कार्यालय है ? क्या वहां उप खण्ड अधिकारी (सहायक अभियन्ता) का कार्यालय भी है ? यदि हां, तो क्या जगदीशपुर और उसके समीपवर्ती विकास क्षेत्रों जामों, मुसाफिरखाना, शुकुल बाजार तथा वल्वीराय की पेयजल योजनाओं का निर्माण/रखरखाव उक्त सहायक अभियन्ता के प्रशासनिक नियंत्रण में है ? यदि नहीं, तो इन विकास क्षेत्रों में योजनाओं के निरीक्षण हेतु तथा अन्य उद्देश्यों से सहायक अभियन्ताओं द्वारा सुल्तानपुर से की गयी यात्राओं पर जुलाई, १९९०- से सितम्बर, १९९१ ई० तक कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

सुल्तानपुर में उपखण्ड अधिकारी का पृथक से कोई कार्यालय नहीं है किन्तु निर्माण शाखा, सुल्तानपुर के एक सहायक अभियन्ता का मुख्यालय जगदीशपुर में है, जिसके नियन्त्रण में विकास खण्ड, जगदीशपुर की एक पेयजल योजना का निर्माण कार्य तथा विकास खण्ड जामों की दो पेयजल योजनाओं के निर्माण का कार्य है ।

संदर्भित विकास क्षेत्रों की योजनाओं के निर्माण/रख रखाव पर सहायक अभियन्ताओं की यात्राओं पर जुलाई, १९९० से सितम्बर, १९९१ तक रु० ९०९९/- की धनराशि यात्रा बीजकों पर व्यय हुई है ।

प्रदेश की नगरीय/प्राइमरी सहकारी बैकों हेतु निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा बनाये गये स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर वेतनमान तथा भत्ते लागू किये जाने की मांग

२०–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगरीय/प्राइमरी सहकारी बैंकों हेतु निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा स्टाफिंग पैटर्न सी० ७४/स्टा० पै०/नग० बैंक/एस० ए० २/अधि० दिनांक १६-११-८४/३०-१-८५ बनाया गया है ? क्या उसमें उल्लिखित अनुमन्य वेतनमान तथा भत्ते को दिनांक १-१-८६ के आधार पर पुनरीक्षित करने की कार्यवाही निबन्धक द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो कार्यवाही किस प्रक्रम पर है तथा वेतनमान कब तक पुनरीक्षित करा दिये जायेंगे ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के नगरीय सहकारी बैंकों के सचिवों के शासन स्तर पर लम्बित कैडर को निस्तारण करके लागू किये जाने की मांग

२१–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगरीय सहकारी बैंकों के सचिवों का कैडर निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा बनाया गया है जो शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो कब तक इसका निस्तारण करके अधिसूचना जारी कर इसे लागू करा दिया जायेगा ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोआपरेटिव बैंक इम्पलाइज यूनियन, उ० प्र० की नगरीय बैंक इकाई का कर्मचारियों की समस्याओं एवं बैंकों की आर्थिक स्थिति विषयक पत्र एवं कार्यवाही

२२–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव बैंक इम्पलाइज यूनियन, उ० प्र० की नगरीय बैंक इकाई का मांग पत्र दिनांक ३-२-१९९० प्रदेश की नगरीय बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं एवं बैंकों में कार्यरत बिगड़ती हुयी आर्थिक स्थिति को सुधारने के संबंध में निबन्धक सहकारी समितियां, उ० प्र० सचिव, सहकारिता उ० प्र० शासन एवं मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

मांग पत्र निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र० लखनऊ के स्तर पर विचाराधीन हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

करहल, जनपद मैनपुरी टाउन एरिया में सीमेंट की सड़कों का निर्माण एवं घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

२३–श्री बाबू राम यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि करहल जनपद मैनपुरी टाउन एरिया में कितनी सीमेंट की सड़कों का गत वर्ष निर्माण हुआ ? इनमें से कितनी सड़कें ऐसी हैं जो एक वर्ष के अन्दर ही उखड़कर खराब हो रही हैं ? क्या सरकार इस घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या इन उखड़ी सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

टाउन एरिया कमेटी, करहल जनपद मैनपुरी में गत वर्ष छः सीमेन्ट की सड़कों का निर्माण हुआ था ।

दो सड़कें जो मुख्य मार्गों से जुड़ी हैं, भारी वाहनों के आवागमन के कारण कहीं-कहीं टूट गई हैं ।

जी हां ।

सम्बन्धित ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

जी नहीं । केवल मरम्मत कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न हीं उठता ।

उन्नाव जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र असोहा व नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में फर्जी नसबन्दी

२४–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र असोहा व नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कैलेण्डर वर्ष ८९-९० में भारी संख्या में नसबन्दी हुई है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त पते फर्जी हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नसबन्दी हुए लोगों के नाम, पते, उम्र को नसबन्दी रिकार्ड में दर्ज आंकड़ों से जांच करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

वित्तीय वर्ष १९८९-९० में उन्नाव जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र असोहा में ५६ व नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में १५९ नसबन्दी हुई ।

प्रतीक सत्यापन कराए जाने पर प्रा० स्वा० केन्द्र असोहा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवाबगंज के कुछ नसबन्दी केस फर्जी पाए गए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की टाउन एरिया माधोगंज में रिटायर्ड चौकीदार श्री हरी सिंह के वेतन, एरियर तथा बोनस का भुगतान किये जाने की मांग

२५–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की टाउन एरिया माधोगंज में श्री हरी सिंह, चौकीदार (वाटर वर्क्स) को १५ सितम्बर, १९९० को रिटायरमेंट दे दिया गया था ? यदि हां, तो

१९८६ से बढ़े हुए वेतन का एरियर एवं बोनस का भुगतान उन्हें न किए जाने के क्या कारण हैं तथा भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

समिति की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण श्री हरी सिंह, चौकीदार (वाटर वर्क्स) को बढ़े हुए वेतन के एरियर एवं बोनस का भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है । भविष्य में समिति की आर्थिक स्थिति ठीक होने पर या शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर श्री हरी सिंह, चौकीदार (वाटर वर्क्स) का समस्त बकाया भुगतान कर दिया जायेगा ।

औषधि निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

२६–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औषधि निरीक्षकों के रिक्त १४ पदों को भरने में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या इन्हें शीघ्र भरने का प्रयास किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

औषधि नियंत्रक संगठन में रिक्त १५ औषधि निरीक्षक के पदों में से ११ पदों पर नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही की जा रही है । ३ पदों पर नियुक्तियां करने के लिए अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन कराया जा रहा है तथा एक पद माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिक्त रखा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा मार्ग, हुसैनगंज, लखनऊ स्थित मस्जिद खान अली खां और कोहिनूर होटल के मध्य स्थित पार्क को जनता के प्रयोगार्थ उपलब्ध कराये जाने की मांग

२७–श्री बची सिंह रावत–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष १९७९-८० में विधान सभा मार्ग, हुसैनगंज, लखनऊ स्थित मस्जिद खान अली खां और कोहिनूर होटल के ठीक मध्य में नगर महापालिका द्वारा जनता की सुविधा के लिए एक पार्क का निर्माण कराया गया था जिसके समुचित रख रखाव हेतु रोशनी, माली तथा नल आदि की व्यवस्था के साथ-साथ पार्क की सुरक्षा हेतु उसके चारो ओर लोहे की रेलिंग भी लगाई गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पार्क अनधिकृत रूप से गुमटियों आदि द्वारा घेर लिये जाने के कारण उसका अस्तित्व ही लगभग समाप्त प्रायः है ? यदि हां, तो क्या सरकार गुमटियों आदि को हटवा कर उक्त पार्क को पुनः व्यवस्थित कराकर जनता के प्रयोग के लिए उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

वर्तमान समय में प्रश्नगत स्थल पर गुमटियां नहीं है । महायोजना के अनुसार यह मार्ग १५० फीट चौड़ा है जिसमें उक्त स्थल भी सम्मिलित है । अतः पुनः पार्क की व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए किये गये उपाय एवं टीकाकरण तथा दवाइयों के छिड़काव समय से न कराये जाने पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

२८–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९९१ में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये बांदा जनपद में क्या-क्या उपाय किए गए और कब किए गए ? क्या वहां पर टीकाकरण तथा दवाइयों का छिड़काव समय से नहीं करवाया गया ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब और क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष १९९१ में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये बांदा जनपद में निम्नलिखित उपाय किये गये:–

१–नियंत्रण कक्षों की स्थापना

२–सचल दलों की व्यवस्था

३–औषधियों, कीटनाशक एवं विसंक्रमण की समुचित मात्रा में आपूर्ति

४–सघन सर्वेक्षण एवं मानीटरिंग व्यवस्था

५–पेयजल स्रोतों का नियमित विसंक्रमण

६–समुचित उपचार व्यवस्था

७–त्वरित निरोधक कार्यवाही

८–टीकाकरण

९–स्वास्थ्य शिक्षा

पेयजल विसंक्रमण का कार्य माह जनवरी १९९१ से तथा अन्य कार्य माह अप्रैल १९९१ से प्रारम्भ किये गये ।

टीकाकरण तथा दवाइयों आदि का छिड़काव समय से करवाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के निवासी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह अवर अभियन्ता टाउन एरियाज आजमगढ़ के स्थानान्तरण किये जाने की मांग

२९–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के निवासी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह जो कि पच्चीस वर्षों से जनपद आजमगढ़ में अवर अभियन्ता टाउन एरियाज के पद पर कार्यरत हैं, का स्थानान्तरण जनपद आजमगढ़ से अन्यत्र अब तक न किये जाने का कारण क्या है ? क्या इन्हें वहां से स्थानान्तरित करके पुनः जनपद आजमगढ़ में ही रोका गया ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

(क) जी नहीं । श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह को शासनादेश दिनांक २० दिसम्बर, १९९० द्वारा इलाहाबाद स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

(ख) जी नहीं । जिलाधिकारी द्वारा श्री सिंह कार्यमुक्त नहीं किये गये थे उन्हें तुरन्त कार्यमुक्त करने हेतु निर्देश भेज दिये गये हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में टाउन एरिया निजामाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत हुए कार्य एवं व्यय धनराशि

३०–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में टाउन एरिया निजामाबाद क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष १९९०-९१ व १९९१-९२ में नाली, खड़ंजा एवं पिचरोड का नया निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो उस पर कितना धन व्यय हुआ ? यदि नया निर्माण न कराकर मरम्मत करवायी गयी है यदि हां, तो उसमें कितना धन व्यय हुआ ? क्या इन कार्यों में धन के दुरुपयोग करने के बारे में तकनीकी जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

(क) जी हां ।

(ख) रु० ३,११,९७७.०० व्यय हुआ ।

(ग) सभी नया निर्माण कार्य कराया गया है ।

(घ) धन का दुरुपयोग नहीं हुआ है । कार्य के गुणवत्ता की तकनीकी जांच कराने के बाद ही भुगतान किया गया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बराबंकी में मदरसा मिस्वाहुल उलूम, देवा में अनियमित श्री आफाक हुसैन की नियुक्ति एवं पुनः नियमानुसार नियुक्ति किये जाने की मांग

३१–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदरसा मिस्वाहुल उलूम देवा शरीफ, जनपद बाराबंकी में दर्जाते फौकानिया (जूनियर कक्षा) के एक रिक्त स्थान पर शिक्षक की नियुक्ति हेतु नियमानुसार दो समाचार- पत्रों में विज्ञापन दिए बिना दिनांक २८-७-९१ तथा ८-८-९१ को प्रबन्धक-मदरसा के निवास पर, प्रधानाचार्य के अनुपस्थिति के बावजूद श्री आफाक हुसैन की नियुक्ति बिना नियुक्ति-पत्र दिये उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर कराकर कर ली गयी है ? क्या पूर्वोक्त नियुक्ति मान ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्वोक्त नियुक्ति अनियमित मानकर प्रबन्धक को आदेशित किया गया है कि वे इस पद के लिए पुनः नियमानुसार कार्यवाही करें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मदरसा मिस्वाहुल उलूम, देवा शरीफ जनपद बाराबंकी में दर्जा फौकानिया के एक रिक्त स्थान हेतु "तर्जमाने हिन्द" समाचार पत्र में दिनांक १३-७-९१ को विज्ञापन दिया गया है जबकि नियमानुसार दो समाचार पत्रों में विज्ञापन किया जाना था । प्रबन्धक की सूचना के अनुसार श्री आफाक हुसैन की

नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही प्रबन्धक द्वारा बिना प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर से की गयी है तथा उपस्थिति पंजिका पर १९-८-९१ से श्री आफाक हुसैन के हस्ताक्षर अंकित हैं।

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) फैजाबाद को आवश्यक जांच के निर्देश दिये गये हैं।

जनपद आजमगढ़ में नगर पालिका मुबारकपुर में विचाराधीन यूनानी दवाखाना

३२–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका मुबारकपुर, आजमगढ़ में यूनानी दवाखाना खोलने की कोई योजना शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसको मूर्त रूप कब तक दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों के परिपेक्ष्य में स्वीकृति निर्गत नहीं की जा सकी है।

होम्योपैथिक कम्पाउन्डर्स प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु हुए साक्षात्कार का परीक्षाफल

३३–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक कम्पाउडर्न्स प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु वर्ष १९९० में हुए साक्षात्कार का परीक्षाफल अब तक क्यों नहीं घोषित किया गया ? यदि उक्त तथ्य सही हैं तो सरकार इस संबंध में कौन सा कदम उठाने जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

मा० उच्च न्यायालय के दिनांक १२-११-९० के स्थगन आदेश के अनुपालन में परिणाम घोषित नहीं किया जा सका था। अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक २३-१-९२ जिसके द्वारा उक्त स्थगन आदेश समाप्त कर दिया है, के पश्चात् परिणाम घोषित किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

जनपद बांदा के अन्तर्गत टाउन एरिया राजापुर के सफाई कर्मचारियों का मांग पत्र तथा उसे पूरे किये जाने की मांग

३४–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत टाउन एरिया राजापुर के सफाई कर्मचारी दिनांक १९-९-९० को अध्यक्ष, टाउन एरिया, राजापुर से मिले तथा मांगें पेश की थीं तथा मांग पत्र जिला अधिकारी बांदा को भी भेजा है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ? उनमें क्या किया गया ? क्या उनकी मांगें पूरी की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

(क) जी नहीं। टाउन एरिया राजापुर के सफाई कर्मचारी दि० १९-९-९० को अध्यक्ष से नहीं मिले, अपितु अपना मांग पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा। मांग पत्र जिलाधिकारी बांदा को भी भेजा गया है।

(ख) संलग्न परिशिष्ट के अनुसार मांग पत्र में कुल सात मांगे हैं।

(ग) मांग संख्या-१ से ६ की पूर्ति कर दी गई है।

(घ) जी हां। छः मांगें पूरी की जा चुकी हैं, जहां तक मांग संख्या-७ का संबंध है. सफाई कर्मचारियों का शोषण नहीं किया जा रहा है। बोनस व नकदीकरण के भुगतान की समस्या है, क्योंकि समिति के वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ- १९९ पर.)

३५–श्री राम मूर्ति सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जिला सुल्तानपुर के ब्लाक शुक्ल बाजार में मुसाफिर खाना गौरीगंज में तथा कादीपुर में प्राइमरी अध्यापकों की नियुक्ति की विषमता के कारण

३६–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक शुक्ल बाजार जिला सुल्तानपुर में पहली जुलाई, १९९१ से पहली सितम्बर, १९९१ तक कितने प्राइमरी पाठशाला एक अध्यापकीय कितने प्राइमरी पाठशाला अध्यापक विहीन एवं कितने प्रधान अध्यापक विहीन हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि मुसाफिरखाना गौरीगंज में प्रति विद्यालय कितने अध्यापक नियुक्त हैं तथा कितने कादीपुर तहसील में प्रति विद्यालय में कितने अध्यापकों की औसत नियुक्ति है ? इस विषमता का क्या कारण है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां । ब्लाक शुक्ल बाजार जनपद सुल्तानपुर में पहली जुलाई, १९९१ से पहली सितम्बर, १९९१ तक २६ विद्यालय एक अध्यापकीय तथा ४ विद्यालय अध्यापक विहीन तथा ३८ विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन हो गये थे ।

ब्लाक मुसाफिरखाना में

कुल ६२ विद्यालयों में से १ विद्यालय अध्यापक विहीन, १९, विद्यालय एक अध्यापकीय, १४ विद्यालयों में दो अध्यापक, १५ विद्यालय में तीन अध्यापक, ६ विद्यालयों में चार अध्यापक, ६ विद्यालयों में पांच अध्यापक तथा १ विद्यालय में छः अध्यापक हैं ।

ब्लाक गौरीगंज में

६० विद्यालयों में से १ विद्यालय अध्यापक विहीन, ७ विद्यालय एक अध्यापकीय, २१ विद्यालयों में दो अध्यापक, १० विद्यालयों में तीन अध्यापक, १४ विद्यालयों में चार अध्यापक, ५ विद्यालयों में पांच अध्यापक, १ विद्यालय में छः अध्यापक और १ विद्यालय में सात अध्यापक कार्यरत हैं ।

तहसील कादीपुर में

प्रति विद्यालय में औसतन ४.६ अध्यापक कार्यरत हैं ।

शासन द्वारा गत दो वर्षों में नियुक्ति पर रोक लगने के कारण नवीन नियुक्तियां नहीं हो सकीं ।

किसी विकास खण्ड या तहसील के औसत के अनुसार दूसरे विकास खण्ड या तहसील में अध्यापक रखने का प्राविधान नहीं है वरन जनपद के लिये स्वीकृत पदों के अन्तर्गत ४०:१ मानक से जहां भी पद की आवश्यकता हो, व्यवस्था करने का प्राविधान है ।

अध्यापक विहीन विद्यालयों तथा एकल अध्यापकीय विद्यालयों में नियमानुसार अध्यापकों की व्यवस्था करने हेतु बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्देश दिये जा चुके हैं ।

जनपद बांदा के टाउन एरिया क्षेत्र, मटौध तिंदवारी में विभिन्न मदों से प्राप्त आय एवं कार्यों पर हुई व्यय धनराशि की जांच कराये जाने की मांग

३७–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के टाउन एरिया क्षेत्र मटौध व तिंदवारी में विभिन्न मदों से वर्ष १९९०-९१ में कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गयी है तथा किन-किन कार्यों में उक्त

धनराशि को खर्च किया गया है ? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त वित्तीय वर्ष में अब तक कुल कितनी मदों से कितनी धनराशि प्राप्त हुयी है तथा किन-किन विकास कार्यों में खर्च की गयी है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

(क) टाउन एरिया मटौध व तिंदवारी बांदा को वित्तीय वर्ष १९९०-९१ में सड़क निर्माण व मरम्मत, मार्ग प्रकाश व सफाई उपकरण क्रय और नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत क्रमशः रु० ३,२०, ३६५ तथा रु० २,७१,१६९ की धनराशि स्वीकृत की गई है । इस धनराशि को इंगित मदों में ही खर्च किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) किये गये कार्यों की गुणवत्ता की तकनीकी जांच के बाद ही भुगतान किया गया है । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) उक्त (क) अवलोकनीय है ।

जनपद मऊ में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की स्वीकृत संख्या

३८–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की स्वीकृत संख्या क्या है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जनपद मऊ में परिषदीय अध्यापकों की स्वीकृत संख्या ३३६९ है ।

३९–श्री ऊदल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

४०–श्री ऊदल–

[३सरे सोमवार में अता० प्र० सं० १७९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांदा नगर के मोहल्ला अलीगंज व खाईपार में पेयजल आपूर्ति के लिए किये जाने वाले उपाय

४१–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी -

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बांदा नगर के मोहल्ला अलीगंज व खाईपार जहां हैण्ड पम्प के लिये बोरिंग भी न हो पाने से पेयजल का गम्भीर संकट है, के लिये पेयजल आपूर्ति के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या उक्त स्थानों की पेयजल आवश्यकता को देखते हुये कहीं पर ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ट्यूबवेल से जल आपूर्ति आरम्भ कर दी गयी है ? यदि नहीं तो विलम्ब के लिये दोषी कौन अधिकारी हैं ? जल आपूर्ति कब तक आरम्भ हो जायेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

बांदा नगर के मोहल्ला अलीगंज में पेयजल हेतु इण्डिया मार्क–२ हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, जो सफल है किन्तु खाईपार में हैण्ड पम्प की बोरिंग सफल नहीं हो रही है । अतः नलकूपों से पेयजल प्राप्त कर जलाशय के माध्यम से उपलब्ध करायां जा रहा है । इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था हेतु दे नलकूपों के निर्माण की योजना है, जिसमें से एक का कार्य प्रगति पर है तथा दूसरे के लिए स्थल चयन कर लिया गया है ।

जी हां, उक्त स्थानों की पेयजल व्यवस्था पूर्व से पांच नलकूपों द्वारा की जा रही है तथा एक और नये नलकूप का निर्माण कार्य प्रगति पर है, नये दूसरे नलकूप के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है ।

जी नहीं, निर्माणाधीन नलकूप अभी तैयार नहीं हुआ है ।

कार्य योजनानुसार प्रगति पर है । विलम्ब के लिए कोई दोषी नहीं है ।

निर्माणाधीन नलकूप मार्च १९९२ तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । तत्पश्चात् विद्युत संयोजन प्राप्त हो जाने पर जलापूर्ति सम्भव हो पायेगी ।

नगर पालिका बांदा के अध्यक्ष द्वारा मोहल्ला मरदन नाका, बांदा में अहिरन मोहल्ले में गली निर्माण कराये जाने की मांग

४२–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें नगर पालिका बांदा के अध्यक्ष के पत्रांक ९८६ दिनांक ५-१०-९१ के बाबत मोहल्ला मरदन नाका, बांदा में अहिरन मोहल्ले में गली निर्माण के सम्बन्ध में नगर पालिका बांदा को अनुदान उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शीघ्र उक्त अनुदान देकर गली का निर्माण करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सिंचाई विभाग व लोक निर्माण विभाग की भांति उत्तर प्रदेश जल निगम में गठित की गयी स्क्रीनिंग कमेटी एवं मुख्य अभियन्ता श्री वी० के० गुप्ता को सेवा मुक्त किये जाने की मांग

४३–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र तथा श्री उमाकान्त यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग व लोक निर्माण विभाग की भांति उत्तर प्रदेश जल निगम में भी स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गयी है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष १९८९-९० में जल निगम के लिये सरकार द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा एक मुख्य अभियन्ता (श्री वी० के० गुप्ता) को जबरन सेवामुक्त किये

जाने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उस संस्तुति को स्वीकार करते हुए उक्त मुख्य अभियन्ता को जबरन सेवा मुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां । स्क्रीनिंग कमेटी प्रति वर्ष नियमानुसार गठित की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जी नहीं । समिति की संस्तुतियां शासन द्वारा स्वीकार नहीं की गयीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में श्री मो० फहीम अहमद, प्रधानाचार्य, मदरसी मिस्बाहुल उलूम, देवा को प्रबन्धक द्वारा हटाये जाने के उपरान्त श्रीमती मकबूल इफफत आरा की नियुक्ति एवं श्रीमती आरा द्वारा प्रबन्धक के विषय में शिकायती पत्र एवं कार्यबाही

४४–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री मो० फहीम अहमद, प्रधानाचार्य, मदरसी मिस्बाहुल उलूम, देवा, जनपद-बाराबंकी को प्रबन्धक व उनके सहयोगियों द्वारा दिनांक ५-९-९१ को मदरसे में अपमानित करके मदरसे से भगा देने के उपरान्त कार्यवाहक प्रधानाचार्या के रूप में दिनांक १८-११-९१ तक श्रीमती मकबूल इफफत आरा कार्य कर रही थीं ? क्या दिनांक ५-९-९१ की घटना की पुष्टि एस० एस० आई०, देवा कोतवाली तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी के समक्ष कर देने से श्रीमती आरा से दिनांक १६-११-९१ को मदरसे के अभिलेख जबरदस्ती छीन कर कार्यवाहक प्रधानाचार्य पद से हटा दिया गया है ? क्या श्रीमती आरा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी को पत्र लिखकर प्रबन्धक द्वारा धमकी देने व श्री मो० फहीम अहमद को इस तरह मदरसे से निकाल देने की बात कही है ? यदि हां, तो क्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा तत्काल इस शिकायत पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी नहीं ।

दिनांक १६-११-९१ को मदरसे के अभिलेख छीनने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है परन्तु १६-११-९१ से श्रीमती आरा के स्थान पर श्री अजीम बेग को प्रबन्ध समिति द्वारा कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाया गया है ।

जी हां । श्रीमती आरा का एक पत्र दिनांक रहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ।

जी हां, प्रबन्धक से प्रकरण पर आख्या मांगी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मदरसा मिस्बाहुल उलूम, देवा, बाराबंकी में चौकीदार श्री रहमत अली की नियुक्ति एवं प्रबन्धक मदरसा द्वारा चौकीदार के निजी खर्च में किये गये वेतन को वापस किये जाने की मांग

४५–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मदरसा मिस्बाहुल उलूम, देवा, बाराबंकी में कार्यरत चौकीदार श्री रहमत अली की नियुक्ति प्रबन्धक मदरसा द्वारा करने के बाद वर्ष १९८८ तक पूर्वोक्त चौकीदार को कार्यभार नहीं सौंपा गया था ? क्या श्री रहमत अली की सेवा पंजिका का मुख्य पृष्ठ प्रबन्धक द्वारा जानबूझ कर फाड़ दिया गया है ? क्या पूर्वोक्त चौकीदार का वेतन प्रबन्धक ने स्वयं वर्ष १९८० से वर्ष १९८८ तक अपने निजी खर्च में लेते रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रबन्धक मदरसा से १९८० से १९८८ तक का पैसा वापस लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

मुख्य पृष्ठ निरीक्षण के समय फटा हुआ पाया गया है, लेकिन प्रबन्धक द्वारा मुख्य पृष्ठ फाड़ने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । प्रकरण की जांच के लिये मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को निर्देश दिये गये हैं । प्रकरण की जांच होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मदरसा मिस्बाहुल उलूम, देवा शरीफ, जनपद-बाराबंकी में श्री अजीज अहमद व श्री मुबीन अहमद का एक ही वर्ष में अध्यापक होना तथा राजकीय कालेज, लखनऊ में एल० टी० प्रशिक्षण प्राप्त करना

४६–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मदरसा मिस्बाहुल उलूम, देवा शरीफ, जनपद-बाराबंकी में वर्ष १९८४ में श्री अजीज अहमद व श्री मुबीन अहमद अध्यापक पद पर कार्यरत थे ? क्या पूर्वोक्त दोनों अध्यापक वर्ष १९८४ में ही राजकीय कालेज लखनऊ में एल० टी० का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे थे ? यदि हां, तो क्या एक ही समय में दोनों कार्य सम्भव हैं जबकि देवा से लखनऊ की दूरी ४० कि० मी० की है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

मदरसा मिस्बाहुल उलूम, देवा शरीफ, जनपद-बाराबंकी में एक विद्यार्थी द्वारा लिपिक कार्य करना व उसी समय शिया कालेज लखनऊ में पढ़ाई करना

४७–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९८८ में मदरसा मिस्बाहुल उलूम, देवा शरीफ, जनपद-बाराबंकी में लिपिक के रिक्त स्थान पर शिया कालेज, लखनऊ के एक विद्यार्थी की नियुक्ति

प्रबन्धक द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि मदरसे में कार्य का समय १० से ५ है तथा शिया कालेज, लखनऊ का पढ़ाई का समय १२ से ४ है ? यदि हां, तो एक ही समय में शिक्षा प्राप्त करने तथा लिपिक पद का कार्य कैसे उक्त कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्रश्नगत मदरसे में लिपिक के रिक्त स्थान पर शिया कालेज, लखनऊ में विद्यार्थी की नियुक्ति किये जाने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सका है ।

प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), फैजाबाद को स्थलीय निरीक्षण कर जांच के निर्देश दिये गये हैं ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत बांदा केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार के गोदाम का निर्माण

४८–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अन्तर्गत बांदा केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार के गोदाम का निर्माण कार्य श्रम संविदा एवं निर्माण सहकारी संघ लि०, लखनऊ द्वारा मार्च १९८८ में प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो अभी तक निर्माण कार्य पूरा न किये जाने का क्या कारण है ? कब तक उक्त गोदाम का निर्माण पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

निर्माण कार्य फरवरी, १९९१ में ही पूर्ण हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

४९–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

आगरा के पश्चिमी क्षेत्र में मेन होलों पर पत्थर के ढक्कन लगवाने व हैण्ड पम्प को ठीक करवाने की योजना

५०–श्री किशन गोपाल–

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि आगरा के पश्चिमी क्षेत्र में सीवर के खुले मेन होलों व चोरी गये मेन होलों पर पत्थर के ढक्कन लगवाने की व अस्थाई और स्थाई खराब हैण्ड पम्प को तुरन्त ठीक कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

यह कार्य सामान्य रख-रखाव का है । इसके लिये कोई योजना नहीं बनाई जाती है । अस्थाई रूप से खराब हैण्ड पम्पों को यथाशीघ्र ठीक करा दिया जाता है । स्थायी रूप से खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराना धनाभाव के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सादा व नशीली पान मसाला पुड़िया बेचने पर पाबन्दी लगाने की मांग

५१–श्री किशन गोपाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि पूरे प्रदेश में सादा व नशीली पुड़िया जैसे रजनी गन्धा, पान पराग, आशिकी, तलब, कुमार. सरगम टेस्टी, तुलसी व अन्य नामों से बेची जाती है जिससे जनता कैंसर जैसे घातक बीमारी का शिकार हो रही है ? क्या इन पाउचों के बेचने पर सरकार द्वारा पाबन्दी लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ऋण माफी योजनान्तर्गत मृत व्यक्तियों का ऋण माफ करने की मांग

५२–कुंवर सुरेन्द्र प्रताप–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दस हजार रु० की पूर्व सरकार द्वारा घोषित ऋण माफी योजना में मृतकों के लिये सम्पूर्ण ऋण माफी नियम लागू था ? इसके उपरान्त भी कुछ बैंक अधिकारियों ने वह ऋण माफ न करके उनके आश्रितों पर डाल दिया है ? क्या सरकार ऋण माफी योजना लागू करते हुये मृत व्यक्तियों का ऋण माफ करने का कार्य शुरू कराने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो यह कब तक लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में ऋण माफी योजना के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति, जन्नक जागीर विकास खण्ड, फतेहगंज पश्चिमी में की गयी अनियमितता एवं जांच की मांग

५३–कुंवर सुरेन्द्र प्रताप–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति, जन्नक जागीर विकास खण्ड, फतेहगंज पश्चिमी, जनपद-बरेली में ऋण माफी योजना के अन्तर्गत व्यापक स्तर पर अनियमितता की गयी है ? क्या कृषकों से रु० १०,००० ऋण माफी योजना में सरकारी अभिलेखों में ऋण माफ करके उनसे दुबारा अवैधानिक तरीके से ऋण वसूला गया है ? क्या यह सही है कि किसानों की भारी शिकायतों के बावजूद न तो आज तक जांच हुई और न ही पात्र व्यक्तियों को ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी किया गया है ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

जी नहीं ।

शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कराई गयी तथा पात्र व्यक्तियों को ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं ।

अनियमितताओं के आरोप से सम्बन्धित समिति के सचिव को दिनांक २२-२-९२ को निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी में जू० हाई स्कूलों में कार्यरत चपरासियों व चौकीदारों के वेतन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न चपरासियों का प्रार्थना-पत्र एवं कार्यवाही

५४–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी में जू० हाई स्कूलों में कार्यरत चपरासियों, चौकीदारों के वेतन के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ चपरासियों के प्रार्थना-पत्र को, उनको दि० २९ अगस्त, ९१ को दिया गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी बतायेंगे कि आज तक उनको कितना वेतन दिया जाता रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल

जी हां ।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया जिनके स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही की गयी है ।

१ जुलाई, ७९ से ३१ दिसम्बर, ८५ तक ३०५ रु० मात्र नियत वेतन तथा १ जनवरी, १९८६ से ७५० रु० मात्र नियत वेतन ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य केन्द्र, पिंडरा, जिला वाराणसी में कार्यरत सुश्री प्रभावती मिश्रा के भुगतान के विषय में प्रार्थना-पत्र एवं पी० एच० सी०, पिंडरा, वाराणसी में कार्यरत हेड क्लर्क श्रीवास्तव के खिलाफ कार्यवाही

५५–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा० स्वा० केन्द्र, पिंडरा, जिला वाराणसी में कार्यरत सुश्री प्रभावती मिश्र के कई भुगतान के संबंध में उसके पति के प्रार्थना पत्र को प्रश्नकर्ता ने स्वास्थ्य मंत्री को अपने पत्र के साथ दि० २९ अगस्त, ९१ को दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में पी० एच० सी०, पिंडरा, वाराणसी में कार्यरत एक हेड क्लर्क श्रीवास्तव के खिलाफ भी शिकायतें लिखी थीं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त श्रीमती प्रभावती मिश्र के सभी भुगतान कर दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त क्लर्क जल्दी किसी का भुगतान नहीं बनाता और चार-चार, पांच-पांच माह तक सभी कर्मचारियों को परेशान करता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्चाधिकारी से करायेगी और उक्त क्लर्क को वहां से तुरन्त हटाने की आज्ञा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री श्रीवास्तव हेड क्लर्क को मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर के अधीन स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

श्रीमती प्रभावती मिश्रा के मार्च ८४, जनवरी ८६ तथा दिनांक २३-४-८६ से ३०-४-८६ तक अवधि के वेतन, सैलेक्शन ग्रेड व प्रोन्नति वेतनमान को छोड़कर शेष भुगतान कर दिया गया है। अवशेष भुगतान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण नहीं किया जा सका है।

जांचोपरान्त संबंधित लिपिक को पूर्व ही स्थानान्तरित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक ऐक्ट में हुए संशोधन के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी विक्रय हेतु लाइसेंसिंग अथारिटी के रूप में अर्हता एवं प्रदेश में ड्रग्स इंस्पेक्टरों को अधिकृत न किये जाने के कारण

५६–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९८९ में ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक ऐक्ट, १९४० में हुये संशोधन के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी विक्रय हेतु लाइसेंसिंग अथारिटी के रूप में अर्हता रखता है ? यदि नहीं, तो प्रदेश में इस कार्य के लिये ड्रग्स इन्स्पेक्टरों को अब तक अधिकृत न किये जाने के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी आदेश कब तक जारी हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

५७–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उन्नाव जिले में बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या एवं छात्र संख्या मानक के अनुसार नियुक्त किये जाने की मांग

५८–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगारों की कितनी संख्या है और कितने प्राइमरी स्कूलों में मानक से कम अध्यापक नियुक्त हैं ? क्या सरकार सभी स्कूलों में छात्र संख्या के मानक के अनुसार अध्यापक नियुक्त करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

५९४

५१०

जी हां।

नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

स्व० भगवती प्रसाद दुबे, पूर्व अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला सेवई, ब्लाक शाहगढ़ सेवा निवृत्त एवं पेंशन, आश्रित नौकरी आदि का दिया जाना

५९–श्री तेज भान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री भगवती प्रसाद दुबे, पूर्व अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, सेवई, ब्लाक शाहगढ़, सुल्तानपुर को सेवा निवृत्त दि० २६-१०-७९ को दे दी गयी

थी ? यदि हां, तो क्या उन्हें पारिवारिक पेन्शन, ग्रेच्युटी व अन्य अवशेष धनराशि तथा आश्रित को नौकरी दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां, २६-१०-७९ को प्रश्नगत अध्यापक श्री भगवती प्रसाद दुबे को सेवा निवृत्ति नहीं दी गयी थी वरन् उस तिथि को उनकी मृत्यु हुई थी ।

पारिवारिक पेंशन स्वीकृत हो चुकी है । ग्रेच्युटी परिषदीय अध्यापकों को देय नहीं है । इनका अन्य कोई अवशेष धन भुगतान हेतु शेष नहीं है । इनके आश्रित को नौकरी भी दी जा चुकी है ।

पारिवारिक पेंशन १३-२-९२ को स्वीकृत की गयी है तथा मृतक आश्रित की नियुक्ति १७-१-९२ को की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला अस्पताल, बांदा में ५ वर्षों से अधिक कार्यरत डाक्टरों, नर्सों का स्थानान्तरण किये जाने की मांग

६०–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह ज्ञात है कि जिला अस्पताल बांदा में (पुरुष व महिला) अधिकतर नर्सें व डाक्टर १० वर्षों से लेकर २० वर्षों तक से तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या ऐसे डाक्टर व नर्सों का स्थानान्तरण जो जिला अस्पताल बांदा में ५ वर्षों से अधिक समय से तैनात हैं, कहीं दूसरे जिले में किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

केवल एक चिकित्सक तथा ६ नर्सिंग कर्मी १० वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ।

ऐसे चिकित्सकों/उपचारिकाओं के स्थानान्तरण पर आगामी स्थानान्तरण सत्र में शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में एम० पी० डब्लू० स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षित कर नियुक्ति एवं अवशेष की नियुक्ति की मांग

६१–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने व्यक्तियों को एम० पी० डब्लू० स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षित कर नियुक्त कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कितने व्यक्ति नियुक्ति के लिये शेष हैं और कब तक उनकी नियुक्ति हो जावेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

एम० पी० डब्लू० योजना के अन्तर्गत १५७१ व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर उनमें से ५९३ अभ्यर्थियों की विभिन्न जनपदों में नियुक्तियां की गई हैं ।

९७८ प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध हैं । प्राप्त सूचना के आधार पर ३५ उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है । शेष नियुक्तियां रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही सम्भव हैं ।

६२–श्री जैदान सिंह यादव–

[तीसरे मंगलवार में अता० प्र० सं० १८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्रीमती शोभा शर्मा अध्यक्ष मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश का हाउस विजिटर, हेल्थ वर्कर तथा ए० एन० एम० को स्वास्थ्य सहायक के समान वेतन दिये जाने की मांग

६३–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित एक पत्र श्रीमती शोभा शर्मा, अध्यक्ष, मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ, उ० प्र० का मा० उच्च न्यायालय मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि के साथ हाउस विजिटर, हेल्थ वर्कर तथा ए० एन० एम० को परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक के समान वेतन आदि दिलाये जाने के सम्बन्ध में माह दिसम्बर, १९९१ के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं, हुई, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रकरण मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

अलीगंज (लखनऊ) स्थित आवास विकास परिषद् की शेखूपुरा कालोनी चौराहे पर लग रही दूध की मण्डी को हटाने की मांग

६४–श्री बनवारी सिंह–

क्या सरकार को ज्ञात है कि अलीगंज (लखनऊ) स्थित आवास विकास परिषद् की शेखूपुरा कालोनी में ठीक चौराहे पर दूध की मण्डी लग रही है, जिससे यातायात रुक जाता है और राहगीरों को प्रायः मारपीट, अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उक्त मंडी प्रशासन की अनुमति से लग रही है ? यदि नहीं, तो उसे हटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

प्रश्नगत चौराहे पर दूध व्यापारी दूध बेचने के लिए प्रातः काल कुछ देर के लिए एकत्रित होते हैं ।

जी नहीं ।

नियन्त्रित करने हेतु पुलिस प्रशासन को लिखा जा चुका है ।

जनपद बलिया टाउन के एरिया बिल्थरा रोड के चेयरमैन श्री अनिल कुमार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एवं उनके द्वारा की गई कार्यवाहियों को अवैध ठहराने की मांग

६५–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद टाउन एरिया बिल्थरा रोड के चेयरमैन श्री अनिल कुमार के विरुद्ध टाउन एरिया के बहुमत सदस्यों एवं जन प्रतिनिधियों की शिकायत के क्रम में जिला प्रशासन ने आरोप सिद्ध होने के बाद पदच्युत करने का आदेश प्राप्त करने के लिये शासन को पत्र किस तिथि को लिखा है ? क्या यह सही है कि उनके विरुद्ध जिलाधिकारी, बलिया के निर्देश पर न्यायिक अधिकारी की देख-रेख में अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया था ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद चेयरमैन द्वारा की गयी कार्यवाही को अवैध ठहराने के लिए कोई निर्देश जारी करेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

(क) दिनांक ५ फरवरी, १९९१ को ।

(ख) जी हां ।

(ग) दिनांक ३ जनवरी, ९१ को ।

(घ) मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के फलस्वरूप चेयरमैन दिनांक २०-१२-९१ तक कार्य करते रहे । उक्त अवधि में चेयरमैन द्वारा की गई कार्यवाही को अवैध ठहराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जल निगम, द्वितीय निर्माण शाखा, बांदा से झांसी स्थानान्तरण को रोके जाने की मांग

६६–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम, द्वितीय निर्माण शाखा, बांदा से झांसी स्थानान्तरित की जा रही है ? यदि हां, तो क्या बांदा जनपद में पेयजल संकट पूरी तरह दूर हो चुका है और इस शाखा के अन्तर्गत चल रही समस्त निर्माण योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं ? यदि नहीं, तो इसके स्थानान्तरित करने में कितनी धनराशि की क्षति होगी ? क्या इस शाखा को बांदा में ही जनहित में कार्यरत रखने हेतु जनपद के प्रतिनिधियों के कई मांग-पत्र सरकार को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस शाखा को बांदा में ही रोके रखने हेतु आदेश जारी कर दिए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां, स्थानान्तरण के आदेश निर्गत किये गये थे किन्तु ३१-३-९२ तक स्थगित कर दिये गये हैं ।

वर्तमान में बांदा में पेयजल संकट नहीं है यद्यपि सभी ग्रामों में पेयजल सुविधा हैण्डपम्प या पाइप लाइन से अभी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है ।

जी नहीं ।

बांदा जनपद में दो निर्माण शाखायें हैं जबकि कार्यभार मात्र एक ही शाखा हेतु उपलब्ध है । अतः द्वितीय निर्माण शाखा को स्थानान्तरित करने से कोई क्षति नहीं होगी ।

जी हां ।

द्वितीय निर्माण शाखा, बांदा का स्थानान्तरण आदेश दिनांक ३१-३-९२ तक स्थगित कर दिया गया है ।

जिला सिद्धार्थ नगर में जिला चिकित्सालय के नाम से चिकित्सा सम्बन्धी सामानों का वितरण

६७–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "नवसृजित" जिला सिद्धार्थ नगर में अभी जिला चिकित्सालय न रहते हुए भी वहां पर जिला चिकित्सालय के नाम से दवाइयों का तथा अन्य चिकित्सा संबंधी सामानों का आवंटन विभाग की ओर से किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जनपद सिद्धार्थ नगर की स्थापना के फलस्वरूप जनसामान्य एवं जनपद मुख्यालय पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को जिला चिकित्सालय मानते हुए औषधियों तथा चिकित्सा संबंधी सामानों के क्रय के लिये बजट आवंटित किया गया हैं ।

बिल्थरा रोड टाउन एरिया, जिला बलिया के चेयरमैन को पदच्युत करने के सम्बन्ध में श्री रामबली प्रसाद गुप्ता बलिया का पत्र एवं उस पर कार्यवाही

६८–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बिल्थरा रोड टाउन एरिया, जिला बलिया के चेयरमैन को पदच्युत करने के सम्बन्ध में श्री रामबली प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, सीयर मण्डल, बिल्थरा रोड, जिला बलिया ने शासन को पत्र भेजा है जिसकी प्राप्ति की सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना, राज्य मंत्री, नगर विकास ने सचिवालय भवन-1, लखनऊ के पत्रांक संख्या ११३७ दिनांक २८-११-१९९१ को भेजी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा जिला प्रशासन के अनुरोध के बावजूद अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

(क) जी हां ।

(ख) चेयरमैन को पदच्युत करने के आदेश दिनांक २१-१२-९१ को पारित हो चुके हैं ।

६९–श्री कटार सिंह, श्री कल्पनाथ तथा श्री ओम प्रकाश–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उत्तर प्रदेश जल निगम के बरेली अधिशासी अभियन्ता वि/यां० शाखा के विरुद्ध घोटाले के सम्बन्ध में जांच एवं स्थानान्तरित करने हेतु लिखा जाना

७०–श्री शिव पाल सिंह, श्री महराज सिंह यादव तथा श्री ठाकुर पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के बरेली के वर्तमान अधिशासी अभियंता वि/यां० शाखा के विरुद्ध पचासों लाख रुपये (सरकारी धन का) के घोटाले के संबंध में कोई जांच (विभागीय) विगत दो साल से गठित है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जांच अधिकारी ने निष्पक्ष जांच हेतु यथारोपित अधिशासी अभियंता को स्थानान्तरित करने हेतु मुख्यालय को लिखा था ? यदि हां, तो अब तक स्थानान्तरण न करके ऐसे गम्भीर मामले की जांच को रुकवाने के लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार इस दिशा में तत्काल जांच आरम्भ कराने हेतु उक्त अधिशासी अभियन्ता वि/यां०, बरेली को स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी हां ।

जांच नहीं रोकी गयी है । सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के स्थानान्तरण के आदेश कर दिये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश के अधिशासी अभियन्ता, वि/यां०, शाखा बरेली द्वारा अलीगढ़ में मेसर्स जेमिनी इण्टर प्राइजेज नामक फर्म से आपूर्ति कराये जाने के कारण सेवा मुक्त करने की मांग

७१–श्री शिव पाल सिंह, श्री छोटे लाल यादव तथा श्री उमाकान्त यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियन्ता, वि०/यां०, शाखा बरेली द्वारा अलीगढ़ में मेसर्स जेमिनी इण्टरप्राइजेज नाम की एक फर्म से करोड़ों रुपये की आपूर्ति ली जा रही है, जबकि इस फर्म के विरुद्ध शार्ट सप्लाई एवं लेट सप्लाई का

आरोप मुख्यालय को पहले से ही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप से तत्काल सेवा मुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं । अलीगढ़ में मेसर्स जेमिनी इण्टरप्राइजेज नाम की किसी भी फर्म से आपूर्ति नहीं ली जा रही है और न ही ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा अन्तर्गत विकास खण्ड पहाड़ी के गांव विलास में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा प्राइमरी पाठशाला का निर्माण एवं विद्यार्थियों के उपयोग के लिए मांग

७२–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत विकास खण्ड पहाड़ी के गांव बिलास में प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बांदा द्वारा वर्ष १९८१ में किया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका उपयोग विद्यार्थियों के पठन-पाठन के लिये हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ओ० पी० सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पलिका, रुद्रपुर, जनपद नैनीताल के विरुद्ध लगाया गया श्री तिलक राज का आरोप एवं शासन द्वारा की गयी कार्यवाही

७३–डा० दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री ओ० पी० सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, रुद्रपुर, जनपद नैनीताल के विरुद्ध श्री तिलक राज बहेड़ ने पद के दुरुपयोग एवं नगर विकास मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उच्च न्यायालय से अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध स्टे ले लेने का आरोप लगाया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इस बात का पता चलने पर उनका पुनः स्थानान्तरण किया गया ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के खिलाफ शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी हां ।

मामले की जांच के आदेश हो चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के मेडिकल साइंस के निदेशक श्री बाजपेयी तथा चिकित्सा अधीक्षक, सर सुन्दर लाल अस्पताल श्री प्रभात सेन का चिकित्सालय के वित्तीय सहायता हेतु स्वास्थ्य मंत्री एवं मुख्य मंत्री को पत्र

७४–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के मेडिकल साइंस के निदेशक श्री बाजपेयी तथा चिकित्सा अधीक्षक, सर सुन्दर लाल अस्पताल, श्री प्रभात सेन ने पत्र

संख्या एस० एस० एच०/एफ०-१६५/१६८४ टू० १६८५ दिनांक ३० सितम्बर, १९९१ द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान से संबंधित सर सुन्दर लाल चिकित्सालय के लिये वित्तीय सहायता हेतु सितम्बर-अक्टूबर, १९९१ में स्वास्थ्य मंत्री को और मुख्य मंत्री को पत्र भेजा है ? यदि हां, तो क्या शासन ने उसकी समीक्षा कराकर उसको वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में अब तक कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार ने अपनी ओर से भारत सरकार को इस चिकित्सालय की वित्तीय राशि बढ़ाने के लिये लिखा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि योजना आयोग के सदस्य प्रो० पी० एन० श्रीवास्तव ने ८९-९० में उत्तर प्रदेश शासन को तथा केन्द्रीय शासन को इस चिकित्सालय के अनुदान में वृद्धि करने हेतु पत्र लिखा था ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

समीक्षा की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रो० श्रीवास्तव का दिनांक १८-१-८९ का पत्र प्राप्त हुआ है । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वर्तमान में अनुदान में वृद्धि सम्भव नहीं है ।

जनपद बस्ती में जल निगम द्वारा हैण्ड पम्पों की चौकियों/नालियों के अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग

७५–श्री राम ललित चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगी कि वर्ष ९०-९१ और ९१-९२ में जनपद बस्ती में जल निगम द्वारा लगाये गये कितने हैण्ड पम्पों की चौकियों/नालियों का निर्माण शेष है ? उनके अब तक निर्माण न किये जाने का क्या कारण है और इन चौकियों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

उत्तर प्रदेश जल निगम, बस्ती द्वारा जनपद बस्ती में वर्ष १९९०-९१ में एवं १९९१-९२ में अब तक क्रमशः ४४६ व १९० इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प लगाये गये हैं । इनमें से क्रमशः ३४९ एवं १८० नग की चौकी/नाली का निर्माण कार्य शेष है ।

चौकी/नाली में लगने वाली स्टोन ग्रिट (नौतनवां) की आपूर्ति समय से न मिल पाने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके । अवशेष निर्माण कार्य को वर्ष १९९२-९३ में पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है ।

ज्येष्ठ म० नि० एवं मलेरिया निरीक्षक के दायित्व में समानता होते हुए, वेतनमान में असमानता

७६–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्येष्ठ म० नि० एवं मलेरिया निरीक्षक के उत्तरदायित्व समान हैं ? यदि हां, तो उनके वेतनमान में असमानता क्यों ? क्या वेतन आयोग १९७९ में दोनों पदों के लिए समान वेतनमान की संस्तुति की गयी थी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, उत्तरदायित्व समान हैं किन्तु ज्येष्ठ मलेरिया निरीक्षक प्रोन्नति का पद है ।

जी हां ।

सर्विलेन्स निरीक्षकों को मलेरिया निरीक्षक के पद पर कार्य करते हुए स्थायी किये जाने एवं उच्च वेतनमान दिये जाने की मांग

७७–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रांक-माल/ए/७८/११४२४ दिनांक जून ०५ १९७९ के क्रम में कुछ सर्विलेन्स निरीक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर उसी वेतनक्रम में मलेरिया निरीक्षक के पद पर कार्य करने हेतु स्थानान्तरित किया गया था ? यदि हां, तो वरिष्ठ होते हुए भी उन्हें स्थायी नहीं किया गया जबकि उनसे कनिष्ठ सर्विलेन्स निरीक्षकों को स्थायी कर दिया गया तथा उन्हें उच्च वेतनमान दिया जा रहा है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मलेरिया निरीक्षकों के पद पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिये गये हैं जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

सर्विलेन्स निरीक्षकों को मलेरिया निरीक्षकों के पदों पर स्थानान्तरण एवं उन्हें मलेरिया निरीक्षकों के समान वेतन दिये जाने की मांग

७८–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो सर्विलेन्स निरीक्षक १९७८ में मलेरिया निरीक्षक के पदों पर स्थानान्तरित किए गए उन्हें उच्च वेतनमान तथा उसी क्रम में समय वेतनमान एवं प्रोन्नति वेतनमान एवं पदोन्नति क्यों नहीं दी गयी जबकि इन्हें बहुउद्देशीय योजना में भी दीक्षित किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

सर्विलेन्स निरीक्षकों को समान वेतनमान के मलेरिया निरीक्षक के भिन्न संवर्ग में प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अनुच्छुकों को छोड़कर स्थानान्तरित किया गया था । कालान्तर में वेतन समिति द्वारा सर्वेलेन्स पर्यवेक्षकों को बहुउद्देशीय योजना में कार्य करने के कारण मलेरिया निरीक्षकों से उच्च वेतनमान दिया गया है ।

दोनों संवर्गों में नियमानुसार समयबद्ध वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान दिया जा रहा है ।

मदरसा मिस्बाहुल उलूम, देवा शरीफ, जनपद बाराबंकी के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रबन्धतन्त्र द्वारा बकाया वेतन दिये जाने की मांग

७९–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मदरसा मिस्बाहुल उलूम, देवा शरीफ, जनपद बाराबंकी में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रबन्धतंत्र द्वारा अथवा प्रबन्धक द्वारा वर्ष १९८८-८९ तथा ८९-९० (दो वर्ष) का वेतन नहीं दिया गया है ? क्या उक्त समय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रबन्धकीय बकाया वेतन विभाग द्वारा दिलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्रबन्धकीय अंशवेतन का भुगतान नहीं किया गया है ।

प्रकरण में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी को जांच करके आख्या देने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

८०–श्री अब्दुल ए० सलाम–

[५वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन के प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी

८१–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर खीरी को तहसील निघासन के प्राइमरी स्कूलों में छात्र संख्या के अनुसार लगभग २०० से अधिक अध्यापकों की कमी लगातार कई वर्षों से चली आ रही है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जनपद खीरी में ही तहसील मोहम्मदी व तहसील लखीमपुर में छात्र संख्या की अपेक्षा अध्यापकों की संख्या स्कूलों में अधिक है ? यदि हां, तो क्या तहसील मोहम्मदी व तहसील लखीमपुर से निघासन तहसील के स्कूलों में अध्यापकों की कमी पूरी की जायेगी ? यदि नहीं, तो उक्त निघासन तहसील में छात्र संख्या के आधार पर सरकार द्वारा कम अध्यापकों की पूर्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वीकृत पदों के अन्तर्गत छात्र संख्या के आधार पर नियमानुसार अध्यापकों की व्यवस्था करने हेतु बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राघव राम त्रिपाठी, सचिव, साधन सहकारी समिति लि०, मीरपुर बनोही, जिला प्रतापगढ़ द्वारा गबन

८२–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि १.५२ लाख रुपये के गबन के आरोप में श्री राघव राम त्रिपाठी, सचिव, साधन सहकारी समिति लि०, मीरपुर बनोही, वि० खं० बिहार, जनपद प्रतापगढ़ की सेवायें माह जून, १९९० में समाप्त की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो उक्त धनराशि की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? इस संबंध में अध्यक्ष, सा० स० समिति लि०, मीरपुर बनोही, विकास खण्ड बिहार, जनपद प्रतापगढ़ का पत्र दिनांक ४-४-९१ जो निबन्धक सहकारी समितियां, उ० प्र०, लखनऊ को सम्बोधित था, पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री त्रिपाठी के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करा दी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

प्रश्नगत धनराशि की वसूली हेतु उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा ६८ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) विकास खण्ड बिहार, प्रतापगढ़ द्वारा बिन्दुवार जांच कराई जा रही है ।

जी नहीं ।

जांच आख्या एवं साक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जायेगी ।

जनपद आगरा के ऐत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुरगवां-गांव पर स्वीकृत पेयजल समूह योजना

८३–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ऐत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुरगवां-गांव पर पेयजल समूह योजना स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट के निवारणार्थ आज तक इस ग्राम समूह पेयजल योजना को चालू न करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र की कथित कुरगवां ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ६ ग्रामों जिनमें ४ उपग्राम भी हैं, की कुल जनसंख्या वर्ष १९८१ की जनगणना के अनुसार ६६९९ है, में ३३ इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प लगाकर पेयजल संकट का निवारण कर दिया गया है, अतः धन की मितव्ययता के कारण प्रश्नगत पेयजल योजना का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया ।

आगरा जनपद की ऐत्मादपुर तहसील में बनाये गये प्राइमरी पाठशालाओं के निर्माण में घोटाला

८४–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद की ऐत्मादपुर तहसील में वर्ष १९८९-९० व वर्ष ९०-९१ में प्राइमरी पाठशालाओं के लिए कितने नवीन भवनों के निर्माण कहां-कहां पर किये गये हैं ? क्या यह सत्य है कि इन भवनों के निर्माण में निर्धारित सामग्री न लगाकर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या किसी उच्च तकनीकी अधिकारी से जांच करायेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

आगरा जनपद के तहसील ऐत्मादपुर के अन्तर्गत वर्ष १९८९-९० एवं १९९०-९१ में क्रमशः १६ तथा ४ नवीन प्राइमरी विद्यालय भवनों का निर्माण हुआ है । निर्मित विद्यालय भवनों की सूची संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखियो नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ- २०१ पर)

आगरा जनपद की एतमादपुर तहसील में खराब पड़ी पेयजल समूह योजनाओं को जेनरेटर व्यवस्था द्वारा चलाये जाने की मांग

८५–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद की एतमादपुर तहसील में विगत दो वर्षों से खेड़ा हाजीपुर खन्दौली, पोइया, सैमरा जमाल नगर भैंस, वरहन, मुखबार गढ़ीहरपाल की सभी ग्राम समूह में पेयजल (समूह) योजनायें खराब पड़ी होने के कारण वहां पेयजल का गम्भीर संकट पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या इन योजनाओं को नियमित रूप से चलाने के लिए जेनरेटरों की व्यवस्था करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

आगरा जनपद की तहसील एतमादपुर की प्रश्नगत योजनाओं में से कोई भी ग्राम समूह पेयजल योजना खराब नहीं पड़ी है । नलकूप से अपर्याप्त जल उपलब्ध होने तथा विद्युत व्यवधान के कारण

समुचित पेयजल पूर्ति में कठिनाई है। पेयजल की कठिनाई दूर करने के लिये ग्रामों में, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हैण्डपम्प लगाकर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गयी है एवं पेयजल का गम्भीर संकट नहीं है।

इन योजनाओं को नियमित रूप से चलाने के लिए जेनरेटरों की व्यवस्था खर्चीली और अव्यवहारिक होने के कारण, कोई प्रस्ताव नहीं है।

उन्नाव जिले में लगे कुल इण्डिया मार्क-टु हैण्ड पाइप एवं हैण्ड पम्पों पर चबूतरा न बनाये जाने के लिये दोषी लोगों पर कार्यवाही किये जाने की मांग

८६—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में कुल कितने इण्डिया मार्क-टु हैण्ड पम्प अधिष्ठापित हैं ? वर्ष ८९-९० व ९०-९१ में कुल कितने हैण्ड पम्प वर्षवार लगे हैं ? क्या यह सत्य है कि अधिकांश हैण्ड पम्पों में सीमेन्ट का चबूतरा (फाउण्डेशन) नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा उन्नाव में लगे हैण्डपम्प इण्डिया मार्क-टु जो बिना फाउण्डेशन के हैं की संख्या बतायेगी ? क्या निर्धारित समय पर फाउण्डेशन न बनाये जाने के लिए दोषी लोगों पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार—

उन्नाव जिले में माह जनवरी, १९९२ तक कुल ५२४४ इण्डिया मार्क-टु हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं।

वर्ष १९८९-९० एवं १९९०-९१ में क्रमशः १३५७ एवं ३२३ हैण्डपम्प लगाये गये हैं। जी नहीं, केवल १६७ हैण्डपम्पों के चबूतरे नहीं बने हैं।

पुरवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत २४ हैण्डपम्पों के चबूतरे नहीं बने हैं।

समय पर फाउण्डेशन बनाने के लिये कोई दोषी नहीं हो सकता। न बनाने के लिये भी कोई दोषी नहीं है, अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

संसाधनों की कमी के कारण चबूतरे समय पर नहीं बनाये जा सके।

प्रश्नकर्ता द्वारा डा० कृष्ण औतार पाण्डेय, निदेशक प्रौढ़ शिक्षा लखनऊ को श्री धीरज मणि कुड़ियाल, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी बांदा की अनियमितता के विषय में पत्र एवं कार्यवाही

८७—श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा एक पत्र संख्या-क एन ओ २०४१५९ दिनांक २४-९-९१ डा० कृष्ण औतार पाण्डेय, निदेशक प्रौढ़ शिक्षा २०३/९, नबी उल्ला रोड, लखनऊ को श्री धीरज मणि कुड़ियाल, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, बांदा द्वारा दिनांक २४-९-९१ को प्रेरकों की भर्ती में अनियमिततायें बरतने के संबंध में लिखा गया था ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त पत्र में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि श्री कुड़ियाल की बदायूं में तैनाती के समय में भी कोई जांच की गयी थी ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? बांदा जिले में प्रेरकों की भर्ती में इनके द्वारा की गयी अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करवाई जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा द्वारा जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, बांदा से आख्या मांगी गई । आख्या में सूचित किया गया है कि अपर जिला अधिकारी (वित्त एवम् राजस्व) बांदा द्वारा प्रकरण में जांच की जा रही है ।

जी हां ।

जांच में श्री धीरज मणि कुड़ियाल दोषी पाये गये, जिस हेतु उन्हें भविष्य के लिये सचेत किया गया । अपर जिलाधिकारी (वित्त एवम् राजस्व) बांदा के द्वारा जांच की जा रही है ।

८८–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

श्री धीरज मणि कुड़ियाल, प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, बांदा द्वारा की गयी अनियमितताएं एवं निलम्बित किये जाने की मांग

८९–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री धीरज मणि कुड़ियाल, प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, बांदा को निदेशक प्रौढ़ शिक्षा, उ० प्र० के पत्रांक/प्रौ०शि०/सेवा-१/२२४९७/४७/९१-१/९१-९२ दिनांक ७-९-९१ के द्वारा अनियमिततायें बरतने के संबंध में सचेत किया गया था ? यदि हां, तो वे अनियमिततायें क्या हैं ? क्या प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी बांदा को उक्त अनियमितताओं के कारण निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त पत्र में उल्लिखित अनियमितताओं के कारण श्री कुड़ियाल को निलम्बित किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जनपद बदायूं में उनके कार्यकाल में प्रेरकों के चयन में अनियमिततायें की गयी थीं ।

जी नहीं ।

प्रेरकों के चयन संबंधी अनियमिततायें इतनी गम्भीर नहीं थीं जिसके कारण निलम्बित करने की कार्यवाही की जाय ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कन्या बालिका विद्यालय रसूलपुर इलाहाबाद में शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अनियमित ढंग से नियुक्ति एवं विनियमितीकरण तथा दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

९०–श्री राम सेवक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त कन्या बालिका विद्यालय रसूलपुर इलाहाबाद में वर्ष १९८९-९० में बिना विज्ञापन के अनियमित ढंग से शिक्षण शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं ? क्या इन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इलाहाबाद द्वारा १ जुलाई, १९९१ से

विनियमित कर दिया गया है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इस अनियमित नियुक्ति एवं विनियमितीकरण करने के दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी हां । प्रश्नगत कर्मचारियों को १-७-१९९१ के बजाय १-३-९० की पूर्वगामी तिथि से विनियमित कर दिया गया था ।

जी हां ।

संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद को विभाग द्वारा निलम्बित किया जा चुका है । कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश क्षेत्रीय अधिकारियों को दिए गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित सिंगार नगर वार्ड के मोहल्ला सुभाष नगर की जल निकासी हेतु प्रश्नकर्ता का राज्य मंत्री को पत्र एवं उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग

९१–श्री सतीश भाटिया–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित सिंगार नगर वार्ड के मोहल्ला सुभाष नगर (भोला खेड़ा) की जल निकासी हेतु उक्त क्षेत्र में मोहल्ला विजयनगर में विश्व बैंक योजना द्वारा निर्माणाधीन नाले में सुभाष नगर (भोला खेड़ा) को भी जोड़ने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक ३०-७-९१ नगर विकास राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त पत्र मंत्री जी ने मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ को अपेक्षित कार्यवाही हेतु आदेशित किया था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त नाले में मोहल्ला सुभाष नगर (भोला खेड़ा) को जोड़ने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन बन गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत जो कार्य सम्मिलित थे उन्हें ही पूर्ण कराया जा रहा है । अन्य कार्यों के लिए योजना में धनराशि शेष नहीं है ।

जिला चिकित्सालय फैजाबाद में पैरा मेडिकल असिस्टेन्ट कर्मचारियों की संख्या एवं ५ वर्ष से अधिक तैनात कर्मचारियों को स्थानान्तरण किये जाने की मांग

९२–श्री पूरन चन्द्र–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला चिकित्सालय फैजाबाद में ऐसे कितने पैरा मेडिकल असिस्टेन्ट कर्मचारी हैं जो कि विगत पांच वर्ष या अधिक समय से जनपद फैजाबाद में ही कार्यरत हैं? क्या सरकार

ऐसे सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण जनपद फैजाबाद के बाहर अन्य जिलों के जिला चिकित्सालयों में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जिला चिकित्सालय फैजाबाद में पैरामेडिकल असिस्टेन्ट का कोई पद स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी बांदा द्वारा प्रश्नकर्ता के भ्रमण के दौरान सचल अस्पताल भेजे जाने की व्यवस्था हेतु लिखा जाना एवं आदेश न पालन करने पर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

९३–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १५-१२-९१ को मुख्य चिकित्साधिकारी बांदा को जिलाधिकारी बांदा ने दिनांक १७, १८, २० एवं २१ दिसम्बर, ९१ को प्रश्नकर्ता के भ्रमण के दौरान सचल अस्पताल के भेजे जाने की व्यवस्था हेतु लिखा था ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी बांदा के आदेश का मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय राम नगर वाराणसी में भ्रष्टाचार, चिकित्सकों की लापरवाही विषयक सरकार की जांच रिपोर्ट पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

९४–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय राम नगर वाराणसी में व्याप्त भ्रष्टाचार, चिकित्सकों द्वारा लापरवाही बरतने मरीजों के प्रति उपेक्षा बरतने आदि की शिकायतों की जांच प्रभारी मंत्री, श्री हनुमन्त सिंह के निर्देश पर जिलाधिकारी, वाराणसी तथा अपर निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मंडल द्वारा १५ सितम्बर, १९९१ को की गयी थी ? क्या प्रश्नगत जांच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

समुचित कार्यवाही की जा रही है ।

९५–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[३ सरे सोमवार में अता० प्र० सं० १७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा उन्नाव में रिबोर के लिए प्रस्तावित इण्डिया मार्क-२ हैण्ड पम्प एवं समय के भीतर रिबोर न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

९६–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा उन्नाव में कुल कितने हैण्डपम्प इण्डिया मार्क-२ पूरी तरह से असफल होने के कारण रिबोर (पुनर्छिद्रण) करके नये सिरे से लगाने हेतु प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त नलकूपों के असफल होने की जानकारी कब मिली तथा रिबोर कब तक हो जाना चाहिए था ? समय के भीतर खराब नलकूपों को रिबोर न करने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जनपद उन्नाव के प्रश्नगत पुरवा क्षेत्र में कुल ९५६ इण्डिया मार्क-२ हैण्डपम्प दिसम्बर, ९१ तक लगाए गये हैं जिनमें से १९ नग हैण्डपम्प असफल हैं । सीमित संसाधनों के कारण वित्तीय वर्ष १९९१-९२ में उक्त में से किसी का भी पुनः छिद्रण प्रस्तावित नहीं है ।

नलकूप से प्रश्नकर्ता मा० विधायक का आशय सम्भवतः हैण्डपम्प से है । उक्त हैण्डपम्पों के असफल होने की सूचना लगभग ३ माह से २ वर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी ।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराये जाते हैं ।

उपरोक्तानुसार कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर के स्वास्थ्य निरीक्षक श्री राम विजय सिंह की कतिपय आरोपों में निलम्बन एवं बहाली तथा निलम्बनकाल का वेतन भुगतान किये जाने की मांग

९७–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९८२ में श्री राम विजय सिंह स्वास्थ्य निरीक्षक, जनपद गोरखपुर को कतिपय आरोपों के अंतर्गत निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उन्हें लम्बित जांच के चलते ही अप्रैल, १९८३ में सेवा में बहाल भी कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या श्री राम विजय सिंह, खाद्य निरीक्षक को निलम्बन अवधि का भुगतान लगभग ८ वर्ष के पश्चात् भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या उक्त भुगतान उन्हें कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री राम विजय सिंह खाद्य निरीक्षक हैं जिन्हें वर्ष १९८२ में निलम्बित किया गया था ।

श्री राम विजय सिंह को इस शर्त के साथ सेवा में बहाल कर दिया गया था कि निलम्बन काल के वेतन आदि के बारे में आदेश जांच की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद पारित किए जायेंगे ।

जी हां ।

जांच आख्या प्राप्त हो गई है जो विचाराधीन है ।

जनपद मऊ के ग्राम सूरजपुर में लगाये जाने हेतु प्रस्तावित ट्यूबवेल समयबद्ध तिथि के अनुसार लगाये जाने की मांग

९८–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ग्राम सूरजपुर में जल निगम का ट्यूबवेल पानी वितरण हेतु लगाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो ट्यूबवेल लगाने में विलम्ब का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि समयबद्ध तिथि के अनुसार ट्यूबवेल लगा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

उक्तानुसार लागू नहीं होता ।

इस क्षेत्र में इण्डिया मार्क-२ हैण्डपम्प सफल है एवं प्रश्नगत ग्राम में २,३३० की जनसंख्या (१९८१) पर १३ हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं । अतः शासन की वर्तमान नीति के अनुसार ऐसे क्षेत्र में पाईप पेयजल योजना का निर्माण नहीं किया जा रहा है ।

आगरा जनपद की ऐत्मादपुर तहसील में चौराहा मुडी जहंगीरपुर, चावली, अहारन तथा फिरोजाबाद में कस्बा पचोखरा पर विचाराधीन स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने की मांग

९९–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद की ऐत्मादपुर तहसील में चौराहा मुडी जहंगीरपुर, चावली, अहारन तथा फिरोजाबाद जनपद के कस्बा पचोखरा पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का मामला शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

क्योंकि जनपद आगरा की तहसील ऐत्मादपुर में चावली तथा अहारन में वर्ष १९८८-८९ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है और शासन की नीति के अनुसार चौराहा मुडी तथा जहंगीरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना नहीं की जा सकती है । जनपद फिरोजाबाद के कस्बा पचोखरा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित न होने के कारण स्थापना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाबा राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर के प्राधानाधार्य द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने पुत्र का मेडिकल कालेज में प्रवेश दिये जाने विषयक आरोप, जांच एवं कार्यवाही

१००–श्री लालजी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर के प्रधानाचार्य ने अपने पुत्र का गोरखपुर मेडिकल कालेज में प्रवेश फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कराया है ? यदि हां, तो क्या इस शिकायत की जांच विभाग द्वारा की गयी ? क्या प्रधानाचार्य पर जालसाजी का आरोप साबित हुआ ? यदि हां, तो अब तक उक्त जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

इस प्रकरण में जांच हो रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी ।

मेरठ मण्डल में सहकारिता विभाग से सम्बन्धित निलम्बित कर्मचारियों की बहाली एवं उप निबन्धक द्वारा माफ किया गया धन एवं धन की वसूली के आदेश एवं उप निबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही

१०१–श्री चरन सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मण्डल में जुलाई, १९९१ से सितम्बर, १९९१ तक सहकारिता विभाग से संबंधित कितने निलम्बित कर्मचारियों को बहाल किया गया तथा इस बहाली के फलस्वरूप सहकारी संस्थाओं का कितना धन उप-निबन्धक द्वारा माफ किया गया और कितनी

धनराशि के वसूली के आदेश दिए गए ? क्या गबन का धन माफ करने का अधिकार क्षेत्रीय उप निबन्धक को है ? यदि नहीं, तो क्या क्षेत्रीय उप निबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जुलाई १९९१ से सितम्बर १९९१ तक मेरठ मण्डल में दो सहकारी पर्यवेक्षकों को बहाल किया गया।

कोई नहीं।

अंकन ३०० रुपये वसूली के आदेश दिये गये।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बुलन्दशहर की साधन सहकारी समिति सुरजावली के एम० डी० पर्यवेक्षक के विरुद्ध ब्लाक प्रमुख अर्निया का शिकायती-पत्र एवं जांच में गबन तथा अभियुक्त के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग

१०२–श्री चरन सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद बुलन्दशहर की साधन सहकारी समिति सुरजावली के एम० डी० पर्यवेक्षक के विरुद्ध ब्लाक प्रमुख अर्निया ने कोई शिकायत वर्ष १९८९ में की थी ? क्या इसकी जांच में एम० डी० पर १,८५,००० रुपये की धनराशि का गबन होना सिद्ध पाया गया था ? यदि हां, तो इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सहकारिता मंत्री जी इस मामले में शीघ्र कठोर कार्यवाही करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० जल निगम में सभी वर्ग के पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कोटा पूरा किये जाने की स्थिति

१०३–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० जल निगम में क, ख, ग, घ समूह वर्ग के सभी पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं।

पूर्व में कुछ संवर्गों में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के समय निर्धारित अर्हतायें रखने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण तथा पदोन्नति के समय कुछ श्रेणियों में पात्रता की परिधि के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण कोटा पूरा नहीं किया जा सका है ।

जूनियर हाई स्कूल स्तर के विद्यालयों के मान्यता हेतु शर्तें एवं राजकीय जूनियर हाई स्कूल की भांति असमानता को समाप्त किये जाने की मांग

१०४–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल स्तर के विद्यालयों के मान्यता हेतु कौन-कौन सी शर्तों की आवश्यकता पड़ती है ? क्या यह सही है कि आठ कमरे बनाने के बाद भी जूनियर स्तर के विद्यालयों को शासन से मान्यता नहीं मिल पा रही है, जबकि राजकीय जूनियर हाईस्कूल में कुल ४ कमरों का ही निर्माण किया जाता है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार की असमानता को शासन समाप्त करने की कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जू० हाई स्कूल स्तर की मान्यता दिये जाने हेतु शर्तें जैसे-क्षेत्र में विद्यालय खोलने की आवश्यकता, समिति का पंजीयन, निर्धारित माप के विज्ञान कृषि आदि के कक्षों सहित निजी भवन का होना, प्राभूत, संदान, खेल का मैदान साज सज्जा, उपयोगी पुस्तकें, तथा विज्ञान सामग्री आदि, राजाज्ञा दिनांक २-७-९० द्वारा निर्धारित है ।

मान्यता प्राप्त करने हेतु भवन की शर्त में निर्धारित माप के कक्षों का होना तथा शासनादेश दिनांक २-७-९० में निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति करना भी आवश्यक होता है ।

राजकीय जू० हाई स्कूलों में १० कमरों के निर्माण कराये जाने का प्राविधान है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मऊ अन्तर्गत श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री अशोक कुमार ग्राम व पो०-अखोप, जनपद बलिया की फर्जी निवास प्रमाण-पत्र नियुक्ति एवं इस विषय में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी मऊ को पत्र एवं कार्यवाही

१०५–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ अन्तर्गत श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री अशोक कुमार ग्राम व पो०-अखोप, जनपद बलिया ने अपना फर्जी निवास प्रमाण-पत्र ग्राम सोनझरिया (बाउंडीह) पो०-परसुपुर, जनपद मऊ का बनवा कर स० अ० के पद पर दिनांक २४-९-९० को नियुक्ति करा ली है ? यदि हां, तो क्या नियुक्ति के बाद इसे बे० प्रा० पाठशाला-नेवादा, गोपालपुर जनपद मऊ से संबद्ध किया गया था ? यदि हां, तो क्या वहां के तत्कालीन प्रधानाध्यापक द्वारा फर्जी निवास प्रमाण पत्र के साथ उनकी नियुक्ति के बारे में बेसिक शिक्षाधिकारी मऊ को अपने रजिस्टर्ड पत्र १७७३/३१-१२-९० के द्वारा सूचना दी गयी है ? क्या उक्त सूचना पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जनपद मऊ के ग्राम बाउंडीह के प्रधान द्वारा भी यह प्रमाण पत्र दिया जा चुका है कि इस नाम की कोई महिला उक्त ग्राम में नहीं है ? यदि हां, तो क्या इस बारे में प्रश्नकर्ता ने सभी कागजातों के साथ जिलाधिकारी मऊ को दिनांक १९-८-९१ को जांच हेतु पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्राप्त आख्यानुसार ग्राम प्रधान परसूपुर द्वारा अभिप्रमाणित कुटुम्ब रजिस्टर के भाग एक में अंकित क्रम-७ पर श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री अशोक कुमार के नाम का उल्लेख होने के आधार पर नियुक्ति की गयी ।

श्रीमती सावित्री देवी की नियुक्ति २८-९-९० को प्राथमिक विद्यालय नेवादा गोपालपुर में सहायक अध्यापिका के पद पर की गयी थी ।

जी हां ।

जांच करायी गयी ।

श्रीमती सावित्री देवी, ग्राम सोनझरिया (बाउंडीह) ग्राम सभा परसूपुर, जनपद मऊ की स्थायी निवासी होने की पुष्टि हुयी है ।

जांच कराके, जिलाधिकारी मऊ को स्थिति से अवगत कराया गया ।

जनपद शाहजहांपुर में निर्माणाधीन संयुक्त चिकित्सालय का निर्माण कार्य

१०६–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में निर्माणाधीन ३०० शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण का कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या यह सत्य है कि उक्त अस्पताल के लिए स्वीकृत धन को कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेवानिवृत्त श्री राम नारायन सिंह सहकारी निरीक्षक वर्ग २, को तीसरे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार समयमान वेतन दिलाये जाने की मांग

१०७–श्री धनीराम वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि श्री राम नारायन सिंह सहकारी निरीक्षक वर्ग २ दिनांक २१-३-८५ को सेवानिवृत्त हो चुके हैं परन्तु इन्हें तीसरे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार समयमान वेतनमान नहीं मिला है ? क्या सरकार इन्हें अतिशीघ्र समयमान वेतनमान दिलाये जाने की कृपा करेगी ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी नहीं । श्री राम नारायन सिंह दिनांक २१-३-८५ को सेवानिवृत्त न होकर दिनांक ३१-३-८५ को सेवा निवृत्त हुये थे ।

श्री राम नारायन सिंह, सहकारी निरीक्षक वर्ग-२ दिनांक ३१-३-८५ को सेवानिवृत्त हो चुके थे । शासनादेश संख्या ४३२५/१२सी-२-२०९/१९७८ दिनांक १-९-८४ के अनुसार इनसे ज्येष्ठ सहकारी

निरीक्षक वर्ग-२ को समयमान वेतनमान अनुमन्य नहीं हुआ था । इस कारण श्री राम नारायन सिंह के कनिष्ठ होने के कारण उन्हें समयमान वेतन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद इटावा के ब्लाक अछल्दा के ग्राम रामपुर वैश में प्राइमरी पाठशाला का निर्माण एवं शिक्षण कार्य

१०८–श्री धनीराम वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद इटावा के ब्लाक अछल्दा के ग्राम रामपुर वैश में वर्ष १९९०-९१ में प्राइमरी पाठशाला के भवन का निर्माण राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ९० हजार रुपये की लागत से करवाया गया है ? यदि हां, तो क्या विद्यालय भवन में शिक्षा कार्य चल रहा है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी नहीं ।

जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर के पी० सी ० यू ० व्यय खाते से पी०सी० यू० लिपिक द्वारा गबन एवं रिपोर्ट दर्ज न कराये जाने के कारण

१०९–श्री चरन सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर के पी० सी० यू० व्यय खाते से पी० सी० यू० लिपिक द्वारा ३,३०० रुपये की धनराशि का गबन किया गया था तथा इसके बाद उक्त लिपिक को सुपरवाइजर के पद पर प्रोन्नति दी गयी तथा किसान सेवा सहकारी समिति लि० कपसाड मेरठ का प्रबन्ध निदेशक बना कर भेजा गया जहां उसने तीन लाख का गबन किया ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त दोनों गबनों के विषय में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो उसके परिणाम क्या रहे ? यदि नहीं, तो रिपोर्ट दर्ज न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां, ३३,००० रु० के बजाय रु० ३३,०१३.६० पै० का गबन प्रकाश में आया ।

जी नहीं । मृतक आश्रित के आधार पर सहकारी पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त किया गया ।

जी हां किसान सेवा सहकारी समिति लि० कपसाड मेरठ के प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति की गयी ।

जी नहीं, अपितु जांच के आधार पर १,०८,८७५.२२ रु० का गबन प्रकाश में आया । पी० सी० यू० खाते में गबन संबंधी प्रकरण में एफ० आई० आर० दर्ज नहीं करायी गयी, क्योंकि पूर्ण धनराशि ३३,०१३.६० वसूल हो चुकी है । किसान सेवा सहकारी समिति लि० कपसाड मेरठ में प्रकाश में आये गबन की धनराशि मु० १,०८,८७५.२२ की एफ० आई० आर० दर्ज करायी जा चुकी है जिसमें से मु० ३५,००० रु० जमा हो चुके हैं । एफ० आई० आर० विवेचनाधीन है । दोषी प्रबन्ध निदेशक को निलम्बित किया जा चुका है ।

जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर के पी० सी० यू० खाते से किये गये गबन के सम्बन्ध में जांच कर रहे अधिकारी का स्थानान्तरण एवं इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

११०–श्री चरन सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर के पी० सी० यू० खाते से किए गए गबन के संबंध में बैंक द्वारा वर्ष १९९०-९१ में कराई गई जांच के जांच अधिकारी द्वारा पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने की संस्तुति किये जाने पर जांच अधिकारी का स्थानान्तरण बुलन्दशहर कर दिया गया तथा हतोत्साहित करने के लिए स्थानान्तरण रोक कर चार्ज न दिलाकर एक माह का वेतन भी आहरित नहीं कराया गया ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान--

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में डाक्टरों की भांति महिला ड्रग इन्सपेक्टर की तदर्थ नियुक्ति की मांग

१११–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय कोई महिला ड्रग इन्सपेक्टर कार्यरत है ? यदि नहीं, तो क्या प्रदेश में महिला ड्रग इन्सपेक्टर की कमी के कारण अब्जल फार्मा कानपुर के निरीक्षण के समय हुए हादसे को मद्दे नजर रखते हुए ड्रग कन्ट्रोलर द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर डाक्टरों की भांति महिला ड्रग इन्सपेक्टर की भी तदर्थ नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

चूंकि महिला ड्रग इन्सपेक्टर की कमी के कारण अब्जल फार्मा कानपुर के निरीक्षण के समय कोई हादसा घटित नहीं हुआ अतएव महिला ड्रग इन्सपेक्टर की तदर्थ नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता । फिर भी भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर महिला ड्रग इन्सपेक्टर की तदर्थ नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है ।

जनपद गोण्डा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की संख्या एवं रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

११२–श्री बिन्दु लाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कुल कितने पद हैं और उनमें कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों की पूर्ति करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद गोण्डा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कुल १४९ पद हैं, जिसमें से ९२ पद रिक्त हैं ।

जी हां।

लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित अथवा शीघ्र ही तदर्थ रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

११३--श्री राम प्रसाद सिंह--

[३सरे सोम० में अता० प्र० सं० १८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ नगर के स्टेशन रोड पर रेलवे इंस्टीट्यूट एवं जुबली गर्ल्स महाविद्यालय की सड़क पर अवैध रूप से खोल रखी गोशाला को हटवाने की मांग

११४--श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के स्टेशन रोड पर रेलवे इंस्टीट्यूट और के० के० सी० कालेज के पास से बायीं ओर जाने वाली सड़क से थोड़ी दूर जुबली गर्ल्स महाविद्यालय की सड़क पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से गोशाला खोल रखी है, जिससे सड़क पर भारी मात्रा में खाद गोबर और कूड़ा इकट्ठा हो गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जन स्वास्थ्य की दृष्टि से इस गोशाले को तुरन्त हटवाने की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि के० के० कालेज में कालोनी से सटी नजूल की जमीन पर ही इन्हीं लोगों का गोशाला चलता है जिससे कालोनी तथा विद्यालय परिसर में सदैव गन्दगी बनी रहती है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार--

विद्यालय की सड़क के किनारे गड़े खूंटे महापालिका द्वारा समय-समय पर हटाये जाते रहे हैं। वर्तमान समय में कथित स्थल पर कोई गोशाला नहीं है। सड़क के किनारे एकत्रित कूड़ा-करकट आदि को नगर महापालिका लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर हटाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक नजूल भूमि पर स्थित गोशाला का प्रश्न है यह भूमि आवास विभाग के नियंत्रणाधीन है। अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के विकास खण्ड बिलरियागंज के ग्राम प्रधान द्वारा प्रेरक के रूप में दिये गये नसबन्दी केस एवं उसमें की गयी अनियमितताओं के लिये शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

११५--श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९८९-९० में जनवरी से जुलाई तक आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के विकास खण्ड बिलरियागंज के ग्राम प्रधान भमनपुर ने नसबन्दी के कुल कितने केसेज प्रेरक के रूप में दिए हैं? उन नसबन्दी कराने वालों का नाम/व्यवसाय क्या है? क्या यह

सही है कि जिन लेगों की नसबन्दी कराया जाना दिखाया गया है, उसमें से कुछ साठ वर्ष से ऊपर, कुछ अविवाहित और कुछ लोग वर्षों पूर्व मर चुके हैं ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार प्रधान ने डाक्टर तथा बी० डी० ओ० से मिल कर सरकारी धन का अपहरण किया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में विस्तृत शिकायती पत्र उक्त ग्रामवासियों ने दिनांक १२ नवम्बर, १९९१ को अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) को दिया है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में ग्राम प्रधान भवनपुर ने २० नसबन्दी केस प्रेरक के रूप में दिये थे । नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों के नामों व व्यवसाय की सूची संलग्न है । जांच कराई जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर ही यथा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ- २०२ पर)

जनपद मऊ के अन्तर्गत ग्राम सरायगनेश में चिकित्सालय खोलने का शासन में विचाराधीन प्रस्ताव व औपचारिकताएं पूरी होने पर अस्पताल खोलने की मांग

११६–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के अन्तर्गत ग्राम सरायगनेश में चिकित्सालय खोलने हेतु शासन में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है । क्या यह सही है कि अस्पताल खोलने की सारी औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी हैं तथा ग्राम सभा से मुक्त जमीन भी प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो अस्पताल खोलने की कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

धन उपलब्ध होने पर ही उपरोक्त चिकित्सालय खोलने की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

उन्नाव जिले के साधन सहकारी समिति करदहा से सम्बन्धित किसानों का प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न सचिव, सहकारिता को दिया गया शिकायती-पत्र एवं जांच

११७–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के साधन सहकारी समिति, करदहा से संबंधित कई किसानों का शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र दिनांक १६-१२-९१ सहित सचिव, सहकारिता, उ० प्र० शासन व प्रतिलिपि जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवगत है कि उक्त शिकायत की जांच सहायक निबन्धक, सहकारिता के अलावा किसी अन्य अधिकारी से करवाये जाने का अनुरोध प्रश्नकर्ता ने किया था ? यदि हां, तो जांच किसने की तथा क्या कार्यवाही जांचोपरान्त की गयी है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

जी हां ।

इस शिकायत की जांच सहायक विकास अधिकारी (कृषि), विकास खण्ड हिलौली, उन्नाव द्वारा करायी गयी और जांच आख्या में समिति के सचिव को निर्दोष पाये जाने पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जिला अस्पताल बांदा में तैनात नर्स, एस० के० डेविड द्वारा अस्पताल के आपरेशन थियेटर का सामान ले जाने विषयक जांच व कार्यवाही

११८–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला अस्पताल, बांदा में तैनात नर्स, एस० के० डेविड द्वारा अस्पताल के आपरेशन थियेटर के औजार, कम्बल, गद्दे, चदरें व अन्य अधिकतर सामान अपने निवास पर ले जाया गया है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी गुप्त जांच करवायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बांदा द्वारा जांच की जा चुकी है ।

जिला महिला व पुरुष अस्पताल, बांदा में तैनात डाक्टर, नर्स, वार्ड ब्वाय ड्यूटी पर न आने विषयक जांच एवं कार्यवाही

११९–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला महिला व पुरुष अस्पताल, बांदा में तैनात डाक्टर, नर्स, वार्ड ब्वाय कभी भी अपनी पूरी ड्यूटी नहीं करते हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी गुप्त जांच करवाई जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

१२०–श्री अब्दुल ए० सलाम–

[५ वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

१२१–श्री विजय सिंह राणा–

[दिनांक २१-२-९२ को अता० प्र० सं० ११ द्वारा उत्तरित]

दादूपुर (धवंकल गंज) तथा देवचन्दपुर, ब्लाक, बड़ा गांव, जिला वाराणसी में अस्पताल बनाने हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धन

१२२–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान दादूपुर (धवंकलगंज) तथा गांव देवचन्दपुर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में राजकीय अस्पताल बनाने हेतु करीब एक वर्ष से बीस-बीस लाख रु०

शासन ने मजूर कर दिया है ? यदि हां, तो इमारत बनाने का कार्य शुरू किया गया कि नहीं ? इमारत कब तक बन जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दादूपुर (धवंकलगंज) तथा देवचन्दपुर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के भवनों के निर्माण हेतु क्रमशः १९.२० लाख रुपये एवं १९.२० लाख रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मार्च, ९१ में प्रदान की गयी थी, जिसके समक्ष अब तक क्रमशः १८.५० लाख रुपये एवं १८.६५ लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ।

भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

मार्च, १९९३ तक भवन पूर्ण होने की सम्भावना है ।

जल निगम द्वारा गांव मंगारी (नेवादा), ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में नलकूप की बिछायी गयी गांवों के लिए पाइप लाइन को ठीक किये जाने की मांग

१२३--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जल निगम द्वारा गांव मंगारी (नेवादा), ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में नलकूप को गड़े दो वर्ष से ऊपर हो गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पाइप लाइन जितनी बिछायी गयी है इसका जोड़ ठीक नहीं है जिससे पानी गिर जाता है ? क्या यह सही है कि योजना के मुताबिक कई गांवों में पाइप लाइन ही नहीं बिछायी गयी है ? इस नलकूप से किन-किन गांवों को पेय जल सप्लाई करना है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर इस योजना को पूर्ण करायेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार--

जी हां ।

जी नहीं । जोड़ ठीक है । कभी-कभी लीकेज हो जाता है, जिसे यथाशीघ्र ठीक करा दिया जाता है ।

जी हां । योजना के अनुसार २६ ग्रामों में पाइप लाइन बिछनी प्रस्तावित है, किन्तु अभी १९ ग्रामों में पाइप लाइन नहीं बिछायी गयी है या आंशिक बिछायी गयी है । (सूची संलग्न है)

इस नलकूप से उक्तानुसार २६ ग्रामों में पेयजल आपूर्ति होनी है, जिनकी सूची संलग्न है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार योजना के कार्य पूर्ण किये जा रहे हैं । अब शेष कार्यों के लिए इस वित्तीय वर्ष में रु० १७.५० लाख का प्राविधान है । अतः जांच की आवश्यकता नहीं है । उक्त २६ ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु ८३ इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प भी अधिष्ठापित हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ- २०३ पर)

जनपद इटावा के ब्लाक बिधूना के ग्राम पुरवा लक्षीराम एवं भनौटी के प्राइमरी पाठशालाओं के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने की मांग

१२४--श्री धनीराम वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद इटावा के ब्लाक विधूना के ग्राम पुरवा लक्षीराम एवं भनौटी के प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माणाधीन हैं ? यदि हां, तो कब से और कब तक पूर्ण हो जायेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

केवल ग्राम पुरवा लक्षीराम के प्राइमरी पाठशाला का भवन निर्माणाधीन है । ग्राम भनौटी में कोई परिषदीय विद्यालय सचालित नहीं है ।

ग्राम पुरवा लक्षीराम का विद्यालय भवन के लिये धनराशि वर्ष १९८५-८६ में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को उपलब्ध करा दी गयी थी ।

परन्तु उनके द्वारा विद्यालय भवन का पूर्ण निर्माण धन की कमी के कारण अभी तक नहीं कराया गया है ।

अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था होने पर यथाशीघ्र ।

१२५--श्री श्रीराम--

[दिनांक २७-२-९२ को अता० प्र० सं० १७६ द्वारा उत्तरित]

जनपद जालौन के ग्राम अकबरपुर इटौरा में निर्मित शासकीय अस्पताल एवं उसमें नियुक्त स्टाफ की जानकारी की मांग

१२६--श्री श्रीराम--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद जालौन के ग्राम अकबरपुर इटौरा में १५ शैय्या के शासकीय अस्पताल के भवन का निर्माण वर्ष १९८५ में शासन द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्मित भवन में शासकीय अस्पताल संचालित है ? यदि हां, तो क्या उक्त अस्पताल में डाक्टर तथा अन्य स्टाफ की नियुक्तियां की गयी है ? यदि हां, तो कौन-कौन से कर्मचारी तैनात हैं ? क्या यह सही है कि उक्त शासकीय अस्पताल के भवन में ग्राम के लोगों के पशु बांधे जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जालौन के नगर जालौन में स्थित महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति केन्द्र में पुनः महिला चिकित्सक श्रीमती चन्देल को वापस लाने की मांग

१२७--श्री श्रीराम--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के नगर जालौन में स्थित महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति केन्द्र में किसी महिला चिकित्सक की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नगर जालौन में निवास करने वाली करीब २५--३० हजार जनता की उपेक्षा तथा गर्भवती महिलाओं की समस्याओं को अनदेखा करके उक्त चिकित्सालय में तैनात महिला चिकित्सक श्रीमती चन्देल को मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन उरई ने जिला चिकित्सालय में करीब एक वर्ष से अटैच कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त महिला चिकित्सक को नगर जालौन के महिला अस्पताल एवं प्रसूति केन्द्र में वापस किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

महिला चिकित्सालय उरई में महिला चिकित्साधिकारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में डा० (श्रीमती) कल्पना चन्देल को सम्बद्ध किया गया है ।

महिला चिकित्सालय, उरई में महिला चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर तैनाती होते ही डा० (श्रीमती) कल्पना चन्देल को उनके मूल तैनाती के स्थान पर वापस तैनात करने पर विचार किया जायेगा । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में टाउन एरिया, भोगांव द्वारा चालित कस्तूरबा इण्टर कालेज द्वारा प्रवेश के समय बिल्डिंग फीस की वसूली के घोटाले के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

१२८–श्री राम औतार शाक्य–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में टाउन एरिया भोगांव द्वारा चालित कस्तूरबा इण्टर कालेज में वर्ष १९९१ में प्रवेश के समय छात्रों से १०० रु० प्रति छात्र के हिसाब से बिल्डिंग फीस ली गयी ? क्या नियमतः यह फीस ली जा सकती है ? यदि नहीं, तो सरकार इस घोटाले के संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । बिल्डिंग फीस का कोई प्राविधान नहीं है ।

(ग) कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता का नगर पालिका, बांदा को विकास कार्यों के सम्बन्ध में पत्र एवं सहयोग न देने पर दोषी को दण्डित करने की मांग

१२९–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री को यह ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता ने नगर पालिका, बांदा को पत्र संख्या २९३९५६ दि० २५-१०-९१ द्वारा बांदा नगर के विकास कार्यों के संबंध में लिखा था ? यदि हां, तो क्या नगर के विकास में सहयोग न देने पर दोषी अधिकारी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

यह पत्र स्थानीय निकाय को ही सम्बोधित था एवं शासन को कोई भी प्रकरण प्रेषित नहीं किया गया अतः शासन स्तर पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में जल प्रदूषण के कारण बीमारियां एवं प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा, उन्नाव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही

१३०–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद में भूगर्भ जल प्रदूषण के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं ? क्या यह सच है कि वर्ष ८९-९० व ९०-९१ में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र, पुरवा, उन्नाव का सर्वे भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने किया था ? यदि हां, तो सर्वेक्षण के

क्या निष्कर्ष हैं ? प्रश्नकर्ता के क्षेत्र को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

उन्नाव जनपद के कुछ क्षेत्रों में भूगर्भ जल पीने योग्य न होने के कारण समस्या है ।

प्रदेश के भूगर्भ जल विभाग से प्राप्त सूचनानुसार जनपद उन्नाव में भूजल उपयोग से उत्पन्न समस्याओं का कारण ज्ञात करने हेतु जून, १९९० से पूर्व केवल कुछ स्थलों पर किये गये प्रारम्भिक अध्ययन के आधार पर जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सिकन्दरपुर करां के अन्तर्गत ग्राम घोधी, महादीनवा तथा रौतापुर आदि में भूगर्भ जल पीने योग्य नहीं पाया गया है । प्रश्नगत क्षेत्र के विकास खण्ड हिलौली के ग्राम-धनोखर बाल-मुकुन्दखेड़ा, बद्रीखेड़ा तथा मौरांवा टाउन एरिया में केवल कुछ स्थलों पर की गई जांच के अनुसार भूगर्भ जल पीने के योग्य नहीं पाया गया है तथा विकास खण्ड-असोहा के अन्तर्गत ग्राम-सरसाह खेड़ा में एक पेयजल कूप से प्राप्त जल नमूने के विश्लेषण के आधार पर भूगर्भ जल पीने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है ।

भूगर्भ जल विभाग द्वारा प्रारम्भिक अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट तथा एक परियोजना तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों के सहयोग से एकीकृत अध्ययन प्रस्तावित है, जिसकी अवधि एक वर्ष है तथा कुल अनुमानित लागत रु० ८.०१६ लाख है । उक्त परियोजना की स्वीकृति परीक्षणान्तर्गत है । परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त समस्याग्रस्त क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन सम्पन्न कराया जा सकेगा ।

जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल खारा या फ्लोराइड युक्त है उनमें कुओं तथा हैण्डपम्पों के जल का वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया है तथा ऐसे क्षेत्रों में धन की उपलब्धता के आधार पर नलकूप/पाइप पेयजल योजनाओं की व्यवस्था की जा रही है ।

प्रश्नकर्ता मा० विधायक के पुरवा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु कुल २८६ ग्रामों में से अब तक २३० ग्रामों को ९५६ इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प लगाकर तथा २० ग्रामों को पाइप लाइन से लाभान्वित किया जा चुका है ।

उक्त क्षेत्र की मात्र २ क्षेत्र समितियों में से पुरवा नगर में २२ हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं तथा मौरावां नगर में १७ हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं एवं पाइप पेयजल व्यवस्था भी की गई है ।

एटा जिले की नगर पालिका, कासगंज के उप कर अधीक्षक की नियुक्ति, शैक्षिक योग्यता आदि के बारे में जानकारी की मांग

१३१–श्री नेतराम सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले की नगरपालिका कासगंज में उप कर अधीक्षक कौन है ? इनकी नियुक्ति कब और किन तिथियों में हुई तथा इनकी शैक्षिक योग्यता क्या है ? इनकी नियुक्ति किस अधिकारी द्वारा की गयी थी ? क्या यह भी सत्य है कि उप कर अधीक्षक का कोई पद नगरपालिका, कासगंज में नहीं है ? क्या यह सही है कि इनकी नियुक्ति योग्यता तथा सर्विस बुक का कोई रिकार्ड नगरपालिका में नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के प्राइमरी स्कूलों में प्रधान अध्यापकों के पद एवं उन पर नियुक्तियां किये जाने की मांग

१३२–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के प्राइमरी स्कूलों में प्रधान अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या उन पदों पर नियुक्तियां कराई जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

१०१ पद रिक्त हैं ।

जी हां, रिक्त पदों पर तत्काल नियमानुसार प्रोन्नति करने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निघासन पलिया कला सम्पूर्णानगर में कुत्ते एवं सांप काटने के वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग

१३३–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निघासन पलिया कला सम्पूर्णानगर में कुत्ते एवं सांप काटने की वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद लखीमपुर खीरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निघासन व सम्पूर्णानगर में कुत्ता काटने की वैक्सीन उपलब्ध नहीं करायी जाती है क्योंकि इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उक्त वैक्सीन को समुचित रूप से रखने की व्यवस्था नहीं है । इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सांप काटने की वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है । पलिया कला में कुत्ता काटने की वैक्सीन दी जाती है क्योंकि यह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है तथा यहां वैक्सीन के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था है ।

फिलहाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कुत्ता काटने की वैक्सीन को रखने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है ।

१३४–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन हाने के कारण निरस्त]

आयुर्वेद कालेज, बरेली की जर्जर इमारत को नये स्थान पर निर्मित किये जाने की मांग

१३५–डा० दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आयुर्वेद कालेज, बरेली बहुत पुरानी जर्जर इमारत में चल रहा है जिससे छात्रों को न तो पढ़ाई का उचित वातावरण मिल पा रहा है और न ही होस्टल आदि की सुविधा मिल पा रही है ? यदि हां, तो आयुर्वेदिक कालेज को किसी नये स्थान पर निर्मित कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

कालेज का भवन पुराना है, परन्तु पठन-पाठन में कोई व्यवधान नहीं है ।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में इसे नये स्थान पर निर्मित कराने का कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रदेश में जड़ी-बूटियों से दवायें बनाने के संस्थान एवं सरकार द्वारा किये गये विकास, विस्तार के लिए प्रयास

१३६–श्री दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र में उग रही अमूल्य वन सम्पदा जड़ी बूटियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के बनाने में होता है ? यदि हां, तो प्रदेश में जड़ी-बूटियों से दवायें बनाने के कितने संस्थान हैं और उनके विकास तथा विस्तार के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रदेश में जड़ी-बूटियों से दवायें बनाने के लिए तीन राजकीय आयुर्वेद संस्थान लखनऊ, हरिद्वार एवं पीलीभीत में हैं, उनके विकास तथा विस्तार हेतु सातवीं पंच वर्षीय योजना काल में ७.०० लाख और हास्पिटल फण्ड से २०.०० लाख की धनराशि दी गई है ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दुवारी अन्तर्गत ग्राम रेहुटा में जू० हा० स्कूल तथा कन्या प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग

१३७–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी अन्तर्गत ग्राम रेहुटा में जू० हा० स्कूल खुलवाया जायेगा ? क्या यह सत्य है कि वहां से १० कि० मी० दूर जूनियर हाई स्कूल पड़ते हैं ? क्या वहां एक कन्या प्राथमिक विद्यालय भी खुलवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां,

जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृति होने तथा जिला बेसिक शिक्षा समिति के अनुमोदन के उपरान्त विद्यालय खोला जायेगा ।

ग्राम रेहुटा से १० किलोमीटर की परिधि में एक जूनियर हाई स्कूल अमलोर तथा इण्टर कालेज खपठिहा-कलां पड़ते हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम रेहुटा में प्राथमिक विद्यालय संचालित है, अलग से कन्या प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्राविधान नहीं है ।

जनपद जालौन की तहसील जालौन विकास खण्ड कुठौन्द ग्राम टिंकरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोलने की मांग

१३८–श्री श्रीराम–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन की तहसील जालौन, विकास खण्ड कुठौन्द का ग्राम टिकरी मुस्तकिल आवागमन की सुविधा से वंचित व बीहड़ क्षेत्र में स्थित है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम की अधिक आबादी को देखते हुए गर्भवती महिलाओं के कल्याण व जन स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की अब तक वहां स्थापना की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की शीघ्र स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

मानक के अनुसार ५,००० की आबादी पर मातृ शिशु कल्याण केन्द्र तथा ३०,००० की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाती है । जबकि ग्राम टिकरी की मुस्तकिल आबादी १,९१६ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत निर्माण न होने वाले प्राइमरी पाठशाला के भवन

१३९–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत मैनपुरी जनपद में ऐसे कितने प्राइमरी पाठशाला भवन हैं, जिनका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है और क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

६ प्राइमरी पाठशाला भवनों का निर्माण स्थल विवादित होने के कारण नहीं हो सका है ।

उ० प्र० कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ में सहकारी पर्यवेक्षकों के लम्बित प्रकरण

१४०–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ में सहकारी पर्यवेक्षकों के ऐसे कितने प्रकरण लम्बित हैं जिनको ५ वर्ष पूर्व निलम्बित किया गया था ? क्या उनका अन्तिम निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां । मात्र एक ।

जी हां ।

प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ के अशंदान का पी० सी० एफ०, लखनऊ पर बकाया रुपया एवं भुगतान की मांग

१४१. श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ का अंशदान का कितना रुपया पी० सी० एफ०, लखनऊ पर बकाया है ? इसका भुगतान कब होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गम्भीर कुमार बालियान–

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड द्वारा अंशदान का रु० १,८५,००० बकाया बतलाया जाता है परन्तु पी० सी० एफ०, लखनऊ द्वारा कोई बकाया स्वीकार नहीं किया गया है ।

निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश स्तर पर लेखा समाधान कराये जाने के उपरान्त स्थिति स्पष्ट हो जाने पर यथोचित कार्यवाही हो सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों में १५ वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अध्यापक एवं उनको अन्यत्र स्थानान्तरित करने की योजना

१४२–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद में प्राथमिक एंवं जूनियर हाई स्कूलों में कितने ऐसे अध्यापक कार्यरत हैं जो १५ वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं ? क्या उनको अन्यत्र स्थानान्तरित करने की सरकार की योजना है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

५०४ अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में तथा ४८ अध्यापक जूनियर हाई स्कूलों में १५ वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं ।

शिक्षकों के स्थानान्तरण में अधिक ठहराव/समय सीमा का आधार नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में शासनादेशानुसार कम्पाउन्डरों को वेतनमान न दिया जाना एवं इसकी जांच कराये जाने की मांग

१४३–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश सं० नि० हो०/१८२/९१-१३-६-९१-८८, दिनांक २७ अगस्त, १९९१ जिसमें हो० कम्पाउन्डरों का वेतनमान १३५०-३०-१४४०-४०-१८००-द० रो०-

५०-२२०० निर्धारित है. का अनुपालन जनपद हरदोई में नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त जनपद में कुछ ही कम्पाउन्डरों को रुपया ९५० का वेतनमान ही दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसकी जांच करा कर शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्या नि० हो० १८२/९१/१३६९१-८१८, दिनांक २७-८-९१ का अनुपालन हरदोई जनपद में किया जा रहा है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

१४४–श्री राम प्रसाद सिंह–

[३सरे मंगल में अता० प्र० सं० १८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में अधिग्रहीत की गयी जमीन के कारण उपरदहा गांव के निवासी श्री नरेन्द्र कुमार चौहान आदि को नौकरी व मुआवजा किये जाने की मांग

१४५–डा० बृज भान यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में जो जमीन अधिग्रहीत की गयी वह उपरदहा गांव के निवासी श्री नरेन्द्र कुमार चौहान आदि की है जो इस जमीन (छः बीघा) के अधिग्रहीत हो जाने से भूमिहीन हो गये हैं ? क्या जमीन अधिग्रहण के समय उनको उसी स्वा० केन्द्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्थान पर नियुक्त करने पर विचार किया गया था ? यदि हां, तो आज तक उनकी नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उन्हें इस जमीन का मुआवजा अभी नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और उन्हें भूमि का मुआवजा एवं नौकरी कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जल संस्थान अभियंत्रण सेवा से सेवानिवृत्त अभियन्ता एवं शेष अभियन्ताओं को नियमित पेंशन का भुगतान किये जाने की मांग

१४६–डा० बृज भान यादव–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत ५ वर्षों से जल संस्थान अभियंत्रण सेवा में कुल कितने अभियंता सेवानिवृत्त हुए और उनमें से कितने अभियन्ताओं को नियमित पेंशन प्राप्त हो रही है तथा कितने अभियन्ताओं को नियमित पेंशन नहीं प्राप्त हो रही है ? इसके लिये कौन-कौन लोग उत्तरदायी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? शेष अभियन्ताओं को नियमित पेंशन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

विगत पांच वर्षों में उ० प्र० पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा के कुल २७ अभियन्ता सेवानिवृत्त हुये हैं ।

उक्त में से ८ अभियन्ताओं को नियमित पेंशन दी जा रही है तथा शेष को नहीं प्राप्त हो रही है ।

केन्द्रीयित सेवा पेंशन निधि में, पालिका/जल संस्थान की दयनीय आर्थिक स्थिति के फलस्वरूप उनके द्वारा तत्संबंधी अंशदान नियमित रूप से जमा न करने के कारण, नियमित पेंशन का भुगतान सम्भव नहीं हो सका है, जिसके लिये किसी को उत्तरदायी ठहराना या उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है ।

अंशदान जमा हो जाने पर तुरन्त भुगतान कर दिया जायेगा ।

नगर पालिका देवरिया का टचिंग ग्राउण्ड का आवंटन, आडिट विभाग द्वारा रिकवरी की आपत्ति एवं नगर पालिका देवरिया के विरुद्ध धन की रिकवरी न करने पर कार्यवाही की मांग

१४७–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका देवरिया का टचिंग ग्राउण्ड किसी को आवंटित किया गया है ? क्या उक्त आवंटन के संबंध में आडिट विभाग ने रिकवरी की आपत्ति वर्ष १९८९-९० में लगायी है ? यदि हां, तो कितनी रिकवरी का ? क्या उक्त धन की रिकवरी हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त धन की रिकवरी कराने एवं रिकवरी न करने के विरुद्ध नगर पालिका देवरिया के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां । टचिंग ग्राउण्ड का एक भू-भाग मेसर्स आशा गैस सर्विस को आवंटित किया गया है । आडिट विभाग द्वारा तहबाजारी दर पर आवंटन न किये जाने की आपत्ति लगाते हुए दिनांक ३१-३-८९ तक रु० २,३३,१०० की रिकवरी हेतु लिखा गया है । उक्त धनराशि की वसूली हेतु संबंधित आवंटी को दो नोटिस भेजी गयीं जिसके उत्तर में आवंटी ने नगरपालिका को नोटिस दिया है कि चूंकि निर्धारित किराये के आधार पर अनुबन्ध भी हो चुका है तथा उक्त भूमि तहबाजारी की नहीं है अतः दर पर वसूली हेतु नोटिस जारी करना अवैधानिक है । आवंटी की इस नोटिस के संबंध में पालिका द्वारा विधिक राय ली जा रही है और विधिक राय प्राप्त हो जाने पर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही कराना सम्भव होगा ।

नगर पालिका बांदा में कार्यरत चौकीदार श्री राम सुमेर की मृत्यु एवं उनके स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमती बेनी बाई की नियुक्ति

१४८–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि नगर पालिका बांदा में कार्यरत चौकीदार श्री राम सुमेर की मृत्यु वर्ष १९८९ में होने के बाद उनकी पत्नी श्रीमती बेनी बाई की नियुक्ति तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, बांदा ने कर दी थी ? यदि हां, तो क्या इस नियुक्ति को अध्यक्ष, नगर पालिका, बांदा ने अवैध माना था ? क्या श्रीमती बेनी बाई की सेवायें समाप्त कर दी गयी थी ? यदि हां, तो अधिशासी अधिकारी द्वारा की गयी नियुक्ति को अवैध मानने का क्या कारण है ? क्या इस नियुक्ति को वैध माना जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

नगरपालिका बांदा में कार्यरत चौकीदार श्री रामसुमेर की मृत्यु वर्ष १९८९ में नहीं हुई अपितु दिनांक २१-४-९० को हुई थी ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

इस नियुक्ति के संबंध में शासनादेश में निर्धारित शैक्षिक योग्यता के संबंध में अध्यक्ष ने निर्देश प्राप्त किये थे और जिलाधिकारी, बांदा द्वारा अपने आदेश दिनांक १४-१०-९१ के द्वारा उनको समुचित निर्देश दिये गये । तदनुसार श्रीमती बेनी बाई पत्नी मृतक श्री राम सुमेर को कार्यभार गृहण करा दिया गया । तबसे श्रीमती बेनी बाई नगरपालिका में कार्य कर रही हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सफाई मजदूर संघ और सरकार के बीच लिखित समझौता और उसका अनुपालन किये जाने की मांग

१४९--श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि गत दिनांक १६ अक्टूबर, १९९१ को उ० प्र० सफाई मजदूर संघ और सरकार के बीच लिखित समझौता हुआ है कि दिनांक ११ अक्टूबर, १९८९ तक जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लगातार तीन वर्ष कार्यरत रहे हैं तथा प्रत्येक वर्ष २४० दिन कार्य कर चुके थे को नियमित किया जायगा और उस तिथि ११-१०-८९ पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों को मानक निर्धारित कर समायोजित किया जायेगा तथा हड़ताल अवधि में सेवा में व्यवधान जैसे उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायेगी ? यदि हां, तो क्या इस समझौते का अनुपालन किया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) जी हां ।

(ख) जी हां । अनुपालन हो चुका है ।

जनपद मैनपुरी में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जूनियर बेसिक विद्यालय खोलने हेतु शासनादेश एवं उनके निर्माणाधीन भवन, बैरागपुर ग्राम के जू० हा० स्कूल के निर्माण की स्थिति

१५०--श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन सरकार द्वारा जनपद मैनपुरी में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों के जूनियर बेसिक विद्यालय खोलने हेतु ३९ विद्यालय चयन कर शासनादेश हो चुका था ? यदि हां, तो क्या उन सभी विद्यालयों का निर्माण हो चुका है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि किसनी विकास खण्ड के बैरागपुर ग्राम का जू० हा० स्कूल का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

आठवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष १९९०-९१ में जनपद मैनपुरी में कुल ४५ मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गयी थी ।

इनमें से ४३ विद्यालयों के भवन निर्माणाधीन है । दो विद्यालयों के निर्माण स्थल विवादित है । जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत नहीं हुआ है । अतः निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में नियमों के विपरीत ६० वर्ष के बजाय ५८ वर्ष में सेवानिवृत्त किये गये सेनेटरी सुपरवाइजर श्री मुंशीलाल, ब्लाक सुल्तान गंज, मैनपुरी के समस्त भुगतान आदि की मांग

१५१—श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में कार्यरत सेनेटरी सुपरवाइजरों की सेवानिवृत्त की आयु शासनादेश दिनांक २४ अक्टूबर, १९९० के अनुसार ५ नवम्बर १९८५ से पहले नियुक्त होने वालों की ६० वर्ष ही है ? यदि हां, तो इस परिधि के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को ५८ वर्ष की आयु में ही शासनादेश का उल्लंघन करते हुए ब्लाक सुल्तानगंज, मैनपुरी में कार्यरत सेनेटरी सुपरवाइजर को सेवानिवृत्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि नियमों के विपरीत ६० वर्ष के बजाय ५८ वर्ष में ही सेवानिवृत्त किये गये सेनेटरी सुपरवाइजर, श्री मुंशी लाल, ब्लाक सुल्तानगंज, मैनपुरी को सेवानिवृत्त के पश्चात् २ वर्ष का वेतन तथा पेंशन एवं समस्त फण्ड भुगतान आदि की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत नगरपालिका, पिलखुआ के उपाध्यक्ष के विरुद्ध जांच आख्या एवं उस पर कार्यवाही की मांग

१५२—श्री सुखवीर सिंह गहलौत—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत नगरपालिका, पिलखुआ के उपाध्यक्ष के विरुद्ध तत्कालीन नगर विकास मंत्री द्वारा अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त) से जांच कराई गयी थी ? क्या शासन को अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त) की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार—

जी हां ।

जी हां ।

श्री इन्द्रभूषण कंसल, उपाध्यक्ष सम्प्रति कार्यवाहक अध्यक्ष को पद से हटाने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर सीमा रोपड़ विभाग वाराणसी द्वारा श्री छेदी लाल व सामल दास ग्राम-सरसौड़ी प० शिवपुर तहसील व जिला वाराणसी की पत्रावली गायब किया जाना तथा प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न श्री छेदीलाल के पत्र पर कार्यवाही

१५३—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर सीमा रोपड़ विभाग वाराणसी ने छेदीलाल व सामल दास गांव सरसौड़ी प० शिवपुर त० व जिला वाराणसी की गलत फैसला करके फाइल को भी गायब कर दिया है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने छेदीलाल की दरख्वास्त को अपने पत्र के साथ नगर

विकास मंत्री से मिलकर ११ अक्टूबर १९९१ को दिया था ? यदि हां, तो उक्त फाइल का पता लगाया गया कि नहीं ? इसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

श्री छेदी लाल व सामल दास ग्राम-सरसौड़ी प० शिवपुर, तहसील व जिला वाराणसी की पत्रावली वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हो पा रही है ।

जी हां ।

इस मामले की जांच निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण,उ० प्र०, द्वारा की जा रही है ।

प्रदेश में मलेरिया यूनिट खोले जाने की अनुमति एवं यूनिटों को चालू करने हेतु उपकरण, फर्नीचर आदि उपलब्ध कराये जाने की मांग

१५४–डा० दिनेश जौहरी, श्री श्याम बिहारी सिंह तथा श्री नन्द राम–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बरेली जनपद में नगरीय मलेरिया यूनिट की स्थापना समेत प्रदेश भर में इस प्रकार के यूनिट खोलने की अनुमति शासन ने १९८८-८९ एवं ९० में दी थी तथा सभी केन्द्रों के लिए आवश्यक फर्नीचर व उपकरण भी उपलब्ध करा दिये थे ? किन्तु स्टाफ अभी तक उपलब्ध न कराये जाने के कारण यह केन्द्र चालू नहीं हो पाया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन केन्द्रों पर उपकरण, फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने में सरकार का कितना धन खर्च हुआ तथा खर्च हुए धन का सदुपयोग एवं कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या स्टाफ अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष १९८८-८९ में केवल सहारनपुर तथा बरेली में दो शहरी मलेरिया इकाइयों की स्थापना की गयी थी । उक्त इकाइयों की स्थापना पर रु० ९८,९९३.४० व्यय हुआ है । पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद सीतापुर के प्रा० विद्यालय ग्राम सभा सरैया कला हेतु स्वीकृत धनराशि, निर्माण लागत एवं शीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग

१५५–श्री राम सरन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा० विद्यालय ग्राम सभा सरैया कला, जनपद सीतापुर के विद्यालय का निर्माण कब और कितनी लागत से हुआ था ? क्या इस विद्यालय के लिए वर्ष ८८ से ९१ तक निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृति की गयी है ? यदि हां, तो कितनी और निर्माण कार्य कितना कराया गया ? यदि नहीं, तो क्या वहां पर अध्ययनरत बच्चों की जानमाल की सुरक्षा हेतु जर्जर भवन का निर्माण कराने की व्यवस्था शीघ्र करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्रश्नंगत विद्यालय भवन का निर्माण जिला परिषद् सीतापुर द्वारा वर्ष १९६४ में कराया गया था । निर्माण लागत की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यालय भवन की विशेष मरम्मत कराने के लिए निर्देश जिला स्तरीय अधिकारियों को दिये गये हैं ।

१५६-१५७– श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री श्यामसुन्दर वर्मा–

[दिनांक २१-२-९२ को अता० प्र० सं० ३६-३५ द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव के कस्बा मौरांवा के टाउन एरिया कार्यालय पर युवा समाजवादी जनता पार्टी एवं नगरवासियों का धरना एवं निर्माण कार्यों की टी० ए० सी० से जांच कराये जाने की मांग

१५८–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २० दिसम्बर, १९९१ को उन्नाव जनपद के कस्बा मौरांवा के टाउन एरिया कार्यालय पर युवा समाजवादी जनता पार्टी के बैनर में सर्वश्री शिवकान्त शुक्ल, शिव कुमार गुप्ता, रईस अहमद, जगदीश सिंह आदि नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों नगरवासियों ने दिन भर का धरना दिया था ? यदि हां, तो मांग पत्र क्या था ? मांग-पत्र में गत दो वर्ष के कस्बे में कराये गये सभी निर्माण कार्यों की जांच टी० ए० सी० से कराये जाने के मांग पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

मांग पत्र टाउन एरिया कमेटी, मौरांवा के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित था ।

टी० ए० सी० से जांच कराए जाने का औचित्य नहीं है ।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा में बने पूर्ण व अपूर्ण प्लेटफार्म वाले हैण्ड पम्पों की संख्या

१५९–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा में लगे हुए कितने ऐसे हैण्ड पम्प हैं जिनमें प्लेटफार्म बने हैं व अपूर्ण हैं ? कब तक प्लेटफार्म बनवा दिए जायेंगे ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

२५५ हैण्ड पम्पों के प्लेट फार्म बने हैं ।

वर्ष १९९१-९२ में ही अधिष्ठापित केवल ६४ हैण्ड पम्पों के प्लेटफार्म बनने शेष हैं ।

उक्त प्लेटफार्म धन की सामग्री की उपलब्धता के अनुसार अप्रैल, १९९२ तक बनवाना प्रयासाधीन है ।

नगर पालिका बांदा में कर्मचारियों के निलम्बन के संबंध में जानकारी

१६०–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर, १९८८ से २० दिसम्बर, १९९१ तक नगर पालिका बांदा में किन-किन कर्मचारियों को किन-किन आरोपों में निलम्बित किया गया तथा किन-किन तिथियों में नियमानुसार/अवधि में आरोप-पत्र दिये गये ? क्या सरकार को यह जानकारी है

कि अध्यक्ष, नगरपालिका बांदा ने कुछ कर्मचारियों को वेतन सहित तथा कुछ कर्मचारियों को बिना वेतन बहाल किया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

संदर्भगत अवधि में निलम्बित किये गये कर्मचारियों का पूर्ण विवरण तालिका एक में संलग्न किया गया है ।

जी हां ।

शासन स्तर पर कोई भी शिकायत अथवा याचना लम्बित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ'आगे पृष्ठ २०४–२०६ पर)

मेडिकल कालेज में सेवारत लेक्चरर या प्रोफेसर तथा पी० एम० एस० सेवा में कार्यरत मेडिकल आफिसर की तैनाती के संबंध में विसंगति की जानकारी

१६१–डा० बृज भान यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पी० एम० एस० सेवा में कार्यरत मेडिकल आफिसर अपने गृह जिले में नहीं रह सकते लेकिन एक मेडिकल कालेज में सेवारत लेक्चरर या प्रोफेसर उसी गृह नगर के जिले में कार्य कर सकते हैं ? यह विसंगति क्यों है ? क्या इसको दूर करने के लिए सरकार कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

इसका कारण मेडिकल कालेजों की सीमित संख्या तथा गृह जनपद में नियुक्त न करने विषयक आदेशों का न होना रहा है । इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाएगा ।

जिला अस्पताल बांदा में अधिक समय से कार्यरत डाक्टर, नर्स व फार्मासिस्ट के नाम व पद सहित सूची की मांग

१६२–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल (महिला व पुरुष), बांदा में कितने डाक्टर, नर्स व फार्मासिस्ट ऐसे हैं जो कि दस वर्षों से अधिक समय से बांदा जनपद में ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार उनके नाम व पद सहित सूची उपलब्ध करवायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

महिला व पुरुष चिकित्सालय, बांदा में एक डाक्टर, ६ नर्सिंग स्टाफ तथा ४ फार्मासिस्ट १० वर्षों से अधिक समय से जनपद बांदा में कार्यरत हैं ।

जी हां ।

उनके नाम व पद सहित सूची निम्न प्रकार है :–

<u>जिला पुरुष चिकित्सालय, बांदा</u>

डा० रवि माथुर, वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ, श्रीमती ए० के० डेविड सिस्टर, श्रीमती सान्थम्मा सिस्टर श्रीमती टी० श्रीवास्तव, स्टाफ नर्स तथा श्री जे० पी० शिव हरि, फार्मासिस्ट ।

<u>जिला महिला चिकित्सालय, बांदा</u>

श्रीमती टी० मणि, स्टाफ नर्स, श्रीमती शकुन्तला, स्टाफ नर्स, श्रीमती एल० आर० हसन, स्टाफ नर्स, श्री ज्ञानेश कुमार, फार्मासिस्ट, श्री नजीर बख्श, फार्मासिस्ट तथा श्री आर० के० श्रीवास्तव, मुख्य फार्मासिस्ट ।

श्री गुलाबचन्द्र मौर्य, ग्राम बैरमपुर (रसूलपुर) की पुत्री की चिकित्सा के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

१६३–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

दसवीं विधान सभा के तृतीय सत्र १९९० के दूसरे गुरुवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं० ५६ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री गुलाब चन्द्र मौर्य, निवासी ग्राम-बैरमपुर (रसूलपुर) का पत्र प्राप्त हो गया ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

विधान सभा के तीसरे सत्र १९९० के दूसरे गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-५६ का यह उत्तर दिया गया था कि माननीय विधायक महोदय के पत्र की खोज की जा रही है ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मऊ ने इस बात की पुष्टि की है कि उक्त पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न हीं उठता ।

१६४-१६५–श्री अब्दुल ए० सलाम–

[५वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा एकीकरण संचालन की नोटिस प्रबन्धक, मदरसा निस्बाहुल उलूम, देवा शरीफ, बाराबंकी को भेजा जाना

१६६–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा एकीकरण संचालन की नोटिस पंजीकृत डाक से प्रबन्धक, मदरसा निस्बाहुल उलूम, देवा शरीफ, बाराबंकी को दिनांक ८-११-९१ दे दी गयी है ? यदि हां, तो क्या प्रबन्धक, मदरसा के हस्ताक्षर से कर्मचारियों का वेतन बिल दिसम्बर, ९१ में लेखा अधिकारी द्वारा पारित कर दिया जाना नियमित है ? यदि नहीं, तो जांच के उपरान्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

दिसम्बर ९१ का बिल पारित नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

१६७–श्री ऊदल–

[दूसरे सोमवार में अता० प्र० सं० १९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव के कतिपय गांवों में पेयजल संकट एवं हैण्ड पम्प लगाये जाने की मांग

१६८–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बेलवां, कुंडी, चिलबिला, बलुआ, कोइलार कठिरांव, सरौवा, महिमापुर, दांदूपुर, तरसड़ा, बरही नेवादा बराई कुवार कनियर, खरशिया खास, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में पेयजल का संकट है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गांव बेलवां, कठिरांव, सरौवा, दादूपुर, कुडी, कनियर, बहुत बड़े-बड़े हैं तथा दसियों टुकड़े में बसे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों का सर्वेक्षण पुरवों के हिसाब से कराकर हैण्ड पम्प लगाने की योजना तैयार कराकर वहां लगवायेगी ? क्या यह सही है कि उपरोक्त गांवों को जल निगम की किसी योजना में शामिल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या नजदीक कोई पेयजल का ट्यूबवेल है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

यह सही है कि प्रश्नगत ग्राम कई टुकड़ों (पुरवो) में बंटे हैं परन्तु बहुत बड़े नहीं हैं । इन ग्रामों में ग्राम सरावन, दादूपुर, कुडी तथा कनियर, वीरांव कोट ग्राम समूह पेयजल योजना से सेवित है और उनमें क्रमशः ५,५,६ तथा १ हैण्ड पम्प भी अधिष्ठापित हैं । ग्राम बेलवां निर्माणाधीन अनेई, ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित है तथा इस ग्राम में ७ हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं । ग्राम कठिरांव में ३८ नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं ।

उक्त ग्रामों के अधिकांश टुकड़ों (पुरवो) में हैण्ड पम्प अथवा सार्वजनिक नल स्तम्भ लगे हैं तथा जो टुकड़े उनसे वंचित हैं वे निकटस्थ बस्ती में लगे हैण्ड पम्प/सार्वजनिक नल स्तम्भ से १.६ किलोमीटर की दूरी के भीतर हैं । अतः वर्तमान में कोई और अतिरिक्त सुविधा प्राथमिकता पर प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है । सर्वेक्षण पूरे प्रदेश में हर गांव/मजरे का चल रहा है ।

ग्राम कठिरांव, तरसड़ा व बरही नेवादा में क्रमशः ३८, ७ व ६ हैण्ड पम्प लगाये गये हैं । प्रश्नगत अन्य ग्राम पाइप पेयजल योजना में सम्मिलित हैं ।

उपर्युक्तानुसार ।

जल संस्थान में अधिक समय से कार्यरत अभियन्ताओं को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

१६९–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान में कितने ऐसे अधिकारी एवं तकनीकी अभियन्ता हैं, जो ८ वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं ? उनमें से कितने ऐसे अभियन्ता हैं, जो ऊपर वर्णित अवधि से, अपने गृह जनपद में ही तैनात हैं ? क्या उक्त अभियन्ताओं को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

सूची संलग्न है ।†

संलग्न सूची में अंकित उन अभियन्ताओं को छोड़कर, जिन्होंने मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं, शेष के सम्बन्ध में सामान्य स्थानान्तरण के समय विचार किया जा सकता है ।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जल संस्थान अभियन्त्रण सेवा में सेवानिवृत्त अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति

१७०–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत पांच वर्षों में जल संस्थान अभियंत्रण सेवा में कुल कितने अभियन्ता सेवानिवृत्त हुए हैं ? उक्त रिक्त पदों पर कितने अभियन्ताओं की नियुक्ति/पदोन्नति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

विगत ५ वर्षों में जल संस्थान/जलकल प्रतिष्ठान अभियंत्रण सेवा में कुल २५ अभियन्ता सेवानिवृत्त हुये हैं ।

उक्त रिक्त पदों के विरुद्ध ८ पदों पर नियुक्तियां/पदोन्नतियां की गई हैं ।

उपर्युक्तानुसार ।

उ० प्र० कोआपरेटिव यूनियन की संस्था, लखनऊ के भवन में ग्राउण्ड तल पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा आय में वृद्धि हेतु प्राइवेट एजेन्सी को किराये पर दिया जाना

१७१–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० कोआपरेटिव यूनियन की शीर्षस्थ संस्था, लखनऊ के भवन में ग्राउण्ड तल पर अनियमित तरीके से तोड़फोड़ करके किसी प्राइवेट एजेन्सी को किराये पर इसे दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह कोआपरेटिव नियमावली के प्राविधानों के अनुकूल है ? क्या उस एजेन्सी को तोड़ फोड़ करने के लिए अधिकृत किया गया था ? यदि नहीं, तो प्रबन्ध निदेशक ने किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उक्त कार्यवाही संस्तुत की ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मेसर्स पगोड़ा हाउसिंग एण्ड फाइनेंस कम्पनी को भवन खण्ड किराये पर निबन्धक, सहकारी समितियां के अनुमोदनोपरान्त नियमों के अनुसार ही दिया गया है, किन्तु तोड़ फोड़ करके नहीं ।

जी हां ।

किराये की प्राप्ति से यूनियन को २३,७७२ रुपये अतिरिक्त वार्षिक आय में वृद्धि होना ही मूल उद्देश्य रहा ।

---

† छापी नहीं गई ।

कोआपरेटिव यूनियन में सहकारी पर्यवेक्षकों की बन्द नियुक्तियों को खोलने विषयक शासन के विचाराधीन प्रस्ताव व निर्णय

१७२—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० कोआपरेटिव यूनियन में सहकारी पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां सन् १९७८ के बाद से बन्द हैं ? क्या वर्ष १९९१ में प्रशासक द्वारा भर्ती खोलने के लिए कोई प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियन—

जी हां ।

मृतक आश्रितों को छोड़कर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां वर्ष १९७८ से बन्द हैं ।

जी हां ।

समस्त पात्र मृतक आश्रितों की भर्ती पूर्णतया हो जाने के पश्चात् ही अन्य रिक्त पदों के भरे जाने का निर्णय सम्भव होगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ के भवन की मरम्मत पर हुए व्यय एवं प्राप्त किराये की राशि तथा पांचवें तल को तोड़े जाने के संबंध में जानकारी

१७३—श्रीराम औतार शाक्य—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९९१-९२ में उ० प्र० कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ के भवन की मरम्मत हेतु कितनी धनराशि खर्च की गयी और कितनी धनराशि किराये से प्राप्त हुई ? क्या भवन का पांचवा तल जो गेस्ट हाऊस के रूप में प्रयोग के लिए था तोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सहकारिता आन्दोलन से जुड़े व्यक्तियों से यूनियन के मध्य हुए समझौते एवं नियमावली का उल्लंघन है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान—

वित्तीय वर्ष १९९१-९२ में उ० प्र० कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ के भवन की मरम्मत में रु० २,९१,६४६.०० व्यय किया गया ।

जनवरी, १९९२ तक मु० ९,४०,७४६.०० रुपया प्राप्त है ।

भवन का उक्त तल तोड़ा नहीं गया है ।

कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ और न किसी नियमावली का उल्लंघन ही हुआ है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

डा० दिनेश कुमार का मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद के विषय में पत्र व कार्यवाही

१७४—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक १७-१२-९१ जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित है तथा डा० दिनेश कुमार, मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद के मामले से सम्बंधित है, पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों ? क्या अपेक्षित कार्यवाही ३१-३-१९९२ के पूर्व कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही कब तक पूर्ण करा ली जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र का परीक्षण किया जा रहा है ।

प्रकरण को यथाशीघ्र निस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड नकहा के बाजूडीहा ग्राम में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में जानकारी

१७५–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड नकहा के बाजूडीहा ग्राम में शासनादेश सं०-५०२७/५-७-११/९०, दिनांक १४ नवम्बर, १९९० द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना को स्वीकृति देकर लगभग एक वर्ष से उसका संचालन भी सुनिश्चित करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या अब उसे दूसरे गांव स्थानान्तरित करने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

अभियन्ताओं के सम्बन्ध में कतिपय शासनादेशों की प्रतियां उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र एवं कार्यवाही

१७६–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि अभियन्ताओं के सम्बन्ध में कतिपय शासनादेशों की प्रतियां उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक २६-११-९१ तथा १६-१२-९१ स्वास्थ्य राज्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव को प्राप्त हुये हैं ? पत्र दिनांक १६-१२-९१ के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार भविष्य में स्वास्थ्य विभाग के अभियन्ताओं के सम्बन्ध में इन परिस्थितियों की पुनरावृत्ति पर नियंत्रण सुनिश्चित करायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्न में संदर्भित मा० सदस्य के पत्र द्वारा शासन के जिन पत्रों की प्रतिलिपियों की मांग की गयी है, वे गोपनीय प्रकृति के हैं एवं उन्हें प्रश्नकर्ता को उपलब्ध कराया जाना जनहित में उचित प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका बांदा द्वारा सड़कों/गलियों के निर्माण हेतु टिया किस्म के सामानों की खरीददारी की शिकायत तथा उसकी जांच टी० ए० सी० द्वारा कराये जाने की मांग

१७७–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, १९८९ से २० दिसम्बर, १९९१ तक नगरपालिका बांदा में किन-किन सड़कों/गलियों में निर्माण कार्य में क्या सामान उपयोग किया गया ?

क्या सरकार को यह जानकारी है कि घटिया किस्म के सामानों के खरीददारी तथा उपयोग किये जाने के विरोध में नगरपालिका संदस्य, श्री ओमप्रकाश शुक्ला ने दिनांक ३१ जुलाई, १९९१ को जिलाधिकारी, बांदा, सचिव, नगर विकास, उ० प्र० तथा आयुक्त झांसी मण्डल को निर्माण समिति के संयोजक पद से त्याग- पत्र भेज दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पालिका द्वारा कराये गयो समस्त कार्यों की जांच टी० ए० सी० से कराने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? नगरपालिका बांदा की बैठक दिनांक ३१ मई, १९८९ के प्रस्ताव सं० १० में क्या प्रस्ताव पारित किया गया था ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि बोर्ड के प्रस्ताव का अनुपालन अध्यक्ष द्वारा अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास खण्ड-फतेहपुर, जनपद बाराबंकी अन्तर्गत निर्माणाधीन उच्चीकृत प्राथमिक चिकित्सालय भवन का निर्माण कराये जाने की मांग

१७८–श्री हरदेव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड फतेहपुर, जनपद बाराबंकी अन्तर्गत निर्माणाधीन उच्चीकृत प्राथमिक चिकित्सालय भवन के धन का आंवटन विगत वर्ष में जिला योजना द्वारा हो गया था ? यदि हां, तो भवन निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ न करने का कारण क्या है ? यदि कार्य प्रारम्भ होगा, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

भवन निर्माण हेतु नहीं बल्कि भूमि अर्जन के लिये रु० २,००,२६० रुपये स्वीकृत किया गया था । प्रश्न नहीं उठता ।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) के भवन निर्माण की योजना जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत आती है, तद्नुसार जिला योजना में धन उपलब्ध कराये जाने एवं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से स्थान एवं स्थल का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

जनपद बाराबंकी के क्षेत्र दरियाबाद अन्तर्गत विकास खण्ड पूरेडलई में प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग

१७९–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के क्षेत्र दरियाबाद अन्तर्गत विकास खण्ड पूरेडलई, जो अत्याधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, में कोई उच्चीकृत प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण घाघरा की तराई में रहने वालों को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में कोई उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, क्योंकि टिकैतनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मात्र १६ किलोमीटर की दूरी पर रामसनेही घाट में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व से ही कार्यरत है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद में भवन विहीन प्रा० स्वास्थ्य केन्द्रों को बनाये जाने की योजना

१८०–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद में पड़ने वाले प्रा० स्वास्थ्य केन्द्रों में से, भवन विहीन केन्द्रों के भवन भविष्य में सरकार द्वारा बनाये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की भवन निर्माण योजना किसी विशेष विधान सभा क्षेत्र के लिये नहीं है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत आता है । अतः जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु स्थल का अनुमोदन जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा कर दिया जाता है तथा जिला योजना में पर्याप्त धनराशि भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराये जाने पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भवनों के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

१८१–श्री अकबर–

[दिनांक १३-२-९२ को अता० प्र० सं० १८९ द्वारा उत्तरित]

१८२–श्री-तेजभान सिंह–

[३सरे मंगल में अता० प्र० सं० १७९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव की जिला सहकारी बैंक शाखा हिलौली के प्रबन्धक, श्री तुलसी राम यादव द्वारा बरती जा रही अनियमिततओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

१८३–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि उन्नाव जनपद की जिला सहकारी बैंक, शाखा-हिलौली के प्रबन्धक, श्री तुलसी राम यादव द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा उनको प्रेषित पत्र दिनांक ६-७-९१, जिसकी प्राप्ति दिनांक २९-७-९१ के पत्रांक १०८/वी०आई०पी०/१९९१ के द्वारा स्वीकार की गयी है ? मामले की जांच किस अधिकारी ने की है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्राम-जनवारनखेड़ा, मजरे लउबा के सुनिश्चित जाति के लोगों ने वसूली लेकर प्रबन्धक द्वारा पैसा हड़पे जाने संबंधी भ० दं० वि० के मुकदमें के निष्कर्ष क्या हैं ? इसी संबंध में मा० मुख्य मंत्री को प्रेषित तीन पत्र क्रमशः सी०एम०(वी० को०)-ल-११-२१६, दिनांक ३-२-९१, पत्रांक के सी०एम० (वि० को०)-ल-७९-५४६,-दिनांक २०-६-९०, व पत्रांक सी०एम० (वि० को०)--ल-६१-३७६, दिनांक ६-३-९१ पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पूरे प्रकरण में की गई जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

अपर जिला सहकारी अधिकारी, पुरवा, उन्नाव ।

यह प्रकरण अपराध अनुसंधान विभाग (अपराध शाखा), उ० प्र०, लखनऊ के विवेचनाधीन है ।

पत्र दिनांक ३-२-९१ व २०-६-९० (अप्राप्त), पत्र दिनांक ६-३-९१ पर जांच की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिकायती पत्र दिनांक ६-३-९१ की जांच में गई बिन्दुओं में बैंक प्रबन्ध दोषी पाया गया है किन्तु बैंक की प्रबन्ध कमेटी को पूर्व में ही निलम्बित किया जा चुका था ।

१८४–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

[५वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

गोण्डा में बढ़हिया ग्राम नदधौ बाजार थाना सादुल्ला नगर के अपूर्ण प्राइमरी स्कूल के भवन को पूर्ण दिखाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

१८५–हाजी मोहम्मद वसीम–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बढ़हिया ग्राम नदधौ बाजार थाना सादुल्लानगर, जनपद गोण्डा में प्राइमरी स्कूल भवन के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष १९९०-९१ स्वीकृत धनराशि का उपयोग भवन निर्माण पर न करके अधूरे भवन को पूर्ण दिखा दिया गया है ? यदि हां, तो सरकारी धन के दुरुपयोग करने वाले तथा अपूर्ण भवन को पूर्ण दर्शाने की गलत सूचना देने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्राप्त आख्यानुसार प्रश्नगत प्राइमरी स्कूल भवनहीन था और इसका भवन पूर्व से अधूरा निर्मित नहीं था । स्वीकृत धनराशि से भवन का निर्माण नये सिरे से कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता । तथापि वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रकरण की जांच करने के आदेश दिये गये हैं । जांच के पश्चात् यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के ब्लाक माधोगंज के प्राइमरी पाठशालाओं के निर्माण को पूर्ण कराये जाने की मांग

१८६–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९८८-८९ में जनपद हरदोई के ब्लाक माधोगंज के कितने प्राइमरी पाठशाला भवनों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? क्या यह सही है कि विकास खण्ड कार्यालय द्वारा लगभग ४ लाख रुपयों की हेराफेरी के कारण उक्त लगभग १६ भवनों का निर्माण रुक गया है ? यदि हां, तो इन भवनों के निर्माण के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

वर्ष १९८८-८९ में एन० आर० ई० पी० योजनान्तर्गत जनपद, हरदोई के ब्लाक माधोगंज के १६ प्राइमरी.पाठशाला भवनों के निर्माण हेतु अपर जिलाधिकारी (परियोजना) हरदोई के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी माधोगंज को ४ लाख रुपये और २९४ कुन्तल गेहूं दिया गया ।

जी हां ।

एक पाठशाला भवन का निर्माण करा दिया गया है शेष १५ पाठशाला भवनों के निर्माण कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

निदेशक आयुर्वेद, यूनानी उ० प्र० द्वारा फार्मेसिस्ट के पद पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग

१८७–श्री रमाकान्त यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक आयुर्वेद यूनानी उ० प्र० द्वारा मार्च/अप्रैल, १९९१ में फार्मेसिस्ट के पद पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों का वेतन अब तक न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार के पास ऐसी कोई नीति है कि नियुक्ति करके कार्यभार ग्रहण करा लिया जाय और निरन्तर काम लिया जाए परन्तु वेतन का भुगतान न किया जाए ? क्या सरकार सम्पूर्ण फार्मेसिस्टों का वेतन भुगतान करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार ४० कार्यालयों द्वारा फार्मेसिस्टों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जा रहा है और किसी भी फार्मेसिस्ट का वेतन अवशेष नहीं है ।

जी नहीं ।

यदि किसी फार्मेसिस्ट के बाकाया वेतन की जानकारी प्राप्त होती है तो उसके बकाया वेतन भुगतान की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जायेगी ।

बलिया जनपद के विकास खण्ड सोहांव में सुरापाली में स्थित कन्या जूनियर हाई स्कूल के भवन प्लाट नम्बर की संख्या एवं अनुदान के संबंध में जानकारी

१८८–श्री सुधीर –

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के विकास खण्ड सोहांव में कन्या जूनियर हाई स्कूल सुरापाली (दौलतपुर) ग्राम में निजी प्रबन्धकीय व्यवस्था में चलता है ? यदि हां, तो उसका भवन किस नम्बर प्लाट में स्थित है ? यदि उसका भवन नहीं बना है तो उस विद्यालय के नाम से प्राप्त रु० ५१,००० (एक्कावन हजार) सरकारी अनुदान क्या हुआ और उसके लिए कौन दोषी है तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

विद्यालय का नाम "सर्वोदय बालिका" पूर्व मा० विद्यालय, सुरापाली, दौलतपुर, बलिया है जो "आदर्श शिक्षण संस्थान दौलतपुर ट्रस्ट" द्वारा संचालित है ।

प्लाट नमबर २८८ (आंशिक) पर ।

प्रश्नगत विद्यालय के प्रबन्धक को मात्र रुपया ५०,००० का अनावर्तक अनुदान जिला अधिकारी बलिया के माध्यम से दिया गया है अभी तक उक्त अनुदान का उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । जिलाधिकारी, बलिया से प्राप्त सूचनानुसार तहसीलदार, बलिया को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रप्त करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही, जनपद गोरखपुर के विधिमान्य लिपिक श्री जयकरन यादव के वेतन रोकने के सम्बन्ध में जानकारी

१८९–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही, जनपद गोरखपुर के विधिमान्य लिपिक, श्री जयकरन यादव का वेतन रोकने के लिए वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों ने जिला बेसिक शिक्षा, अधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय में कार्यरत लेखा अधिकारी को निर्देश दिया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में हुए सुरा काण्ड के लिए आयुर्वेद निदेशालय की जिम्मेदारी होने की जांच की मांग

१९०–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में हुए सुराकाण्ड के लिए आयुर्वेद निदेशालय जिम्मेदार है ? क्या सरकार सन् ८५ से लेकर सितम्बर, १९९१ तक की इस मामले की जांच करायेगी कि कितनी आयुर्वेदिक फर्मों को आयुर्वेदिक दवाईयां तथा आसव बनाने के लाइसेंस दिए गए हैं और प्रत्येक को उपरोक्त वर्षों में कितना-कितना अल्कोहल दिया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रकरण उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की जांच की परिधि में है ।

प्रश्नगत अवधि में सुरायुक्त आयुर्वेदिक दवाईयां तथा आसव बनाने के लिए ६ फर्मों को आबकारी विभाग द्वारा नए लाइसेंस दिये गये हैं ।

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न अवधि में प्रश्नगत फार्मेसियों को संलग्नक में दी गयी मात्रा में अल्कोहल आवंटित हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ- २०७ पर)

फार्मेसियों द्वारा नियमों के पालन की जांच के लिए औषधियों का ज्ञान रखने वाले चिकित्सकों को नियुक्त करने की मांग

१९१–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री इस मामले की भी जांच करायेंगे कि कितनी फार्मेसियों ने नियमों का पालन किया है ? क्या इसकी जांच ऐसे चिकित्सक को नियुक्त कर करायेंगे जिसको औषधियों का पूर्ण ज्ञान हो ?

श्री कल्याण सिंह–

छः फार्मेसियों में चार फार्मेसियों ने मेडिसिनल एण्ड टायलेट प्रिपरेशन ऐक्ट के अन्तर्गत बने नियमों का पालन किया है ।

ऐसी जांच औषधि विशेषज्ञों से ही करायी जाती है ।

प्रदेश के जिलों में सी० एम० ओ० के आशुलिपिकों से स्थापना कार्य लिया जाना एवं नीति के विपरीत आचरण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

१९२–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कितने जिलों में सी० एम० ओ० के आशुलिपिकों से स्थापना कार्य लिया जा रहा है ? क्या शासन की नीति के विपरीत आचरण करने वाले ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना अभी भी प्रतीक्षित है ।

निदेशक आयुर्वेद द्वारा फार्मेसिस्टों की नियुक्ति एवं बकायेदार फार्मेसिस्टों के वेतन दिये जाने की मांग

१९३–श्री रमाकान्त यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह फरवरी/मार्च, १९९१ में कुछ फार्मेसिस्टों की नियुक्ति निदेशक आयुर्वेद द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो उक्त नियुक्त फार्मेसिस्टों में से कितने ऐसे हैं जिनको वेतन दिया जाता है तथा कितने ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं मिल पा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वेतन न मिलने का कारण क्या है ? क्या सरकार के पास कोई ऐसी नीति है जिसमें कि नियुक्ति कर कार्यभार ग्रहण कराकार कार्य नियमित रूप से लिया जा रहा हो और वेतन का भुगतान न किया जाय ? क्या सरकार बकायेदार फार्मेसिस्टों के वेतन का भुगतान कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार ४० कार्यालयों द्वारा फार्मेसिस्टों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जा रहा है और किसी भी फार्मेसिस्ट का वेतन अवशेष नहीं है । ३० कार्यालयों से सूचना प्रतीक्षित है ।

जी नहीं ।

यदि किसी फार्मेसिस्ट के वेतन बकाये की जानकारी प्राप्त होती है तो उसके वेतन भुगतान की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जायेगी ।

गोरखपुर के किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही के लिपिक पद पर शैक्षिक अनर्हता वाले कर्मचारी श्री परशुराम के वेतन रोके जाने के सम्बन्ध में जानकारी

१९४–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही, जनपद गोरखपुर के लिपिक पद पर शैक्षिक अनर्हता वाले तथा विभाग द्वारा अनुमोदित कर्मचारी श्री परशुराम को वेतन दिया गया है, जिसका भुगतान शासन ने रोका है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर कार्यालय के तत्कालीन लेखाधिकारी श्री कैलाश नाथ पाठक ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक के कार्यालय को यह शिकायत लिखकर भेजी है ? यदि हां, तो इस पूरे प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्रश्नगत विद्यालय के कर्मचारी श्री परशुराम को प्रारम्भ में वेतन भुगतान किया गया किन्तु बाद में निदेशालय द्वारा विचारोपरान्त इनका वेतन भुगतान रोक दिया गया । शासन स्तर से वेतन रोके जाने के निर्देश नहीं दिए गये ।

जी हां ।

उक्त विद्यालय में नियुक्त दोनों लिपिकों को अमान्य कर दिया गया है और सम्प्रति किसी भी लिपिक को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा हरदोई जनपद के ग्राम सुरसा स्थित अम्बेदकर विद्यालय को सहायता दिये जाने की घोषणा के बावजूद एवं मुख्य मंत्री कोष से भुगतान न किये जाने की शिकायत

१९५–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माह फरवरी, १९९० को तत्कालीन मुख्य मंत्री ने हरदोई जनपद के ग्राम सुरसा स्थित अम्बेदकर विद्यालय को एक लाख रु० की सहायता देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि वह रुपया उस विद्यालय को आज तक नहीं मिल पाया है जबकि मुख्य मंत्री कोष से उसका भुगतान हो गया है ? यदि हां, तो उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है तथा शासन ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय को रुपये एक लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी किन्तु शिकायत के आधार पर उक्त धनराशि की स्वीकृति के आदेश निरस्त कर दिये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बी० एच० एम० एस०, एम० बी० बी० एस०, बी० ए० एम० एस० तथा यू० एम० एस० डिग्री पाठ्यक्रम के इन्टर्नशिप भत्ते में एकरुपता किये जाने की मांग

१९६–श्री गंगा बख्श सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र १९९० के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–८ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि बी० एच० एम० एस० तथा एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के इन्टर्नशिप भत्ते में एकरूपता किए जाने संबंधी प्रकरण मुख्य सचिव समिति को विसंगति के निराकरण हेतु चिकित्सा अनुभाग-१५ द्वारा कब संदर्भित किया गया और उक्त समिति ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि समिति अपना प्रतिवेदन किस तिथि तक प्रस्तुत करेगी ? इन्टर्नशिप भत्ता पिछली किस तिथि से तथा कितना दिया जायेगा ? क्या विलम्ब से निर्णय लेने के कारण छात्रों को पहुंचे नुकसान की शासन क्षतिपूर्ति करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

बी० एच० एम० एस० तथा एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के इन्टर्नशिप भत्ते में एकरूपया किए जाने हेतु चिकित्सा अनुभाग-१५ द्वारा उक्त विसंगति के निराकरण हेतु दिनांक २४-७-८९ को मुख्य सचिव समिति को संस्तुति किया गया था उक्त समिति ने यह अवगत कराया है कि भत्तों की विसंगति का निराकरण उक्त समिति के कार्य क्षेत्र में नहीं है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, नियम ३११ के अन्तर्गत मेरी सूचना सुन लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

पहले मैं माननीय उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में निवेदन कर दूं, उसके बाद आपकी बात सुन लूंगा ।

जैसा कि आपको विदित ही है कि आज का दिन उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिये नियत किया गया है । दिनांक १३ फरवरी, १९९२ को माननीय नेताओं के अनुरोध पर विधान सभा के उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन के लिये नियत तिथि दिनांक २४ फरवरी, १९९२ को मैंने स्थगित कर दिया था, परन्तु उक्त निर्वाचन के संबंध में जो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुये थे, उनको यथावत् रखा गया था । तदनुसार उपाध्यक्ष पद के लिये नाम निर्देशित अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों का विवरण इस प्रकार है :–

क्रम सं०	नाम निर्देशित अभ्यर्थी	प्रस्थापक	समर्थक
१	श्री राम आसरे वर्मा	श्री सोमांश प्रकाश	कुंवर रेवती रमण सिंह
२	श्री राम आसरे वर्मा	श्री ऊदल	श्री राम लखन वर्मा
३	श्री सुन्दर लाल	श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	श्री महक सिंह
४	श्री सुन्दर लाल	श्री श्याद अली	श्री सुल्तान रजा मिर्जा
५	श्री सुन्दर लाल	श्री पूरन प्रकाश	श्री अकबर हुसैन
६	श्री सुन्दर लाल	श्री यदुनाथ सिंह	श्री राम ललित चौधरी
७	श्री सुन्दर लाल	श्री कटार सिंह	श्री राम सरन
८	श्री हरेन्द्र सिंह	श्री विजय सिंह राणा	डा० जी० एस० विनोद

जैसा कि आपको सूचित किया जा चुका है कि उपर्युक्त अभ्यर्थियों में से क्रम संख्या ८ पर उल्लिखित श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक १२ फरवरी, १९९२ को उक्त निर्वाचन से अपना नाम वापस ले लिया था ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ९ के उपनियम (४) में यह उपबंधित है कि निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी, जो नाम निर्देशित हुये हों, पीठासीन अधिकारी को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम निर्वाचन से वापस ले सकते हैं । तदनुसार उपर्युक्त अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी चाहे, तो अपना नाम वापस ले सकते हैं । मैं नाम वापस करने के लिये ५ मिनट का समय दे रहा हूं । जो भी अभ्यर्थी चाहें, राम आसरे वर्मा या सुन्दर लाल, तो अपना नाम वापस ले सकते हैं ।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या चुनाव अपरिहार्य हो गया है । फिर भी आपसे अनुरोध है कि माननीय उपाध्यक्ष की कुर्सी पर जो भी माननीय सदस्य बैठे, वह निर्विरोध निर्वाचित होकर बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा । इसके लिए कोई तरीका निकाला जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय उपाध्यक्ष का आसन अत्यन्त महत्वपूर्ण व गरिमामय आसन है । इस पद पर जो भी बिराजेगा, निश्चित रूप से उसे बहुत ही गौरवशाली परम्परा का निर्वाह करना पड़ेगा । वहीं सम्पूर्ण सदन का विश्वास भी उनमें होना चाहिये । मैं इसके लिए किसी एक के ऊपर दोष नहीं डालता परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि इस पद हेतु चुनाव हो । इसलिए मान्यवर, मैं विशेष रूप से आपसे, माननीय मुख्य मंत्री जी से, माननीय नेता विरोधी दल जी से व सभी नेताओं से यह आग्रह करूंगा कि इस पद की गरिमा को देखते हुए एक बार इस बात का प्रयास करें कि सर्वसम्मति से इस पद पर योग्यतम व्यक्ति बैठे । जो दो प्रत्याशी इस पद हेतु खड़े हैं, मुझे उन दोनों की योग्यता में कोई संदेह नहीं है । सर्वसम्मति से चुनाव हो । इससे गरिमामय परम्परा पड़ेगी । पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार कर लें । अपने कक्ष में सभी को बुलाकर बात कर लें ।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, उपाध्यक्ष का पद रिक्त है । यह बहुत ही गरिमा का पद है । इस पद हेतु होने वाले चुनाव को कई बार टाला गया है । इसलिए मैं चाहता हूं अपने माननीय नेता विरोधी दल जी से, व अन्य सभी दलों के नेताओं से, आज जैसे भी हो, इस पद का चुनाव हो जाना चाहिये । इस पद पर चुनाव न होने से सदन के कार्यों में व्यवधान हो रहा है । आज चुनाव अवश्य हो जाना चाहिये ।

* श्री ऊदल–

मान्यवर, दो बार उपाध्यक्ष पद हेतु चुनाव को टाला जा चुका है । आज फिर इसे तीसरी बार टालने का प्रयास किया जा रहा है । मेरा अपना मत है कि प्रजातंत्र के अन्दर अगर सर्वसम्मति से कोई निर्वाचन नहीं होता तो चुनाव ही उसका एक मात्र उपाय शेष रह जाता है और यही स्पष्ट परम्परा भी है । लोकतंत्र इसी तरह से जिन्दा रहेगा । इसलिए मेरी राय में इसको न टाला जाय । दो ही माननीय सदस्य खड़े हैं, यदि इनमें से कोई एक अपना नाम वापस ले लेता है तो ठीक है, वरना आज आप अवश्य चुनाव करा दें । यदि आप आज चुनाव नहीं करायेंगे तो इस विधान सभा को एक धक्का तो लगेगा ही साथ ही इसका अपमान भी होगा । आज लोकतंत्र की परम्पराओं का हम पालन नहीं कर पा रहे हैं । यदि आज चुनाव नहीं होता है तो बाहर लोग क्या कहेंगे । इसलिए आज आप अवश्य चुनाव करा दें ।

श्री कैलाशनाथ सिंह यादव–

मान्यवर, लोकतंत्र में चुनाव एक अपरिहार्य अंग है । लेकिन जैसा कि माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी ने कहा और श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने कहा-दोनों बड़े दल हैं, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके बारे में पुनर्विचार करें । अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि चुनाव नहीं टाले टलते तो चुनाव कराने का अधिकार आपको है ।

आपस में अगर कोई निर्णय होकर एक हो सकता है तो समय को न गंवाकर अच्छा है एक हो कर निर्णय आ जाय अन्यथा आपका निर्णय शिरोधार्य है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, अच्छा तो यही है कि सर्वसम्मति से एक नाम तय हो जाता । लेकिन एक बार नहीं अनेकों बार प्रयास किया जा चुका है और यह संभव नहीं हो पा रहा है । तो यह परम्परा भी है और लोक सभा में अभी हाल ही में इस तरह की परम्परा बनी है कि अगर सर्वसम्मति नहीं हो पाती है तो लोकतंत्र में जैसा श्री ऊदल जी ने, श्री राम लखन वर्मा जी ने कहा चुनाव हो जाना चाहिये । मैं अभी भी भाई कैलाशनाथ सिंह जी से अपील करूंगा कि विपक्ष की एकता के लिये अपने पक्ष का नाम वापस करा लें । अगर सर्वसम्मति से सम्भव नहीं होता है तो आग्रह करूंगा कि चुनाव हो जाय ।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय नेता विरोधी दल ने एक प्रस्ताव रखा है । मैं निवेदन करूंगा कि दोनों कैंडिडेट्स के नाम वापस कर लिये जांय और नया कैंडिडेट सहमति से ले लिया जाय । जो सहमति होगी सर्वसम्मति से हो जायेगा ।

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, हम लोगों की बड़ी इच्छा थी कि उपाध्यक्ष के इस गरिमामय पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचन हो जाय । इसके लिये प्रयास भी किये गये । बीच-बीच में, मैं स्वयं भी माननीय नेताओं के साथ बैठता रहा लेकिन सर्वसम्मति से निर्वाचन हो यह प्रयास सफल न हो सके । यह ८ महीने से लगातार टलता चला आ रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें जो विलम्ब हुआ है वह सत्तापक्ष के खाते में विलम्ब नहीं जाता, विलम्ब गया है तो विपक्ष के खाते में गया है । विपक्ष को एक बार नहीं अनेकों बार इस बात का अवसर इस अध्यक्ष पीठ से भी दिया गया । अच्छा है परस्पर मिल कर सर्वसम्मति से कोई निर्णय हो जाय । अब हमारी कठिनाई यह है कि विपक्ष भी स्वयं में बटा हुआ है, कटा हुआ है और इस मामले पर भी एक राय बनाने में सफल नहीं है । यहां पर भी हम देख रहे हैं चुनाव कराया जाय अथवा चुनाव को स्थगित किया जाय इसमें भी एक राय नहीं है । कुछ का कहना है कि चुनाव स्थगित हो जाय कुछ का कहना है कि चुनाव हो जाय । कुछ का कहना है कि दोनों नाम वापस लेकर तीसरा कोई आ जाय । किसी मुद्दे पर एक मत नहीं हो रहे हैं । लोकतंत्र में फिर निर्वाचन के अलावा और कोई तरीका नहीं है । बाकी जैसा आप ठीक समझें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा वह चाहते हैं कि उपाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हो जाय । लेकिन इतनी जल्दी मुख्य मंत्री जी हार मान लेंगे हमें उम्मीद नहीं थी ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, हम हार नहीं माने बल्कि पूरा विपक्ष हार मान गया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हम अभी भी चाहते हैं कि विपक्ष की फूट का सत्ता पक्ष फायदा न उठाये और उपाध्यक्ष उनकी वोट से यहां पर न बैठें । हमारी राय है कि सर्वसम्मति से हो जाय । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि विपक्ष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की फूट का फायदा वह न उठायें । आपकी वोट से न आयं । बहुमत तो आपका है । विपक्ष की जहां तक बात है यह कांग्रेस दल है, जनता दल "अ" है हम लोग हैं तादात गिन लीजिये हम लोग सर्वसम्मति से चाहते हैं । तो इसमें प्रयास किया जाय सर्वसम्मति से कोई नाम निकल आये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, विपक्ष में सी० पी० आई० और सी० पी० आई० एम० राष्ट्रीय दल हैं और बी० एस० पी० ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं । लेकिन यह कह देना कि विपक्ष में आपस में फूट है यह तर्कसंगत बात नहीं है । इसलिये यदि सर्वसम्मत से एक नाम तय हो जाता है तो हमें एतराज नहीं है । लेकिन नहीं तय हो पा रहा है, इसलिए चुनाव अवश्यम्भावी है और चुनाव से प्रजातंत्र में भागना नहीं चाहिये । इसे सभी को शिरोधार्य करना चाहिए ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, सभी विपक्षी नेताओं द्वारा आपको आश्वासन दिया गया था कि उपाध्यक्ष का चुनाव टाल दिया जाये और हम एक नाम तय कर लेंगे । इसलिये एक मौका दिया जाये, आपने मौका दिया और आज माननीय विपक्ष के नेता ने यहां माननीय श्री कैलाश नाथ सिंह जी से अनुरोध किया कि आप अपना उम्मीदवार वापस ले लें जिससे सर्वसम्मत से एक नाम आ सके । लेकिन उसके बावजूद भी सदन में माननीय कैलाश नाथ सिंह यादव जी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस नहीं लिया, तो यह कैसे मान लिया जाये कि सर्वसम्मत से नाम तय होगा । इसलिये अनुरोध है कि नेता सदन की सलाह के मुताबिक आज चुनाव की प्रक्रिया पूरी करके इस पद को भरा जाये ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, परम्पराओं का निर्वाह होना चाहिए यह अच्छी बात है लेकिन किसी सदस्य का यह कहना कि राष्ट्रीय कांग्रेस या सजपा के अलावा अन्य राष्ट्रीय दल साथ हैं मैं समझता हूं कि इस बात को यहां नहीं कहना चाहिए था लेकिन बात सामने आ गयी तो मेरा निवेदन है कि इससे सत्ता और जनता दल (ब) के बीच साजिश नजर आती है । आपका निर्णय सर्वोपरि है । उन्होंने मुझसे निवेदन किया, मैं स्वयं, बड़ा दल होने के नाते, उनसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लें और श्री सुन्दर लाल को ही मान्यता प्रदान करें । और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी चीज यह है कि दलितों का आन्दोलन हो रहा है और हरिजनों की सारी समस्याओं का आप निराकरण कर रहे हैं, इसलिये एक दलित के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो, सारा सदन एक जुट होकर मेरे प्रत्याशी के नाम का समर्थन करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की अनुमति चाहूंगा विभिन्न दल के नेताओं से व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करने के लिये एक बजे तक का समय दे दें । मेरा नेता विरोधी दल से और सभी माननीय नेताओं एवं निर्दलीय नेता, से भी अनुरोध है कि सभी लोग हमारे कक्ष में आ जाएं । अब मैं सदन की कार्यवाही एक बजे तक स्थगित करता हूं ।

(इस समय १२ बजकर ३५ मिनट पर सदन की कार्यवाही एक बजे तक के लिये स्थगित हुई १ बजे मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन १५ मिनट के लिए और बढ़ा दिया है । तदोपरान्त १ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष–

मैंने, नेता विरोधी दल और माननीय नेता जनता दल (ब) और माननीय नेता जनता दल (अ) से अपने कक्ष में बात की थी । प्रमुखतयाः इन्हीं दो माननीय नेताओं से बात करने का अवसर था । क्योंकि जिन माननीय सदस्यों के नाम उपाध्यक्ष पद के लिए आए हैं इनमें श्री राम आसरे वर्मा, जनता दल (ब) और श्री सुन्दर लाल जनता दल (अ) के हैं । हम लोगों का प्रस्ताव था कि सर्वसम्मति से नाम आएगा और निर्विरोध चुनाव उपाध्यक्ष पद के लिए हो जाएगा । दूसरे दलों के सम्मानित नेता भी उपस्थित थे, लेकिन दोनों माननीय नेताओं में मतैक्य नहीं हो पाया । माननीय रेवती रमण जी और माननीय कैलाश नाथ जी दोनों में, दूसरे माननीय नेताओं ने कहा , कि मतैक्य की सम्भावना हो तो कुछ दिनों के लिए और चुनाव स्थगित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा सम्भव प्रतीत नहीं होता । इसलिए मेरे सामने अब और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हम उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव करायें । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-९ के उपनियम (४) के अनुसार अब मैं विभिन्न अभ्यर्थियों के प्रस्तावक महोदय को आमंत्रित करूंगा कि वह अपना-अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री सोमांश प्रकाश–

मान्यवर, मैं श्री राम आसरे वर्मा जी का नाम उपाध्यक्ष पद के लिये प्रस्तावित करता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं, माननीय सोमांश प्रकाश जी द्वारा प्रस्तावित, उपाध्यक्ष पद के लिये, श्री राम आसरे वर्मा जी के नाम का समर्थन करता हूं ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं श्री राम आसरे वर्मा जी का नाम उपाध्यक्ष पद के लिये प्रस्तावित करता हूं ।

श्री राम लखन वर्मा–

मैं श्री राम आसरे वर्मा जी का नाम उपाध्यक्ष पद के लिये, जैसा कि श्री ऊदल जी ने प्रस्ताव किया है, समर्थन करता हूं ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, मैं श्री सुन्दर लाल जी का नाम उपाध्यक्ष पद के लिये प्रस्तावित करता हूं ।

श्री श्याद अली–

मैं श्री सुन्दर लाल जी का नाम उपाध्यक्ष पद के लिये प्रस्तावित करता हूं ।

श्री सुल्तान रजा मिर्जा–

मैं श्री सुन्दर लाल जी के नाम का उपाध्यक्ष पद के लिये, समर्थन करता हूं ।

श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, मैं श्री सुन्दर लाल जी का नाम उपाध्यक्ष पद के लिये प्रस्तावित करता हूं ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं इस सदन के उपाध्यक्ष पद के लिये माननीय सुन्दर लाल जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर मैं श्री सुन्दर लाल जी के नाम का उपाध्यक्ष पद के लिये समर्थन करता हूं।

श्री कटार सिंह–

मैं श्री सुन्दर लाल जी का नाम उपाध्यक्ष पद के लिये प्रस्तावित करता हूं।

श्री राम सरन –

मैं श्री सुन्दर लाल जी के नाम का उपाध्यक्ष पद हेतु समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि एक से अधिक नाम के प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुके हैं अतः अब नियम ९ के उपनियम (५) के साथ पठित नियम ८ के उपनियम (५) के अनुसार मतदान शलाका द्वारा किया जायगा। मा० सदस्यों की सुविधा के लिये मैं नियम ८ के उपनियम (५) तथा उपनियम (६) पढ़े देता हूं।

नियम ८(५) "प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान शलाका द्वारा किया जायगा। जब दो से अधिक सदस्यों का नाम निर्देशन हुआ हो और प्रथम शलाका में कोई अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों के योग से अधिक मत प्राप्त न कर पाये तब उस अभ्यर्थी को, जिसने न्यूनतम मत प्राप्त किये हों, निर्वाचन से अपवर्जित कर दिया जायगा और पुनः शलाका की जायगी। प्रत्येक शलाका के अंत में न्यूनतम मत पाने वाले अभ्यर्थी का नाम अपवर्जित कर दिया जायगा और ऐसा उस समय तक होता रहेगा जब तक कोई अभ्यर्थी शेष अभ्यर्थी के मतों की, या यथास्थिति शेष अभ्यर्थियों के मतों के योग की, अपेक्षा अधिक मत प्राप्त न कर ले।"

उप नियम (६) "जब किसी शलाका में दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर संख्या में मत प्राप्त करें तब परची डालकर यह निश्चित किया जायगा कि उप नियम (५) के अन्तर्गत किस अभ्यर्थी को अपवर्जित किया जाय।"

चूंकि नियमों के अन्तर्गत मतदान शलाका द्वारा होना है अतः उसके लिये शलाका पत्र तैयार करा लिये गये हैं। माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये यह प्रबन्ध किया गया है कि शलाका -पत्र सभा मंडप में बने बूथ द्वारा वितरित किये जायेंगे और माननीय सदस्यों का नाम निर्वाचन क्षेत्र के क्रमानुसार पुकारा जायेगा। मा० सदस्य बूथ पर जाकर शलाका-पत्र ले सकेंगें। शलाका पत्र प्राप्त करने के उपरान्त माननीय सदस्यगण अध्यक्ष मंच पर आकर शलाका पत्र पर अपना मत अंकित करेंगे। मा० सदस्य जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहें उनके नाम के आगे क्रास (x) का चिन्ह लगाकर मत देंगे। यह चिन्ह रेखाओं के बीच में नाम के आगे जो स्थान उसके लिये है अंकित करना है न कि रेखाओं पर।

कोई माननीय सदस्य न तो शलाका पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे न कोई इस प्रकार का चिन्ह बनायेंगे जिससे यह पता चल सके कि उक्त मत किसने दिया है। शलाका पत्र पर चिन्ह अंकित करने के उपरान्त माननीय सदस्य मत पत्र को मोड़कर मत पेटी जो सामने रखी है उसमें डालकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

मतदान के समय समस्त दरवाजे बंद करवा दिये जायेंगे जब तक मतदान चलता रहेगा । अगर कोई सदस्य वोट डालने के लिये आयेंगे तो उन्हें रोका नहीं जायेगा और उन्हें आने दिया जायगा ।

अब मतदान की प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है । कोई माननीय सदस्य अगर लाबी में हों तो कृपया अंदर आने का कष्ट करें । मैं मतदान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रहा हूं । मत पत्र प्राप्त करके अध्यक्ष मंच के दाहिने हिस्से के रखे हुए स्थान पर आकर जिन अभ्यर्थियों को मत देना चाहते हैं, उनके बारे में चिन्हित करेंगे और मेरे बायें हाथ पर जो पेटिका रखी है उसमें मत-पत्र डालेंगे ।

(१ बजकर २५ मिनट पर मतदान हेतु ५ मिनट के लिए घण्टी बजायी गयी)

(मतदान के लिये घण्टी बजते रहने पर)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सबसे पहले माननीय नेता विरोधी दल को बुला लें ।

श्री अध्यक्ष–

नियमों में क्रमानुसार है । नियमों के अनुसार होगा । मैं सचिव विधान सभा को निर्देश दे रहा हूं कि वे माननीय सदस्यों के नाम निर्वाचन क्षेत्र के क्रमानुसार (घोर व्यवधान) पुकारें ।

(मतदान आरम्भ होने पर)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, समय बचाने के लिये जो नापाक गठबन्धन हुआ है, उसमें नेता सदन और नेता विरोधी दल...(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, चुनाव के संदर्भ में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, जब नापाक गठबन्धन हो ही गया तो उनको वहां बैठा दें, हम लोगों के लिये स्थान खाली हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत बैठिये । बहुत जल्दी काम हो जायगा ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि खुला मतदान करवा लीजिये, बेकार दो घंटे का समय लगेगा । अब तो बात स्पष्ट हो गयी है कि कौन किधर है और किसका गठबन्धन किससे है । सारा सदन जानता है कि किसका गठबन्धन किससे हो गया है, इसलिये हाथ उठवाकर मतदान करवा लीजिये । अब यह बात सर्वविदित हो गयी है तो हाथ उठाकर मतदान करवाने में क्या दिक्कत है । आपका नापाक गठबन्धन उससे हो गया जिसको आप नहीं चाहते थे...(घोर व्यवधान)

(निर्वाचन के मध्य ३ बजे अधिष्ठाता श्री राम प्यारे शुक्ल पीठासीन हुए ।)

(निर्वाचन के मध्य ४ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई अन्य माननीय सदस्य यहां हों या बाहर हों, वह वोट देना चाहते हों तो मैं उनको मतदान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

आपने अपना मत दिया।

श्री अध्यक्ष–

मुझे मत देने का अधिकार है, लेकिन मैं उचित नहीं समझता हूं। मुझे लगता है कि अब अन्य माननीय सदस्यों का मत देना शेष नहीं रहा। पांच मिनट बाद मतगणना आरम्भ हो जाएगी।

(मतगणना समाप्त होने के उपरान्त)

विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर श्री राम आसरे वर्मा के निर्वाचित होने की घोषणा

श्री अध्यक्ष–

कृपया सदन को व्यवस्थित कर लें। मेरा निवेदन है कि सदन व्यवस्थित हो जाय। माननीय उर्मिला राजपूत जी कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। मतगणना समाप्त हो गयी है। माननीय सदस्यगण, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के परिणाम इस प्रकार हैं। मतों की जो गणना हुई, उसके अनुसार कुल मत ३२५ डाले गये। कोई भी मत अवैध नहीं पाया गया। इस प्रकार वैध मतों की संख्या ३२५ है। वैध मतों में श्री राम आसरे वर्मा को २५१ मत और श्री सुन्दर लाल को ७४ मत प्राप्त हुए। मतों की गणना के फलस्वरूप श्री राम आसरे वर्मा निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

नव निर्वाचित विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री राम आसरे वर्मा को बधाई

श्री अध्यक्ष–

श्री राम आसरे वर्मा का जन्म १० जुलाई, १९४० को हुआ था। श्री वर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि ग्रहण की है। श्री राम आसरे वर्मा जून, १९७७ के सामान्य निर्वाचन में, निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां, जनपद हरदोई से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात् मई, १९८० के निर्वाचन में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तथा मार्च,१९८५ में भी आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां, जनपद हरदोई से विधान सभा के सदस्य चुने गये। सन् १९९१ के निर्वाचन में आप पुनः मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य हैं।

श्री राम आसरे वर्मा जी को अपने छात्र जीवन के समय से ही राजनीति में रुचि उत्पन्न हुई तथा राजनीतिक जीवन की शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी से हुई। आप बाद में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सदस्य हो गये तथा नक्सलवादी राजनीति के समर्थक बने। श्री राम आसरे वर्मा जी विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के सदस्य तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, याचिका और कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य रहे हैं। श्री वर्मा जी प्रगतिशील विधायक दल के नेता भी रहे। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ तथा संसदीय ज्ञाता हैं।

आप ज्ञानवर्धन हेतु नेपाल का भ्रमण कर चुके हैं। प्रारम्भिक कम्युनिस्ट शिक्षा, माओत्सेतुंग जीवनी, हो ची मिन्ह जीवनी और वियतनाम परिचय माला शीर्षक आपकी पुस्तकें काठमाण्डू तथा नयी दिल्ली में

प्रकाशित हो चुकी हैं । आप लेखन तथा पत्रकारिता में विशेष रुचि रखते हैं । उन्होंने अनेक पत्रिकाओं का सम्पादन भी किया है । मैं उनको विधान सभा का उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं और माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलों के माननीय नेताओं से निवेदन करता हूं कि वे श्री राम आसरे वर्मा को ढूढंकर लाएं ।

(माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दल के माननीय नेतागण श्री राम आसरे वर्मा को ढूंढ़कर लाये और उन्हें पीठासीन किया ।)

(इस समय ४ बजकर २५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के इस माननीय सदन के उपाध्यक्ष पद के गरिमामय पद पर आपको आसीन देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है । मुझे विश्वास है, आपकी योग्यता, आपकी प्रतिभा, आपके अनुभव और आपके संसदीय ज्ञान से यह सदन लाभान्वित होगा । आपने इस माननीय सदन में बहुत दिनों से जनता का प्रतिनिधित्व किया है और प्रायः जनहित के प्रश्न आप उठाते रहे हैं, आपकी लोकप्रियता का इसी से अनुमान लगाया जाना सहज और स्वाभाविक हो जाता है कि आप अनेक वर्षों से लगातार इस माननीय सदन के सम्मानित सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आये हैं । इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने पर आपके कंधे पर यह गुरुत्तर दायित्व आ गया है इस माननीय सदन के संचालन का और माननीय सदन के सभी सदस्यों के संरक्षण का । मुझे विश्वास है, आपकी सूझ-बूझ, आपके अनुभव और संसदीय ज्ञान के आधार पर इस माननीय सदन के संचालन में आप चारचांद लगायेंगे ।

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, सदन के संचालन में सभी का आपको पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त होगा और श्रीमन्, आपके होते इस सदन के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने अधिकारों के संरक्षण के प्रति आस्वस्त रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा-पूरा विश्वास है । मैं अपनी ओर से और माननीय सदन के सभी सदस्यों की ओर से आपको बहुत गरिमामय, महत्वपूर्ण पद पर आसीन देख कर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं । अच्छा रहता कि इसका निर्वाचन न होकर एक राय से फैसला होता, लेकिन परिस्थितियां अपरिहार्य हो गयीं, लोकतंत्र में निर्वाचन हो गया, तो कोई अनहोनी घटना नहीं है । मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर आपको इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने के लिये बहुत-बहुत हार्दिक बधाई देता हूं ।

नेता विरोधी दल (कुवंर रेवती रमण सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस सम्मानित पद पर पाकर अत्यन्त प्रसन्न हूं । आप ४ बार इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं और आज भी अपने इस दीर्घकालीन संसदीय इतिहास में, जो एक अपनी अलग पहचान बनायी है, वह इस बात का द्योतक है कि आप जैसे विद्वान व्यक्ति, संसदीय प्रणाली को जानने वाले व्यक्ति के लिये यह उचित था कि यह स्थान आप जैसे योग्य व्यक्ति को मिले । इस सबसे पूरा सदन गौरवान्वित है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा कि आप अपने विद्यार्थी काल में साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित रहे हैं और समय-समय पर उसके आन्दोलनों में भाग लिया है और अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है और बहुत अर्से तक आपने अन्डर ग्राउन्ड होकर काम किया है, उस आन्दोलन को मजबूत बनाने में । मान्यवर, इतना ही नहीं लेखन और पठन-पाठन में भी आपकी विशेष रुचि रही है और उसी रुचि के फलस्वरूप आपने बहुत से साहित्य सृजन किये हैं, जो पुस्तकें दिल्ली और कई जगह प्रकाशित हुई हैं ।

मान्यवर, लोक परम्परा के अनुसार बेहतर तो यह होता कि सर्वसम्मति से आपका चयन होता, लेकिन किन्हीं कारणों से वह सफल न हो पाया । मैं खासतौर से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री ऊदल जी का, बसपा के श्री राम लखन , शोषित समाजवादी दल के श्री राम स्वरूप वर्मा जी का और उसी के साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेता श्री प्रमोद तिवारी जी का और श्री कैलाश नाथ जी का और सजपा के श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी का आभारी हूं और सदन के नेता श्री कल्याण सिंह जी का भी आभारी हूं कि सभी लोगों ने एक स्वस्थ परम्परा का निर्वहन किया और चुनाव के द्वारा प्रत्याशी का चुनाव कराकर एक स्वस्थ परम्परा कायम की । इसी तरह से लोक सभा में जब सहमति नहीं हो पायी तो चुनाव हुआ स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का । मान्यवर, वहां भी कांग्रेस पार्टी जो सरकार चला रही थी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से अपनी सरकार चला पा रही थी, तो परम्परायें बनती हैं । मुझे खुशी है कि आज ऐसे सुखद वातावरण में इस तरह का वातावरण बना और आप इस पद पर शोभायमान हैं । ...और आप भिज्ञ हैं आप इस तरह से सदन को चलाने में, इस तरह से संचालन करेंगे कि माननीय दोनों तरफ से सदस्यों को चाहे सत्तापक्ष में बैठे हों और चाहे विपक्ष में सबको आपके कार्य से संतुष्टि होगी । मान्यवर, मैं आपको अपनी ओर से बधाई देता हूं और आपकी सफलता के लिए शुभकामना करता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके निर्वाचन से एक योग्य व्यक्ति को इस महिमामयी सदन में गौरवशाली परम्परा के अन्दर उस पद पर आरूढ़ होने का अवसर मिला है । मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपके इस पद ग्रहण के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं । मान्यवर, आपकी योग्यता चाहे अनुवादक के रूप में रही हो, चाहे लेखक के रूप में रही हो, चाहे पत्रकार के रूप में हो चाहे विधायक के रूप में रही हो, वह अविस्मरणीय है । आपने सदैव गरीबों के हितों की लड़ाई लड़ी है । मान्यवर, सभी दलों की इच्छा यह थी कि उस पद पर सर्वसम्मत से कोई बैठता लेकिन मुझे कहने में दुख है कि नेता विरोधी दल सबको विश्वास में न ले पाये इसलिए सर्वसम्मति से चयन नहीं हो पाया । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केन्द्र में जो कुछ हो रहा है उसमें हम स्पष्ट नीतियों के आधार पर समर्थन ले रहें हैं, कभी भाजपा दे रही है, कभी आप दे रहें हैं । लेकिन जो चुनाव आज यहां हुआ, वह सिद्धान्तों का चुनाव हुआ । सम्पूर्ण सदन में जिस तरह से सत्तारूढ़ दल के मुख्य विपक्षी दल के साथ जाने देखा है वह अच्छी और सहयोगी परम्परा नहीं जन्मी है, इसका मुझे दुख है लेकिन यह विश्वास रखकर कि जो कुछ हुआ उसे भूल जायेंगे, याद नहीं रखेंगे ।

मान्यवर, आप भिज्ञ और जानकार है, वहां पर बैठकर हम लोगों की रक्षा करेंगे और सभी विरोधी दल के लोग पूरे मन के साथ आपका समर्थन करेंगे, आपके वहां आसीन होने से नये सदस्यों को मौका मिलेगा । एक बात अन्यथा न ले तो कहूंगा कि आपके वहां जाने से जितनी प्रसन्नता मुझको हुई है उससे ज्यादा नये चुने हुए विधायकों को हुई, आप वहां रहेंगे तो उनको ज्यादा बोलने का अवसर प्राप्त होगा । मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप तो नये विधायकों को हमेशा प्रश्रय देते रहे हैं । मुझे आशा है कि आपके काल में उनको अवसर मिलेगा । मैं एक बार नेता सदन को नेता विरोधी दल को इस आपसी सामंजस्य के लिए हार्दिक बधाई देता हूं ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह चुनाव की प्रक्रिया अपनायी गयी । यह सच है कि चुनाव का टल जाना ही समुचित था, विशेष अपरिहार्य कारणों से यह निर्वाचन हुआ और मैं यह समझता हूं कि लोकतांत्रिक पद्धति में निर्वाचन का होना कोई बुरी बात नहीं है । यह लड़ाई प्रतीकात्मक लड़ाई थी, श्रीमन्, यह

लड़ाई सिद्धान्तों की लड़ाई थी । चुनाव की हार जीत वोटों की गिनती की लड़ाई यह नहीं थी । मुझे खुशी है इस बात की कि हमने जो प्रयास किया था उसमें आज इस गठबन्धन के बाद हम चुनाव हारे नहीं, हमने सिद्धान्नों की लड़ाई जीती है । इन्हीं सिद्धान्तों के लिए हम लोग लड़ा करते हैं और सारे विपक्षी एकजुट होकर इन्हीं सिद्धान्तों की बात करते हैं । श्रीमन्, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में साइन्स कालेज के फील्ड में एक बात लिखी है–

"इट इज नाट इम्पारटेंट टू विन दि गेम बट इट इज मोर इम्पारटेंट टू पार्टिसिपेट इन दि गेम"

मान्यवर, विजेता विजेता होता है लेकिन जो शानदार लड़ाई लड़ता है वह भी याद किया जाता है और उस विजेता की भी पूछ होती है । श्रीमन्, आप अनुभवी व्यक्ति हैं । आप और श्री सुन्दर लाल जी दोनों के साथ विधायक के रूप में रहने का मुझे अवसर मिला है, आप संसदीय कार्यविद् हैं, आप नियमों के ज्ञाता हैं इसमें कोई दो राय नहीं है ।

मान्यवर, मैं यह याचना करूंगा कि आप किसी एक दल विशेष के प्रत्याशी के रूप में भले ही उभर कर आये, लेकिन आज आप इस गौरवमय सदन के उपाध्यक्ष चुने गये हैं, यह हमारे लिये गौरव की बात है । मैं अपेक्षा करूंगा कि चुनाव की इन बातों को भूलकर के माननीय सदन के सभी सदस्यों में एकरूपता लाकर, समरसता का भाव आपकी ओर से हमें देखने को मिलेगा । श्रीमन्, आपने नियमों के बारे में और सिद्धान्तों के बारे में हमेशा सवाल उठाये हैं, छात्र जीवन से जैसी चर्चा की गयी, एक साम्यवादी होकर के आपने हम लोगों के साथ दल में रह कर काम किया । हमेशा प्रश्नों के माध्यम से और अन्य समस्याओं को यहां उजागर करने का काम आपने किया जिसकी लड़ाई जनता में रह कर हम लोग लेते हैं । इस लड़ाई को लड़ाई न मानकर, मैं तो यह समझता था कि केवल बधाई देने का काम करते, लेकिन लगता है कि नेता विरोधी दल ने शायद हम लोगों की भावनाओं को कुरेदने का काम किया । मैं इस पर बोलना अच्छा नहीं समझता था, सिद्धान्त किसी का हो एक होना चाहिये, दिल्ली में सिद्धान्त एक न हो, तो लखनऊ में उसकी पराकाष्ठा नहीं करनी चाहिये, सिद्धान्त एक रखना चाहिये ।

मेरा भी प्रयास रहा कि चुनाव निर्विरोध होना चाहिये, वह न हो सका, इस बात का दुख है । मेरी यह अपेक्षा है कि आप सदन को एक दृष्टि से देखकर, समदृष्टि से सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे और जहां तक हमारे दल का सवाल है, चुनावों में सारी बातें होती हैं, लेकिन चुनाव में जो आगे आ जाता है, हम सब मिलकर उसे सबका समझते हैं । इसी के साथ मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि इस गौरवमयी सदन के सारे सदस्यों को एक साथ लेकर आप चलेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, आप जैसे अनुभवी, विद्वान व्यक्ति के उस गरिमा मय पद पर निर्वाचित होने पर, निश्चित ही उस कुर्सी की गरिमा बढ़ी है । चुनाव श्रीमन्, अपरिहार्य हो गया था ऐसा हम तो नहीं मानते हैं । नेता सदन का कर्तव्य होता है विशेष रूप से कोई ऐसी समस्या में पूरे सदन को विश्वास में लेकर कोई रास्ता निकालें । नेता विरोधी दल का भी कर्तव्य होता है कि विरोधी दलों को विश्वास में लेकर कोई रास्ता निकालें । लेकिन, यह भी प्रजातांत्रिक रास्ता निकला, इसका भी सम्मान हम सब लोग करते हैं । आपके लिये तो अच्छा होगा तीन बार इस सदन में निर्दलीय सदस्य के रूप में प्रदेश की सेवा करते रहे, आपको इस कुर्सी पर आज इस सदन ने बिठा दिया, जहां पर निर्दलीय सदस्य की हैसियत से अपने कर्नव्यों का निर्वहन करेंगे । श्रीमन्, जैसा कि श्री प्रमोद तिवारी जी ने कहा, नये सदस्यों को भी कुछ

अपनी प्रतिभा दिखाने का आपके उस कुर्सी पर विराजमान होने पर, मौका ज्यादा मिलेगा । श्रीमन्, यह जिस कुर्सी पर आप विराजमान हुए हैं इस कुर्सी का बड़ा ही अनोखा इतिहास रहा है । अपवाद इसमें कुर्सी रही है । आज शुरू में ही आपको फंसाने की कोशिश की गयी है लेकिन हमें पूरा विश्वास है, आपका निर्दलीय चरित्र रहा है, आप नेता, विरोधी दल और नेता, सदन के गठजोड़ हो गये तो हमें पूरा विश्वास है कि आप उनकी साजिश का शिकार नहीं होंगे । हमें और हमारे दल को पूरा विश्वास है, हम आपका आदर करेंगे, आपके निर्देशों का पालन करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूं ।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष जैसे गरिमामय स्थान को आप सुशोभित कर रहे हैं इसके लिए मैं और मेरा दल, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको बधाई । श्रीमन् यह बात सही है कि चुनाव प्रक्रिया से आप उस जगह पर पहुंचे हैं लेकिन चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र में जम्हूरियत की पहचान है । आप चुनाव से वहां पर पहुंचे हैं यह गलत बात नहीं है । श्रीमन्, जैसा कि हमारे नेता, विरोधी दल, माननीय रेवतीरमण सिंह जी ने कहा कि केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चली, तो श्रीमन्, मैं और मेरे दल का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक शरीर के दो कन्धे हैं । दिखाने को श्री प्रमोद तिवारी जी विरोध करते हैं लेकिन यह मेरा मानना नहीं है । मेरा मानना यह है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं और सहयोगी हैं । श्रीमन्, मै आपका स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि सदन को चलाने में हमारा पूरा सहयोग मिलता रहेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूं ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं आप जैसे योग्यतम् व्यक्ति का चुनाव उस गरिमामय पद के लिए हुआ है इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपना पार्टी की ओर से बधाई देता हू । श्रीमन्, आप हमारे दल के एक अच्छे कार्यकर्ता और लड़ाकू सिपाही रहे हैं । मैं आपको बचपन से जानता हू और आपके घर जाने का भी मुझे मौका मिला है, आपकी प्रतिभा का भी मै जानकार हू । आप जैसे लड़ाकू और विद्वान, कर्मठ, समाजसेवी आज समाज में बहुत कम हैं इसलिए आपको इस गरिमामय पद पर चुने जाने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं । मान्यवर, मेरा और मेरे दल का आपको पूर्ण सहयोग प्रदान रहेगा और मुझे विश्वास है कि आप इस सदन को चलाने में बिना भेदभाव के सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों और विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए सबके आधकारो की रक्षा करेंगे । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं और मेरा दल पुनः आपको बधाई देता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा–

मान्यवर, आपको इस गरिमामय पद पर चुने जाने के लिए मैं बधाई देता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि आपके कुशल संचालन में सदन के दोनों पक्ष संतुष्ट रहेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः बधाई देता हूं ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, आज आपको इस पद पर देखकर स्वयं को खुशी से संभाल नहीं पा रहा हूं क्योंकि आप जैसे अनुभवशाली व्यक्ति, आप जैसे त्यागी और कर्मवादी व्यक्ति ने इस पद पर बैठकर आज इस कुर्सी और इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है । इसके लिये मैं आपको अपने निर्दलीय सदस्यों की ओर से तथा

अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मुझे जो एक अच्छे सलाहकार की कमी हो गयी, उसको भूलकर पुनः इस गरिमामय पद पर बैठने के लिये तथा इस कुर्सी को सुशोभित करने के लिये अपनी ओर से बधाई देता हूं।

एक माननीय सदस्य–

मान्यवर, श्री सुन्दर लाल जी को भी एक अवसर दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता राष्ट्रीय कांग्रेस, माननीय नेता जनता दल (अ), माननीय नेता जनता पार्टी, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी और माननीय निर्दलीय सदस्य, श्री निर्वेन्द्र कुमार जी ने इस पीठ पर आसीन होने के उपलक्ष्य में मुझे जो बधाइयां दी हैं, उसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव होते हैं, लेकिन यह मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, अपने व्यवहार और आचरण से मैं इस बात का अहसास करा दूंगा कि मानो चुनाव हुआ ही नहीं। यह बात भी मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी अपेक्षायें माननीय नेतागण ने की हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये हर तरह से मैं प्रयास करूंगा और मेरा यह भी प्रयास होगा कि पूरा सदन एक परिवार के रूप में बंधकर चले और सत्तापक्ष या विपक्ष के माननीय सदस्य, जो भी जनता के प्रति जिम्मेदारी लेकर यहां आये हैं, वह अपनी अभिव्यक्ति से वंचित न रह जायें, यह मेरा प्रयास होगा।

उपाध्यक्ष के पद को मैं पद के रूप में नहीं लेता, बल्कि सदन की सेवा के अवसर के रूप में लेता हूं और सेवा के इस कार्य का निर्वहन सबके मार्ग-दर्शन और सहयोग से ही सम्भव है। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि संसदीय प्रणाली में जो भी दायित्व, जो जिम्मेदारियां आपने सौंपी हैं, उन जिम्मेदारियों को हर सम्भव पूरा करने के लिये कोशिश करूंगा। आप सबका विश्वास मेरे लिये धरोहर है और जिस समय भी अविश्वास की अगर कोई झलक दिखेगी, तो मैं अपने को इस पद कर बने रहने लायक नहीं समझूंगा, इन शब्दों के साथ मैं एक विश्वास और दिलाना चाहता हूं कि दलगत भावना से ऊपर उठकर, निष्पक्षता के साथ इस सदन की कार्यवाही को चलाने में, सदन की कार्यवाही के संचालन में भूमिका निभाऊंगा और जब तक इस पीठ पर बैठूंगा, दलगत भावना आपको देखने को नहीं मिलेगी। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः माननीय नेतागणों का और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा।

नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैंने नियम-३११ के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण सूचना दी है। आपने उसे ठीक इसके बाद लेने के लिए कहा था। इसलिए आप उसे ले लें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायं। पहले नियम-३०१ के अन्तर्गत जो सूचनायें आई हैं, उन्हें आप सुन लें।

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

(इस समय ५ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक २८ फरवरी, १९९२ को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम ३०१ के अन्तर्गत कुल २३ सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित ७ सूचनायें स्वीकार की गई । पहली सूचना श्री विश्वनाथ जी की है, दूसरी सूचना श्री भारत सिंह रावत जी की है, तीसरी सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की है, चौथी सूचना श्री राम लखन जी की है, पांचवीं सूचना श्री लीला राम शर्मा जी की है, छठी सूचना श्री भोला शंकर मौर्य, श्री रामेश्वर नाथ चौबे व श्री प्रमोद तिवारी जी की है और सातवीं सूचना श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी जी की है । इन सात माननीय सदस्यों में से श्री लीला राम शर्मा जी सदन में उपस्थित नहीं हैं । इसलिए प्रतीक्षा सूची में श्री राम मूर्ति सिंह जी की पहली सूचना है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राम मूर्ति सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

चूंकि श्री राम मूर्ति सिंह जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए प्रतीक्षा सूची में दूसरी सूचना श्री राम स्वरूप वर्मा जी की है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राम स्वरूप वर्मा जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित थे)

चूंकि श्री राम स्वरूप वर्मा जी सदन में उपस्थित हैं, इसलिए प्रतीक्षा सूची से उनकी सूचना को लिया जाता है । शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गई)

सूचना विभाग द्वारा (उत्तर प्रदेश) पाक्षिक पत्रिका को प्रकाशित न किये जाने तथा उसमें सरकारी धन के घोटाले के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अंतर्गत सूचना

श्री विश्वनाथ–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित भ्रष्टाचार के तथ्य सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं :––

प्रदेश सरकार के सूचना विभाग का पाक्षिक समाचार पंत्र "उत्तर प्रदेश पाक्षिक" का प्रकाशन जनवरी, १९७९ से मंत्रि-परिषद् की अनुमति से प्रारम्भ हुआ । जिस पर २२,००,००० रुपया (बाईस लाख रुपया) वार्षिक खर्च आंका गया। यह पाक्षिक अक्टूबर, १९८६ में बन्द कर दिया गया । जिसके लिये मंत्रि-परिषद् की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई । फलस्वरूप इसके लिये निर्धारित बजट २२,००,००० रुपया (बाईस लाख रुपया) प्रति वर्ष पूर्ववत् सरकारी कोष से लिया जाता रहा । इस प्रकार ४ वर्ष ढाई माह का उक्त पाक्षिक का बजट लगभग एक करोड़ रुपया कहां गया ?

जनवरी, १९९१ से उत्तर प्रदेश पाक्षिक के स्थान पर नया मासिक "उत्तर प्रदेश संदेश" के नाम से प्रकाशित किया जाने लगा ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस तरह सम्बन्धित अधिकारियों ने मंत्रि-परिषद् एवं माननीय विधान सभा सदस्यों को गुमराह कर ४ वर्ष ढाई माह का बजट लगभग एक करोड़ रुपया "उत्तर प्रदेश पाक्षिक" को बिना प्रकाशित किये सरकारी कोष से लिया। जिससे प्रदेश की जनता में अत्यन्त क्षोभ एवं रोष व्याप्त हो गया है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री से स्पष्टीकरण एवं इस घोर वित्तीय अनियमितता के दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की मांग करता हूं।]

पर्वतीय क्षेत्र में आदमखोर बाघों के आतंक से जनता में भय व्याप्त होने के सम्बध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री भारत सिंह रावत–

[मान्यवर,पर्वतीय क्षेत्र की प्रायः सभी जनपदों में प्रति वर्ष आदमखोर बाघों द्वारा असंख्य लोग मारे जाते हैं जिनके भय से लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों होती हैं वह अपने दिनचर्या के कार्यो को भी भय से सम्पादित नहीं कर सकते।

इस समय ब्लाक नैनीडांडा, रिखनीखाल एवं काजी खाल में आदमखोर बाघों द्वारा कई स्त्री पुरुष व बच्चे मारे गये यह घटनाएं प्रायः होती रहती हैं। मृतक आश्रितों को क्षतिपूर्ति एवं अन्य प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में प्रस्तुत कर सरकार से इस समस्या से निपटने के लिये आवेदन कर रहा हूं।]

जनपद उन्नाव में विद्युत् आपूर्ति अव्यवस्थित होने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[मान्यवर, उन्नाव जिले में घोर विद्युत् अव्यवस्था है। बागरमऊ और गंगाघाट नगरपालिकाओं में विद्युत आपूर्ति कई माह से अस्त-व्यस्त है और गंगाघाट में तो विद्युत् आपूर्ति की अस्त-व्यस्तता को लेकर सड़क जाम तक हो चुके हैं।

पुरवा तहसील क्षेत्र की विद्युत् आपूर्ति सर्वाधिक खराब है। मौरावां पावर हाउस के क्षेत्र में निजी नलकूप के उपभोगताओं द्वारा स्थायी रूप से कटवाए गए कनेक्शनों की वापस सामग्री ट्रांसफार्मर आदि स्टाक में नहीं हैं। उन्हें बेच दिया गया है।

ग्राम रामपुर में चल रहे ग्रामीण विद्युतीकरण के कारण खम्भे व अन्य सामग्री मौरावां पावर हाउस के वर्तमान अभियन्ता ने उठाकर उ० प्र० रा० वि० प० के सारे नियम तोड़कर इसी सप्ताह एक मन्दिर को अवैध कनेक्शन देने में लगवा दी है। पुरवा पावर हाऊस के अवर अभियन्ता ने ग्राम मगरायर से शिवदीन खेड़ा मार्ग पर स्थित मन्दिर में तीन खम्भे व एक डबल पोल तथा एक ट्रांसफार्मर लगाकर अवैध कनेक्शन दे रखा है। जोरावरगंज, असरेदा आदि ग्रामों की चोरी गई विद्युत् लाइन नहीं बनाई जा रही है।

विद्युत् वितरण में अराजकता व्याप्त है। पुरवा पावर हाउस के कर्मचारी अवर अभियन्ता के सामने गत सप्ताह पीटे गए हैं। कारण जनरोष है। अविलम्बनीय लोक महत्व की इस समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फैजाबाद के भियांव विकास क्षेत्र में राजकीय बालिका विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री राम लखन वर्मा–

[मान्यवर, आपकी अनुमति से निम्नलिखित तथ्य सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर उस पर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं–

फैजाबाद जनपद में भियांव जनपद का सबसे पिछड़ा विकास क्षेत्र है । भियांव विकास क्षेत्र में बालिकाओं के शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे जूनियर हाई स्कूल के बाद बालिकाएं शिक्षण से वंचित रह जा रही हैं ।

भियांव ब्लाक में महिलाओं के समुचित विकास हेतु एक राजकीय बालिका विद्यालय खुलना आवश्यक है ।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर भियांव विकास क्षेत्र में एक राजकीय बालिका इंटर कालेज खोलने की मांग करता हूं ।]

जनपद बदायूं की पूर्व विधायका, श्रीमती पुष्पा देवी के साथ क्षेत्राधिकारी, गुन्नौर एवं कोतवाल द्वारा अभद्रता किये जाने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री भोला शंकर मौर्य, श्री रामेश्वर नाथ चौबे तथा श्री प्रमोद तिवारी–

[मान्यवर, निवेदन है कि दिनांक २०-२-९२ को क्षेत्राधिकारी, गुन्नौर जनपद बदायूं से पूर्व विधायका, श्रीमती पुष्पा देवी ने क्षेत्रीय समस्याओं एवं उनके मकान पर दिनांक ३०-१-९२ को लगाये गये कूमल तथा उनके खेत से पम्पिंग सेट की चोरी के विरुद्ध वार्ता करने हेतु कार्यालय गई थीं और अपनी व्यवस्था क्षेत्राधिकारी, गुन्नौर, श्री एस० एस० परिहार एवं कोतवाल, गुन्नौर, श्री जय करन सिंह को बतलाई तो उक्त अधिकारियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और कहा कि कस्बा बबराला में जो सट्टा चल रहा है उससे आपका कोई सरोकार नहीं है क्योंकि अब आप विधायका नहीं है और सट्टा ऐसा ही चलता रहेगा । श्रीमती पुष्पा देवी ने विधान सभा क्षेत्र गुन्नौर में हो रहे अपहरण एवं डकैतियों की ओर उक्त अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि क्षेत्र में आये दिन अपहरण और डकैतियां हो रही हैं और उनकी रोकथाम की जाय तो उक्त अधिकारी और उत्तेजित हो गये और कहा कि आप जो चाहें वह कर लें हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे और उक्त अधिकारी उनके स्व० पति श्री जुगल किशोर पूर्व विधायक के कातिलों के कहने पर उनके समर्थकों एवं सहयोगियों को प्रताड़ित कर रहे हैं तथा पूर्व विधायका के सम्मान में उक्त अधिकारियों ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है । उक्त घटना से पूरे क्षेत्र में असन्तोष व्याप्त है तथा जनता में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी है । घटना तात्कालिक तथा महत्वपूर्ण होने के कारण सदन के संज्ञान में लाकर और इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं । श्रीमती पुष्पा देवी, पूर्व विधायका के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त घटना को शासन के संज्ञान में लाकर इस पर आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु शासन को निर्देश देने का कष्ट करें ।]

जनपद बांदा में विकास प्राधिकरण के अवर अभियन्ताओं द्वारा मनमानी एवं धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[मान्यवर, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं बांदा विकास प्राधिकरण के अवर अभियन्ताओं द्वारा खुले आम अवैध धन लेकर ऐसे मकानों की तामीर करवाई जा रही है जो नियमतः गलत है ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उदाहरण के तौर पर श्री राजीव मिश्रा, अवर अभियन्ता ने मुझ से ही एक मदरसा का नक्शा बनवाई व पास करवाई रु० ५०० मांगे थे फिर बाद में जब उन्हें पता चला तो वे क्षमा मांगने लगे और कहने लगे मुझे पता नहीं था कि आप विधायक हैं। इसकी लिखित सूचना मैंने सचिव, विकास प्राधिकरण, बांदा को दी थी। दूसरा उदाहरण कृषि कार्यालय बांदा में कार्यरत निवासी हाथीखाना, बांदा की श्रीमती सरला से भी अवर अभियन्ता ने अवैध रुपयों की मांग की। जो अवैध धन देता है उसी का नक्शा विकास प्राधिकरण, बांदा से पास किया जाता है अन्यथा चाहे कितना भी सही मामला हो उसे मकान बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है रुपये दे देने के बाद कार्य किया जाता है चाहे कार्य सही हो या गलत हो। इस प्रकार के हजारों मामले जांच करवाने पर मिल सकते हैं।

अतः बांदा नगर की जनता से अवैध वसूली करने वाले बांदा विकास प्राधिकरण के अवर अभियन्ता, श्री राजीव मिश्रा आदि के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी राजीव मिश्रा व अन्य अवर अभियन्ता व कर्मचारी और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

सूचना विभाग के श्रेणी १ एवं २ के पदों पर नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में की गई धांधली के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री राम स्वरूप वर्मा–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सूचना विभाग में श्रेणी-१ एवं २ के पदों में नियुक्तियों, प्रोन्नतियों एवं पद के उच्चीकरण के लिये की गयी धांधलियों के संबंध में निम्नांकित तथ्य सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं–

शासन के १८ दिसम्बर, १९९१ के मितव्ययता संबंधी शासनादेश का उल्लंघन करते हुए उप निदेशक (वेतनमान रु० ३,०००–४५००) के दो पदों को आस्थगित कर संयुक्त निदेशक के दो पदों (रु० ३७००–५०००) का सृजन कर एवं आरक्षण नीति का अतिक्रमण करते हुए दोनों पदों को सामान्य श्रेणी से भरकर निजी लोगों को लाभान्वित किया गया।

निःसंवर्गीय पद नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी के विरुद्ध उनके आहरण वितरण के प्रभार-काल में एक समाचार एजेन्सी के प्री-आडिट बिलों के दोहरे भुगतान के दस्तावेजी साक्ष्य और सिद्ध आरोप के बावजूद उनके पद को उच्चीकृत किया गया। जबकि वे इस उच्चीकृत पद की अनिवार्य अर्हता (स्नातकोत्तर डिग्री) नहीं रखते हैं। उन्हें लाभान्वित करने की दृष्टि से वेतनमान रु० २२००--४००० के उच्चीकृत पद को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है ।

नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी मंत्रि-परिषद् को गुमराह कर सूचना सेवा नियमावली के नियमों को शिथिल कराने में लगे हैं, ताकि वे उप निदेशक बन सकें।

अतः मैं लोकमहत्व के मुद्दों पर माननीय मुख्य मंत्री से दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, इतना अच्छा माहौल है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आज आप सदन को स्थगित कर दें।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

नियम ३०० के अन्तर्गत कुल ११ सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनको मैंने अपने कक्ष में अवलोकित कर लिया है। यदि आप अनुमति दें तो.....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, नियम ३०० के अन्तर्गत हमने भी एक सूचना दी है। आप उसे खारिज तो करेंगे ही। परन्तु मान्यवर, आप हमें उस पर एक मिनट अवश्य सुन लें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इस सदन की अवमानना के संबंध में, मैंने भी एक सूचना दी है, जो महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हमें भी सुन लें।

* श्री तालजी वर्मा–

मान्यवर, नियम ११० के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि आज एजेन्डे के शेष वाद-विवाद को ९ तारीख के लिए स्थगित कर दिया जाय।

(इस पर विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि नहीं)

श्री अध्यक्ष–

नियम ३०० के अन्तर्गत पहली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह जी की "भारत का संविधान" द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के वर्ग को प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप प्रदेश सरकार की ओर से समुचित सम्मान एवं सरकारी नियुक्तियों में पदोन्नति में वांछित कोटा प्रदान न किए जाने के संबंध में है। पहली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह जी की नियम–३०० के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इसे निरस्त करता हूं। दूसरी सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री हृदय नारायण दीक्षित व श्री राम मूर्ति सिंह जी की प्रदेश में करोंड़ों बुनकरों के सूत में बढ़े हुए मूल्य व ऋण वसूली में सख्ती के कारण प्रदेश का हथकरघा उद्योग बन्द होने की स्थिति में आने तथा बुनकरों की गिरती आर्थिक स्थिति के संबंध में है।

प्रदेश में करोड़ों बुनकरों से सूत के बढ़े हुए मूल्य व ऋण की वसूली में सख्ती करने से हथकरघा उद्योग को धक्का लगने तथा बुनकरों की स्थिति खराब होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

● मान्यवर, हमारी सूचना नियम ३०० में आती है, आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद ४३ में साफ तौर से लिखा है और आप इसे पढ़ लें। राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने प्रदेश में जो कुटीर उद्योग हैं, उसे वैयक्तिक रूप में या सहकारी समितियों के द्वारा उसे बड़ावा देगी और रियायत देगी। प्रदेश का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग हथकरघा है। आज इसमें लगे हुए जो हजारों बुनकर हैं, वे बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं। सूत के दाम इतने बढ़ गये हैं कि उनके द्वारा उत्पादित माल की बिल्कुल खपत नहीं हो पा रही है। इस सरकार के आने के बाद हमारे प्रदेश का जो हथकरघा कुटीर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उद्योग था, जो प्राथमिक कुटीर उद्योग था, वह बन्द होने की स्थिति में आ गये हैं। तमाम बार आश्वासन दिये गये कि हथकरघा उद्योग को रियायत दी जायेगी।

बुनकरों को रियायतें देकर जैसा इससे पहले भी दी जा चुकी हैं समस्या का समाधान किया जाय। पहले उनके १० हजार तक के कर्जे माफ किये गये थे। वह वसूल किये जा रहे हैं उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इस तरह से संवैधानिक दायित्व जो सरकार का है उसका निर्वहन यह सरकार नहीं कर रही है। संविधान के अनुच्छेद ४३ में जो व्यवस्था है उसका यह निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इस सदन ने जो आश्वासन कुटीर उद्योग को दिया गया था उसका पालन नहीं कर रहे हैं। आप सरकार को निर्देश दें कि हथकरघा उद्योग जो मर रहा है उसको तरक्की देने के लिये, उसको पुनःस्थापित करने के लिये आज ही सरकार यहां घोषणा करे।

श्री अध्यक्ष–

(श्री हृदय नारायण दीक्षित के खड़े होने पर) आपके दल से वर्मा जी बोल लिये हैं। उनसे विभिन्न दल के होते तो भी मैं आपकी बात सुन लेता।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, एक मिनट लूंगा। माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जो बात कही उसमें जोड़ना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद ४३ में स्पष्ट दिया हुआ है "राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मचारियों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का सम्पूर्ण भाग सुनिश्चित करने वाली काम की दशायें तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।" बुनकरों की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं कि उन पर बकायों की वसूली में उत्पीड़न हो रहा है उत्पीड़न रोकने के लिये संसदीय कार्य मंत्री जी जब बोलने के लिए खड़े हों स्पष्ट करें कि उनका उत्पीड़न नहीं होगा।

श्री लालजी वर्मा–

मैंने भी नियम ५६ में इसी विषय पर दिया है।

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के बुनकरों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। जब तक दस्तकारी को बढ़ावा नहीं देंगे, इस प्रदेश का विकास कदापि नहीं कर सकते हैं। प्रदेश के लाखों लाख बुनकर जो प्रदेश को कपड़ा पहनाते हैं वह भुखमरी के कगार पर हैं। हमारे टांडा के बुनकर जो कपड़ा तैयार करते हैं वह विदेशों में जाता था। उनके धागे के दाम बढ़ गये हैं, बिजली के दाम बढ़ गये हैं दूसरी चीजों के दाम बढ़ गये हैं। मान्यवर, सरकार ने घोषणा की थी कि १० हजार तक के कर्जे माफ हो जायेंगे लेकिन वह नहीं हुये और वसूली के नाम पर उनको जेलों में बन्द किया जा रहा है। इस तरह से पावरलूम, हथकरघा बुनकरों का उत्पीड़न हो रहा है। उनमें हताश की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, उनमें निराशा पैदा हो गयी है जिसके कारण एक आक्रोश उनमें व्याप्त हैं। बिजली के दाम बढ़ने से, सूत के दाम बढ़ने के कारण और कर्जा माफ न होने के कारण उनके लिये समस्या पैदा हो गयी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर सदन में चर्चा कराई जाय जिससे हम यहां पर बुनकरों के हित में तमाम सुझाव दे सकें। इसलिये इस पर चर्चा करायें।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर समस्या है । मैं भी जहां से आता हूं बनारस और मऊ का नजदीक क्षेत्र है मैं भी जानता हूं कि बुनकरों को कच्चा माल नहीं मिलता है और उसके दाम भी बहुत बढ़ गये हैं । उनका कर्जा माफ न होने के कारण वह भुखमरी के शिकार हो रहे हैं । इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिये और उनकी समस्या का समाधान होना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे ताकि जो भुखमरी के शिकार हैं वह न हों और अपना जीवन यापन वह कर सकें ।

श्री श्याम नारायण तिवारी–

मान्यवर, गोरखपुर हथकरघा उद्योग का बहुत बड़ा सेंटर है । वहां के बुनकर भुखमरी के कगार पर हैं । सूत के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं । उनका तैयार किया हुआ माल कोई खरीदने वाला नहीं है । सारा माल घरों में पड़ा हुआ है । वह लोग पंजाब, नैपाल, बम्बई भाग रहे हैं ताकि किसी प्रकार मे जीवन यापन कर सकें । उनके परिवार वाले भूखों मर रहे है । इस उद्योग को तुरन्त मरने से बचाने के लिये सरकार हस्तक्षेप करे इसलिये इस पर बहस कराई जाय ।

वित्त, संसदीय क्रार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, जिस समस्या की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट किया है मैं उसके महत्व को किसी प्रकार नकारता नहीं हूं । हम खुद इस मत के हैं कि यह हमारे प्रदेश का प्रमुख कुटीर उद्योग है और मैं जहां से आता हूं, सीतापुर में भी बहुत बुनकर हैं । तो समस्या पूरी तरह हमारे संज्ञान में है । विवाद में नहीं जाना चाहता हूं अन्यथा चर्चा का दूसरा रूप हो जायेगा । कर्जे माफ किये गये और उसकी घोषणा भी की गयी । लेकिन श्री वर्मा जी को जानकारी होगी कि उनमें से जिस हिस्से की प्रतिपूर्ति होनी थी वह उत्तर प्रदेश को केन्द्र से मिल पायी है कि नहीं तो वह नहीं मिल पायी है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ क्लेम रह गये हैं जो देने हैं लेकिन यह सही है कि उनकी हम समस्याओं से पूरी तरह चिन्तित है । जो सूत की कीमत बढ़ रही हैं उसको नियंत्रित करने के लिये बुनकर भाइयों को उचित दर पर और उचित मात्रा में सूत मिले इसकी भी हमें चिन्ता है ।

मान्यवर, सूत की कुछ मिलें बंद थीं जिनके चलाने के लिये हमारी सरकार ने अभी-अभी १२ करोड़ रुपये दिये हैं । हमारा प्रयास है कि सारे बुनकरों को हम सूत की व्यवस्था कर सकें ।

मान्यवर, जहां तक बुनकरों से वसूली और उनके उत्पीड़न का सवाल है तो मैं सदन को बताना चाहता हू कि इस प्रकार का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है । यह सही है कि कर्जे के वापस लेने के प्रयास हो रहे हैं लेकिन अनेक रियायतें भी दे रहे हैं, इसलिये बुनकरों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है । शिकायतें यदि माननीय सदस्यों को मिलेंगी तो वह हमें बतायेंगे तो कार्यवाही की जायेगी ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री भी हैं और जैसा कि बुनकर आज भुखमरी की कगार पर हैं, आप भी स्वीकार करते हैं, इसलिये यदि यहां से एक राजाज्ञा जारी कर दें कि जो वसूलयाबी है वह एक मुश्त न वसूल करके किश्तों में वसूल की जायं तो इससे उनको सहूलियत मिलेगी चूंकि वह देने में असमर्थ हैं और उनको तहसीलों में तंग किया जा रहा है । इसलिये आपसे अनुरोध है कि वित्त मंत्री जी की हैसियत से आज ही घोषणा करें कि बकाया ४ किश्तों में वसूला जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अखिलेश–

मान्यवर, जो सूत बुनकरों को दिया जाता है और वह कपड़ा बनाकर देते हैं, छूट देकर बाजार में कपड़ा बेचा जाता है, मेरा अनुरोध है, चूंकि बुनकरों से मेरी वार्ता हुई है कि बुनकरों को सूत में ही छूट दे दी जाये तो इससे बुनकरों को लाभ पहुंचेगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह बढ़े हुये सूत के मूल्य और वसूली से संबंधित है, आप दूसरी बात कह रहे हैं, इसलिये आप बैठ जायं ।

* श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मंत्री जी ने अभी कहा कि यदि कहीं वसूली हो रही है तो सूचना दे दें तो मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि बुनकरों को जो कर्ज डी० आर० डी० ए० और आई० आर० डी० में दिये गये थे उनके संबंध में मेरे जिले सिद्धार्थनगर के सेन्ट्रल बैंक और इलाहाबाद बैंक ने उनकी सूची ही नही भेजी है जिससे बुनकरों के कर्जे माफ होने की प्रक्रिया अभी तक नहीं शुरू हुई है जिससे वसूली हो रही है ।

सिद्धार्थनगर में यू०पी०एफ०सी० ने बुनकरों को लोन दिया था ५ से ८ हजार रुपये तक जिनको माफ नहीं किया गया और उनकी वसूली हो रही है, इसकी जानकारी मैं सदन को दे रहा हूं और निवेदन है कि इस पर त्वरित कार्यवाही आप करें चूंकि बुनकरों की स्थिति दयनीय हो गयी है ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि बुनकरों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही यदि कहीं हो, तो सदन के संज्ञान में वह लायी जाये...।

मान्यवर, जनपद मुरादाबाद में हथकरघा उद्योग में आधे हार्स पावर के मोटर का उपयोग होता है जबकि बुनकरों से दो हार्स पावर की दर से विद्युत् राजस्व की वसूली की जा रही है ...।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं हो रही है, केवल माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाने की बात है ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

चर्चा कराने के निर्देश दे दें ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, वहां पर जबरदस्ती वसूली की जा रही है तथा बुनकरों का उत्पीड़न हो रहा है । दो हार्स पावर का राजस्व वसूला जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, अपनी बात समाप्त करें । यह चर्चा नहीं हो रही है । आप लिखित रूप में अपनी सूचना माननीय मंत्री जी को दे सकते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, राजस्व वसूलने के लिये वहां पर बुनकरों की चल-अचल सम्पत्ति कुर्क की जा रही है । आधे हार्स पावर के स्थान पर दो हार्स पावर का कर वसूला जा रहा है । इस तरह से वहां पर बुनकरों का उत्पीड़न हो रहा है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे और चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे)

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह तो आपको अधिकार है, आप चाहें चर्चा स्वीकार कर सकते हैं । आप चाहें अस्वीकार कर सकते हैं । हथकरघा उद्योग प्रदेश का मुख्य कुटीर उद्योग है । आज बुनकरों की स्थिति यह है कि वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । मान्यवर, आज यह इस प्रदेश की अहम समस्या है इसलिये मैं चाहूंगा कि इसके निवारण के लिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री कोई स्पष्ट निर्देश दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी आप मेरी बात तो सुनिये । श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री हृदय नारायण एवं श्री राम मूर्ति सिंह की सूचनायें ३०० में नहीं आतीं इसलिये अस्वीकार की जाती हैं । मै माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह नियम-५२ के अन्तर्गत इसकी सूचना लिखित रूप में दे दें तो उसे अगले कार्यकाल दिवस में ले लिया जायेगा । इतनी स्वतंत्रता मैंने दे दी है चर्चा करवाने के लिये ।

(श्री लालजी वर्मा सदन त्याग कर चले गए)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपके निर्देशों के बावजूद सरकार इसके खिलाफ उदासीनता बरत रही है । इस उदासीनता के रवैये के खिलाफ हमारा दल बहिर्गमन करता है ।

(माननीय बेनी प्रसाद वर्मा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करके चले गए)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री लालजी वर्मा की नियम-५६ के अन्तर्गत सूचना अस्वीकार की जाती हैं । नियम-३०० के अन्तर्गत माननीय सदस्यों--श्री निर्वेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद. श्री श्रीराम, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री लाखीराम जोशी, मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री इकबाल महमूद, श्री जाहिद हुसैन, श्री स्वामी नाथ यादव, श्री नरेश अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी ने भी सूचनाएं दी हैं । यह नियम-३०० के अन्तर्गत नहीं आतीं । अगले कार्य दिवस के लिये आप पुनः सूचना दे देंगे तब हम उनकी ग्राह्यता पर विचार करेंगे ।

नियम-३११ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-३११ के अन्तर्गत भी मुझे कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्याद अली–

मान्यवर, आपसे एक व्यवस्था चाहूंगा। आज ए०टी० एल० के कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं। १५ महीने से उनका वेतन नहीं मिला है। उन्होंने धरना दे रखा है। पिछली बार यह कहा गया था कि जल्दी ही इसे सुलझा लिया जायेगा। लेकिन मान्यवर, तब ६ महीने के लिये सदन स्थगित कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको सूचना दे रहा हूं। ए०टी०एल० के कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में बात की। मंत्री जी ने कहा है कि वहां के उच्च अधिकारियों से मौके पर जाकर स्थिति की जानकारी की जायेगी। जब स्थिति की सही जानकारी आ जायेगी तो अगले कार्य दिवस में उसे चर्चा हेतु लगा दिया जायेगा।

नियम-३११ में तिवारी जी आप बोलें।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, नियम-५६ का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

५६ बाद में आएगा अभी तो ३११ में बुलवा रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जब से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इसने एक आन्दोलन चलाया है। मान्यवर, उस आन्दोलन का नाम है "मकान हड़पो आन्दोलन"। इनके मंत्री इनके विधायक किसी न किसी परिवार से बड़े मकानों को खाली करा रहे हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, कल की घटना के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इलाहाबाद के टैगोर टाउन में मकान नं० २४२/१०३ जो है यह श्रीमती सितारा देवी के नाम से मकान है। सितारा देवी छोटे-छोटे बच्चों के साथ उस मकान में रहती थीं। वहां पर एक श्रीमती अरविन्द सिंह पुलिस के साथ और असामाजिक तत्वों के साथ पहुंची और जबरदस्ती उस मकान पर कब्जा कर लिया। छोटे-छोटे बच्चों को मारपीट कर निकाल दिया गया। श्रीमती अरविन्द के पति जो हैं वह भौतिक शास्त्र के अध्यापक हैं वह और कोई कार्यकर्त्ता नहीं [xxx] हैं। इससे ज्यादा और क्या अपराध हो सकता है ?

(शेम-शेम की आवाजें)

जो इस सरकार में शामिल हैं उन्होंने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर मासूम बच्चों को सड़क पर ला दिया। इतना ही इन्होंने किया होता तो भी क्षम्य था, लेकिन मान्यवर, जिस समय श्रीमती अरविन्द सिंह मकान पर कब्जा करने गयीं उस समय उनके नगद बीस हजार रुपये––

श्री अध्यक्ष–

मंत्रि-परिषद् के सदस्य के ऊपर अगर आरोप लगाना है तो उसके लिए नियम–२८९ है।

(व्यवधान)

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं मंत्री का नाम नहीं ले रहा हूं मैं उनके पति का नाम ले रहा हूं । अब पति चाहे मंत्री हों, चाहे अध्यापक हों, पति तो बदल नहीं सकते हैं, अगर बदलने को तैयार हों तो बात दूसरी है, तो मान्यवर, जिस वक्त नाजायज कब्जा लिया जा रहा था, मासूमों को सड़क पर पहुंचाया जा रहा था उस वक्त वहां उस मकान में २० हजार रुपया और सोने की चेन थी उसका भी अपहरण कर लिया गया ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, क्या ३११ में आता है ?

श्री अध्यक्ष–

नियम-३११ में कैसे आएगा ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । नियम–३११ दिया, मान्यवर, अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए, कोई संवैधानिक संकट पैदा हो जाए जहां नियमों को शिथिल करना हो, मान्यवर, जब एक मंत्री का परिवार अत्याचार और अनाचार पर उतर आए उससे ज्यादा और क्या परिस्थितियां होंगी जहां नियमों को शिथिल करेंगे । इस पर शर्म आनी चाहिये कि एक सत्तारूढ़ दल के मंत्री ने बहुमत के बल पर ऐसा कृत्य किया । अगर नैतिकता हो तो इस्तीफा दे देना चाहिये । (शोर) इतना ही नहीं मैं बताना चाहता हूं कि इनके एक राष्ट्रीय नेता के चहेते लक्ष्मी शंकर ओझा जी ने वहां एक मकान पर कब्जा कर लिया है और एक दूसरे इनके चहेते अमर सिंह ने एक मकान पर कब्जा कर लिया है ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय तिवारी जी ने एक सूचना दी और उस सूचना पर वह बोल रहे हैं । मान्यवर, हम कड़े से कड़ा आरोप सुनना चाहते हैं और अपनी जानकारी के आधार पर सही से सही उत्तर देना चाहते हैं । वह सूचना थी एक मकान के बारे में । मान्यवर, आप भी सहमत होंगे कि सूचना एक विषय के बारे में कहा जायेगा, उसमें दूसरा विषय कैसे आ जायेगा ? माननीय तिवारी जी ने दूसरे मकानों के बारे में बात कही । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या जो विषय सूचना में संदर्भित है उसके अलावा किसी दूसरे विषय को ग्राह्यता में लाया जा सकता है

श्री अध्यक्ष–

जो विषय सूचना में लिखा है उस विषय पर तिवारी जी आप अपने विचार सीमित रखें । जो बात आप कह रहे हैं इस में उसका उल्लेख नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं श्रीमन्, मकान हड़पो श्रृंखला की बात बता रहा हूं । एक राष्ट्रीय नेता के चहेते मंत्री हैं और दूसरे राष्ट्रीय नेता के चहेते लक्ष्मी शंकर ओझा हैं जिन्होंने मकान हड़पा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप तिवारी जी की सूचना को देखें माननीय तिवारी जी मूल विषय से हटकर मकान हड़पो श्रृंखला की बात कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने स्वयं कहा है कि सूचना में इसका उल्लेख नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि जो विषय उसमें लिखा हुआ है उससे अलग हटकर भी ग्राह्यता में बोल सकते हैं । यह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की जानकारी होनी चाहिये । अगर इनकी सरकार के लोग मकान हड़पो आन्दोलन में शामिल हैं तो जानकारी तो देनी ही पड़ेगी । मैं आग्रह करना चाहूंगा कि एक गरीब महिला का मकान जिस तरह से हड़पा गया है, उस मकान को तत्काल उस महिला को वापस किया जाय और सत्ता का खुला दुरुपयोग करने वाले ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करके गिरफ्तार करने की मैं मांग करता हूं ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, अभी ग्राह्यता पर बोलते हुये माननीय तिवारी जी ने जानकारी दी है यह बड़ा ही गंभीर विषय है । जबसे हमने होश संभाला है, हम सुनते थे कि मकानों पर कब्जा गुण्डे किया करते हैं मगर मान्यवर, यह जो घटना है जो नियम ३११ के अन्तर्गत आपके सामने प्रस्तुत की गयी है उसका संबंध उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री, श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर से है । जिस मकान का उल्लेख किया गया है २४२/१०३, टैगोर टाउन, उसमें श्रीमती सितारा देवी रहा करती थीं और उस मकान के एलाटमेंट के लिये २१ तारीख को प्रार्थना-पत्र दिया गया था । मान्यवर, २६ तारीख को सत्ता के दबाव से अपने पद का दुरुपयोग करते हुये इस मकान का आवंटन माननीय मंत्री जी की पत्नी श्रीमती अरविन्द सिंह के नाम कर दिया गया ।

मान्यवर, आपको स्वयं ज्ञात है कि रेंट कंट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत मामलों का निस्तारण दसियों साल नहीं होता है । लेकिन यहां पर जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत प्रक्रिया पूरी करनी चाहिये वह पूरी नहीं की गयी है और प्रदेश सरकार के दबाव में, मंत्री जी के दबाव में, प्रशासन पर दबाव डालकर उस मकान पर जबरन कब्जा लेने का काम किया गया है । यह महत्वपूर्ण विषय है, मैं चाहूंगा कि आप इसकी ग्राह्यता को समझते हुये इसको स्वीकार करें और प्रदेश सरकार को निर्देश दें कि ऐसे मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

और इसको आप स्वीकार करते हुये अपनी व्यवस्था, अपना निर्णय देने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो आरोप इस आदरणीय सदन में लगाया गया..... (व्यवधान).... मान्यवर, क्या राणाजी का इसमें नाम है ?

श्री अध्यक्ष–

उनकी सूचना नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं दो बातें कहूंगा । एक तो यह कहूंगा कि जो यह मामला नियमों के संदर्भ में यहां लाया गया, माननीय गुप्ता जी बहुत दिनों तक यहां हम लोगों के साथ बैठे हैं, मैं दो बातें कहूंगा । एक तो यह

कि उस मकान का एलाटमेंट जब किसी व्यक्ति के पास पहले मकान है, उसके बाद दूसरे मकान का एलाटमेंट कैसे हुआ ? इसमें निश्चित रूप से मंत्री की शक्ति या शासकीय शक्ति का दुरुपयोग हुआ या नहीं ? अतः पहले तो एक मकान के होते हुए दूसरे मकान का एलाटमेंट कैसे हुआ, दूसरे गलत एलाटमेंट होने के बाद पुलिस बल देकर उस पर कब्जा कैसे कराया गया ? इसमें स्पष्ट रूप से शासन की शक्ति का दुरुपयोग किया गया है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और इसको टाला नहीं जा सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हर बात में एक राजनीतिक रूप दे देना कदाचित अच्छा नहीं है । वैसे तो वाक् स्वातंत्र्य है । किसी पर कोई आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन माननीय सदस्यगण वस्तुस्थिति को समझने की कृपा करेंगे और साफ हो जायगा कि ऐसा आरोप क्या किसी व्यक्ति के लाभ उठाने का मामला है । इस मकान की स्वामिनी श्रीमती सितारा देवी हैं । कानपुर में रहती हैं और वहीं बच्चे पढ़ते हैं । उनका स्वयं का व्यापार भी है । श्रीमन्, एक श्रीमती सरला चौहान नाम की महिला थीं जिनके कब्जे में वह मकान था, किरायेदार थीं । यह मकान रेन्ट कन्ट्रोल में आता है । यह मकान श्रीमती सरला देवी ने खाली कर दिया । जब वैकेन्सी डिक्लेयर हो गयी तो ७-२-९२ को रिक्त मकान की घोषणा कर दी गयी । तब श्रीमन्, श्रीमती सरला देवी ने प्रार्थना-पत्र दिया १४-२-९२ को कि यह मकान रिलीज कर दिया जाय । आवश्यकता दर्शायी गयी होगी । उस पर पूरी तरह से विचार किया गया और उसके बाद २४-२-९२ को उनका प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया गया और मकान रिलीज नहीं किया गया । फिर यह विज्ञापित किया गया कि इस मकान का एलाटमेंट होना है । मान्यवर, ६ लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिया एलाटमेंट के लिये उसमें एक श्रीमती अरविन्द सिंह का प्रार्थना-पत्र भी था । कुल ६ एप्लीकेशन थीं । जो पद के दुरुपयोग की बात कही गयी तो उसमें से ४ लोगों ने शपथ-पत्र दाखिल नहीं किया था, उनके प्रार्थना-पत्र उपयुक्त नहीं समझे गये, दो रह गये जिसमें एक श्रीमती अरविन्द सिंह का और एक दूसरा था ।

श्री विजय सिंह राणा–

ये प्रार्थना-पत्र मंत्री जी की सिफारिश से दाखिल किये गये होंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, २६-२-९२ को श्रीमती अरविन्द सिंह को एलाट कर दिया गया । इस बीच में जब वैकेन्सी के लिये प्रार्थना-पत्र खारिज किया गया तो मामला न्यायालय में ले जाया गया होता तो हम एलाटमेंट की प्रक्रिया को अवैधानिक मानते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ । २६ तारीख को बाकायदा एलाटमेंट होता है । वकील की सहायता से २७ तारीख को कब्जा लिया, तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया । मैं स्वयं किराये के मकान में रहता हूं, बहुत से माननीय सदस्य किराये के मकान में रहते होंगे, एलाटमेंट की प्रक्रिया समझते होंगे । हां, एक आरोप लगाया गया कि उनके पास एक अलग मकान है, माननीय प्रमोद तिवारी जी स्वयं इलाहाबाद के रहने वाले हैं, भगवान करे इनके पास २० मकान हों, हमें खुशी होगी, माननीय तिवारी जी का मकान हमारा मकान है, लेकिन माननीय गौड़ जी का जहां तक ताल्लुक है, उनका मकान दो कमरे का यूनीवर्सिटी का क्वार्टर है । आप जानते हैं, विधायक हो गये हैं । विधायक बनने के पहले शुरू का जीवन जो भी रहा हो, मैं उदाहरण देता हूं कि १० लोग मिलने आते थे ।

तो विधायक होने के बाद १० लोगों की संख्या बढ़कर १०० हो जायगी, हम लोग कोई कार्यालय बनाते हैं तथा मकान बनाते हैं, श्रीमन्, श्रीमती सिंह ने एक आवेदन-पत्र दिया कि मेरी आवश्यकता पूरी नहीं होती है, मेरे नाम मकान एलाट कर दिया जाय ।

बस्ती के विधायक ने एक प्रार्थना-पत्र दिया कि हमें मकान एलाट कर दिया जाय । एलाटमेंट हुआ या नहीं हुआ वह विवाद का विषय है, लेकिन किसी को भी एलाटमेंट का प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार है । मान्यवर, यह एलाटमेंट नियमानुसार हुआ है और ऊपर कोई मामला है, तो वह कोर्ट में जा सकता है, कहीं पर भी नियमों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । यह मान्यवर, जान-बूझकर राजनैतिक बदले की भावना से हम किसी के चरित्र हनन के लिए [xxx] आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, यह अच्छा नहीं है । मान्यवर, एक दूसरा बिन्दु है, मान्यवर, मैंने शांतिपूर्वक सुना, क्योंकि मेरे पास बाकायदा उत्तर देने की सब जानकारी थी, मान्यवर, नियम ३११ में यह सूचना कहां से आ जायगी, माननीय तिवारी जी ने अपनी ब्रीफ केस से किताब निकाल लिया, इधर भी किताब है, मैं उधर भी बैठ कर नियम ३११ की सूचना देता था सुनी गयी, मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मान्यवर, ग्राह्यता के बारे में यह शर्त पूरी नहीं होती है, इसलिए मान्यवर, इसे अग्राह्य घोषित करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक लाइन प्रकाश में नहीं डाली, जो सोने की चैन कब्जे के समय गायब कर दी गयी, लेकिन करने वाले ने कितनी घृणित और कुत्सित कार्यवाही की है । मान्यवर, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि २६-२-९२ को एलाटमेंट होता है और जिस श्रीमती सितारा देवी के नाम मकान है, इस तथ्य को भी मंत्री जी छिपा गये, श्रीमती सितारा देवी के पास खरीदने का कागजात है । जब वह खरीद चुकी हैं और वैकेन्सी के लिए कोर्ट में मामला पेंडिंग है और न्यायालय में जब प्रकरण पड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से इस बीच में अगर २६-२-९२ को असामाजिक तत्वों, अराजक तत्वों के साथ, पुलिस के साथ जाकर किसी महिला को सड़क पर बैठाल दिया जाय, तो यह रोजी-रोटी देने वाली सरकार को धिक्कार है । मैं तो इस चीज को बहुत आदर के साथ मानता, अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री स्पष्ट कर देते । २६ को फैसला हुआ, २७ को सुबह कि वह न्यायालय में जा सकें, उसके पहले कार्यवाही कर दी गयी ।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय तिवारी जी ने नियम ३११ की ग्राह्यता के बारे में सूचना रखी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बहुत विस्तार पूर्वक अपना स्पष्टीकरण दिया और उसके बाद कोई भाषण की आवश्यकता हो नियम ३११ के बारे में, मैं नहीं समझता ।

(व्यवधान)

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री देवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, एक तो ये हमारे माननीय मंत्री जी के परिवार पर गलत आरोप लगा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर मंत्री आवास की नोटिस जाने के बाद भी ये आवास खाली नहीं कर रहे हैं, यह इनका काम रहा है, यह कांग्रेस की कल्चर रही है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

चोरी का भी आरोप लगाया है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि वह मकान मुझे नेता कांग्रेस विधान मण्डल दल के रूप में आवंटित किया गया है और मैं इनकी कृपा पर नहीं हूं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, और सुन लें । जब यह कार्यवाही हो गयी, तो वह महिला थाने गयी, ५ घण्टे तक उसको थाने पर बिठाये रखा गया, उसकी एफ० आई० आर० नहीं लिखी गयी । मान्यवर, एफ० आई० आर० तो लिखी ही जानी चाहिये थी, उसकी जांच होती और अगर उसके तथ्य गलत होते तो उसको सजा दी जाती । मान्यवर, यह कितनी गम्भीर बात है कि उस महिला को और उसके बच्चों को थाने में बैठाये रखा गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, यह सब आपको पहले कहना चाहिये था ।

श्री प्रमोद तिवारी–

उसका मकान आप वापस करायें और ऐसे भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त किया जाये ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष–

नहीं, आप रुकिये ।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि वह जो महिला थी, वह कानपुर में रहती है और उसका वहीं पर व्यापार है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि २७ तारीख को जब कब्जा लिया गया तो वह वहीं पर थी और जब वह थाने गयी तो ६ घण्टे तक उसको वहीं पर रखा गया । मान्यवर, मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह तो आपकी सूचना है, उन्होंने अपनी सूचना के आधार पर कहा है ।

(व्यवधान)

(सर्वश्री इस्लाम साबिर, मो० मुकीम, सुधीर, खालिद गौरी, भारत सिंह चौहान और श्याम नारायण आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

(व्यवधान)

श्री इस्लाम साबिर–

उस महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, मंत्री को बरखास्त किया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना आसन ग्रहण करें ।

(सदन के फ्लोर पर आये सभी माननीय सदस्य वापस चले गये)

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मेरी सूचना है और मुझे ही मौका नहीं मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर और प्रत्युत्तर का अधिकार नहीं है ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने अभी इस प्रकरण पर जो अपना वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने दो बाते कह दी हैं । मान्यवर, ६ एप्लीकेन्ट थे जिसमें ४ ने शपथ-पत्र दाखिल कर दिया दो ने शपथपत्र दाखिल नहीं किया, उसमें माननीय श्रीमती अरविन्द सिंह जी का नम्बर कहां था ? यह कानून में प्राविधान है कि जिस व्यक्ति के नाम एक मकान एलाट हो उसके नाम दूसरा एलाट नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप घटना के ऊपर बोल रहे हैं । आप बैठें ।

(श्री दिनेश चन्द्र सोनकर– श्री किशोरी श्याम के लगातार एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रार्थना यह थी कि सदन का कार्य नियमानुसार चले सामान्य परम्परा और परिपाटी यही है कि उसके बाद जब उत्तर हो जाता है तो सामान्यता किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है । अगर कोई धींगामुश्ती करके खड़ा हो जाय तो आपको संरक्षण देना चाहिए । एक स्पष्टीकरण पूछा गया तो उसका उत्तर दिया । अब नई बात आ गयी तो मेरा कर्तव्य हो जाता है कि उसका उत्तर दूं । मान्यवर, यह राजनीतिक विद्वेषवश आरोप लगाये गये हैं, इसका मैं खण्डन करता हूं मैंने सूचना बड़े गौर से पढ़ी है, उसमें कहीं कोई एफ०आई०आर० की बात नहीं है न २० हजार रुपये की बात की जानकारी है । अब ये यह तथ्य सामने लाये हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर इसमें कोई सत्यता है तो कृपा करके इन्हें एफ०आई०आर० खुद लानी चाहिए थी ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इसे स्थगित कर दें, मैं एफ० आई० आर० की कापी दूंगा । मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ विश्वासपूर्वक सदन में कहता हूं कि [× × ×] २० हजार की चोरी की है और सोने की चैन की चोरी की है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक बात कहता हूं जब न्यायालय में मामला चला गया, आप कानून के भिज्ञ हैं अगर न्यायालय में मामला चला गया तो मात्र मामला न्यायालय में चले जाने से स्थगनादेश नहीं हो जाता । तो जो कार्यवाही हुई है वह पूरी तरह से विधिमान्य है । इस तरह की हल्की बात पर आरोप लगाना निहायत गलत है और मैं इन गलत बातों की घोर निन्दा करता हूं और आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो "अपराध करेगा", "बेइमानी करेगा" शब्द जो कहे गये हैं, आप कार्यवाही देख लें और उनको कार्यवाही से निकालने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, [× ×.×] ने सीतापुर के [× × ×] मकान पर कब्जा किया है । [× × ×] मैं [× × ×] घोर शब्दों में निन्दा करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है, मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अगर यह साबित कर दें तो मैं उस मकान की चाभी इनको दे दूंगा और उस मकान और उसमें रखे सामान के मालिक तिवारी जी बन जायेंगे ।

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मुनेन्द्र अवस्थी के मकान को इनके [× × ×] ने खरीदा है ।

[xxx]

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

ऐसा कोई मकान यह मेरे नाम दिखा दें मकान की चाभी इनको दे दूंगा, मकान इनका, सम्पत्ति इनकी ।

नोट:– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

एक सदस्य–

मान्यवर, यह अनर्गल बातें कार्यवाही से निकाली जायं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं [× × ×] इस कार्य के लिये निन्दा करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अनुचित शब्द नहीं लिखे जायेंगे । मैंने सूचना को अग्राह्य कर दिया है, कृपया शांत रहें । आप लोग कृपया शांत रहें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस विषय पर कोई बोले तो मुझे बोलने का मौका मिले ।

मैं खुले शब्दों में मुनेन्द्र अवस्थी के सीतापुर के मकान पर [× × ×] कब्जा करने का आरोप लगाता हूं, उनकी निन्दा करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह किसी ऐसे मकान की जानकारी दे दें जिस पर मेरा कब्जा हो, यह उसकी चाभी ले लें, मकान की पूरी सम्पत्ति इनकी हो जायेगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

[xxx] मुनेन्द्र अवस्थी के मकान पर कब्जा कर लिया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं भी कह रहा हूं कि ऐसा कोई मकान हो उसकी चाभी ले लें । मुनेन्द्र अवस्थी ने अपराधियों के बल पर एक मकान पर गलत कब्जा कर लिया था, उस मकान को अपराधियों के चंगुल से खाली करा दिया गया ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह मैं अपेक्षा करता हूं कि अध्यक्ष खड़े होंगे तो दोनों पक्षों के लोग बैठ जायेंगे । मुझे इधर से भी निराशा हो रही है । मैंने इस सूचना को अग्राह्य कर दिया है । मैं अगली सूचना ले रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है आज सदन में आपके समक्ष तमाम बातें हुईं...

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

वह कार्यवाही से निकाल दिया है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

इस सदन में हम लोग बैठे हुए हैं आप संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा ? मंत्रियों से अपेक्षा नहीं की जाती है वे इस तरह से मकानों पर कब्जा करेंगे, खुला आरोप यहां पर लगाया गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उस सूचना को अग्राह्य कर दिया है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, आप संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा आप सुन लें ?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि स्वामी नाथ जी कृपया बैठ जायं मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, किसी मंत्री पर आरोप लगा .....

श्री अध्यक्ष–

मेरी बिना अनुमित के जो बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा । मैंने सूचना निरस्त कर दी है ।

(घोर व्यवधान)

तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी व श्री नरेश अग्रवाल की इटावा से प्रकाशित 'कविता' के प्रकाशन आदि के संबंध में है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, पिछले दिनों भी इस आदरणीय सदन में यह बात उठी थी कि जिन लोगों ने अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

वह दमन चक्र जारी रहा और उसी दमन चक्र के तहत इटावा से निकलने वाले एक अखबार "दैनिक सविता" जो कि डी०ए०डी०पी० और उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशालय से मान्यता प्राप्त है, उस अखबार ने इस सरकार की पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ और इस नौकरशाही के खिलाफ सत्यता लिखी । उसका परिणाम यह निकला कि इस सरकार ने अपने नौकरशाही के दबाव से उस अखबार के

सम्पादक के खिलाफ झूठा मुकदमा कायम कर दिया, उसके ऊपर गुण्डा एक्ट लगा दिया, गैंगेस्टर एक्ट लगा दिया और उस अखबार की निर्भीकता को समाप्त करने के लिए उसके दफ्तर को सील कर दिया। एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की दुहाई देते हैं कि अखबारों की निष्पक्षता और निर्भीकता को नहीं रोकेंगे वहीं दूसरी तरफ यह घृणित कार्य करके उन अखबारों को बन्द करने की साजिश कर रहे हैं। जो अखबार सरकार की काली करतूतों को निर्भीकता से उजागर कर रहे हैं आज आप उसको बन्द करवा रहे हैं। यदि आज आप उस अखबार को बन्द कर देंगे तो उसमें काम करने वाले जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उसके लिए खतरा पैदा हो जायेगा, उनके बाल बच्चे भूखों मर जायेंगे।

मान्यवर, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा खम्भा माना जाता है और आज उसको खतरा पैदा हो गया है। हो सकता है कि आज इस अखबार ने निकाला है, कल को "नव भारत टाइम्स" किसी मंत्री के बारे में कुछ लिख दे तो क्या आप उसको भी बन्द कर देंगे ? श्रीमन्, इस सदन के सर्वोच्च पद में बैठकर इन काली करतूतों के विरुद्ध हम आवाज उठायें, तो श्रीमन्, आप ऐसा निर्णय लेंगे कि भविष्य में इस प्रकार का कार्य न हो। मैं नियम–३११ के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा दें और इस पर सरकार का बयान दिला दें और सरकार को यह निर्देश दें कि कम से कम प्रेस की निर्भीक्ता और निष्पक्षता पर अंकुश न लगायें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं भी इस विषय के तहत कहना चाहता हूं। .....

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से अगर एक सूचना में सारे सदन को सुन लेंगे तो वह चर्चा हो जायेगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, मैंने इस विषय पर नियम–५६ के अन्तर्गत सूचना दी थी और आपने यह कहा था कि इसको जब माननीय नरेश अग्रवाल जी बोलेंगे तो सुन लूंगा। इसलिए मुझे बोलने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है आप बोलें। लेकिन बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, मैंने जो सूचना दी थी उसकी ग्राह्यता पर बहुत ही संक्षेप में कहूंगा। श्रीमन्, भारतीय प्रेस काउन्सिल के अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश सरकारिया ने इसी समाचार पत्र के विषय में जो इटावा से प्रकाशित हो रहा था उसका प्रकाशन सुनिश्चित हो, उसके लिए लिखा था। माननीय राजस्व मंत्री श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने इटावा के इसी समाचार पत्र का प्रकाशन ठीक से हो, वहां के जिलाधिकारी और एस० पी० को लिखा था लेकिन वहां के जिलाधिकारी ने इस समाचार पत्र के प्रकाशन पर रोक लगा रखी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर कानपुर है, वहां के पत्रकार आन्दोलित हैं और पत्रकारों के इस आन्दोलन में इस आदरणीय सदन के कई विधायक भी सम्मलित हैं। श्रीमन्, आप जानते हैं कि पत्रकार जनहित के मुद्दे उठाते हैं। "दैनिक जागरण" समाचार-पत्र के एक छायाकार अधीर कुमार सिंह लल्ला को वहां के पुलिस कप्तान ने सुनियोजित साजिश के तहत जान से मारने की कोशिश की है। वह प्रेस से वापस अपने घर जा रहे थे, स्कूटर से जा रहे थे, रास्ते में उन पर हमला

हुआ। वे स्कूटर छोड़कर भागे । जब स्कूटर के मालिक को थाने पर बुलाया गया तो इसी आदरणीय सदन में विराजमान मंत्री माननीया प्रेमलता कटियार के परिवार के एक सदस्य पप्पू थाने में गये और उन्होने सुरेश को छुड़वा दिया ।

मान्यवर, इस घटना से पत्रकार सड़कों पर आ गये हैं और न केवल कानपुर के बल्कि प्रदेश के पत्रकार आन्दोलित हैं । मैं भी पत्रकार हूं, शासन का जो कोड होता है, उसका पत्रकार हूं, सम्पादक हूं, मैं भी एक छोटा सा पत्र निकालता हूं । मान्यवर, अगर पत्रकारों को लिखने नहीं दिया जायेगा और इसी तरह सताया जायेगा, तो हमारी बात जनता तक कैसे पहुंचेगी ? मान्यवर, आज एक सुनियोजित साजिश के तहत यह सब हुआ है । वहां के पुलिस कप्तान चाहते हैं कि मामला आगे न बढ़े, लेकिन अभी भी पत्रकार आन्दोलन कर रहे हैं, प्रेस क्लब वाले कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं । यह लोग एक-एक पत्रकार को दबाना चाहते हैं । जिन छायाकार पर हमला हुआ है, उनका शैडो भी वापस ले लिया गया है, इस सबसे पत्रकार दहशत में हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, नियम–५६ में मैंने भी सूचना दी हुयी है, आपने एक सम्मानित सदस्य को नियम–५६ में सुना है, मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम–३११ में एक सूचना दी और इसी विषय पर एक सूचना नियम–५६ में भी दे दी है । माननीय हृदय नारायण को नियम–५६ में इसलिये सुना है, ताकि एक ही साथ यह निस्तारित हो जाय ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरी अलग सूचना है, दैनिक जागरण के संबंध में मेरी सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो मामला चल रहा है, यह समाचार पत्र 'सविता' के बारे में है । माननीय तिवारी जी आप की नियम–५६ में सूचना दैनिक जागरण के संबंध में है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप मुझे नियम–५६ में अलग से सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

हां मैं आप को सुन लूंगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

तो मान्यवर, मैंने जो नियम–५६ में सूचना दी है, उसका विषय बड़ा गंभीर है और तिवारी जी भी इस पर बोलना चाहते हैं । मैं चाहता हूं कि नियम–५६ के अन्तर्गत इसे स्वीकार कर चर्चा करवा दें ताकि सारी बातें साफ-साफ आ जायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारी दिक्कत यह है कि जब हम यह कोशिश करते हैं कि आदमी को न्याय मिले तो जिसके द्वारा अन्याय किया गया है, स्वाभाविक है अन्याय करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, तो इससे लोगों को परेशानी पैदा हो जाती है, ठीक इसी तरह का प्रकरण इटावा का है। मान्यवर, इटावा में, जिस अखबार का नाम यहां लिया गया है, इसको सरकार ने रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, उन्हें पूरी आजादी है कि वह अखबार चलायें। धर्मपाल चतुर्वेदी नाम के सज्जन हैं, उन्होंने हिन्दू एजूकेशन सोसाइटी की जमीन पर फर्जी ढंग से कब्जा कर लिया था तथा लड़कों के छात्रावास पर, बलात लड़कों को खदेड़कर वहां भी कब्जा कर लिया। यह मामला सरकार के पास, वहां के जिला प्रशासन के सामने आया। पूरे मामले की जांच कराई गयी और जांच कराने में पाया गया कि इन्होंने हिन्दू एजूकेशन सोसाइटी की ७६ बीघे जमीन पर अवैधानिक तरीके से कब्जा किया। जांच करने के पश्चात् उस जमीन को खाली करा लिया गया, इसमें मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहता, जब खाली कराया जायेगा तो स्वाभाविक है, उनका प्रेस वहां से हटेगा, लेकिन पत्रकार को अखबार निकालने की कोई पाबंदी नहीं है, वह अपना अखबार निकालें, लेकिन इस बात को कैसे बर्दाश्त किया जायेगा कि किसी के घर में कोई घुस जाय, लड़कों को मारकर भगा दे। मैं बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, नहीं अभी अनावश्यक सवाल जवाब होने लगेंगे। मान्यवर, इनका पूर्व इतिहास देख लें, किस तरह की धाराओं में यह लिप्त रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अखबार निकालने की आजादी है। अगर कोई गलत काम करेगा, तो भुगतेगा। सरकार की ओर से उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं किया गया। यह बात सही है कि उन्होंने किसी के दबाव में, किसी की सहायता से, किसी के प्रोत्साहन पर, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, जानकारी मुझे सब है, लेकिन हिन्दू एजूकेशन सोसाइटी की ७६ बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था, उसे ही खाली करवाया गया है छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अब कहीं पर भी कोई भी दादागिरी के बल पर किसी के मकान पर बलात् कब्जा नहीं कर सकता है। यदि कोई इस तरह से करता है तो मकान को खाली कराया जायेगा। कल तक भय की वजह से किसी के पास कोई जुबान नहीं थी लेकिन आज श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने बेजुबानों को भी जुबान दे दी है। यह कहना गलत है कि हमारे पास सूचना नहीं है। वहां पर पत्रकारों में कोई आन्दोलन नहीं है। वहां पर पूरी तरह से शान्ति है।

मान्यवर, कानपुर की बात कही गई। श्री लल्ला जी पर हमला हुआ। यह बात सही है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हुं कि हमला किन कारणों से हुआ था, राज्यपाल जी के साथ क्या किया गया था। मैं केवल सिद्धान्तों की बात करना चाहता हुं। हमने गलती की और हम अपराधी हैं परन्तु सरकार इसको भी प्रोत्साहन नहीं देगी कि किसी अपराधी को बदले की भावना से कोई दण्डित करे। हम दूसरे के अपराध को भी अपराध मानते हैं। हमारे लिए दूसरा आदमी भी अपराधी हैं। इस लिए हमने श्री लल्ला जी के मामले को इसी रूप में लिया है। उसकी भी एफ०आई०आर० हुई। राज्यपाल के कार्यक्रम में उन्होंने जो किया, वह अलग से चल रहा है। उसे मैं इसके साथ नहीं जोड़ रहा हूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

राज्यपाल के कार्यक्रम को इस प्रकरण के साथ आप कहां जोड़ रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसलिए हमने उस हमले को गम्भीरता से लिया है। आप भी उससे सहमत होंगे। श्री लल्ला जी पर जो हमला हुआ और जो अपराध संख्या ९७/९२ है, उसके तहत श्री सुरेश कुमार गुप्त, श्री अवधेश कुमार और एक कांस्टेबल श्री किशोर सिंह जी को गिरफ्तार किया गया है। दफा ३०७ का मुकदमा कायम किया जा चुका है। सरकार यही कर सकती है। और भी जो मुल्जिम हैं, उनको पकड़ने

हेतु भी पूरी कठोर कार्यवाही की जायेगी । हम इस बात को मानकर चलते हैं कि हमारा वैचारिक दृष्टिकोण कुछ भी हो लेकिन पत्रकार, पत्रकार है । उसे समाचार के संकलन व प्रकाशन की पूरी आजादी हेतु सभी सुविधायें सरकार मुहैय्या करायेगी । जब हम उधर बैठते थे, तो पत्रकारिता की आजादी हेतु हम अपनी आवाज उठाते रहे हैं, आज भी हमारी वही आजादी है । हमारे वैचारिक मतभेद कुछ भी हों, वह हमारे खिलाफ लिखना चाहते हैं तो लिखें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है । लिखने की पूरी आजादी व उनकी सुरक्षा की पूरी गारन्टी देने का मैं आश्वासन देता हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जब कभी किसी पत्रकार व किसी विधायक के ऊपर हमले का मामला यहां पर उठता है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक रटी रटाई बात कह देते हैं कि माननीय श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में भय मुक्त समाज की रचना करके किसी को अपराध नहीं करने देंगे । उन्हीं के नेतृत्व में उनके ही मंत्रिपरिषद् के लोग मकानों पर कब्जा कर रखे हैं । दिनांक १३-१२-१९९१ को आपके ही राजस्व मंत्री ने जिलाधिकारी, इटावा को इन पत्रकार के बारे में एक पत्र लिखा है । क्या मैं यह समझूं कि आपके मंत्री ही अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं । क्योंकि आपने उस पत्रकार को अपराधी कहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कई बार ऐसे संदर्भ आते हैं । कई माननीय सदस्य व जन प्रतिनिधि किसी केस को लेकर हमारे पास आते हैं तो प्रथम दृष्टया उसके ऊपर कोई टिप्पणी लिखी जाती है । उसे फाड़ तो सकते नहीं हैं । उसके बाद हमारे अधिकारी सही तथ्यों की जानकारी हमें देते हैं । जानकारी के बाद हम अपने विचारों को बदलते भी हैं । इसका मतलब यह नहीं है कि हम नौकरशाही के दबाव में कार्य करते हैं । हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों का पुनीत दायित्व है कि हमें सही तथ्यों से अवगत करायें। अगर माननीय ब्रह्मदत्त जी ने कोई बात कही है तो उनके सामने बात आई होगी उन्होंने लिखा होगा। वह यहां पर मौजूद हैं । हमने अधिकारियों को कहा है कि सही तथ्यों पर कार्य करें इसलिये कोई दबाव डालने की बात नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जो यह कानपुर का मसला है कानपुर के प्रेस फोटोग्राफर ने वहां के एस०एस०पी० को चार्जशीट किया है और कहा है कि एस०एस०पी० के इशारे पर यह हुआ । वहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा के समय जिस स्थान से वह फोटो लेना चाहते थे, जो जगह उसके लिये आवंटित थी....

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं देता । माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से कहां इसका संबंध है जो स्पष्टीकरण आप ले रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने कहीं यह बात नहीं कही, कैसे आप निकाले हैं इस बात को (व्यवधान) यह स्पष्टीकरण में नहीं आता है । मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, सारी चीजें हो चुकीं (व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

वहां के पत्रकारों का यह कहना है कि जब डा० जोशी की यात्रा निकली (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह बात न तो मूल सूचना में है और न मौखिक में पहले आपने कहा और न संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसे अपनी बात में कहा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

पुलिस ने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

(श्री हृदय नारायण दीक्षित के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं माननीय दीक्षित जी आप बैठें। नियम ३०० में यह नहीं आता मैं इसे निरस्त करता हूं और नियम ५६ में भी श्री हृदय नारायण जी की सूचना है उसको भी निरस्त करता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती गुलाब देवी–

मान्यवर, क्या इस पर चर्चा की जा रही है ?

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, पिछली बार भी मैं इस आदरणीय सदन का सदस्य था और आप भी वर्षों से इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे हैं और आज इस पीठ पर बैठे हैं। लेकिन पिछली बार जो हम देखते थे उससे भिन्न इस बार यहां पर हो रहा है, एक बहुत बड़ा अन्तर यहां पर दिखायी दे रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के वक्तव्य के बाद कभी भी इस तरह से स्पष्टीकरण नहीं होते हैं। लेकिन ऐसी परम्परा बन रही है कि लगातार माननीय सदस्य बोलते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है आपकी बात। (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, यह आपको पाठ पढ़ा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

तीसरी सूचना माननीय कैलाश नाथ सिंह और राम सरन जी की है। वह नहीं हैं।

चौथी सूचना माननीय बी० आर० वर्मा जी की है। (व्यवधान)

(श्रीमती प्रेमलता कटियार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

क्या आपको कुछ कहना है ? (व्यवधान)

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कॅ्यिार)–

मान्यवर, एक गलत वात यहां पर कही गयी इसलिये कहने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की बात माननीय सदस्य ने कही है जिसको छुड़ाने की बात पर चर्चा हमारे परिवार की आयी है। सुरेश नाम के व्यक्ति को घटना के १८ घंटे के अन्दर जेल भेजा गया है ११ दिन से वह जेल में है मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने उसे नहीं छुड़ाया है। (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, यह गलत है, यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जब आरोप आ गये हैं तो मुझे कहने की अनुमति दें।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, यह मामला विशेषाधिकार का है, मैं लिखित नोटिस भेज रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

सुरेश गुप्ता को पकड़ा गया। मंत्री जी के परिवार का सदस्य पप्पू वहां गया और उसको छोड़ दिया गया। बाद में पुनः पकड़ा गया या नहीं उसके बाद की जानकारी मुझे नहीं है। मगर सरकार की दृष्टि साफ नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

(व्यवधान) मान्यवर, १६ तारीख को सुरेश जेल भेज दिया गया है। मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने किसी तरह से कोई पैरवी नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष–

मैं अपेक्षा करता हूं कि मा० सदस्य जब कभी किसी मंत्रि परिषद् के सदस्य पर अथवा दूसरे माननीय सदस्य के ऊपर आक्षेप लगायें तो सबसे पहले तथ्यों की पुष्टि कर लें। भविष्य में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मंत्री जी पर मेरा कोई आरोप नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, पिछले सत्र में झूठ बोलने के सवाल पर यहां कहा गया था कि यह शब्द असंसदीय है लेकिन अभी बार-बार उधर से आ रहा है कि मा० सदस्य झूठ बोल रहे हैं, इसलिये इसे कार्यवाही से आप निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं देख लूंगा। (व्यवधान)

अब आप लोग व्यवधान पैदा न करें। मैंने व्यवस्था दे दिया है और मा० मंत्री जी एवं मा० सदस्य संतुष्ट हो गये हैं, इसलिये अब मैं किसी को अनुमति नहीं देता हूं। आप लोग बैठ जायं।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने नियम ३११ के तहत जो सूचना दी है वह अनुसूचित जाति का एक राम कुमार है जिसकी हत्या कर दी गयी है। मान्यवर, उसका मात्र इतना गुनाह था कि वह [×××] जाति की मां से पैदा हुआ था। उसका दूसरा गुनाह था कि वह स्वाभिमान और सम्मान तथा सर ऊंचा करके जीने वाला व्यक्ति था यह बात वहां के सवर्ण लोगों को रास नहीं आयी और जैसा होता है कि यदि कोई [×××] व्यक्ति स्वाभिमान और सम्मान से सर ऊंचा करके चलता है तो उसको तमाम धाराओं में फंसाकर जेल भिजवाया जाता है या पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उसकी हत्या कर दी जाती है और वही राम कुमार का हुआ कि उसकी हत्या कर दी गयी। (व्यवधान)

श्री राम किशन ददाजू–

मान्यवर, इन्होंने [xxx] शब्द का प्रयोग किया है इसलिये इसे कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, निकलवा देंगे।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, तो बात यह है कि जब वह लोग वहां पर सभा करने के लिये गये तो उनको सभा नहीं करने दिया गया। (इस समय ६ बजकर ३५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बसन्त लाल गुप्त पीठासीन हुए) वहां गोलियां चलायी गयीं। हत्या हो और पुलिस फर्जी मुठभेड़ में मारे और इसके खिलाफ कोई सभा करना चाहे, प्रदर्शन करना चाहे तो उसे न करने दिया जाय। मान्यवर, यह खेद कीं बात है। दूसरी बात यह है मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में कन्दरापुर थाने के अन्तर्गत जांच हुई । मान्यवर, जैसी विधिक व्यवस्था है, उस विधिक व्यवस्था के तहत वहां पर मैजिस्टीरियल जांच हुई। वहां के जो ए० डी० एम० हैं उनकी दलाली में जांच हुई। मान्यवर, जैसी कि हमेशा घोषणा की जाती रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, एक मिनट में कह दूं।

श्री अधिष्ठाता–

देखिये, बहुत से विषय हैं अभी होने को।

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मान्यवर, वहां जांच हुई। जांच के बाद मजिस्ट्रेट ने १७ व्यक्तियों के खिलाफ एफ० आई० आर० लिखाई। परन्तु मान्यवर, बड़े दुख की बात है, यहां पर हमेशा से घोषणा होती रही है कि जांच में जो भी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। लेकिन मान्यवर, जो दोषी पाये गये उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मान्यवर, यह गम्भीर मामला है। मैं चाहूंगा कि इसमें तत्काल दोषी लोगों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे बन्द किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस दुःखद घटना की ओर माननीय सदस्य ने नियम-३११ में ध्यान आकर्षित किया है। यह सच में एक चिन्ताजनक बात है। मैं तरीकों के क्रम में नहीं जाना चाहता। जाऊंगा तो फिर विवाद चालू हो जायेगा कि आपने सरकार का नाम ले लिया। माननीय सदस्य को जानकारी होगी और उसका समाधान भी हो जायेगा। आप किसी राम कुमार के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, जिनकी हत्या हुई थी। प्रथमदृष्टया यह बात सच पायी गयी कि इन्काउन्टर में कोई संदेह है। मैजिस्टीरियल जांच करायी गयी। मजिस्ट्रेट की जांच में रिपोर्ट आ गयी कि इन्काउन्टर फर्जी हुआ। उसके बाद मामला दब गया यह भी सही है। मान्यवर, समाज के निर्बल वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मान्यवर, हमने सूचना अंकित करवा दी है उसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही हो रही है। मान्यवर, यह तो आप जानते हैं कि कई महीनों से यह मामला दबा था। रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी हैं। जो भी पुलिस अधिकारी हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ प्रथम सूचना अंकित कर दी गयी है। इसलिये यह कहना कि हम अपनी तरफ से अपराधियों को छिपाना चहते हैं, यह गलत बात है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, एफ० आई० आर० लाज हुए दो महीने हो गये। आज दो महीने के बाद भी वह पुलिस अधिकारी, एस० आई० जो दोषी है। वह अपने पद पर कार्य कर रहे हैं। उन्हें न तो वहां से हटाया गया न ही वह जेल भेजे गये। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वह उत्तर दें तो मेरी दो बातों का उत्तर अवश्य दें। पहली बात कि जो दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जायेगा और उस नौजवान की हत्या जो हुई है उसमें क्या सरकार उसके परिवार को मुआवजा देगी?

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं माननीय सदस्य की जिज्ञासा शान्त करना चाहता हूं। यह इन्काउन्टर १९ फरवरी, १९९० को हुआ था। उस समय हमारी सरकार नहीं थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैजिस्ट्रीयल इन्क्वायरी में यह बात सुनिश्चित हुई है कि पुलिस कर्मी दोषी हैं तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी इसमें सी० आई० डी० को जांच सौंप दी गयी है।

श्री मोहम्मद मुकीम–

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से देश के किसान और प्रदेश के किसान अपनी फसल को सूखे से बचा नहीं पा रहे हैं दूसरी तरफ सरकार उन किसानों से वसूली की कार्यवाही इतनी तेजी से करा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता पर बोलें।

श्री मोहम्मद मुकीम–

मेरी बात सुन लें। मैं नया सदस्य हूं।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें २६ तारीख को वक्तव्य हो चुका है।

श्री नरेश अग्रवाल–

यह वसूली से संबंधित है।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें वसूली का नहीं है।

श्री मोहम्मद मुकीम–

मेरी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

आप मेरी भी तो बात सुन लें फिर आप अपनी बात सुनायें।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, नियम-५६ में इसी विषय पर सूचना है मेरा आपसे अनुरोध है कि इसी के साथ मुझे भी आप सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

आपको बोलने का मौका दिया जाएगा पहले उन्हें बोल लेने दें।

श्री मोहम्मद मुकीम–

सरकार किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान नहीं कर रही है। दूसरी तरफ सरकार वसूली इतने भीषण तरीके से कर रही है। किसानों को पकड़-पकड़ कर जेलों में भरा जा रहा है। किसान अमीनों को

देखकर अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। मान्यवर, मेरे जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे तहसील इटवा डुमरियागंज के किसानों से कर्जे की वसूली के नाम पर जेलों में भरा जा रहा है। मैं सरकार की स्पष्ट नीति जानना चाहता हूं। सरकार इसकी नीति स्पष्ट करे और किसानों से जो वसूली की जा रही है उसको स्थगित करे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह सूचना सही नहीं है कि किसान घर छोड़कर भाग रहे हैं उनके साथ प्रताड़ना की कार्यवाही की जा रही है। माननीय सदस्य जो कर्जा माफ हुआ था उसके संदर्भ में जानना चाहते हैं किसानों की फसल खराब हुई, लेकिन बकाया तो बकाया है। अगर बकाये की वसूली नहीं की जायेगी तो सरकार का कैसे काम होगा। जिलाधिकारियों को निर्देश हैं कि प्रताड़ना की कार्यवाही ऐसी न करें जो आवश्यकता से अधिक हो और रही अमीन की बात, तो अमीन तो जायेगा ही। लेकिन अमीन तो पैसा मांगने जायेगा ही अगर पैसा नहीं मिलेगा तो अन्य काम कैसे चलेंगे। मैं पहले भी इस संबंध में स्पष्ट कर चुका हूं कि हमें किसानों की चिन्ता है इसलिये प्रताड़ना की कार्यवाही करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि जिलाधिकारियों को यह अधिकार होते हैं कि वह बकाया जो है, उसकी किश्तों में वसूली कर लें। माननीय सदस्यों का सम्पर्क उनसे रहता है। अगर कहीं कोई ऐसी बात है तो जिलाधिकारी से बात कर लें, किश्तों की व्यवस्था हो जायगी।

श्री अकबर हुसैन–

मान्यवर, यह सरकार गन्ना किसानों की कितनी हमदर्द है और उनके लिये कितनी चिंतित है यह मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। किसानों की ऋण माफी योजना में अगर मेरी जानकारी सही है तो ६४४ करोड़ रु० माफ हुआ था जिसका भार वित्तीय संसाधनों और बैंकों के अलावा गन्ना सहकारी समितियों को भी उठाना पड़ा है। लगभग ३२ करोड़ रुपये का भार गन्ना सहकारी समितियों पर पड़ा। मेरी जानकारी है कि ३२२ करोड़ रुपये, केन्द्र सरकार के नाबार्ड द्वारा जितना चाहिए था उसका ५० प्रतिशत मिल चुका है और बाकी वित्तीय संस्थाओं ने दिया है। आप चूंकि गन्ना किसानों के बारे में ज्यादा चिंतित हैं इसलिये गन्ना सहकारी समितियों को एक पैसा भी नहीं दिया है। ३२ करोड़ रुपयों में से १६ करोड़ रुपये उनके हिस्से में आना चाहिए लेकिन एक पैसा भी आपने नहीं दिया है जिससे गन्ना सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति चरमरा गयी है और वह अपने सदस्य किसानों को कर्ज नहीं दे पा रही हैं। इससे सारे गन्ना किसानों में रोष व्याप्त है। मैं चाहूंगा कि इसको स्वीकार करके सरकार से इस पर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, नियम ३११ में इसी विषय पर मेरी भी सूचना थी।

श्री अधिष्ठाता–

मैं दिखवा रहा हूं। (कुछ समय के उपरान्त)

ठीक है, आप एक मिनट में अपनी बात कह दें।

• वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, कुमार जनपद महाराजगंज में गणेश शुगर मिल है। इस समय तक इस पर ढाई करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। पिछले साल इस समय तक केवल ५६ हजार रुपया बकाया था जो अब तक लगभग ४ गुना हो गया है। पेराई का सीजन खत्म होते-होते यह बकाया ३ करोड़ रुपये हो जायगा। यहां पर बार-बार यह सवाल उठाया गया है। गन्ना विकास मंत्री जी ने कहा है कि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कर दिया गया है। मेरी निश्चित जानकारी है कि मेरे यहां फरेन्दा, बृजमनगंज, लक्ष्मीपुर, निचलौल आदि तमाम केन्द्र ऐसे हैं जहां बकाया है और किसानों को बकाये का भुगतान नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां बाहर की जोन से गन्ना मंगाकर उसकी पेराई की जा रही है और स्थानीय लोगों का गन्ना नहीं लिया जा रहा है। १९७७ में गन्ना खेतों में जला दिया गया था। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वर्ष अगर गन्ना नहीं लिया गया तो उसको खेतों में जलाना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि जो बाहर की जोन से गन्ना मंगाया जा रहा है उसको बन्द किया जाय और जो किसानों के गन्ने का बकाया है उसको भुगतान करने के लिये आप सरकार को निर्देशित करें।

सहकारिता मंत्री (श्री सुधीर कुमार बालियान)–

मान्यवर, यह बात सत्य है कि ऋण राहत योजना के तहत १९९० में प्रदेश के किसानों का विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जो ऋण माफ किया गया, उसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से नहीं की गयी। कुल ६४४.३० करोड़ का ४९ परसेंट ३२२.३७ रुपया प्रदेश सरकार को प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुआ। जिन संस्थाओं द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु क्लेम्स प्रतिवेदन पहले प्राप्त हुए वे नाबार्ड को पहले भेजे गये। जहां तक गन्ना समितियों का प्रश्न है, उन पर ऋण माफी की योजना अन्य संस्थाओं की तुलना में बाद में लागू की गयी। प्रदेश में सहकारी संस्थाओं पर उक्त नीति सर्वप्रथम दिनांक ५-६-९० को लागू की गयी। गन्ना सहकारी समितियों के मामले में यह नीति दिनांक १३-८-९० को लागू हुई। अतः इस तिथि के पश्चात ही इनके क्लेम्स उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में प्राप्त हुए जिसे नाबार्ड को प्रतिपूर्ति हेतु भेजा गया। यह सत्य है कि गन्ना सहकारी समितियों को ३२.५२ करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति नहीं की गयी। इस हेतु विभाग प्रयास कर रहा है। जैसे ही नाबार्ड से धन प्राप्त हो जायगा, प्रतिपूर्ति कर दी जायगी।

श्री अकबर हुसैन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन गन्ना सहकारी समितियों की मांग जो ४९ परसेंट धन मिला, उसके पहले आ गयी थी या बाद में आयी।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, मैंने तिथिवार बता दिया है कि गन्ना समितियों की मांग उसके बाद में प्राप्त हुई।

श्री अधिष्ठाता–

दोनों सूचनाएं अस्वीकृत हो गयीं।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बांध परियोजना टिहरी बांध परियोजना है। यह १९७२ में आरम्भ हुई थी और २० साल तक अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस बांध परियोजना से इस प्रदेश को बहुत लाभ हो रहा था और इससे इस प्रदेश को बहुत आशाएं थीं। इससे २४०० मेगावाट बिजली बननी

थी, १७ लाख करोड़ एकड़ जमीन सिंचित होनी थी। तमाम उद्योग बिजली के कारण लगने थे। इसलिये यह एक बहुआयामी और बहुउद्देशीय परियोजना थी। लेकिन इसके लिये लोग धरना दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि यह जो बांध परियोजना है, यह भूकम्प के क्षेत्र के बीच में है और अभी जो भूकम्प आया, यह ६.१ रिक्टर स्केल पर था। इससे पहले १९०५ में काशी में भूकम्प आया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें अगर भविष्य में कभी भूकम्प आएगा तो क्या होगा। वहां के लोगों को आशंका है कि यदि भूकम्प आता है तो इस प्रदेश की बहुत बड़ी जन-धन की हानि होगी और इससे जो डूब होगी तो हजारों एकड़ जमीन डूब जायगी। इन सब बातों की व्यवस्था नहीं हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने यदि इसे बन्द कर दिया तो गंगा घाटी में, यमुना घाटी में और टोंस घाटी में जो ४१ परियोजनायें चल रही है जिनसे १० हजार मेगावाट बिजली आनी है, यह सब रुपया खर्च हो गया है, लेकिन जो धरना दिया जा रहा है इससे दो करोड़ रुपया प्रतिदिन प्रदेश का नुकसान हो रहा है । तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि इस बांध को बनना है या नहीं बनना है और जो और बांध बनने वाले हैं, उनको बनना है या नहीं बनना है, इसके बारे में श्वेत-पत्र जारी होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है, मुझे स्वयं इस बात की जानकारी है कि सुन्दर लाल बहुगुणा अपने अन्य साथियों के साथ इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पक्ष यह भी है जो चाहता है कि वहां पर निर्माण कार्य आरम्भ हो जाय। दोनों में मान्यवर, संघर्ष की स्थिति है। सरकार का दायित्व यह है कि हर आदमी अपना पक्ष तो रखे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि टकराव पैदा हो जाय। स्थिति वहां पर कुछ ऐसी ही बन गयी है। वहां पर धारा १४४ लगानी पड़ी। लेकिन इस समय वहां पर वातावरण शांत है, अब कोई तनाव नहीं है। एक बिन्दु आपने निर्माण के बारे में उठाया कि वह बांध बनेगा कि नहीं, उसमें केन्द्र सरकार की नीति भी है कि बनेगा, इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार अलग से कोई बात की घोषणा कर दे, अभी हमारी नीति है कि निर्माण रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका सर्वेक्षण करा दिया गया है, हां अगर कोई छुटपुट बाधायें आती हैं, तो माननीय सदस्य अलग से बात कर सकते हैं। मान्यवर, नियम ३११ में इसे निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम ३११ में नहीं आती है, इसलिये इसे निरस्त किया गया।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, वहां पर बांध बनेगा या नहीं बनेगा, लोगों में जो आशंकाएं हैं, वह दूर होनी चाहिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, यह सरकार राम राज्य का नारा देकर आयी है, लेकिन उनके सिद्धान्तों के मुताबिक नहीं चल रही है। मान्यवर, परम्परागत रीति से मछुआ समुदाय के लोगों के लिये नदी तल से बालू खनन, शिकारगाही, मछली मारना, घाटों पर नाव चलाना, नदियों के किनारे साग सब्जी आदि लगाने के व्यवसाय रहे हैं । लेकिन सरकार ने पूरे प्रदेश में शिकारगाही व बालू खनन, घाट-नदियों के किनारे साग-सब्जी लगाने पर रोक लगा दी है, लाखों नावें बन्द हैं। पूंजीपतियों, सेठों को नीलामियां दी जा रही हैं, इसे खत्म किया जाय। पूरे प्रदेश के एक करोड़ से भी ज्यादा मल्लाह जाति के लोग बेरोजगार व भुखमरी के कगार पर आ गये हैं। लोग दहशत के कारण अपनी आत्म हत्यायें करने पर आमादा हो गये हैं। ये

बहुत ही गम्भीर मामला है। पैतृक धन्धों को स्वतंत्र करा कर उत्तर प्रदेश में मल्लाहों की रक्षा की जाय तथा रोजगार दिया जाय तथा निलामी खत्म करके परम्परागत रीति से मल्लाहों को ही पट्टे पर उक्त व्यवसाय दिये जायं। मान्यवर, ऐसा सरकार को निर्देशित करें तथा सारे नियमों को निलम्बित कर मेरी सूचना को ग्राह्य करने की कृपा करें। मान्यवर, मल्लाहों के जो धन्धे छीन लिये गये हैं, उनको रोजगार की क्या व्यवस्था की गयी है। यदि सरकार को यह अच्छा नहीं लगता है, तो सरकार स्वयं नाव चलाने का काम ले ले और मल्लाह समुदाय को रोजगार की गारंटी दे। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो माननीय निषाद जी ने कहा, यह वास्तव में उनका पैतृक धन्धा है, इसमें उनका अधिकार है, चाहे मछली का हो, चाहे बालू का हो, चाहे नाव चलाने का हो, इसके लिये सरकार को अवश्य कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। इस पर मैं मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं और आप इसके बारे में सरकार को निर्देशित करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मछुवावर्ग के जो लोग हैं, वह आत्म-हत्या कर रहे हैं या सैकड़ों नावें खड़ी हैं, इस तरह की जानकारी माननीय सदस्य के पास होगी, लेकिन अगर ऐसी चीज है तो वह मुझे जानकारी दे दें, तो मैं इसकी जानकारी करा लूंगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि कामों में, जो लोग परम्परागत लगे हुए हैं, उनके जीविकोपार्जन का साधन छीनने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, जो लोग इस तरह की सोसाइटी से आते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है, वह सोसाइटी बना सकते हैं और उसके माध्यम से अपना कारोबार कर सकते हैं, कहीं पर कोई रोक नहीं है। अगर कहीं पर ऐसा हुआ है, तो माननीय सदस्य लिखकर दे दें, हम उसको दिखवा लेंगे। माननीय सदस्य ने जो आत्म-हत्या की बात कही है, हजारों नावों के खड़े हो जाने की बात कही है, उसकी मैं जांच करा लूंगा।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की सूचना के लिये बताना चाहता हूं कि जनपद मऊ में हजारों नावें खड़ी हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपकी यह सूचना निरस्त की जाती है।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मैं पिछले सप्ताह अपने निर्वाचन क्षेत्र गया था, तो यह पता चला कि पूरे उत्तर प्रदेश के अवर अभियन्ता एक माह से आन्दोलन में हैं और उस आन्दोलन से पूरे विकास के कार्य रुक गये हैं, जो चालू योजनायें थीं वह ठप्प हो गयी हैं और जो निर्माण कार्य हो रहा था वह ठप्प हो गया है, वह एक माह से बन्द पड़ा हुआ है। मान्यवर, महत्वपूर्ण बात यह है कि दोहरी घाट पम्प कैनाल में ११ पम्प लगे हुए हैं, उनमें से ३ पम्प खराब हो गये हैं। मान्यवर, यही नहीं यहां से सिकड़ीकोल माइनर जाती है, वह कई जगह पर टूट गयी है और उसके कारण किसानों को बड़ी हानि हो रही है, उनकी गेहूं की फसल बरबाद हो गयी है और इसके साथ ही साथ जो गन्ने की फसल है वह भी पूरी तरह नष्ट हो गयी है। मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर माननीय मंत्री जी का वक्तव्य दिला दें और जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है, उनको मुआवजा के रूप में धन दिलाया जाये।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

(गणना के उपरान्त) कोरम पूरा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने ग्राह्यता पर बोलते हुए स्पष्ट कर दिया कि अवर अभियन्ताओं की हड़ताल से कितना नुकसान हो रहा है, उनकी हड़ताल से निर्माण कार्य ठप्प पड़े हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय पर उन्होंने हड़ताल की है, उसका किसी प्रकार से भी समर्थन नहीं किया जा सकता है और मैं इस आदरणीय सदन के माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूं कि वह काम पर आवें, जनता के हितों की किसी प्रकार से उपेक्षा नहीं की जायेगी और उनको काम पर आना होगा। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि नुकसान हुआ है, हड़ताल समाप्त होनी चाहिए और उनको काम पर आना चाहिए।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या शासन की ओर से अवर अभियन्ताओं से किसी मंत्री या अन्य किसी व्यक्ति ने बात की है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वार्ता हम लोगों की हो चुकी है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि इस समय उनकी मांगों के ऊपर जो वित्तीय भार पड़ने वाला है, उसे बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। इसलिये इस हड़ताल को जनहित विरोधी हड़ताल हमने घोषित की है और मैं अपेक्षा करता हूं कि उन्हें हड़ताल वापिस करके काम पर आना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना निरस्त की जाती है।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, जिस तरह से अवर अभियन्ताओं की हड़ताल प्रदेश में चल रही है उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग, उ० प्र० में भी टैक्नीशियन की हड़ताल चल रही है जिससे स्वास्थ्य सेवायें बाधित हो रही हैं अगर स्वास्थ्य सेवायें बाधित होंगी तो जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा। मान्यवर, गरीब जनता की सेवा के लिये आप बैठे हैं। सरकारी अस्पतालों में अगर टैक्नीशियन नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना के लिये समय निर्धारित है, आपका नाम उसी में जोड़ दिया गया है।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, यह लैब केमिस्टों की हड़ताल है। मान्यवर, अगर आपको ही जांच करनी हो और आपके ही परिवार का मामला हो तो कैसे करेंगे। इस पर कम से कम संसदीय कार्य मंत्री कहें कि यह जो स्वास्थ्य सेवा है यह आवश्यक सेवा है जिसको आपने आवश्यक घोषित कर दिया है। इसके संदर्भ में अगर सदन का ध्यान आकृष्ट नहीं होगा तो स्थिति बड़ी भयावह होने वाली है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इसमें समय निर्धारित है, आप बैठें।

(सत्तापक्ष के एक माननीय सदस्य द्वारा बोलने की अनुमति मांगने पर)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय सत्तापक्ष के सदस्य बोलना चाहते हैं, अगर किसी विषय की ग्राह्यता पर बोलना चाहते हैं तो उनको समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कह दिया है कि वक्तव्य के लिये निर्धारित है। वह आयेगा तो समय दे दिया जायेगा।

(श्री राम लखन वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी नहीं हैं, उनकी सूचना निरस्त की जाती है।

* श्री खालिद गौरी–

मान्यवर, मैं हरदोई जनपद की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले ७-८ महीने पहले के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी थी और उसने वायदा किया था राम राज्य लाने का, उसके माध्यम से हम लोगों ने सोचा था कि शायद ऐसा राज्य होगा जिसमें सबको बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन उनका राज्य आने से बराबर ऐसे काम हो रहे हैं कि जिस प्रकार काश्मीर में धारा ३७० के अन्तर्गत कोई बाहर का आदमी न तो जमीन खरीद सकता है और न ही मकान बना सकता है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अन्दर हो रहा है। यह सरकार एक वर्ग विशेष के लोगों को मकान बनाने से वंचित करना चाहती है। धर्मस्थल के निर्माण के अधिकार से यह सरकार वंचित करना चाहती है। मैं इस सिलसिले में ४ प्रकरण आपके सामने रखना चाहता हूं।

मान्यवर, पसेसी और कछोना में दुर्गासिंह और जयनारायण सिंह ने अपनी जमीन सं० ९१० और ९११ को एक वर्ग विशेष के व्यक्ति के हाथ बेची और उसने उसकी रजिस्ट्री करा ली और दाखिल खारिज करा लिया, यह आठ माह पहले जमीन ली थी। जब उसने उस पर निर्माण कार्य अभी १५–२० दिन पहले शुरू किया तो भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच गये और कहा कि आप निर्माण नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा कि जमीन खरीद ली है दाखिल खारिज करा लिया है, वह सारे रिकार्ड हमारे पास है तो निर्माण क्यों नहीं कर सकते हैं, उस पर यह बताया गया कि जिन्होंने जमीन बेची है उनके बाबा उस जमीन को एक मंदिर के नाम दान कर गये थे, इसलिये आप बना नहीं सकते तो उन्होंने कहा कि आप कागज दिखायें, ८ माह हो गये हैं पहले कोई आपत्ति की गयी होती। इस पर बी० जे० पी० के लोगों ने जिलाधिकारी पर प्रभाव डाल करके पुलिस के माध्यम से निर्माण कार्य रुकवा दिया। फिर वहां मीटिंग हुई। [xxx] एक वर्ग विशेष के लोगों को चुनौती दी कि अगर इस तरफ कदम उठाओगे तो टांग तोड़

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

देंगे, हाथ बढ़ाओगे तो हाथ तोड़ देंगे और इधर देखोगे तो आंख फोड़ देंगे। मान्यवर, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की मौजूदगी में सब बातें कही गयीं, इसे बी० जे० पी० के लोग इन्कार नहीं कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें आपने कहीं नहीं लिखा, यह तथ्य जो बता रहे हैं। जो लिखा है उसी पर बोलें, ग्राह्यता पर बोलें।

(व्यवधान)

श्री खालिद गौरी–

मान्यवर, इसी प्रकार सांडी में एक मस्जिद के विस्तार को लेकर कुछ विवाद उठा उस पर प्रशासन ने फौरन निर्माण कार्य रुकवा दिया, बात ज्यादा बढ़ गयी, बी० जे० पी० वालों ने वहां के नगरपालिका के अध्यक्ष को वहां से अवैधानिक तरीके से हटाकर, वहां पार्टी का उपाध्यक्ष बिठा दिया और कार्य रुकवा दिया और एक हरिजन से १३ वर्ग विशेष के लोगों पर हरिजन ऐक्ट में मुकदमा कायम करा दिया। इसी प्रकार से कटरा बाजार पिहानी में एक मस्जिद का मसला था, कुछ जमीन थी यह था कि कुछ दुकानें बनायी जायं । वहां के बी० जे० पी० के महामंत्री श्री अवधेश रस्तोगी ने एक दरख्वास्त डी० एम० को दी और कहा कि यह जमीन मस्जिद की नहीं है, नजूल की या नगरपालिका की है, उसके बाद डी० एम० ने स्टे कर दिया, वहां पुलिस गयी फौरन निर्माण कार्य रुकवा दिया। उसके बाद डी० एम० ने पूरा मुकदमा सुना, ५-११-९१ की जो दरख्वास्त थी, प्रोसीडिंग्स करने के बाद उसको खारिज कर दिया। २२ तारीख को फिर उस पर निर्माण कार्य शुरू हुआ.....

श्री अधिष्ठाता–

जो आप कह रहे हैं वह इसमें तो है नहीं।

श्री खालिद गौरी–

फिर २४ तारीख को निर्माण पर डी० एम० ने स्टे कर दिया। बिलग्राम में एक मदरसे की बात है, एक खन्ना जी की जमीन पौने दो लाख में खरीदी गयी, कोने पर जमीन के अन्दर एक मंदिर प्रकट हो गया.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शान्त हो जायं, अब आप बैठ जायं।

श्री खालिद गौरी–

उस मदरसे का रास्ता बंद कर दिया गया है। बी० जे० पी० की सरकार के आते ही उ० प्र० के एक धर्म विशेष के लोगों को परेशान किया जा रहा है उनको जमीन नहीं खरीदने देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं, लिखा नहीं जायेगा।

श्री खालिद गौरी–

[XXXX]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, ऐसे नाजुक और सम्वेदनशील मामलों में अगर थोड़ा संयत रहें तो समाज का हम ज्यादा भला करेंगे। यहां एक परिपाटी रही है जब ऐसे मामले आते हैं, हिन्दू मुस्लिम का नाम लेकर चर्चा नहीं की जाती है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांत रहें।

श्री खालिद गौरी–

मान्यवर, मैंने हिन्दू मुस्लिम शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह संसदीय परिपाटी है कि अगर कोई सदस्य.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अगर हर सदस्य इसी तरह से खड़ा होकर बोलता रहेगा तो हम किसी को नहीं सुन पायेंगे।

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह के खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय दिवाकर विक्रम सिंह हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं यह कुछ कहनां चाह रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया, कृपया यह अपनी बात फिर से कह दें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, परम्परा यह रही है कि जब इधर से बात कही जाती है तो उसका उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी देंगे और जब वह उपस्थित न हों तो उसकी जगह मंत्रिमण्डल के कोई सदस्य देंगे। लेकिन इधर कुछ दिनों से देख रहा हूं कि जब हम कोई बात कहते हैं तो उसका उत्तर देने के लिये सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं। तो जो सदन की प्रक्रिया नियमावली है या तो उसमें परिवर्तन कर दिया जाये या फिर जो परम्परा है उसी के तहत सदन की कार्यवाही चलायी जाये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह बात सही है। लेकिन क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया जरूर होती है। अगर किसी के मुंह से ऐसी कोई बात निकलेगी तो दूसरा टोक देगा यह असंसदीय नहीं है। तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि ऐसी चर्चा करते समय हिन्दू या मुसलमान का नाम नहीं लेना चाहिए.....

नोट :–[XXXX] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री खालिद गौरी–

मैंने किसी हिन्दू मुसलमान का नाम नहीं लिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

ठीक है यदि आपने नहीं लिया है तो हमारी शंका का समाधान हो गया। एक बात और कहना चाहता हूं कि जो स्थिति है चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, आप भी इसके समर्थक नहीं होंगे कि मन्दिर मस्जिद के नामों पर सड़कों में, मैदानों में या नजूल की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाये।

मान्यवर, यह मामला कटरा बाजार पिहानी का है, जहां के चेयरमैन अल्पसंख्यक वर्ग के हैं और उन्हीं अल्पसंख्यक वर्ग के चेयरमैन ने इसे रोका है। अगर उन्होंने इसे नहीं रोका है तो यह मामला साम्प्रदायिक कहां है।

श्री खालिद गौरी–

यह बात गलत है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक-एक घटना के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि मामला रखा गया है। पथरौली कछौना से मिला हुआ एक हिस्सा है। यह बात सही है कि आपने इसका उल्लेख किया कि एक परिवार के बुजुर्ग ने अपनी जमीन को ट्रस्ट में दे दिया था।

(व्यवधान)

जिस समय दिवाल बनाने का मामला आया तो वहां के चेयरमैन जो अल्पसंख्यक थे, ने उसे रोक दिया तो यह कोई हिन्दू मुसलमान का मामला कहां था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां पर मौजूद थे उन्होंने भी अपनी सूचना में कहा है कि इसे बनने से रोका गया तो यह कहां विवाद का मामला है। इसी तरह से आपने सांडी की बात कही, स्टे ले लिया कोर्ट से, वहां के विधायक हैं, उन्होंने इस मामले को निपटाना चाहा था, लेकिन स्टे ले लिया गया। इसी तरह से कटरा पिहानी बिलग्राम की बात कही गयी एक मदरसा जिसके लिये रास्ता ग्राम सभा की जमीन से मांगा है, इसके बारे में उनकी प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है। मान्यवर, कस्बे में जानबूझकर तनाव पैदा करने की कोशिश की गयी है। तो इस तरह से जो विवाद हुआ उसको सुलझाना चाहिए था। मान्यवर, कहीं भी हरदोई जिले में तनाव नहीं है, शांतिपूर्ण व्यवस्था है और सब आपस में मिलजुलकर हमारे हिन्दू मुसलमान भाइयों ने आपस में मिलकर रास्ता तय कर दिया है। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हिन्दू और मुसलमान एक साथ मिलकर रहें उनमें तनाव न रहे। अगर कोई सिविल मैटर है तो उसे सिविल मैटर के रूप में देखना चाहिए था न कि जातीय आधार पर। तो मैं समझता हूं कि यह ग्राह्यता के अन्तर्गत नहीं आता इसलिये मैं इसे निरस्त करने के लिये कहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी हैं?

(कई सदस्यों की आवाजें, नहीं हैं)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, नियम-५६ में मेरी एक सूचना है।

श्री अधिष्ठाता–

वह तो हो चुका है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपकी सूचना गलत है, जानकारी कर लीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, अभी नहीं आया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९९१-९२ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९९२

संयुक्त सचिव, (द्वितीय) विधान सभा–

मैं उत्तर विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५३ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९९१-९२ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९९२, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक २६ फरवरी, १९९२ को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक २६ फरवरी, १९९२ को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २७ फरवरी, १९९२ को वापस प्राप्त हो गया।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

अब हम कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों को लेंगे ।

(सदन की सहमति से कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम पढ़ा हुआ माना गया ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक २७ फरवरी,१९९२ की बैठक में सदन के दिनांक २९ फरवरी, १९९२ से दिनांक ५ मई, १९९२ तक के उपवेशनों के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है :–

फरवरी, १९९२	
२९ शनिवार से मार्च, १९९२ ८ रविवार	बैठक नहीं होगी ।
९ सोमवार	१–निधन के निर्देश (प्रश्न काल के उपरान्त) २–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण:– (क) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९९२ जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, आधा घण्टा (ख) उत्तर प्रदेश लोकधन (दियों की वसूली) (संशोधन) विधेयक,१९९२ जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, आधा घन्टा
१० मंगलवार	विधायी कार्य
११ बुधवार	१–असरकारी दिवस (आधा दिन) । २–विधायी कार्य (आधा दिन) ।
१२ गुरुवार	१–विधायी कार्य । २–५.०० बजे अपराह्न– (१) वित्तीय वर्ष १९९२-९३ के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण । (२) वित्तीय वर्ष १९९२-९३ के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण । ३–वित्तीय वर्ष १९९२-९३ के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर मतदान एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरः स्थापन उस पर विचार एवं विचार एवं उसका पारण ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

१३ शुक्रवार से २२ रविवार	बैठक नहीं होगी ।
२३ सोमवार २४ मंगलवार २५ बुधवार	वित्तीय वर्ष १९९२-९३ के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।
२६ गुरुवार २७ शुक्रवार	(शीतला अष्टमी का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
२८ शनिवार २९ रविवार	बैठक नहीं होगी ।
३० सोमवार ३१ मंगलवार	वित्तीय वर्ष १९९२-९३ के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।

<u>अप्रैल, १९९२</u>

१ बुधवार २ गुरुवार ३ शुक्रवार	वित्तीय वर्ष १९९२-९३ के आय-व्ययक के अनुदानों की मागों पर विचार एवं मतदान ।
४ शनिवार ५ रविवार	बैठक नहीं होगी ।
६ सोमवार ७ मंगलवार ८ बुधवार ९ गुरुवार १० शुक्रवार	वित्तीय वर्ष १९९२-९३ के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
११ शनिवार १२ रविवार	बैठक नहीं होगी ।
१३ सोमवार	वित्तीय वर्ष १९९२-९३ के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
१४ मंगलवार	(डा० अम्बेदकर का जन्म दिवस का अवकाश)
१५ बुधवार	(महावीर जयन्ती का अवकाश)

१६ गुरुवार
१७ शुक्रवार　　(गुड फ्राइडे का अवकाश)

१८ शनिवार
१९ रविवार　　बैठक नहीं होगी ।

२० सोमवार
२१ मंगलवार
२२ बुधवार
२३ गुरुवार
२४ शुक्रवार　　वित्तीय वर्ष १९९२-९३ के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

२५ शनिवार
२६ रविवार　　बैठक नहीं होगी ।

२७ सोमवार
२८ मंगलवार
२९ बुधवार
३० गुरुवार　　वित्तीय वर्ष १९९२-९३ के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

मई,१९९२

१ गुरुवार　　१–वित्तीय वर्ष १९९२-९३ के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

२–४.०० बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधयेक, १९९२ का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

२ शनिवार
३ रविवार　　बैठक नही होगी ।

४ सोमवार
५ मंगलवार　　असरकारी दिवस ।]

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज माननीय अीधष्ठाता जी द्वारा दी गयी है, सहमत है ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा रखा गया है, से सदन सहमत हैं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

* कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, १९६३ की धारा-३ की उपधारा (२) के खंड (ङ) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे "।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, १९६३ की धारा-३ की उपधारा (२) के खण्ड (ङ) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें "।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

–कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

इसमें कुल ९ सूचनायें हैं । पहली सूचना श्रीमती ज्ञानवती सिंह, श्री विजय सिंह राणा, श्री शिव कुमार बेरिया, श्री राम मूर्ति सिंह व श्री खालिद गौरी की है ।

*श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि राष्ट्रीय आयुर्वेद महाविद्यालय, सुहागपुर, जिला बिजनौर की अचानक मान्यता समाप्त कर देने से एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गयी है, इसी पर मैं चर्चा करवाना चाहती हूं । मान्यवर, १९७२ में यह आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित हुआ था और १९७८ तक लगातार इसमें सरकार अवधि बढ़ाती रही, लेकिन अचानक न जाने किन कारणों से इसकी मान्यता समाप्त कर दी गयी । तब से छात्रों का कई बार आन्दोलन हुआ और छात्रों की मांग को देखते हुये, आन्दोलन को देखते हुये थोड़े-थोड़े समय के लिये समय बढ़ाने हेतु आदेश भी सरकार देती रही । लेकिन १९८३ से इसकी मान्यता खत्म है । तब से कई बार छात्र आन्दोलन कर चुके हैं । १९८४ में राज्यपाल जी ने आदेश दिया कि कानपुर विश्वविद्यालय से एक पैनल गठित किया जाय परन्तु वह पैनल १९८८ तक वहां नहीं गया । इसके बाद फिर से छात्रों ने आन्दोलन किया । उसके बाद श्री राज्यपाल जी ने आदेश दिया कि वहां पर पैनल जाये । १९९० में वह पैनल वहां पर गया परन्तु आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई जिंसके कारण छात्र बहुत दुखित हैं और उनका भविष्य अन्धकारमय हो गया है । वह फिर से करने व मरने की स्थिति में आ गये हैं और आन्दोलन छेड़ रहे हैं । उनके भविष्य के लिए सरकार क्या करेगी । इसके विषय में, मैं सदन में चर्चा करवाना चाहती हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, ज्ञानवती बहिन ने जिस विषय पर सदन में चर्चा करवाने की मांग की है वह एक आयुर्वेदिक विद्यालय से संबंधित मामला है। यह विद्यालय १९७२ में शुरू हुआ और १९७८ में जाकर इसकी मान्यता समाप्त हो गई। मान्यता समाप्त करने के बाद होना यह चाहिये था कि इस विद्यालय को बन्द कर दिया जाना चाहिये था या फिर इस विद्यालय को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाना चाहिये था या फिर वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कहीं और व्यवस्था की जानी चाहिये थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। अभी तक वह विद्यालय चल रहा है और उसमें पढ़ाई हो रही है। हमारी जानकारी के मुताबिक अभी भी वहां पर लगभग चार सौ के करीब विद्यार्थी हैं। वहां पर कार्य ज्यों का त्यों चल रहा है। अब प्रश्न यह है कि कार्य स्थगन के रूप में इस विषय को यहां पर लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिये पड़ी कि वहां पर छात्रों ने बार-बार आन्दोलन किये। जब आन्दोलन हुआ तो १९८८ में श्री राज्यपाल जी ने एक राजाज्ञा जारी कर दी कि पैनल का गठन किया जाय और जो वह पैनल रिपोर्ट देगी उसके अनुसार कार्य किया जायेगा। राजाज्ञा होने के बाद भी पैनल वहां गया नहीं, फिर १९९० में छात्र पुनः आन्दोलन पर चले गये पैनल वहां गया, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। यदि उसकी कोई रिपोर्ट आ गई है तो वह हमारे संज्ञान में नहीं है। उस पैनल के वहां जाने के बाद भी उस विद्यालय की मान्यता ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। उस विद्यालय को चलाने के लिये सरकार की ओर से कभी भी कोई निश्चयात्मक दृष्टिकोण से काम नहीं किया गया। अब प्रश्न यह है कि अभी वहां पर फर्स्ट इयर में एडमिशन हुए। हमारे पास जो सूचना है, हो सकता है वह कितनी सत्य हो, वहां पर एक-एक लड़के से २०-२० हजार रुपये एडमिशन के लिये गये हैं। विद्यालय की कोई मान्यता है नहीं। यदि उस विद्यालय की मान्यता नहीं है तो उसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की व्यवस्था की जानी चाहिये थी, या फिर दूसरे विश्वविद्यालय में उन विद्यार्थियों को स्थानान्तरित किया जाना चाहिये था तब यह समस्या नहीं रही होती। परन्तु ऐसा कुछ किया नहीं गया। इसलिये यह एक गम्भीर समस्या है। विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी हुई यह समस्या है। इसके ऊपर कम से कम सदन का कार्य रोक कर एक घन्टे की चर्चा करवाई जाय। (श्री अधिष्ठाता द्वारा उक्त विषय पर श्री शिव कुमार बेरिया व श्री राममूर्ति सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री खालिद गौरी–

मान्यवर, यह एक बड़ी विडम्बना है। मान्यवर, इस राष्ट्रीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का १९७८ में जब एफिलियेशन खत्म किया गया था उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी थे जो इस समय नेता सदन हैं, उनके सामने यह मसला आज पेश हो रहा है। यह एक अविलम्बनीय महत्वपूर्ण विषय है। इसके प्राचार्य इस सदन के मेम्बर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। यह दोनों इत्तफाक की बात है। इसमें लड़कों के एडमिशन के लिये नियमावली छपी है, प्रोस्पैक्टस में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है एफिलियेशन के लिये कानपुर यूनिवर्सिटी से बात चल रही है लड़कों को मूर्ख बनाने की बात है।

श्री अधिष्ठाता–

आपने प्रस्ताव के साथ इसकी कापी दी है (व्यवधान) बैठे-बैठे माननीय सदस्य न बोलें। क्या आपने लिख कर दिया है ?

श्री खालिद गौरी–

एफिलियेशन का मामला कानपुर यूनिवर्सिटी से प्रोसेस में है इस तरह से लड़कों का दाखिला करा लिया जाता है । लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है । ५०० लड़के वहां पर पढ़ रहे हैं । उनके एफिलियेशन का ममला सरकार नहीं ले रही है । यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । जो ५ सौ लड़के वहां से निकलेंगे, लोगों की चिकित्सा करेंगे इसलिये इस पर गौर कर चर्चा कराई जाय ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने अनुमति दी ग्राह्यता पर लोगों ने अपने विचार प्रकट किये । मामला विश्वविद्यालय की स्वायत्तता से संबंधित है । विश्वविद्यालय कोई सरकारी विभाग या सैक्शन नहीं है । उसके लिये पैनल भेजना, रिपोर्ट मंगाना, उस पर कार्यवाही करना विश्वविद्यालय का काम है । इसमें सरकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है । जो जानकारी यहां दी गयी है उसे मैं सही मान रहा हूं कि १९७८ में उसकी मान्यता रद्द कर दी गयी तो उसके कोई न कोई कारण रहे होंगे । उसके बाद पैनल रिपोर्ट और मान्यता देने का काम विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है । यहां पर चर्चा हुई है इससे विश्वविद्यालय का ध्यान आकर्षित हो जायेगा । इस पर शासन की ओर से कुछ कहना उचित नहीं समझता हूं फिर भी यह नियम ५६ में नहीं आता ।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बात को घुमाने में माहिर हैं । मेरा कहना है कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की बात हम भी जानते हैं । विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने का दायरा सीमित हैं । प्रश्न यह नहीं है । प्रश्न विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और जब विद्यार्थियों, कर्मचारियों या सरकारी नौकरी करने वाले लोग या जो नौकरी कर रहे हैं उनके भविष्य प्रर कोई आंच आती है तो शासन का निश्चित रूप से दायित्व बनता है कि उसमें हस्तक्षेप करे । उससे शासन बच नहीं सकता है । वहां विद्यार्थियों का एडमिशन हो रहा है और पैसा देने पर हो रहा है, उस पर पैनल जा रहा है और पैनल रिपोर्ट नहीं आ रही है तो यह बात यूनिवर्सिटी से संबंधित नहीं है, शासन से संबंधित है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं आगे यही कहने जा रहा था । विद्यार्थी मुझसे भी मिले थे उनसे कहा था कि जब आपको जानकारी है कि मान्यता प्राप्त नहीं है तो एडमिशन क्यों लिया । जिस प्रोसपैक्टस को गौरी जी ने दिखाया उन्होंने भी मुझे दिखाया था । तो एफिलियेशन प्रोसेस में है का मतलब एफिलियेशन मिल जाना नहीं होता । लेकिन मैंने विद्यार्थियों से भी कहा कि एक आवेदन पत्र दे दें कि यह कालेज लोगों को धोखा देकर गलत काम कर रहा है तो हम कार्यवाही करेंगे । चाहे विद्यार्थी दें या कोई दे हम कार्यवाही करेंगे । जो बात आपने कही वही बात मैंने विद्यार्थियों से कही । लेकिन मान्यता की क्या शर्तें हैं, पैनल रिपोर्ट क्या होगी इस पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा । सरकार एक काम कर सकती है कि विज्ञापित कर दें कि विद्यार्थी यहां एडमिशन के लिये न जायं । जो जायेगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी । यह जानकारी क्षेत्र के लोगों को है चूकि इसको विज्ञापित कर दिया गया है कि मान्यता उसकी नहीं है । जो पढ़ने उस संस्था में जायेंगे, डिप्लोमा प्राप्त करेंगे उसकी शासन द्वारा मान्यता नहीं है, इसकी क्षेत्र की जनता को जानकारी करा दी गयी है ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि छात्र एडमीशन अपनी रिस्क पर लेता है यह सही है और यह भी सही है कि उनके जीवन-मरण की बात है । लेकिन यदि इस तरह से कहीं पर कोई संस्था सामान्य रूप से संपूर्ण जनता को धोखा दे रही है और लोगों को ठग रही है तो क्या शासन मूकदर्शक बना रहेगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, संस्था को मान्यता प्राप्त नहीं है और न उसके डिप्लोमा की मान्यता प्राप्त है लेकिन यदि कोई अपने रिस्क पर पढ़ने वहां जायें, ऐसी भी संस्थायें चलती हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, तो शासन पढ़ने के लिये कोई रोकेगा नहीं । सरकार की घोषणा है कि उस संस्था के डिप्लोमा की मान्यता नहीं है । मान्यवर, जिस प्रोस्पैक्टस की बात की गयी है यदि उसमें लिखा होता कि मान्यता प्राप्त है तो अपराध बन जाता लेकिन ऐसा नहीं लिखा है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना को मैं निरस्त करता हूं ।

दूसरी सूचना सर्वश्री प्रमोद तिवारी, श्याम सुन्दर शर्मा, बेनी प्रसाद वर्मा और सुरेन्द्र नाथ की है । इनमें श्री प्रमोद तिवारी को छोड़कर अन्य सदस्य मौजूद नहीं हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि यह सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, इसकी कथनी और करनी में अंतर है । संसदीय कार्य मंत्री फर्जी घोषणायें करते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र में प्रेस को स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विधायकों की जानमाल और उनके सम्मान की रक्षा की जायेगी, जुडीशियरी के सम्मान की रक्षा की जायेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है । मान्यवर,आप देखें कि कानपुर में दैनिक जागरण के पत्रकार, छायाकार भाजपा के श्री मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा का कवरेज करने गये थे लेकिन उनको रोका गया । उन्होंने शिकायत किया तो उनको अपना कार्य करने दिया गया किन्तु यह बात पुलिस अधीक्षक को बुरी लगी इसलिये उसने चेतावनी दिया कि जोशी जी तो चले जायेंगे, कल तुमको हम देख लेंगे । इसकी सूचना छायाकार ने श्री बालचन्द्र मिश्र को दिया और उन्होंने उस पर कार्यवाही किया और कहा कि एसा नहीं होगा । इसकी सूचना नगर विकास मंत्री को दी गयी और उसके बाद जो घटनाचक्र हुआ वह यह है कि एस० एस० पी० का पेशकार जाता है और छायाकार से कहता है कि तुम साहेब की फोटो नहीं छापोगे तो अंजाम बुरा होगा । फिर उसके खिलाफ कार्यवाही होती है और जो अपराध की कड़ी बनी वह मैं कहना चाहता हूं कि लल्ला जो संबंधित छायाकार हैं, अजीत को एक शैडो दिया गया था । मान्यवर, इस घटना के बाद माननीय नगर विकास मंत्री जी के आश्वासन के बाद, माननीय बाल चन्द्र मिश्र, जो राज्य मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बी० जे० पी० के आश्वासन के बाद भी उनका शैडो हटा दिया गया । १५-१६ फरवरी की रात में इस छायाकार पर [illegible] हमला किया जाता है । हमलावरों द्वारा जो स्कूटर इस्तेमाल किया गया था, वह ऐसे व्यक्ति [illegible] नगर विकास मंत्री का करीबी हैं ।

मान्यवर, अभियुक्तों को पकड़ा गया या नहीं । जो आदमी गिरफ्तार किया जाता है उसे थाने में बैठाकर चाय पिलाई जाती है, पान पराग उसे प्रस्तुत किया जाता है । मेरा यह कहना है कि जिस पुलिस अधीक्षक ने धमकी दी थी, जिस पेशकार ने धमकी दी थी उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई । इसके बारे में वह बिल्कुल शान्त रहे । कोई जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री दें । यह अविलम्बनीय इसलिये है १५-१६ तारीख की घटना है । लोक महत्व की घटना इसलिये है कि इससे प्रेस जगत में उत्तेजना है, वहां पर हड़ताल है । बाजार में इसकी सरगर्मी है । जिस पुलिस अधीक्षक ने धमकी दी , जिस पेशकार ने धमकी दी, वह गिरफ्तारी के बाहर हैं । क्या यही थोथा नारा था इनका कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को कामयाब किया जायेगा । यह कैसी निष्पक्षता है एक पत्रकार के साथ ऐसी घटना घटती है उसे धमकी दी जाती है । उसे १२ टांके लगवाने पड़े ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह मामला पहले भी उठा था और फिर उठाया गया है । मान्यवर,मैं इसका पूरा उत्तर दे चुका हूं कि वहां पर पत्रकारों में न कोई असन्तोष है, न कोई उत्तेजना है । वहां पूरा-पूरा समाधान हो गया है । जो कार्यवाही सरकार की ओर से की गई है उससे हमारे कानपुर के पत्रकारगण सन्तुष्ट हैं । किसी प्रकार के तनाव का वातावरण वहां नहीं है । जिनके खिलाफ कार्यवाही होनी थी, वह जेल भेज दिये गये हैं, पकड़े गये हैं । मैं अपने जवाब में पहले ही पूरी बात कह चुका था । बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है । हम पत्रकारों को पूरा आदर सम्मान देना चाहते हैं । उनको पूरी आजादी है अक्षुण्ता से समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये । कोई उनके ऊपर दबाव डाले । हम इसे किसी भी प्रकार से सहन नहीं करेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने दो प्रश्न उठाये थे ।

श्री अधिष्ठाता–

जवाब तो पहले ही आ चुका है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैंने सवाल किया था कि जिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने धमकी दी, जिस पेशकार ने धमकी दी । उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई । सरकार इन दोनों के बारे में आश्वस्त कर दे । माननीय मंत्री जी आश्वस्त कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो दोषी पाये गये उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी गई है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, दोषी तो वह है जिन्होंने धमकी दी । मान्यवर, यह सरकार पत्रकारों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात कर रही है । सरकार की पत्रकारों के प्रति तानाशाही के खिलाफ मैं और मेरा दल इस सदन का त्याग करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, हमारा कार्य-स्थगन का प्रस्ताव आग्नेयास्त्रों से संबंधित है । सात कैटेगिरी में लाइसेंस खोले गये हैं । एक कैटेगिरी यह है कि जो व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, मुझे अभी सूचना मिली है कि आपकी सूचना सरकार को भेजी जा रही हैं, आप बैठ जायं ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक –

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बुला लिया है । इसलिये आप मेरी बात सुनने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायं ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

[xxx]

श्री अधिष्ठाना–

कोई चीज कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी ।

(व्यवधान)

(श्री मोहम्मद रिजवानुल हक सदन के फूलोर पर आकर बैठ गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

आप आराम से बैठे रहें ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मेरी नियम-५६ में सूचना थी उसका क्या हुआ ?

(श्री विजय सिंह राणा के प्रयास से श्री मो० रिजवानुल हक वापस अपने स्थान पर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

पांच सूचनायें ली जाती हैं ।

(व्यवधान)

मैं जब आपकी बात सुन रहा हूं तो आप मेरी बात सुने ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मुन्ना चौहान–

जब आप सुन नहीं रहे हैं तो कैसे बैठ जाऊं ?

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें यह सदन और नियमों और परम्पराओं से बंधा हुआ है । हम सब उसी के पक्षधर हैं । सवाल यह है कि कभी-कभी ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि यहां के लोगों में इसकी प्रतिक्रिया दूसरी सामने आती है । एक विषय में एक व्यक्ति को आपने सुन लिया, उसके बाद उसी विषय पर पांच मिनट बाद आप फिर सुन रहे हैं । एक विषय पर दो बार आप सुने ऐसा हमने नहीं देखा । कभी-कभी शिथिलता बरतनी पड़ती है इस बात को हम मानते हैं कि आप हक साहब को भी बुलवा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

हम इनको बुलवा लेते लेकिन इसको वक्तव्य के लिये भेज दिया गया है । और यह कौन सी परम्परा आप डाल रहे हैं कि वेल में आ गये कि हमको बुलवायें ? यह अगर यह कह देंगे कि हमें खेद है, जो यह वेल में आ गए, तो मैं इन्हें सुन लूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

ठीक है हम खेद प्रकट किये दे रहे हैं । अब इनको बुलवा दीजिए ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, जो मैं कहना चाहता हूं यह आग्नेय लाइसेंस से संबंधित मामला है । प्रदेश में सात कैटेगिरी के लाइसेंस दिये जाने की नीति है । जो बूढ़ा हो गया है उसके लड़के को लाइसेन्स दे दिया जाता है दूसरी स्थिति में जो मर जाता है उसके लड़के को लाइसेंस बना दिया जाता है । तीसरी कैटेगिरी ३०२, ३०७, ९५, ९७ बाद लाइसेंस बना दिया जाता है इन कैटेगिरी के लाइसेंस जनपद मुरादाबाद में नहीं बनाये जा रहे हैं । वहां के एस० पी० आर० ए० वशिष्ठ निहायत बदखलाख और अव्यवहारिक पुलिस अधिकारी हैं । विधायकों के पद की गरिमा को नजर में नहीं लाते हैं । मान्यवर उन्होंने पात्र व्यक्तियों की एक दिन में ७० रिपोर्ट जो लाइसेंस की संस्तुति होकर सी० ओ० के माध्यम से आई थी उसको निरस्त कर दिया है ।

मान्यवर, श्री वशिष्ट ने एक गोपनीय रिपोर्ट यह मंगायी है कि यह बताया जाय कि अमुक गांव में कितने लाइसेंस बहुसंख्यकों के हैं और कितने लाइर्सेस अल्पसंख्यकों के हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? जब पीलीभीत में १० तीर्थ यात्री मारे गये थे तो आतंकवादियों ने माननीय कल्याण सिंह को अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर लिया था । यह मैं नहीं कह रहा हूं, "माया" पत्रिका में यह निकला है । इनके डी० जी० पी० प्रकाश सिंह जी गुरुद्वारे नानकमता गये थे और वहां पर उन्होंने मत्था टेका ।

गृह राज्य मंत्री–(श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, क्या यह प्रश्नकाल में बोल रहे हैं ?

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

उन्होंने आतंकवादियों के खौफ से तराई क्षेत्र में लाइसेंस खोल दिये थे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप विषय से अलग हटकर बोल रहे हैं । आप बैठिये ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिये; यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक मिनट के लिये मुझे सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका नाम तो इसमें है नहीं । माननीय मंत्री जी को बोल लेने दीजिये । अगर आवश्यकता होगी तो माननीय सदस्य पूछ लेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक बात सुन लें । मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जब यहां बैठते थे उन्होंने खड़े होकर लाइसेंस का मामला उठाया था और उस समय कम से कम पौन घंटे उस पर बोला था । जो लाइसेंस देने की ७ कैटेगिरीज हैं उनके अंदर लाइसेंस देने में कृपणता बरती जा रही है । मुलायम सिंह की सरकार पर आपने आरोप लगाया था । मान्यवर, मुरादाबाद का यह विशेष मामला है, साम्प्रदायिक आधार पर कार्यवाही की जा रही है इससे मामला और दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है । पूरे प्रदेश में जो जायज लाइसेंस हैं वह भी नहीं दिये जा रहे हैं । आदमी कोई मर जाय, १० साल तक लाइसेंस नहीं मिलता । किसी के यहां डकैती पड़ गयी लाइसेंस नहीं मिलेगा । आतंकवादी घटनाओं का आपने उल्लेख किया है, आतंकवादी कार्यवाही करते हैं तो पुलिस वहां अचानक पहुंचेगी नहीं, अगर वहां लोगों के पास हथियार नहीं होंगे तो कैसे अपनी रक्षा कर सकेंगे ? आप इस संबंध में सरकार को निर्देश देने की कृपा करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, अभी तक हमारी सरकार ने लाइसेंस नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है । जिन ७ श्रेणियों में लाइसेंस दिये जाते रहे हैं उनमें उदारतापूर्वक अब भी लाइसेंस दिये जा रहे हैं ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक –

नहीं दिये जा रहे हैं ।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये जिला मैजिस्ट्रेट को अधिकार है और वह नवीनीकरण करते हैं । कहीं भी पूरे प्रदेश में नगर पुलिस अधीक्षक को अधिकार नहीं दिया गया है कि वह लाइसेंस का नवीनीकरण करें । सिर्फ लाइसेंस के नवीनीकरण में यह देखा जाता है कि वह व्यक्ति उस दौरान किसी प्रकार की अपराधिक घटना में संलग्न तो नहीं था उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं हैं । इसके अलावा कोई पाबन्दी नवीनीकरण के लिये नहीं हैं और उसका अनुपालन मुरादाबाद में भी हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा हो रही है । आपने सूचना दी, बुलवा दिया ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, यह नवीनीकरण का प्रश्न ही नहीं है और उत्तर नवीनीकरण का दे रहे हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

यह कार्य की सूचना नवीनीकरण की है ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, नवीनीकरण की नहीं हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सदस्यों ने दो बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है । माननीय राणा जी ने कहा कि एक संदर्भ आया कि एक ही दिन में बहुत से लाइसेंस खारिज कर दिये या देने में भेदभाव हुआ । दूसरे लाइसेंस देने में उदारता बरतनी चाहिये । जहां तक मुरादाबाद का ताल्लुक है, इससे तो माननीय राणा जी और माननीय सदस्य सहमत होंगे कि लाइसेंस देने के पहले देखना होगा कि लाइसेंस किसको दिया जा रहा है, क्या वह व्यक्ति उसका पात्र है इसमें मतभेद हो सकता है कि इसमें पुलिस को रखा जाय या किसी और एजेंसी को रखा जाय । पुलिस को रखते हैं जो एस० एस० पी० का ही अंतिम हस्ताक्षर होना चाहिये । एस० एस० पी० किसको देता है इसमें विवाद हो सकता है, लेकिन यह सही हैं कि सत्ता में आने पर हमने अनुभव किया है कि जिलों में बहुत से लाइसेंस ऐसे दे दिये गये जो लाइसेंस के पात्र नहीं थे । लेकिन कोई मृतक है, उसका वारिस से रक्त संबंध है कि नहीं है, यह देखना पड़ेगा कि उसका उत्तराधिकारी असामाजिक तत्व तो नहीं है, उसका अपराधिक इतिहास तो नहीं है, यह पुलिस से जानकारी ली जायगी । मेरे पास आकड़े नहीं है, यह पुलिस से जानकारी ली जायगी । मेरे पास आकड़े नही हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में काफी संख्या में ऐसे असलहे दिये गये, जो नहीं मिलने चाहिये । हमने कैंसिल किये, लेकिन हम सहमत हैं कि लाइसेंस देने में उदारता बरतनी चाहिये । मुझे यह सदन में भी स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि ईमानदार की जान-माल को खतरा है । वह सेवा समय में काम करने जा रहा है तो खतरा पैदा हो गया है, उसके पास असलहा नहीं , लेकिन असामाजिक तत्व दूसरे की जान को खतरा बने हैं । एक आध कट्टा ले आते हैं । हमारी सरकार ने फैसला किया है कि अपनी नीति को उदार बनायेंगे । मैं इसके लिये जानकारी देना चाहूंगा कि इसके लिये एक समिति गठित कर दी गयी है और वह बहुत जल्द छानबीन करके रिर्पोट देगी जिसके आधार पर असलहे देने की नयी नीति आप सबके संज्ञान में आयेगी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने एक मुद्दा उठाया तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि रक्त संबंध है या नहीं या असामाजिक तत्व को नहीं मिलना चाहिये, लेकिन रक्त संबंध है और असामाजिक प्रवृत्ति का नहीं है तो मिलना चाहिये कि नहीं । माननीय सदस्य ने यह बात उठायी है कि इस तरह से जो लाइसेंस स्वीकृत किये थे और जिनको एस० एस० पी० ने निरस्त किया है क्या उसकी जांच करा लेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने एक बात कही, उन्होंने सही सवाल पूछा, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैंने जो रक्त सम्बन्ध की बात कही थी उनको याद होगा कि पिछली सरकार में ही कुछ वर्ष पहले नीयर रिलेशन था, उसके बाद काट कर ब्लड रिलेशन कर दिया गया था । लेकिन यह मामला उस समिति के विचाराधीन है कि नई नीति हम क्या बनायें । एक बात आपने पूछा, उसको मैं बताना चाहता हूं, वर्तमान नीति में अगर कोई स्वर्गवासी हो गया, यानि उसका पुत्र है, उस पुत्र का चरित्र ठीक है, तो उसको सामान्यतया मिल जाना चाहिये, लेकिन अगर नहीं मिला, तो यह असामान्य बात है, मैं इसको स्वीकार करता हूं । इसके बारे में मैं लम्बी बहस में न जाकर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ऐसे कोई मामले की हमें आप जानकारी दे दें, मैं पूरी जानकारी करके आपका समाधान कर दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

ये जो सूचनायें नियम ५६ के अन्तर्गत थीं, निरस्त की गयीं

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, नियम ५६ में एक सूचना मेरी भी थी ।

श्री अधिष्ठाता–

हमारे पास ९ सूचनायें चयनित की गयी थी, जिनमें हम एक से चार तक की सूचनाओं पर ग्राह्यता पर सुन चुके हैं और ५ से लेकर ८ तक की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है तथा नवीं सूचना जो माननीय हृदय नारायण जी की है, उसको नियम ३११ पर सुन लिया गया है ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

पांच से ८ तक की सूचनाओं के बारे में शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए, इसे नियम ५६ में अस्वीकार कर दिया है ।

(व्यवधान)

अगर सब लोग बोलेंगे, तो मैं क्या बताऊंगा ?

(व्यवधान)

इसके अलावा कोई दूसरी पाबन्दी नवीनीकरण के लिये है और उसका अनुपालन मुरादाबाद में भी हो रहा है ।

(व्यवधान)

इस पर चर्चा नहीं हो रही है । आपने सूचना दी, बुलवा दिया ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, नियम ५६ में आपने मुझे बोलने की अनुमति दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है । अब आप ग्राह्यता पर क्या बोलेंगे ?

(व्यवधान)

हम आपकी बात से सहमत हैं और उसको सरकार के पास भेज दिया है ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, १९९२ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, १९९२

श्री श्याम नारायण –

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, १९९२ का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, यह बहुत ही व्यापक है और इस विषय की परिधि इतनी व्यापक है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी परिवार इससे अछूता नहीं रहेगा । पूरे उत्तर प्रदेश के हर परिवार से कोई न कोई लड़का या लड़की आज नहीं तो कल परीक्षार्थी होगा । इसका प्रभाव इतना व्यापक है, आप मान्यवर ध्यान दें कि परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, सरकार भी इसको मानती है कि बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है ।

मान्यवर, सरकार की मान्यता है कि नकल होती है और संज्ञेय अपराध बना रहे हैं, इसका इतना व्यापक प्रभाव होगा कि अपराधी बड़े पैमाने पर होंगे, कौन-कौन लेग होंगे वह जो अनुचित साधनों का प्रयोग करेंगे वह लोग होंगे और जिन पर सन्देह होगा, वह लोग होगे या इन तरीकों के जो मददगार होंगे वह लोग होंगे और यही नहीं रास्ता चलते हुये लोग भी इसके दायरे में आ जायेंगे, तो मान्यवर, इसका इतना व्यापक प्रभाव होगा ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष इसमें सहयोग करना चाहता है, लेकिन यह विरोध पक्ष का सहयोग लेना नहीं चाहते हैं और जल्दी जल्दी में यह विधेयक ले आये हैं और उत्तर प्रदेश के हर आदमी को अभियुक्त बना दिया है । इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि जो व्यक्ति इसमें पकड़ा जायेगां, उसकी निचली अदालत से, जिला अदालत से जमानत भी नहीं होगी, उसको जमानत के लिये हाई कोर्ट में अर्जी लगानी होगी और फिर भी यह निश्चित नहीं है कि उसकी जमानत हो ही जायेगी तो इस तरह का अपराध पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आने वाला है । अगर यह संतुष्ट हो गये कि नकल कराना चाहते हैं, तो वह अपराधी हो गया, मैं मानता हूं कि नकल की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये, लेकिन जिस प्रकार से यह रोकने का प्रयास किया गया है, यह कोई अच्छा और वैज्ञानिक तरीका नहीं है । अभी कल ही की बात हो रही थी और कहा गया कि नकलची छात्रों के साथ बैठकर बात की गयी । मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर कोई छात्र नकल करता है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिये, लेकिन उसको रोकने के लिये बहुत से तरीके हैं । मान्यवर, अखबारों में आया है, चर्चा हुई है, तार्किक और वैज्ञानिक तरीके सोचे गये हैं, लेकिन सरकार ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया है । दुनिया के और मुल्कों में भी यह समस्या आयी, लेकिन वहां पर तमाम वैज्ञानिक तरीके अपनाये गये और अगर आप भी ऐसा ही करें, तो नकल रुकेगी, लेकिन इन्होंने उन तरीकों को न अपनाकर इस अधिकार को पुलिस को दे दिया है ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, आप लाल बत्ती को बुझा दें । मुझे बहुत कम समय दिया गया । आप कम से कम दो मिनट और दें, जिससे मैं अपनी बात को समाप्त कर लूं ।

एक सदस्य –

आप कोई विकल्प तो बतायें ।

श्री श्याम नारायण–

मैं विकल्प ही बता रहा हूं, तमाम विकल्प हैं, वह विकल्प क्या हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आप मान्यवर, किताब रख लेने दीजिये लड़कों को और चाहे जो प्रश्न कर लीजिये, आपकी जितनी तीव्र बुद्धि है, उसके हिसाब से आप प्रश्न कीजिये अगर आप के पास बुद्धि नहीं है तो उसका खमियाजा उत्तर प्रदेश के लड़के लड़कियां क्यों भुगतें । तर्क, बुद्धि से इनको विज्ञान से मतलब नहीं है, इनको तो लाठी डन्डे से मतलब है । मान्यवर, मैं कहता हूं कि यहां हिटलरशाही नहीं जालेगी मान्यवर, इस दुनिया के बड़े-बड़े मुल्कों में बड़ी-बड़ी ताकतें और हुकूमतें धराशाई हो गयीं, आपको घमंड होना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा करना चाहिये था इनको लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया । मैं आज भी कहता हूं कि यह उसको फिर से सोचे विचारें और सोच विचार करके काम करें, सबको अपराधी न बना दें । मान्यवर, एक मिनट और कहना है, मुझको याद है कि सन् १९५४-५५ रहा होगा जब माननीय चन्द्र भानु गुप्त जी मुख्य मंत्री थे और आचार्य जुगुल मिश्रा मंत्री थे, उस समय मैं विद्यार्थी था उस समय विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला हुआ था तो उसका मुकाबला किया गया था । चन्द्रभानु गुप्त जी जहां चुनाव लड़ने गये वहां उनका विरोध किया गया और वहां उनको पराजित किया गया ।

मान्यवर, इसी प्रसंग में एक बात जरूर कहना चाहूंगा । मान्यवर, कल बड़ी कहानियां कही गईं, मैं सत्यकथा का उदाहरण देना चाहता हूं एक राजा था उस राजा के राज्य में जो चोरी करता था उसको फांसी की सजा होती थी तो तीन चोर पकड़े गये जिसमें से २ खटाखट फांसी पर लटका दिये गये, तीसरा बचा तो उसने कहा कि मेरी बात सुन लें, उसने कहा कि मैं सोने की खेती करता हूं, राजा लोग लालची होते थे, लालच में आ गया । मान्यवर, सब लोग इकट्ठा हुए और सोना काटा गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि उस आदमी के बोने से सोना पैदा होगा जिसने कभी जीवन में चोरी न की हो ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, आपकी कहानी खत्म हो गयी अब कुछ नहीं लिखा जायेगा । (शोर)

श्री श्याम नरायण –

[xxx]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई चीज लिखी नहीं जायेगी, जब से कहा गया है तब से नहीं लिखी जायेगी ।

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका एक प्रस्ताव आया है उस पर मंत्री जी को बोलने दें कि आप लोग ही बोलेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जिनके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हैं पहले वह अपनी बात कहेंगे तब मंत्री जी उत्तर देंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

एक बोल चुके हैं, एक ओर बोलेंगे, चलिये बोलिये, २ मिनट में बोलें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, ''हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम

वह कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा भी नहीं होती ।''

मान्यवर, यह जो अध्यादेश लाये हैं अध्यादेश के माध्यम से यह प्रजातंत्र का कत्ल करना चाहते हैं, मैं इनको सद्बुद्धि देना चाहता हूं । इसलिये यह जो अध्यादेश लाये हैं इससे तो पुलिस को अधिक अधिकार मिल जाता है, मान्यवर, वह सरकार ज्यादा लोकप्रिय होती है जो पुलिस और फौज का सहारा कम लिया करती है । अब इससे खतरा पैदा हो जायेगा लोकतंत्र को । बात बात में अध्यादेश लायेंगे और नागरिकों के अधिकार पुलिस और फौज को देंगे तो आखिरकार इस प्रजातंत्र लोकतंत्र का क्या होगा, इसके पीछे नीयत साफ नहीं है । आज छात्रों में असंतोष व्याप्त है । नीति इनकी गलत है नीयत साफ है नहीं है इसलिये यह नकल का अध्यादेश लाकर छात्रों की आवाज को दबाने के लिये उनको भय दिखायेंगे और उसका बदला लेंगे ताकि छात्र इनकी गलत नीतियों पर आंदोलन न कर सकें । मैं कहना चाहता हूं कि इस देश को चलाने के लिये इस प्रदेश को चलाने के लिये इस अध्यादेश को वापस ले लें यह काला अध्यादेश है । अगर वास्तव में नकल रोकनी है तो सबसे पहले इनको परीक्षा के पैटर्न को बदलना चाहिये । अगर परीक्षा के पैटर्न को नहीं बदल सकते हैं तो इस तरह का अध्यादेश लायें यह काला कानून है मैं इसका अननुमोदन करता हूं ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या–१४ पर मा० शिक्षा मंत्री को पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, हमको पहले सुन लें, यह परम्परा रही है कि अननुमोदन के प्रस्ताव पर जिनके नाम होते हैं उनको पहले बुलाया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, आप बाद में बोल लेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आप मद संख्या १३ से मद संख्या १४ पर चले गये ।

श्री अधिष्ठाता–

आप व्यवस्था भी देंगे और बोलेंगे भी । आपने संशोधन का प्रस्ताव रखा है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, आप देख लें मेरा अननुमोदन का प्रस्ताव है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका संशोधन का प्रस्ताव है, मद १४ में संशोधन है । आप चाहते हैं कि आपके प्रस्ताव पर उधर से कोई न बोले तो कैसे होगा ?

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आप मद संख्या १३ से १४ में कहां चले गये । अभी तक मद संख्या १३ चल रहा है और इसमें श्री श्याम नारायण तिवारी जी ने अननुमोदन का प्रस्ताव रखा है जब तक उसमें पूरे वक्ता बोल न लें और इस पक्ष के और उस पक्ष के दोनों के इसमें विचार आने चाहिये उसके बाद माननीय मंत्री जी इसके विषय में बोलते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं । अगर मद संख्या-१३ व १४ दोनों एक साथ चले तो इसमें कोई आपत्ति है ? माननीय शिक्षा मंत्री जी आप बोलें ।

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रोद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, १९९२ पर विचार किया जाये । मान्यवर, मैंने भाषण सुनने के बाद शिक्षा के स्तर में हो रही गिरावट और गुणवत्ता के ह्रास पर बड़ी चिन्ता व्यक्त की है । समय-समय पर शिक्षा स्तर में होती हुई गिरावट गुणवत्ता ह्रास को रोकने के सम्बन्ध में सुझाव भी लिये गये लेकिन सुधारें होने की बात तो दूर शिक्षा के स्तर में आती हुई गिरावट को रोक नहीं पाये । यह जाहिर है कि विगत कुछ वर्षो से बोर्ड की परीक्षाओं में नकल करने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है । परीक्षा की प्रमाणिकता समाप्त हो गयी है । मान्यवर, हम लोगों ने गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार किया कि परीक्षा की प्रमाणिकता को फिर से कैसे स्थापित किया जाये । कुछ सुझाव शिक्षाविद् से मांगे गये उनसे परामर्श लिया गया, उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये लेकिन आम सहमति इसी बात पर बनी कि नकल की बीमारी इतनी गम्भीर हो चुकी है कि जब तक इसे संज्ञेय अपराध नहीं बनायेंगे तब तक इसे रोका नहीं जा

सकता । ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार इस नकल करने को संज्ञेय अपराध घोषित किया है । इसके पहले भी महाराष्ट्र में १९८२ में तथा मध्य प्रदेश सरकार ने १९८४ में इसे संज्ञेय अपराध बनाया और संज्ञेय अपराध बनाने के बाद से वहां की परीक्षाओं में प्रमाणिकता आयी है । और मैं समझता हूं कि इस बात की जानकारी हमारे विपक्ष में बैठे सदस्यों को भी होगी ।

मैं देख रहा था जब अननुमोदन के प्रस्ताव पर माननीय श्याम नारायण और अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो वह बड़े दबे मन से इसे प्रस्तुत कर रहे थे और बाद में बल देना शुरू किया । तो मैं देख रहा था कि कली कली माने कलियुग, यह अपना प्रभाव दिखा रहा था, करिश्मा दिखा रहा था । मान्यवर हम यह मानकर चलते हैं कि नक़ल करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण जो हमारी प्रतिभा है वह कुण्ठित हो रही है, उनका जिस तरह से समुचित विकास होना चाहिये था वह नहीं हो रहा है । अनुशासनहीनता भी शिक्षण संस्थाओं के परिसर में तेजी से बढ़ती जा रही है, शिक्षण संस्थायें अपराधिक केन्द्र बनती जा रही हैं तो ऐसी सूरत में इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने का दूसरा रास्ता न होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार को यह नकल विरोधी अध्यादेश लाना पड़ा । मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो बात कही कि इसमें रास्ते में चलते हुए जो लोग हैं उनकी भी कानून की परिधि में लिया जा सकता है तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि पुलिस के हस्तक्षेप को, इस विधेयक के माध्यम से, या जो अधिनियम बनेगा, इसके माध्यम से कदापि बढ़ने नहीं देंगे, वैसे भी पहले पुलिस की व्यवस्था रहती थी, नकल को रोकने के लिये, लेकिन जो आशंका व्यक्त की जा रही है और छात्रों की भावनाओं को उभाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके संबंध में बता दूं कि पुलिस के हस्तक्षेप की इसमें कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है । पुलिस परिसर के भीतर प्रवेश नहीं करेगी, लेकिन अगर इनविजिलेटर द्वारा एफ० आई० आर० दर्ज कराई जाती है, केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा कराई जाती है, तो यह जो संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है, उसके अन्तर्गत पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है । मैं यह नहीं चाहता हूं कि छात्रों को गिरफ्तार किया जाय मैं तो चाहता हूं कि नकल करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के द्वारा भी नकल करने वाले छात्रों को दंडित करने की व्यवस्था है, उसमें यह भी व्यवस्था है कि वह अपना पक्ष भी प्रस्तुत कर सकते हैं, परीक्षा रद्द भी की जा सकती है, एक-दो वर्ष तक परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से रोका भी जा सकता है, इसलिये हमारी यह मंशा नहीं है कि छात्रों को जेल के सीखचों के पीछे डाला जाय, बल्कि इस विधेयक के माध्यम से हम यह व्यवस्था करना चाहते हैं कि अनुचित साधनों का प्रयोग छात्र न करें और प्रश्न पत्रों की गोपनीयता जो भंग हो जाती है, उस पर रोक लगे ।

कोई भी व्यक्ति, जिसे परीक्षा करवाने से संबंधित कार्य सौंपा जाता है, अगर उससे भी इसकी गोपनीयता भंग होती है, तो वह भी संज्ञेय अपराध की सीमा के अन्तर्गत आयेगा । ऐसा भी देखा गया है कि चाकू और कट्टे लेकर कुछ छात्र बैठते हैं, परीक्षाओं में, इसके अलावा नकल कराने वाले और लोग भी होते हैं, वह भी अपने साथ अवैध अस्त्र शस्त्र लेकर वहां पर पहुंचते हैं और नकल को बराबर प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे लोगों को भी संज्ञेय अपराध की सीमा के अन्तर्गत लाया गया है । जहां तक माननीय तिवारी जी ने यह बात कही है कि उनकी जमानत नहीं होगी, और उन्हें उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा, तो मैं जानकारी दे देना चाहता हूं, माननीय सदस्य को, कि इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि महानगर मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा इस पर एक समरी ट्रायल, संक्षिप्त ट्रायल होगा और महाराष्ट्र में भी इस पर जो विचार किया जाता है, वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होता है ।

मान्यवर, नकल करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे, इसके लिये पूर्व में भी व्यवस्थायें की गयी हैं, जैसे स्वकेन्द्र परीक्षा जब प्रारम्भ की गयी, तो नकल करने वालों की संख्या और बढ़ गयी । मेरे पास आंकड़े भी मौजूद हैं, मैं प्रस्तुत कर सकता हूं । स्वकेन्द्र लागू करने से नकल की जो प्रवृत्ति बढ़ी, उसी को रोकने के लिये ऐसा किया गया है, इसके साथ ही साथ हम यह भी महसूस करते हैं कि शैक्षिक संस्थाओं में समुचित रूप से पढ़ाई भी होनी चाहिये, विद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल भी होना चाहिये, इसके लिये भी यह व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है कि कम से कम २२० दिन तक कक्षायें अवश्य चलें । नकल पर काबू पाने के लिये सचल दल को और प्रभावी बनाने की दिशा में भी कदम उठाया गया है और शासन की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे गये हैं कि सेक्टर वाइस व्यवस्था कर लें । परगनाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट को लेकर इस प्रकार का कार्यक्रम सेक्टर बनाने का किया जाय, जिससे १०-१२ परीक्षा केन्द्र एक सेक्टर में आयें, इसका प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट, परगनाधिकारी को बनाया जाय । नकल को रोकने की दिशा में मैं समझता हूं कि इस विधेयक से सदन में प्रस्तुत किया गया है, प्रभावी और कोई उपाय नही हो सकता । हैं समझता हूं कि नकल को रोकने का अगर कोई और प्रभावी उपाय होता, तो माननीय सदस्यों द्वारा अवश्य सुझाया जाता । मैं अपेक्षा कर रहा था कि जब माननीय सदस्य विचार व्यक्त कर रहे थे, तो सुझाव भी प्रस्तुत किये जायेंगे, लेकिन उन्होंने कोई ठोस सुझाव प्रस्तुत नहीं किया, केवल गोल-मटोल बातें कहीं । श्याम नरायण तिवारी जी ने स्वपुस्तक प्रणाली की बात कहीं । स्वपुस्तक प्रणाली इस उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है अब इसके विफल साबित होने के बाद हमारी जो पुरानी परीक्षा प्रणाली थी, उसी पर हम पुनः वापस आ गये हैं । राजा की कहानी की जो बात कही गई, उसमें सभी चोर थे । मुझे लगता है कि श्री तिवारी ज़ी (श्याम नारायण तिवारी जी की ओर इशारा करते हुए) भी नकल करके परीक्षा पास किए हैं । शायद तिवारी जी इस बात को समझते होंगे कि नकल के द्वारा अकल बढ़ती है परन्तु हमारी सरकार यह मानती है कि नकल के द्वारा अकल नहीं बढ़ाई जा सकती है बल्कि नकल करने से शक्ल बिगड़ जाती है । इसलिए उत्तर प्रदेश की जो युवा पीढ़ी है, उसकी शक्ल न बिगड़े । उसकी शक्ल को सजाने व संवारने के लिये हम इस विधेयक को लाये हैं । इसलिये माननीय सदस्यों ने जो अपना यह अननुमोदन का प्रस्ताव रखा है, उसे वह वापस ले लें ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, मंत्री जी भी छात्रों के बीच से ही रजिनीति करके इस आदरणीय सदन में पहुंचे हैं । लार्ड मैकाले की 'शिक्षा-पद्धति ४४ वर्षो के बाद भी आज इस देश में चल रही है । स्व० श्री लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में १९७४ से लेकर १९७७ तक चले आन्दोलन के दरम्यान माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी शायद यह कहा था कि शिक्षा-पद्धति में अमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । अच्छा होता, माननीय शिक्षा मंत्री जी उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत में, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने की बात करते । नकल को संज्ञेय अपराध घोषित करके माननीय शिक्षा मंत्री जी ने नकल पर रोक लगाने का प्रयास किया है । मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नकल को संज्ञेय अपराध घोषित करके कहां तक सफल हो पायेगी ? श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी व इनकी सरकार से कहना चाहता हूं अगर उनकी नजर आतंकवाद के इतिहास की तरफ गई होगी या जो इस तरह की अन्य बुराइयां हैं उनकी तरफ गई होगी, तो उनको रोकने के लिए तमाम तरह के कानून लागू किये गये । तो क्या इन कानूनों के लागू करने से उन परिस्थितियों पर कोई अंकुश लगाया जा सकता है ? इसी प्रकार नकल को रोकने के लिए जो आप यह कानून लागू करने जा रहे हैं, क्या इससे

अंकुश लगाया जा सकता है ? बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है । माननीय मंत्री जी अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश में नकल को रोकना चाहते हैं, नया समाज बनाना चाहते हैं तो जो मौजूदा शिक्षा-पद्धति है, उसमें परिवर्तन करने की सोचें । तभी जाकर एक नये समाज का निर्माण हो सकेगा । इसलिये माननीय मंत्री जी नकल को संज्ञेय अपराध घोषित करने के अपने इस विचार पर आप पुनर्विचार करें ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या-१४ पर संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु श्री राम स्वरूप वर्मा जी का नाम पुकारा गया परन्तु वह सदन में उपस्थित नहीं थे) ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, १९९२ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बड़े ही सारगर्भित तरीके से अपनी बात कही । उनको नहीं भूलना चाहिये कि जब मीसा व डी० आई० आर० जैसे विधेयकों को यहां पर लाया गया था तो उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि इनमें जो दफायें हैं, उनके तहत राजनैतिक लोगों को बन्दी नहीं बनाया जायेगा । और जब इमरजेन्सी लागू हुई, तब इन सारी दफाओं को लगा दिया गया । जैसा कि श्री श्याम नारायण जी ने कहा, इससे एक संदेह उत्पन्न होता है, एक डर है कि कहीं पुलिस स्वच्छन्दता से किसी भी व्यक्ति को नकल के संज्ञेय अपराध में फंसाकर बन्द न कर दे । जब इस तरह के अधिकार आप पुलिस को देंगे तो कहीं अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण किसी व्यक्ति को नकल के संज्ञेय अपराध में फंसाकर बन्द न कर दे । नकल न हो, यह हम भी चाहते हैं । यदि आपको नकल रोकनी ही है तो इसमें इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता क्या है ?'

श्री स्वामी नाथ यादव–

आप इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

शांत रहें उनको बोलने दें।

श्री स्वामी नाथ यादव

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि इसे प्रवर समिति को सौंप दें और वह समिति एक माह के अन्दर जो भी सुझाव बेहतर रूप से दे उसको लागू करें । नकल रोकना आवश्यक है लेकिन उसके नाम पर एक ऐसा कानून उत्तर प्रदेश की जनता पर न थोप दें जिससे लोग जेलों की सीखचों में बन्द हो जायं । मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(इस समय ८ बजकर ३५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, शिक्षा मंत्री जी ने जो विधेयक सदन के सामने रखा है उस पर उनके विचार मैंने सुने । मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी की बात से यह बात साफ नहीं हुई कि वह नकल रोकना चाहते हैं । अगर नकल रोकना चाहते होते तो कोई ऐसा कानून बनाते जिसका हम स्वागत करते । मान्यवर, इस विधेयक का इस्तेमाल यह गलत तरीके से करना चाहते हैं । सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि विपक्ष नकल से अकल आती है इसमें विश्वास करता है मैं कहना चाहता हूं सत्तापक्ष का विश्वास हर मामले में पुलिस

दखल में है । आप जानते हैं कि जिस किसी मामले में पुलिस का दखल बढ़ता है चाहे वह अच्छे से अच्छा काम क्यों न हो वहां पर व्यापार होने लगता है जिस तरीके से शराब के ठेके बिकते हैं, पुलिस वाले उसमें व्यापार करते हैं गांव के गांव बिक जाते हैं इस समय खासकर अगर यह कानून बन गया तो फिर कालेज बिकने लगेंगे । दरोगा गांव वालों से पहले ही तय कर लेगा कि आपका लड़का अमुक-अमुक कालेज से परीक्षा दे रहा है अगर इतनी धनराशि नहीं दोगे तो लड़के को नकल में बन्द कर दूंगा और तुमको नकल करने में सहायता करने के आरोप में बन्द कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को जेल में डाल दूंगा । तो इस तरह से एक दहशत का वातावरण, आतंक का वातावरण इससे बनेगा । माननीय शिक्षा मंत्री जी विद्वान हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि प्रदेश के छात्र विभिन्न मुद्दों पर आन्दोलित हैं आन्दोलित छात्र भयग्रस्त हैं । सरकार ने कहा नकल रोकने के लिये इस कानून के अलावा कोई विकल्प नहीं था । तो इस सरकार में सदाशयता होती और नकल रोकना चाहते, नकल रोकना ठीक है लेकिन इस तरह से कानून लाकर नहीं । इस संबंध में सरकार की मंशा साफ होती तो कोई बैठक बुलाती हमें भी उसमें आमंत्रित करती । इसके और भी तरीके हैं । आपने कहा स्व-पुस्तक प्रणाली असफल हो गयी मैं समझता हूं कि उसका प्रयोग ठीक से नहीं हुआ । अगर इसमें सौ डेढ़ सौ प्रश्न होते, सूक्ष्म में प्रश्न होते आपने कहा सुझाव नहीं आये तो मैं सुझाव दे रहा हूं, स्व-पुस्तक प्रणाली ठीक से विकसित की जाती । विद्यार्थी को दो घंटे में इन प्रश्नों का जवाब देना होता तो जो मेधावी छात्र होता वही उनके उत्तर पुस्तकों से निकाल सकता । जिनको अकल नहीं होगी वह छात्र पुस्तकों से प्रश्न नहीं निकाल सकते । मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं निश्चितरूप से मेधावी छात्र ही उसमें उत्तीर्ण होते ।

अगर वह सुझाव चाहते हैं तो इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय उसमें सरकार विद्वान लोगों को आमंत्रित कर सकती है, बहुत से यहां पर विद्वान माननीय सदस्य हैं वह उसमें अपने सुझाव दे सकते हैं, कुलपतियों को आमंत्रित किया जा सकता है जो अपने सुझाव देंगे । प्रवर समिति में इन सारे लोगों से विचार विमर्श करके नये सिरे से विधेयक लायें । इन शब्दों के साथ मैं इस अध्यादेश का अननुमोदन करता हूं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री हृदय नारायण दीक्षित, संस्कारी सदस्य, द्वारा नकल विरोधी अध्यादेश का विरोध किया गया । मैं तो अपेक्षा करता था कि जैसे उनके संस्कार हैं और जैसा मालूम है कि बहुत दिनों तक जिस विद्यालय में उन्होंने शिक्षा लिया है उसी विद्यालय में हमने भी शिक्षा लिया है लेकिन पता नहीं किन कारणों से वह अपने संस्कारों को भूल गये और अध्यादेश का विरोध किया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने संकल्प रखा है नकल विरोधी अध्यादेश के विरोध में उनकी सभी बातें कल्पना पर आधरित हैं, उनका यथार्थ से कोई वास्ता नहीं है । मान्यवर, हमने बचपन में पिक्चर देखी थी उसमें जो हीरो था वह कल्पना करता था, बैठे-बैठे उसको बीमारी हो गई थी और उस बीमारी के कारण कल्पना करता था कि एक शादी में गया वहां देखा कि दुल्हा-दुलहिन अग्नि के फेरे ले रहे हैं, फेरे लेते समय गठबन्धन में आग लग गई है, पन्डाल जलने लगा है, दुल्हा-दुलहिन जलने लगे हैं और उनके परिवार के लोग जलने लगे हैं । यह सोच कर वह रोने लगा । तो यह केवल मानसिक बीमारी के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा रहा है । इसी तरीके से उसने कल्पना किया वह रास्ते में जा रहा था उसने देखा कि दो बसें सामने आ रही हैं उसके दिमाग में कल्पना आई कि दोनों बसें आपस में टकरा गई और बस में बैठे सवार मर गये बच्चे मर गये और वह रोने लगा । तो मान्यवर, इसी प्रकार की उधर बैठे लोगों की मानसिकता है ।

मान्यवर, उधर बैठे सदस्यों के समय में, पिछले ४२ वर्षों में इस प्रदेश में शिक्षा का जो अवमूल्यन हुआ है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं । और वही स्थिति आज भी है, आप किसी परीक्षा केन्द्र पर चले जायें तो आपको बाहर अभिभावकों की भीड़ मिलेगी, यह कहां की नैतिकता है ? इस अध्यादेश का विरोध करते हुये आपके मन में यह नहीं आया कि अपराधों के लिए जो नियम और अधिनियम बने हैं उनको समाप्त कर दिया जाय इसलिए इसको क्या कल्पना पर समाप्त दिया जाय ? क्या कल्पना आपकी है ? आश्चर्य की बात है । मैं तो केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश की शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और उत्तर प्रदेश का युवक देश की परीक्षा में बैठता है तो उसमें वह सफल हो, लेकिन आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश का छात्र बाहर जाता है, दक्षिण भारत में जाता है, तो उसे एडमीशन नहीं मिलता है । इसलिए शिक्षा के स्तर को हम सुधारना चाहते हैं ।

मान्यवर, कौशिक कमेटी बनी, उस पर बहस हुई लेकिन उसकी रिपोर्ट काफी दिनों तक प्रतीक्षित रही । हुआ क्या बच्चा पैदा ही नहीं हुआ । हम इसको करना चाहते हैं तो आप को दर्द क्यों हो रहा है ? इसलिए इसमें हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं और आप अपने संकल्प को वापस ले लें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, उधर से आरोप आया है कि इधर के सदस्यों द्वारा ४२ वर्षों से शिक्षा का अवमूल्यन किया गया है । मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप के तरफ बैठे सदस्य प्रधानाचार्य हैं, सवाल उठाया गया है कि २०–२५ हजार रुपये डोनेशन देकर आप फर्जी नामांकन कराते हैं । इस चुनौती को आप स्वीकार करें ? सदन में आयुर्वेदिक महाविद्यालय के बारे में सवाल उठा था उसमें सत्ता पक्ष के एम०एल०ए० भी प्राचार्य हैं, उन्होंने ही यह कार्य किया है और डोनेशन लिया है । हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि हम नकल कराना चाहते हैं जबकि नकल कराने की प्रवृत्ति आपके द्वारा पैदा किया जा रहा है । नकल कराने के नाम पर डोनेशन लिया जा रहा है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, नकल निश्चित रूप से एक जघन्य अपराध है । इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं हैं । इसकी जितनी हानियां इस देश और प्रदेश को भुगतनी पड़ रही हैं उससे लगता है कि निश्चित रूप से नकल से प्रतिभा कुन्ठित होती है । यह सही बात है कि नकल समाज का कोढ़ है । यह सब सही बातें हैं । इसलिये नकल को रोकने के लिये जितने उपाय, जितनी कार्यवाही सम्भव हो, अवश्य करनी चाहिंए। मुझे इसका विरोध नहीं है । विरोध केवल इतना है कि नकल कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इस बात पर गौर से देखने को आवश्यकता है ? अपना ध्यान, चिन्तन, अपना दृष्टिकोण हमें इस ओर ले जाना चाहिए । इसके लिये अगर मैं कहना चाहूं तो बहुत समय लगेगा । मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता मैं स्वयं प्रधानाचार्य हूं । परन्तु मान्यवर, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यह नकल शुरू हुई है वहां से जहां पर जिस पर जिस परिवार के लोग उच्च पदों पर आसीन हैं और इन शीर्षस्थ पदों पर बैठे लोगों ने चाहे वह शिक्षा जगत से संबंधित हैं अथवा पुलिस प्रशासन या राजनीति क्षेत्र के प्रभुता प्राप्त व्यक्ति हैं । इन्होंने अपने लड़कों को अपने रिश्तेदारों को अपने ऊंचे पद पर बैठे रहने का जो लाभ दिलाया उससे इस समाज के अन्दर कुन्ठा पैदा हुई । चर्चा के रूप में कहना चाहूं तो बहुत समय लगेगा । मान्यवर, एक छोटी सी बात बताता हूं । आगरा विश्वविद्यालय में एक उच्च अधिकारी थे जो कि विद्यालय को कमेटियों के अध्यक्ष भी थे । उनका लड़का इन्टरमीडिएट तक थर्ड क्लास से पास हुआ था लेकिन बी०ए० के बाद उसे गोल्ड मेडिल मिलने शुरू हो गये । मुझे मालूम है मान्यवर, इस तरह की बातें बहुत पहले से हो रही हैं । जब मैं एम०ए० में पढ़ता था । तब मैनें देखा था कि एक लड़के के

नम्बर कम किये गये और दूसरे के बढ़ाये गये और दोनों के नम्बर बराबर करके दोनों को पहली पोजीशन दी गई जब समाज में इस तरह से शीर्षस्थ पदों पर आसीन व्यक्ति अपने लड़कों को पास करवायेंगे तो वह बेचारे निर्बल वर्ग के लड़के, जिनके बाप-दादा प्रधानाचार्य, डीन या किसी डिपार्टमेंट के हेड अथवा अधिकारी या नेता जैसे किसी उच्च पद पर नहीं हैं। अथवा जिनकी ऊंची एप्रोच नहीं है वह पास नहीं हो पाये और इस तरह से उनके अन्दर कुन्ठा पैदा हो गई। जिसे आज आप लोग बल प्रयोग कहते हैं। उन लड़कों ने सोचा कि चलो ठीक है, एप्रोच नहीं है तो क्या ? दो चार दण्ड करके बल प्रयोग करने लगे। क्या वह बेचारे जिनके बाप-दादा किसी कालेज की कार्य समिति में नहीं थे। उनकी कोई ऐसी एप्रोच नहीं थी जो वह थ्रू-आउट फर्स्ट क्लास पास होते। उन्होंने बल का ही सहारा लिया। जो ऐटीट्यूड अपनाया जा रहा है उसको रोकने की आपने क्या व्यवस्था की ? उसके ऊपर कोई अंकुश लगाया है। दरिद्र घरों में पैदा होने वाले लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिंए। यह बात सहीं है कि नकल करने वाले लडकों की पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे कक्षनिरीक्षक से रिपोर्ट कर देंगे, केन्द्र व्यवस्थापक से रिपोर्ट कर देंगे। लेकिन जो कमरे एलाट कराये जाये, २० हजार देकर गोल्ड मेडिल लेने के लिये। लड़के इस तरह के कमरों में बैठते हैं। मान्यवर, आपके बोर्ड परीक्षा प्रणाली में इसको रोकने का कोई उपाय किया गया है ? अगर नहीं किया गया है तो यह समाज का कोढ़ है। उन गरीब घरों में पैदा होने वाले असहाय लड़कों की जिन्दगी खराब कर देंगे, जिनको बचाने का दायित्व लेकर हम और आप आए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि (शान्ति व्यवस्था के लिए कठोर से कठोरतम कानून बनाने की प्रवृत्ति गलत है) सी०आर०पी०सी०, आई०पी०सी० पहले से थी पर उन्हें और कठोर करने के लिए गुण्डा ऐक्ट लगाया गया, तो क्या हुआ क्या कोई परिवर्तन आया, कानून बनाने से आप छूट जायेंगे। कोई कानून आप बना दें वह बौना हो जाएगा। आप सख्त से सख्त कानून बनायेंगे तो भी आपका खामियाजा से काम नहीं चलेगा। मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं जो मनु ने कही है:–

दण्डः शास्ति प्रजा सर्वाः
दण्डः स्वामि रक्षतिः
दण्डः सुप्तेषु जागार्ति
दण्डः धर्म विदुर्बुदाः

तो दण्ड जो है दुनिया की रक्षा करता है। दण्ड का खौफ होता है। दण्ड का भय होता है दण्ड का दुरुपयोग होता है तो उसका परिणाम सामने आता है। मान्यवर, एक बात समझ लें–

क्षमा शोभिती उस भुजंग को
जिसके पास गरल है।
उसको क्या जो दन्तहीन-
विषरहित विनीत सरल है।

अभिप्राय यह है कि राजा का जो पौरुष ही राज्य की रक्षा करता है। राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता है बल्कि जो उसका खौफ है जो उसका पौरुष है वह प्रजा की रक्षा करता है, तो मान्यवर, कानून तो आप सख्त से सख्त बना देंगे पर इन कानूनों का परिणाम भी कभी देखा है। केन्द्रों पर पुलिस लगाई जाती है, आप तो स्वयं अध्यापक हैं जानते होंगे, किस तरह से सिपाही नकल लेकर लड़कों के पास जाते हैं।

दरोगा किताबें फाड़-फांड कर पहुंचाते हैं, जिसको अध्यापकों को झेलना मुश्किल हो जाता है । मास्टरों और अध्यापकों के साथ लड़के गाली गलौज करते हैं क्या इसको आप रोक पाएंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके हाथ बौने हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह बीच में व्यवधान डाल रहे हैं । अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप कह दें मैं नहीं बोलूंगा ।

श्री उपाध्याय–

आप थोड़ा संक्षेप में कर दें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मैं क्या खामख्वाह बोल रहा हूं । मैं क्या विषय पर नहीं बोल रहा हूं मुझे बोलने की ख्वाहिश नहीं है । यह जो सारी परिस्थितियां हैं इसमें केवल विद्यार्थी को ही दोषी नहीं माना जा सकता है आप जहां कहीं भी देखेंगे कि कभी भी मर्यादा भंग होती है तो हम भी किसी रूप में उसमें साथ रहते हैं, तो दोष तो वातावरण का है । जिनको कानून को पकड़ना चाहिए वह नहीं पकड़ पाता है आपके हाथ बौने हैं कानून की नजर और कानून की पकड़ इन सब पर हो जाय और यह सब आपके अध्यादेश से रुक जाय तो नकल के अध्यादेश को स्वीकार करने वाला मैं पहला आदमी विपक्ष का होऊंगा । मैं इस पक्ष में बैठा हूं मैं इसलिए विरोध नहीं करता । आपका कानून सबके साथ समान होना चाहिए मैं तो व्यवहारिक बात करता हूं ।

मेरा यह कहना है कि सब पर समान रूप से कानून लागू होना चाहिए पदों के प्रभाव से पास करना, पेपर आउट करना, अटैची दूर से पास करना, कमरे एलाट करना, कार्यालय में नम्बर बढ़ाना, कापी बदलना, नम्बरों में हेराफेरी करना आदि । अगर सब पर कानून समान रूप से लागू किया जायगा तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा, विपक्ष में, जो खड़े होकर आपका समर्थन करूंगा । इन शब्दों के साथ अगर मैंने कोई बात कही हो जो आपको गलत लग गयी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं । मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस विषय पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है, गम्भीर अध्ययन करने की आवश्यकता है । मैं भी मानता हूं कि नकल निश्चित रूप से रुकनी चाहिये नहीं तो प्रदेश के नौजवानों का भविष्य चौपट हो जायगा लेकिन इस व्यवस्था में अकेले लड़के को ही नकलची मान लेना न्यायोचित नहीं है ।

* श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, नकल रोकने के संबंध में जो अध्यादेश आया है उस संबंध में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में विश्वविद्यालय भी है और ४ डिग्री कालेज हैं और तमाम इण्टरमीडियेट कालेज हैं और शायद लखनऊ में सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थायें मेरे ही क्षेत्र में है । मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जो यह कहा जा रहा है कि इस विधेयक से बड़ी क्रांति हो जायगी या विद्रोह हो जायगा । मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग कैसे यह कह रहे हैं ? जबसे यह कानून जनता में आया है, जबसे जनता को इसके बारे में मालूम हुआ है, ९९ प्रतिशत लोग इससे खुश हैं । अभिभावक भी खुश हैं और छात्र भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खुश हैं। अभिभावक सोचते हैं कि कम से कम उनका बेटा जो पढ़ता है व ७० प्रतिशत अंक पाकर मेरिट में आयेगा और उसका दाखिला अगली कक्षा में हो जायगा । नकल करके ९० प्रतिशत लाने वाले अब नकल नहीं कर सकेंगे और दाखिले से वंचित होंगे । जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और वास्तव में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वह आज बहुत खुश हैं । कहा जा रहा है यह कानून आने से असुविधा होगी । जब ३०२ का कानून बना होगा तो यह आशंका व्यक्त की गयी होगी कि ऐसा न हो कि कोई बेगुनाह बन्द हो जाय तो यह जो दलील दी जा रही है, यह बहुत लचर दलील है कि कहीं कोई बेगुनाह न बन्द हो जाय । अभी राणा जी ने बहुत अच्छा श्लोक सुनाया । अगर राणा जी नकल करके आये होते तो यह श्लोक उनको न याद होता और इसको कहने के लिये वह किताब खोलकर देखते । हर कोई १०–२० किताबें दबाकर चलता कि कहीं ऐसा न हो कि जनता में कोई आदमी कोई चीज पूछ न ले । नकल करके कोई सम्मान नहीं पा सकता है, न घर में पा सकता है, न समाज में पा सकता है । मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में जो परीक्षायें हो रही हैं, आई०ए०एस० और आई०पी०एस०, आई० एफ० एस० की अगर वह सपुस्तक होती तो भगवान भला करे प्रदेश नहीं चल सकता आज आई० ए० एस०, आई० पी० एस० में उ० प्र० से आने वालों की तादाद घटती जा रही है । दिल्ली और साउथ के लोग ही उसमें अधिक आते हैं । उसका कारण यह है कि वहां के लोग नकल में विश्वास नहीं रखते हैं । यहां पर जैसे ही परीक्षायें शुरू होती हैं कर्मचारी इसलिये छुट्टी लेते हैं कि अपने बच्चे को नकल करानी है, यह कोई अच्छी बात नहीं है । यह आशंका कि कानून का दुरुपयोग होगा अगर इस तरह सोचेंगे तो अपराध नहीं रुकेंगे और जंगल राज हो जायगा । कानून समाज में अपराध को रोकने के लिये बनाये जाते हैं । यह जो कानून बना है यह नकल को कंट्रोल करेगा । इससे परीक्षार्थी पढ़ेंगे जिससे उनकी प्रतिभा का विकास होगा और प्रदेश का इससे भला होगा ।

श्री खालिद गौरी–

मान्यवर, नकल एक समस्या है और एक बहुत बड़ी बीमारी है। इससे बहुत खराब स्थिति पूरे प्रदेश में पैदा हो गयी । नकल कराने के लिये बड़ी-बड़ी रिश्वतें मैनेजर, प्रिंसिपल लेने लगे हैं। जगह-जगह खबरें मिलती हैं कि फलां स्कूल में रेड चल रही है, फलां जगह इम्तहान में नकल हो रही है। स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि हम लोगों के पास लोग सिफारिश के लिये आने लगे हैं कि फलां स्कूल को चट्ठी लिख दीजिये कि लड़के को नकल करने दें। मैंने सरकार से नकल के प्रति जो चिंता प्रकट की है, उसका तो मैं समर्थन करता हूं, जो तरीका अपनाया है और जो अप्रोच अपनायी है, नकल खत्म करने के लिये, लेकिन वह सही नहीं है। इससे नकल खत्म करने का उद्देश्य प्रतीत नहीं होता। अभी एक साथी ने कहा कि हम लोगों ने सारी बात कल्पना की है। मिसाल दे दी कि ख्वाब देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं, इस कानून को बनाकर नकल खत्म कर देंगे, आप देख रहे हैं। इससे पहले दहेज विरोधी कानून बना, दो शादी रोकने का कानून बना, नाबालिग लड़की की शादी रोकने का कानून बना, लेकिन क्या वह काम बन्द हो गया।

ये यह समझते हैं कि कानून बनाकर नकल खत्म कर देंगे। इससे अव्यवस्था फैलेगी, आन्दोलन होगा। अगर वास्तव में चिंता थी नकल खत्म करने की और चाहते थे कि नकल खत्म हो जाय तो उसका वातावरण बनाते। क्या परिस्थितियां हैं कि नकल होती है, इसकी स्टडी करनी चाहिए। मास्टर पढ़ाते नहीं, क्लासें होती नहीं, कितने दिन पढ़ाई हुई, कितनी क्लासें हुईं, मास्टरों को पढ़ाने की तमीज नहीं, बच्चों को पढ़ने की तमीज नहीं, गेस पेपर्स चल गये हैं, इन सबको रोकने के लिये कोई कोशिश नहीं की गयी क्योंकि कमीशन वाले सामने आते हैं, कमीशन चला जाता है। पिछले दिनों हो रही नकल खत्म करने के लिये परिस्थितियों को स्टडी करना होगा, जिनमें नकल हुई। इसमें शिक्षकों के लिये ट्रेनिंग कैम्प लगने चाहिए, छात्रों के लिये अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। यह जो गेस पेपर आ जाते

हैं, इम्तहान के दिन तक आते हैं, ये बन्द होने चाहिए। वे परिस्थितियां खत्म हो जायं जिससे लड़कों को नकल के लिये बाध्य होना पड़ता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय तिवारी जी के अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, यह जो नकल रोकने के लिये सरकार अध्यादेश लायी है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मैं किधर बैठा हूं। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, बल्कि निजी तौर पर प्रशंसा कर सकता हूं कि यह एक सराहनीय कदम है कि नकल को खतम करने के लिये सरकार ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया। परन्तु मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मेरे ख्याल से यह एक ऐसा विषय नहीं है जिसमें पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश हो। मान्यवर, विशेष रूप से जैसा माननीय बिजय सिंह राणा जी ने कहा मैं उनके विचारों का पूरा-पूरा समर्थन करते हुए और जो हमारे प्रदेश के विद्वान शिक्षा मंत्री जी ने कहा, ठीक है लेकिन कानून के जरिये से परीक्षा में नकल रोकने में इस बात की पूरी-पूरी गुंजाइश है यह अपने आप में काउन्टर प्रोटेक्टिव साबित होगा यह सही है कि नकल आजकल इन्स्टीट्यूशन लाइज हो गयी है और एक धंधा भी बन गया है। तो जरूरत इस बात की है कि पहले से ऐसा माहौल तैयार किया जाय कि नकल करने वाले से पहले नकल कराने वाले पर अंकुश लगाया जाय, यह ज्यादा इम्पार्टेंट है, चाहे आप यह समझ लीजियेगा कि संशोधन के प्रस्ताव के रूप में कह रहा हूं कि यदि केवल नकल कराने के काम को संगीन अपराध घोषित किया जाय, अच्छी बात होगी, लेकिन छात्र के ऊपर इसको लागू करने की जो बात है, ठीक नहीं है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, ताकि इसमें कोई गुंजाइश न रह जाय कि कल को जब यह लागू हो जायगा, तो आप उसके ऊपर मुकदमा चलायेंगे और अगर उसकी नौकरी लगेगी, तो उसको कहीं न कहीं संदर्भ देना पड़ेगा, चाहे उसके ऊपर समरी ट्रायल ही चले, फिर भी उसके ऊपर एक बात का ब्लाट आ जायगा। कहीं ऐसा न हो जाय कि उसके ऊपर समरी ट्रायल चला कर आने वाले समय के उसके कैरियर के ऊपर एक आब्सटेकिल बन जाय। इन शब्दों के साथ यह जो प्रस्ताव संशोधन का रखा गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, इसे अध्ययन के लिये प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे और यदि बोर्ड की परीक्षायें करीब हैं, तो १५ दिन में या १० दिन में अपनी सिफारिश दे। इस प्रकार मैं संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मैं सरकार की चिन्ता से अवगत हूं और यह चिन्ता वाजिब भी है, लेकिन मान्यवर, इस पर विचार करना चाहिए था और एक बार मैं निवेदन फिर करूं कि आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसका अपराध अजमानती होगा। आप अदालत में जाकर जमानत नहीं करवायेंगे। जब अपराध दर्ज हो जायगा, तो पुलिस का दरोगा उसकी जांच करेगा, आपके हाथ में अधिकार नहीं रहेगा, यह हमारी चिन्ता थी और इस चिन्ता को अगर दूर कर सकें, तो उचित है, चिन्ता तो आपको होनी चाहिए थी कि यूनानी और आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट्स अपना अध्ययन पूरा कर चुके हैं और उनकी परीक्षाएं रुकी हुई हैं, इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं है। आपको इसकी चिन्ता बिल्कुल नहीं है कि कृषि डिप्लोमा के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करके बैठे हुए हैं, कोई चिन्ता आपको इस बात की नहीं है, नकल की चिन्ता है। हम अपने को आपकी चिन्ता से जोड़ते हैं। हमने पहले ही कह दिया कि हम आपकी चिन्ता जानते हैं। एक बार इमरजेंसी लागू करने के बाद आप ही के साथ १९ महीने जेल में बन्द थे और कोई भी पुरसाहाल नहीं था, जो हमको बचा सके। आपसे ज्यादा इस पर विचार करने वाला और कोई नहीं होगा, यह भी

मैं कह दे रहा हूं। तो आप इस पर विचार करके अपने इस अध्यादेश को, जो विधेयक, दोनों जुट गया है, इसको वापस करके फिर से विचार कर लें और विचार करने के बाद, इसे लावें। इतनी जल्दबाजी में कदम न उठायें। यह बात कह कर मैं अपने अननुमोदन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं सर्वप्रथम तो माननीय राणा जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने नकल को समाज का एक कोढ़ माना है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अगर नकल की प्रवृत्ति इस प्रकार से बढ़ती रही, तो वह समाज के बेसिक स्ट्रक्चर को ही समाप्त कर देगा और इसी कारण से इन्होंने इसे समाज का एक कोढ़ कहा है। यह भी सुझाव दिया कि नकल को हम रोकना चाहते हैं, तो शिक्षा की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। मैं सहमत हूं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिये, लेकिन अगर हम सुधार करते रहे और नकल की छूट मिलती रहे, तो दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं। मान्यवर, सबसे पहले जो चैलेन्ज है, जो चुनौती है, जो सामाजिक बुराई है, सामाजिक अभिशाप है, नकल की प्रवृत्ति को सबसे पहले चेक करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं और उस पर काबू पाना चाहते हैं। मान्यवर, जहां तक पुलिस की स्वच्छंदता का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस स्वछंद नहीं होने पायेगी, हम उसके लिये पूरी तरह से सजग हैं और जो नियम बनाये जाते हैं, उनका दुरुपयोग नहीं कर पायेगी। माननीय राणा जी ने कहा कि आप के हाथ बौने हैं, कहां-कहां तक पहुंच पायेंगे, तो मैं इस सदन के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि हमारे हाथ बौने नहीं हैं, हमारे हाथ लम्बे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी परीक्षा केन्द्र पर पकड़ा जाता है, तो उसे कतई बख्शेगा नहीं। मान्यवर, एक बात मैं यहां पर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी तक परीक्षा केन्द्र १०-१० और १५-१५ हजार रुपये में बेचे जाते थे, लेकिन शायद यह पहला सत्र होगा कि कोई भी परीक्षा केन्द्र बेचा नहीं गया है, पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षा केन्द्रों को बनाया गया है।

मैं मंत्री हूं और परीक्षा केन्द्रों को निरस्त कर सकता हूं, लेकिन जो परीक्षा केन्द्र बन गये हैं, उनमें से किसी को भी मैंने निरस्त नहीं किया है। हमारे पास अधिकांश सिफारिशें इस बात की आयीं कि परीक्षा केन्द्र बदल दिया जाये, जिससे वहां पर नकल हो सके, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक भी परीक्षा केन्द्र को बदला नहीं गया है। जहां तक विद्यार्थियों को टारगेट बनाने की बात कही गयी है, मैं राणा जी से कहना चाहता हूं कि विद्यार्थियों को जेल के भीतर करने की मेरी मंशा नहीं है, बल्कि जो नकल की प्रवृत्ति है, उस पर काबू पाना है। जो लोग नकल करना चाहेंगे, इसकी गोपनीयता को भंग करने की कोशिश करेंगे, उनको जेल में जाना होगा, यह सरकार उनको माफ नहीं करेगी। मान्यवर, इमरजेंसी का हवाला दिया गया और डी० आई० आर० और मीसा का हवाला दिया गया कि उनका दुरुपयोग किया गया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि उनको राजनैतिक बदले की भावना से बनाया गया था और यह विधेयक नकल को रोकने के लिये बनाया गया है, सामाजिक सुधार के लिये बनाया गया है, सामाजिक क्रान्ति के लिये वनाया गया है, इसकी इमरजेंसी से तुलना नहीं की जा सकती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी और मैं आपसे अपेक्षा करता था कि कोई ठोस सुझाव आयेंगे, लेकिन कोई ठोस सुझाव नहीं आये।

एक बात कही गयी कि आब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जायें, मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि आब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मान्यवर, अगर भविष्य में आपके कोई ठोस सुझाव आयेंगे, तो उनका स्वागत किया जायेगा और निश्चित रूप से परीक्षा पद्धति में परिवर्तन हम लाना चाहते हैं। आपने कहा कि यह समाज का कोढ़ है और कलंक है, हम इसको मिटाना चाहते हैं, और उत्तर

प्रदेश के स्वाभिमान को बरकरार रखना चाहते हैं। मान्यवर, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में इस तरह के कानून बनाये जा चुके हैं और उसी आधार पर यहां पर भी यह कानून बनाया गया है। मैं निश्चित रूप से आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि नकल को हम मिटायेंगे और लोगों के स्वाभिमान और आत्म विश्वास को बढ़ायेंगे। इन शब्दों के साथ जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया उनका आभारी हूं और माननीय श्याम नारायण तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने अननुमोदन के प्रस्ताव को वापस ले लें और परीक्षाओं में नकल रोकने में पूरी तरह से सहयोग दें।

* श्री सुरेश प्रताप गांधी–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा कि परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण बड़ी सूझबूझ से किया गया है, मैं अलीगढ़ का उदाहरण देना चाहता हूं शासनादेश जो निर्गत हुआ है उसमें ८ कि० मी० के अन्दर परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण करने का प्राविधान किया गया है। परन्तु अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ में २५ कि०मी० पर और एम० आई० इण्टर कालेज का ३० कि०मी० पर सेन्टर किया गया है तो आज इस तरह की अव्यवस्था है, इसको दूर करने के संबंध में बतायेंगे?

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, आप इस सदन के विद्वान सदस्य हैं, अनुभवी सदस्य हैं और राजनीति में काम किया है। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि अधिकांश जनपद ऐसे हैं और मैं तो कहूंगा कि लगभग सभी जनपदों में ७ किलोमीटर, ८ किलोमीटर में कालेज हो सकता है दो निकल आये और मान्यवर, कभी मिलता है तो वह डिफाल्टर लिस्ट में होता है नकल करने के मामले में बदनाम हो तो ऐसी स्थिति में जिनके द्वारा परीक्षा केन्द्र का निर्धारण होता है उनके सामने मजबूरी होती है, अगर पास में कोई कालेज नहीं होगा तो जो भी कालेज नजदीक का होगा भले ही १५ कि०मी०, २० कि०मी० या २५ कि०मी० पर हो, उसका वहीं परीक्षा केन्द्र बनायेंगे।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, उस परिधि में ६ इण्टर कालेज हैं।

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, अगर कहीं ऐसा लगता है माननीय सदस्य को कि परीक्षा केन्द्र ठीक तरह से नहीं बनाया गया है तो वह उसको मेरे संज्ञान में लायें, मैं निश्चित रूप से उस पर विचार करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्याम नारायण जी आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, नहीं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, १९९२ का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, १९९२ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उ० प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड २ से खण्ड १२ तक अनुसूची खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, १९९२

सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों के समय पूर्व प्रकटन और अनुचित साधनों के प्रयोग, को रोकने के लिये और उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

१–(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, १९९२ कहा जायेगा।　　संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) धारा २ से ११ दिनांक ३ फरवरी, १९९२ को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

२–इस अधिनियम में––　　परिभाषायें

(क) ''परीक्षा केन्द्र'' का तात्पर्य किसी सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के लिये निर्धारित किसी संस्था या उसके भाग या किसी अन्य स्थान से है और इसके अन्तर्गत उससे सम्बद्ध समस्त परिसर भी है;

(ख) "सार्वजनिक परीक्षा" का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी किसी परीक्षा से है जो उसमें विधि पूर्वक सफल घोषित व्यक्ति को कोई उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदत्त या अनुदत्त करने के लिये संचालित की जाय;

(ग) किसी परीक्षार्थी के संबंध में, जब कि वह सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो, "अनुचित साधन" का तात्पर्य अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति की या किसी रूप में लिखित, अंकित (रेकडेंड) या मुद्रित किसी सामग्री की सहायता से, या किसी टेलीफोन, वायरलेस या इलेक्ट्रानिक या अन्य यन्त्र या जुगत से अप्राधिकृत प्रयोग से है।

अनुचित साधनों के प्रयोग का निषेध

३—कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक परीक्षा में अंनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा।

प्रश्न-पत्र की अप्राधिकृत प्राप्ति और प्रकटीकरण

४—कोई व्यक्ति जिसे अपने कर्तव्य-पालन के सम्बन्ध में ऐसा करने के लिये प्राधिकार या अनुज्ञा विधिपूर्वक प्राप्त नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र के वितरण के लिये निर्धारित समय के पूर्व,—

(क) न तो ऐसे प्रश्न-पत्र या उसके किसी भाग को या उसकी किसी प्रतिलिपि को हस्तगत करेगा, न हस्तगत करने का प्रयास करेगा न कब्जे में रखेगा,

(ख) न ऐसी कोई सूचना किसी को देगा या देने का प्रस्ताव करेगा जिसके बारे में उसे यह जानकारी या विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे प्रश्न-पत्र से संबंधित या व्युत्पन्न या संदर्भित है।

ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे परीक्ष कार्य सौंपा गया है, जानकारी देने का निषेध

५—कोई व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा जाय, ऐसी स्थिति के सिवाय, जिसमें उसे अपने कर्तव्यों के पालन के संबंध में ऐसा करने की अनुज्ञा दी गयी हो, ऐसी सूचना या उसके भाग को जो उसे इस प्रकार सौंपे गये कार्य के आधार पर उसकी जानकारी में आयी हो, प्रत्यक्ष रूप से न तो प्रकट करेगा, न प्रकट करायेगा और न किसी अन्य व्यक्ति को उसकी जानकारी देगा।

शास्ति

६—जो कोई धारा ३ या धारा ४ या धारा ५ के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन के लिये दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

उपहति आदि कारित करने की तैयारी के साथ अपराध की शास्ति

७—जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उसे उपहति, या उस पर हमला या उसका सदोष अवरोध कारित करने की, या मृत्यु का, या उपहति का, या हमले का या सदोष अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके धारा ६ के अधीनदण्डनीय अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

प्रक्रिया

८—इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध—

(क) संज्ञेय और अजमानतीय होगा;

(ख) का किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा २६२ की उपधारा (१), धारा २६३, धारा २६४ और धारा २६५ के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे संक्षिप्त विचारण पर लागू होंगे।

९–राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अंन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।　　सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण

१०–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी अन्य परीक्षा को जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना आवश्यक समझती है, अनुसूची में सम्मिलित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के गजट में प्रकाशन पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जायेगी।　　अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति

११–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।　　नियम बनाने की शक्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३ सन् १९९२

१२–(१) सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, १९९२ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।　　निरसन और अपवाद

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची

(धारा २ देखिये)

१–इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ के अधीन माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षायें।

२–किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोई परीक्षा।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से खण्ड १२ तक अनुसूची खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राज नाथ सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, १९९२ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, १९९२ पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) (चतुर्थ) अध्यादेश, १९९१ के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंधन) (चतुर्थ) विधेयक, १९९१

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, यह सदन उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) (चतुर्थ) अध्यादेश, १९९१ का अनुमोदन करता है।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, समय बहुत हो गया है आपने अननुमोदन का प्रस्ताव कर दिया है, संसदीय कार्य मंत्री जी विचार कर लें प्रस्ताव आ गया है चर्चा बाद में करा लें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय न्याय मंत्री जी. विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, यह पेश हो चुका है पहले, इस पर विचार करना है।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी, आप विचार का प्रस्ताव कृपया प्रस्तुत कर दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) विधेयक, १९९१ पर विचार किया जाय।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कोरम के लिये गिनती करायी जाय।

कोरम पूरा है।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, धारा ३ उपधारा १ के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि जो पैनल बनाया जाता था जिला जज की सहमति से बनता था जिला अधिकारियों के माध्यम से वह पैनल भेजा जाता था।

शासकीय अभिवक्ताओं का पैनल बनाते समय इन वकीलों की योग्यता, दक्षता, पेशे में अनुभव, सामाजिक प्रंतिष्ठा इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए पैनलों का निर्धारण किया जाता था। परन्तु सरकार ने यह अधिकार अपने हाथ में ले लिया। बिना पैनल बनाये ही अभिवक्ताओं की नियुक्ति की जायेगी। दूसरे धारा ५(१) में जहां विशेष अभिवक्ताओं की नियुक्ति का सवाल है, वहां व्यवस्था लागू होनी चाहिए पैनल की, पैनल के माध्यम से सही सुझाव आते हैं। धारा ५ उंपखंड–४ में जहां विशेष अभिवक्ताओं रिटेनर के संबंध में आया है, उसमें महाधिवक्ता की राय लेने के लिये कहा है। आप इस बात से सहमत होंगे कि महाधिवक्ता जिलों में विशेष अभिवक्ताओं या रिटेनर के संबंध में क्या राय दे सकते हैं। जिला वकीलों की दक्षता, पेशे का अनुभव, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता या सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में महाधिवक्ता को कोई अनुभव या ज्ञान नहीं होगा। महाधिवक्ता से उच्च न्यायालय के वकीलों के संबंध में राय ली जाती तो अच्छा होता। इसी प्रकार धारा ७ में पहले यह प्राविधान था कि पैनल बनाकर नियुक्ति की जाती थी तीन वर्ष के लिये आबन्धन होता था। शासकीय अभिवक्ता का अनुभव होने के बाद पूरी निष्ठा मनन के साथ काम करते थे परन्तु सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि चाहे जिस समय उनका आबन्धन निरस्त किया जा सकता है। इससे उनका भविष्य अंधकारमय रहेगा, उसके प्रति उनकी आशंका सम्भावना बनी रहेगी वे पूरे मनन के साथ कार्य कैसे करेंगे पता नहीं कब निकाल दिये जायं। निकालने के लिये पहले नोटिस और फिर सुनवाई का प्राविधान किया जाना चाहिए था। पहले नोटिस देते, कारण बताते। परन्तु, ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेबर लाज के अन्तर्गत एक माह का नोटिस देते या अग्रिम वेतन का भुगतान एक माह का करते यह जो निकालने की व्यवस्था की गयी है उन सभी प्रतिबद्धताओं को शिथिल कर दिया । धारा-१० में यहां तक शिथिल कर दिया गया कि अभिवक्ता उन वादों की पैरवी कर सकेंगे जिसमें शासन का हित नहीं हो। इसी तरह से धारा-१२ में यह कहा गया कि न्यायालयों में सरकार की ओर से दीवानी फौजदारी राजस्व या अन्य वादों का संचालन करने के लिये सरकार ऐसी संख्या में सरकारी अभिवक्ता आबन्धित कर सकती है जैसी वह आवश्यक समझे। अब समय अधिक हो गया है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए वह इस पर विचार करें।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संशोधन रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले न्याय मंत्री जी अपने विचार व्यक्त कर लें उसके बाद संशोधन रखा जायेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कुछ शंकायें व्यक्त कीं, कुछ विशेष धाराओं पर बिचार रखा उन सब का एक ही मत निकलता है कि कहीं शासकीय अभिवक्ता की नियुक्ति उनकी बिना योग्यता, क्षमता और इमानदारी और कर्मठता को ध्यान में रखते हुए मनमाने ढंग से तो नहीं की जा रही है। मान्यवर, यह सरकार न्यायपालिका में जनता के पक्ष को जो सरकार के माध्यम से रखा जाता है उसको अच्छे ढंग से रखना चाहती है, प्रस्तुत करना चाहती है जिससे शासन के पक्ष में न्यायालय का निर्णय हो इसलिये कोई भी सरकार अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारेगी । वह न्यायालय में अयोग्य, अक्षम और जिनकी वकालत नहीं चलती है ऐसे लोगों को रखकर या शुद्ध रूप से राजनीतिक आधार पर रखकर अपने पक्ष को कमजोर नहीं करना चाहती है क्योंकि इससे शासन की छवि बिगड़ती है, कार्य अवरुद्ध होता

है। इन सभी पहलुओं पर विचार करके, इन सभी बुराइयों से बचने के लिये शासन के पक्ष में निर्णय हो, शासन के पक्ष को ईमानदारी से रखा जाये तथा जो भी शासकीय अभिवक्ता है, वह ईमानदारी से कार्य करें, कर्मठता से कार्य करे, सम्पूर्ण समर्पण की भावना से कार्य करें। इसके लिये पूरी सावधानी रखनी होगी, इस बात का आश्वासन जनता को देना चाहती है। वर्तमान में जो शासकीय पक्ष हैं वह ठीक ढंग से नहीं रखे जाते हैं तमाम निर्णय शासन के पक्ष में नहीं जा रहे हैं। एक विशेष पहलू का जिक्र करना चाहता हूं। 'अभी तय किया गया था कि मैनुअल के प्राविधान के अनुसार शासकीय अभिवक्ताओं की नियुक्ति होती है लेकिन यह मैनुअल पूरी तरह से शासनादेश है, विधायन नहीं है। इसमें १९९० में पिछली सरकार ने निर्णय लिया था और उसके विरुद्ध न्यायालय में गये तो न्यायालय ने यह कहा कि इसके पहले ट्राउन लास हैं, जिसमें जो वाद हैं जिसमें शासकीय अभिवक्ताओं की नियुक्ति का प्राविधान है, उसका उल्लेख है, तो ऐसे विधायन शासनादेश हैं और यह शासन पर हावी होंगे उसके परिणामस्वरूप शासन के विपरीत निर्णय दे दिया। अध्यादेश बार-बार लाना पड़ रहा है, बार-बार लाने के कारण यह भी कहा जाता है कि शासन ने इतना अध्यादेश ला दिया, इसके लिये कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है इसीलिये हम एक सुनिश्चित, विधायन नियमावली इस माननीय सदन के माध्यम से बनाना चाहते हैं, इसलिये जो अध्यादेश अब तक विधायन नहीं था, इसीलिये यह विधेयक प्रस्तुत है, इस पर यह सदन सहमति दे, जिससे एक स्वस्थ्य परम्परा न्यायालयों में स्थापित हो सके। एक स्वस्थ्य, सुनिश्चित, सुदृढ़, प्रक्रिया शासकीय अभिवक्ताओं की नियुक्ति के लिये स्थापित हो सके और भविंष्य में ऐसे शासकीय अभिवक्ताओं की नियुक्ति शासन कर सके, जो ईमानदारी से, कर्मठता से, तत्परता से, योग्यता के आधार पर कार्य करें, इसीलिये इसे प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, श्रेष्ठ योग्यतम अभिवक्ताओं की नियुक्ति शासन कर सके, इसलिये जनहित में और शासन के हित में एक कानून बनाने की दृष्टि से इस विधेयक को यहां लाया गया है, इसलिये मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है, उसे वापस ले लें और विधेयक को पास करें, ताकि एक स्वस्थ्य परम्परा, कानून बनाने की दिशा में अग्रसर हो।

श्री उपाध्यक्ष–

गांधी जी, आप वापस ले रहे हैं?

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि नियुक्ति से पूर्व उनकी योग्यता, दक्षता, पेशे के प्रति प्रतिबद्धता, या सामाजिक प्रतिष्ठा आदि की जानकारी करने के बाद नियुक्ति की जायेगी। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो पद्धति पहले थी, उसमें जिला जज के माध्यम से, जिलाधिकारियों के माध्यम से जानकारी की जाती थी, जिसे आप मान नहीं रहे हैं, तो कौन सा ऐसा मानक माध्यम है, जिसके द्वारा आप यह सुनिश्चित करेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, इस प्राविधान के कारण कहीं से जिला जज और जिलाधिकारी का महत्व समाप्त नहीं हो रहा है। शासन अगर चाहेगा तो उन लोगों से भी जानकारी लेगा और इनके अतिरिक्त भी अन्य साधनों से जानकारी लेगा। अभी तक यह स्थिति थी और पिछले कुछ वर्षों का लोगों को अनुभव भी है कि जिलाधिकारी और जिला जज पर कार्य की इतनी अधिक जिम्मेदारी होती है कि महीने दो महीने बाद भी संस्तुति नहीं मिल पाती, उनकी कठिनाइयां होंगी, इसीलिये यह कठिनाई दूर करने के लिये यह व्यवस्था

की गयी है। आज न्यायालयों में भी दबाव का वातावरण बना हुआ है, जिसमें दबाव के कारण निष्पक्ष जो रिपोर्ट आनी चाहिए, वह नहीं आ पाती। इन सब बुराइयों को दूर करके शासन के हित में अच्छे लोगों की नियुक्ति हो सके, इसीलिये यह व्यवस्था की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप वापस लेते हैं?

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, यह व्यवस्था सुनिश्चित करा दी जाती। अगर वह इसे सही पाते हैं, तो उसे बदलने की क्या आवश्यकता थी? मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने पहले स्पष्टीकरण मांगा, मंत्री जी ने जवाब दिया। अब आप वापस लेते हैं?

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, स्पष्टीकरण पूरा नहीं हुआ है। इसमें दायरा-१० को भी शिथिल कर दिया है। यह जल्दबाजी में लाया गया विधेयक है, इसमें कमी रह गयी है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) (चतुर्थ) अध्यादेश, १९९१ का अननुमोदन करता है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) विधेयक, १९९१ पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड २ से खण्ड ४

२–इस अधिनियम में–

परिभाषायें

(क) "न्यायालय" का तात्पर्य उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और किसी अन्य न्यायालय से है और उसके अन्तर्गत कोई बोर्ड, मध्यस्थ, जांच आयोग, अधिकरण और कोई अन्य प्राधिकारी भी है;

(ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ग) "सरकारी अभिवक्ता" का तात्पर्य किसी न्यायालय के समक्ष किसी वाद में सरकार या उसके किसी अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने के लिये या सरकार को विधिक मामलों पर परामर्श देने के लिये आबन्धित अभिवक्ता से है,

(घ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

सरकारी अभिवक्ता का आबन्धन

३-(१) सरकार किसी न्यायालय में, किसी लम्बित, आसन्न या अनुध्यात वाद में अपना या अपने अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये, या विधिक मामलो में परामर्श देने के लिये एतद्पश्चात् दिये गये उपबन्धों के अनुसार, वृत्तिक आधार पर किसी अभिवक्ता को आबन्धित करेगी। सरकार द्वारा सरकारी अभिवक्ता का ऐसा आवन्धन किसी साधारण व्यक्ति द्वारा किसी अभिवक्ता के आबन्धन की भांति विशुद्ध रूप से विश्वास और भरोसे का होगा। इस प्रकार आबन्धित अभिवक्ता, ऐसे आबन्धन के आधार पर, राज्य के अधीन किसी सिविल सेवा का सदस्य या किसी सिविल पद का या किसी आफिस का धारक नहीं हो जायगा।

(२) कोई अभिवक्ता जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार आवान्धित न किया गया हो, किसी न्यायालय में सरकार की ओर से कार्य नहीं करेगा न उपस्थित होगा :

परन्तु १८ जनवरी, १९९१ के पूर्व सरकार की ओर से की गई किसी अधिवक्ता की नियुक्ति या उसका आबन्धन, जो ऐसे दिनांक को कायम हो, तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अन्यथा निदेश न दे या जब तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसको या उसके स्थान पर किसी अन्य अभिवक्ता को आवन्धित न करे।

सरकारी अभिवक्ता की फीस

४-(१) इस प्रकार आबन्धित अभिवक्ता की फीस ऐसी होगी जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय और ऐसा आबन्धन स्वीकार करने वाला अभिवक्ता ऐसी फीस स्वीकार करने के लिये सहमत माना जायेगा।

(२) सरकार ऐसी फीस या तो प्रत्येक वाद के आधार पर या नियत कालिक आधार पर या दोनों आधार पर निर्धारित कर सकती है और जहां फीस नियत कालिक आधार पर निर्धारित की जाय वहां उसे वृत्तिक फीस, न कि वेतन, समझा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से खण्ड ४ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड ५ के, उप खण्ड (२)

प्रतिधारक और विशेष अभिवक्ता

५–(१) सरकार किसी सरकारी अभिवक्ता को, ऐसी अवधि के लिये जैसी वह उचित समझे, प्रतिधारक (रिटेनर) के रूप में आबन्धित कर सकती है और ऐसा प्रतिधारक ऐसे सरकारी वादों में उपस्थित होगा जैसे सरकार, विशेष या सामान्य आदेश द्वारा निदेश दे ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, सरकार अपनी ओर से किसी वाद का संचालन करने के लिये किसी अभिवक्ता को विशेष रूप से आबन्धित कर सकती है और धारा ६ में आयु के निबन्धनों के संबंध में, या धारा ८ के खण्ड (ख), (ग) और (घ), या धारा १० में दी गयी बात ऐसे किसी अभिवक्ता पर लागू नहीं होगी।

(३) संदेहों के निवारण के लिये, एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि किसी अभिवक्ता को प्रतिधारक के रूप में किसी निर्धारित अवधि के लिये आबन्धित करने मात्र से वह किसी न्यायालय में सरकार या उसके अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने का हकदार नहीं बन जायगा।

(४) सरकारी अभिवक्ता के रूप में आबन्धित किये जाने के लिये किसी अभिवक्ता का चयन करने में, सरकार, यदि अपनी मर्जी से ऐसा करना आवश्यक समझे तो महाधिवक्ता या किसी अन्य प्राधिकारी की राय पर विचार कर सकती है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री शुक्ला जी आप अपना संशोधन रखें।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ५ के, उपखण्ड (२) की तृतीय पंक्ति में शब्द तथा अंक "धारा ६ में आयु के निबन्धनों के संबंध में" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ६" रख दिये जायं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जब विधेयक पारित हो गया है तो उसके बाद संशोधन के प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं रहता है।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी पारित नहीं हुआ है। विचार के लिये रखा गया है। माननीय मंत्री जी, जो श्री शुक्ला जी ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है, वह आपको स्वीकार है?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ के उपखण्ड (२) की तृतीय पंक्ति में शब्द और अंक "धारा ६ में आयु के निबंधनों के संबंध में" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ६" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड ६ से खण्ड १८ तक

पात्रता ६–कोई व्यक्ति सरकारी अभिवक्ता के रूप में आबन्धित किये जाने के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु से कम न हो,––

(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा २४ और २५ में संदर्भित लोक अभियोजक, अपर-लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक की दशा में कम से कम सात वर्ष; और

(ख) अन्य किसी दशा में कम से कम दस वर्ष, अधिवक्ता नामावली में दर्ज न हो।

आबन्धन की अवधि ७–किसी सरकारी अभिवक्ता को साधारणतया, आबंधित किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिये आबन्धित किया जायगा:

परन्तु उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय ऐसे आबन्धन को, दोनों में से किसी पक्ष द्वारा, एक मास का लिखित नोटिस देकर या ऐसे नोटिस के बदले में उक्त अवधि के लिये प्रतिधारक फीस की धनराशि के बराबर धनराशि का भुगतान करके, समाप्त किया जा सकता है।

कतिपय दशाओं में आबन्धन का समाप्त हो जाना ८–किसी सरकारी अभिवक्ता का आबन्धन निम्नलिखित दशाओं में स्वतः समाप्त हो जायेगा:–

(क) उसके अधिवक्ता न रह जाने पर या अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने से विवर्जित कर दिये जाने पर, या

(ख) उसके साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, या　　कर्तव्य

(ग) आबन्धित की अवधि समाप्त हो जाने पर, या

(घ) धारा ७ के परन्तुक के अधीन उसके आबन्धन के समाप्त हो जाने पर।

९–सरकारी अधिवक्ता के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(क) सरकार को ऐसे विधिक मामलो पर, जो सरकार, या इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर, उसे निर्दिष्ट किये जायं, परामर्श देना ;

(ख) किसी न्यायालय में सरकार या उसके अधिकारियों की ओर से, ऐसे वादों में जिनमें सरकार एक पक्ष हो या अन्यथा हितबद्धा हो, या ऐसा अधिकारी एक पक्ष हो, जब भी सरकार, या इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, उपस्थित होना ;　　निर्बन्धन

(ग) ऐसे अन्य कर्तव्यों और कृत्यों का, जैसे विहित किये जायं, निर्वहन और सम्पादन करना ;

(घ) ऐसे अभिवचनों, अपीलों, शपथ-पत्रों, याचिकाओं और आवेदन-पत्रों का, जैसे उससे अपेक्षित किये जायं, प्रारूप तैयार करना।

१०–(१) कोई सरकारी अभिवक्ता–

(क) राज्य के विरुद्ध किसी पक्ष को, ऐसे मामलों में जिनमें उसकी राय में सरकार को परामर्श देने या उसकी ओर से उपस्थित होने की अपेक्षा की जा सकती है, परामर्श नहीं देगा ;

(ख) किसी न्यायालय में, राज्य, उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, किसी स्थानीय प्राधिकारी, राज्य लोक सेवा आयोग या किसी सरकारी कम्पनी (कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ६१७ के अधीन यथापरिभाषित) या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या किसी निकाय या संस्था जिसमें सरकार का हित प्रधान हो, के विरुद्ध, किसी पक्ष के लिये, उपस्थित नहीं होगा ;

(ग) किसी अपराधिक अभियोजन में, सरकार की अनुज्ञा के बिना, किसी अभियुक्त का बचाव नहीं करेगा ;

(घ) किसी कम्पनी या निगम में किसी पद पर, सरकार की अनुज्ञा के बिना, नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी सरकारी अभिवक्ता को निजी विधि व्यवसाय करने का अधिकार होगा।

सरकार के पूर्वानुमोदन से ही समझौता आदि किया जाना

११–(१) कोई सरकारी अभिवक्ता, सरकार के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना, किसी न्यायालय में लम्बित किसी वाद को, वापस नहीं लेगा न उसमें समझौता करेगा, न सरकार की ओर से कोई स्वीकारोक्ति करेगा, न कोई वचन देगा।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गयी कोई वापसी या समझौता या स्वीकारोक्ति या दिया गया कोई वचन सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा।

सरकारी अभिवक्ताओं की संख्या

१२–न्यायालयों में सरकार की ओर से, दीवानी, फौजदारी, राजस्व या अन्य वादों का संचालन करने के लिये, सरकार ऐसी संख्या में सरकारी अभिवक्ता आबन्धित कर सकती है, जैसी वह आवश्यक समझे।

अभिवक्ताओं का पैनल

१३–(१) सरकार समय-समय पर ऐसे स्थानों पर जैसे आवश्यक समझे जायं, अभिवक्ताओं का पैनल तैयार कर सकती है और उसका अनुरक्षण कर सकती है।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट पैनल के किसी अभिवक्ता को, जब भी आवश्यकता हो, प्रतिधारक के रूप में आबन्धित किये बिना, सरकार की ओर से किसी वाद का संचालन करने के लिये आबन्धित किया जा सकता है।

नियम बनाने की शक्ति

१४–(१) सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः और पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिये व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) सरकारी वादों के कार्य के अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन की प्रक्रिया ;

(ख) सरकारी अभिवक्ता के आबन्धन के निबन्धन और शर्तें और सरकारी अभिवक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों की नाम पद्धति ;

(ग) ऐसे आबन्धन और उसके समापन की रीति और प्रक्रिया ;

(घ) सरकारी अधिवक्ता की फीस के भुगतान और उनके कार्य के आंकलन के प्रयोजनों के लिये उनके द्वारा किये गये कार्य के सत्यापन की रीति और प्रक्रिया ;

(ङ) आवश्यकतानुसार सरकारी अभिवक्ता के रूप में आबन्धित किये जाने के लिये अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करने की रीति और प्रक्रिया ;

(च) सरकारी अभिवक्ता के अन्य कर्तव्य और कृत्य ;

(छ) ऐसा अन्य विषय, जो विहित किया जाना हो या विहित किया जा सकता हो।

अधिभावी प्रभाव

१५–इस अधिनियम के उपबन्ध, १८ जनवरी, १९९१ के पूर्व पारित या बनाये गये किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, रिट या आदेश, या किन्हीं नियमों, अधिसूचनाओं या कार्यपालक अनुदेशों में उससे प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

उपबन्ध अन्य अधिनियमितियों के अतिरिक्त होंगे

१६–इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

१७–(१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश १८ जनवरी, १९९१ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश *साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ की धारा २३-क की उपधारा (१) के उपबन्ध* उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं।

विखण्डन

१८–दिनांक १८ जनवरी, १९९१ के पूर्व दिया गया या बनाया गया कोई सरकारी आदेश, नियम या अधिसूचना के उपबन्धों के प्रतिकूल हो विखण्डित हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ से १८ तक इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड १९ में संशोधन का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-२२	"१९ (१) उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिव्यक्ताओं का आबंधन) (तृतीय) किया जाता है।	निरसन और अपवाद	अध्यादेश, १९९१	एतद्द्वारा निरसित	

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन या उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंधन) अध्यादेश, १९९१ के अधीन या उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९९१ के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २२ सन् १९९१, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २ सन् १९९१, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १५ सन् १९९१

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय रवीन्द्र शुक्ल जी आप खण्ड १९ पर संशोधन प्रस्तुत करें ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १९ के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय––

निरसन और अपवाद

"१९ (१) उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंधन) (चतुर्थ) अध्यादेश, १९९१ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३६ सन् १९९१,

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन या उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंधन) अध्यादेश, १९९१ के अधीन या उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९९१ के अधीन या उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंधन) (तृतीय) अध्यादेश, १९९१ के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २ सन् १९९१, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १५ सन् १९९१, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २२ सन् १९९१

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी क्या आप इसे स्वीकार करते हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड १९ के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय :—

"१९ (१) उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंधन) (चतुर्थ) अध्यादेश, १९९१ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३६ सन् १९९१, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २ सन् १९९१, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १५ सन् १९९१, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २२ सन् १९९१	(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन या उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंधन) अध्यादेश, १९९१ के अधीन या उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९९१ के अधीन या उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंधन) (तृतीय) अध्यादेश, १९९१ के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो ईस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।"	निरसन और अपवाद

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १९ विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड १ में संशोधन का प्रस्ताव

१–(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंधन) अधिनियम, १९९१ कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(२) धारा २ से १८ दिनांक १८ जनवरी, १९९१ को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड (१) के अंक "१९९१" के स्थान पर अंक "१९९२" रख दिये जायं।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड (१) के उपखण्ड (१) में अंक "१९९१" के स्थान पर अंक "१९९२" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १ इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रस्तावना में संशोधन का प्रस्ताव

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक की प्रस्तावना में शब्द "बयालीसवें वर्ष में" के स्थान पर शब्द "तैतालीसवें वर्ष में" रख दिये जायं।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि विधेयक की प्रस्तावना में, शब्द "बयालीसवें वर्ष में" के स्थान पर शब्द "तैतालीसवें वर्ष में" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ)

उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) विधेयक, १९९१

सरकारी वादों के संचालन के लिये अभिवक्ताओं को आबन्धित किये जाने की प्रक्रिया और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) विधेयक, १९९१ जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) विधेयक, १९९१ जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९९२

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९९२ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९९२ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९९२ को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या २१

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, समय कम है, ४० मिनट हमें चाहिए। समय कम है, इसलिये इसे आज स्थगित कर दें।

श्री विजय सिंह राणा–

मेरा प्रस्ताव है, इस पर चर्चा आगे करा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

विचार का प्रस्ताव बाद में लिया जायेगा।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक २८ फरवरी, १९९२ को नियम ५१ के अन्तर्गत कुल ९ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो इस प्रकार हैं—

पहली सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी और श्री भारत सिंह रावत की– टिहरी बांध परियोजना, टिहरी गढ़वाल का निर्माण कार्य धरने के कारण रुकने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

इस सूचना को मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया।

दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह की – जिला गाजीपुर में नन्दगंज सिहौरी शुगर कारपोरेशन लि० नन्दगंज में गन्ना कृषकों के साथ की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं।

शेष सूचनाएं, सर्वश्री निरवेन्द्र कुमार, लालजी वर्मा, अमरेश चन्द्र पाण्डेय, गिरधारी लाल, राम लखन वर्मा, मुन्ना चौहान और अन्तिम नवीं सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित की है, इन्हें अस्वीकार करता हूं।

प्रदेश में बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के विषय में दिनांक १३ फरवरी, १९९२ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ से सम्बन्धित नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

श्याम नारायण तिवारी जी आप कुछ कहने जा रहे थे ।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, यह मद सं०–२७ का स्थगन कर दिया जाय । इस पर आधे घंटे की चर्चा है । दस बज रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी हैं नहीं और उन्हीं का यह प्रकरण था । उन्होंने इसके स्थगन के लिये चिट्ठी लिख कर दी है ।

यू० पी० स्टेट हार्टिको के कर्मचारियों की छंटनी के उपरान्त उनका समायोजन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कृषि मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)–

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

[दिनांक ३०-६-१९९० से उच्च स्तरीय निर्णय के अनुसार यू०पी० स्टेट हार्टिको के समस्त कार्यकलाप बंद कर दिये गये और उसके फलस्वरूप समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवायें, जिनकी संख्या–३२९ थी, दिनांक १५ जुलाई, १९९० से समाप्त हो गयी । मंत्री-परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को सरकारी सेवा में पुनः आमेलित किये जाने हेतु कार्मिक विभाग के आदेश संख्या–३/६/९०–कार्मिक–२, दिनांक २६ अप्रैल, १९९१ के अंतर्गत सरकारी सेवा हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता प्रदान कर दी गई है । जो पद लोक सेवा आयोग की परिधि में हैं, उनके संबंध में अर्हता एवं अनुमन्यता नहीं प्रदान की गई है ।

२–प्रबन्ध निदेशक, हार्टिको से प्राप्त सूचना के आधर पर विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर ५५ कर्मचारी/अधिकारी आमेलित हो सके हैं ४ कर्मचारी ५८ वर्ष से अधिक आयु के हो गये हैं और एक कर्मचारी की मृत्यु हो गयी है । इस प्रकार अब भी २६९ कर्मचारियों/अधिकारियों का समायोजन होना है। सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की ओर से दिनांक १७ जुलाई, १९९१ के अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव को उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राज्य सेवाओं, निगमों अथवा अन्य उपक्रमों, प्रतिष्ठानों/संस्थाओं में रिक्त पदों पर यू०पी० स्टेट हार्टिको के छटनीकृत कर्मियों के अधिकाधिक यथाअर्ह आमेलित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

इसके अतिरिक्त शासन के सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–२ द्वारा अपने दिनांक २९-१०-९१ द्वारा हार्टिको के छटनीकृत कर्मचारियों/अधिकारियों को निगमों/उपक्रमों की सेवा हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता प्रदान कर दी गई है ।

प्रश्न गत छंटनीकृत कर्मियों के आवेदन-पत्र तत्काल उनके द्वारा सम्बोधित विभागों को जहां भी रिक्त सूचित की जाती है, शासन द्वारा अग्रसारित कर दिये जाते हैं ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश में हैण्डलूम और पावरलूम उद्योगों में व्याप्त गम्भीर संकट से उत्पन्न प्रदेश के लाखों बुनकरों में फैली बेरोजगारी तथा फाकाकशी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राज्य उद्योग मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय)

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)–

[मा० सदस्यगण ने नियम–५१ के अंतर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया है कि सूती रेशमी तथा सभी प्रकार की कृत्रिम धागों की कीमतें बेतहाशा बढ़ गयी हैं । सूत कताई मिलें तेजी के साथ दामों में इजाफा कर रही हैं । हथकरघा निगम एवं यूपिका द्वारा माल की खरीदारी आधे से भी कम कर दी गयी हैं तथा बुनकरों के करोडों रुपये के बकाये का भुगतान नहीं किया जा रहा है । बुनकरों से कर्जों की जबरिया वसूली की जा रही है जिससे बुनकर बदहाली और फाकाकसी का शिकार होकर प्रदेश छोड़कर पलायन कर रहें है ।

उपर्युक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि उ०प्र० में हथकरघा तथा पावरलूम उद्योग सूत की बढ़ती कीमतों से काफी प्रभावित हुआ है । कपास के दामों में वृद्धि के कारण स्वाभाविक रूप से प्रदेश की सरकारी व सहकारी कताई मिलों ने सूत के दामों में वृद्धि की है । रेशम धागों के दामों में भी इधर काफी वृद्धि हुई है । रेशम के दामों की वृद्धि को देखते हुए भारत सरकार से उ०प्र० के लिए १० टन रेशम धागा आयात करने का अनुरोध किया गया था । इस संबंध में वस्त्र राज्य मंत्री, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक २९ जनवरी, १९९२ में सूचित किया है कि भारत सरकार २०० टन कच्ची रेशम का आयात करने का विचार कर रही है । कृत्रिम धागों के मूल्यों पर प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और इसके दाम मुख्य रूप से केन्द्र सरकार द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं ।

इस वर्ष जनवरी, १९९२ तक हथकरघा निगम द्वारा १३९१ लाख रुपये का अनियंत्रित वस्त्र उत्पादन कराया गया है जबकि पिछले वर्ष जनवरी, १९९० तक रु० ८५० लाख का उत्पादन कराया गया था, इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में जनवरी माह तक ५४१ लाख रुपये का अधिक उत्पादन कराया गया है । हथकरघा निगम द्वारा बुनकरों को भुगतान भी एक माह के अन्दर किया जा रहा है । इसी प्रकार यूपिका द्वारा वर्ष १९९०-९१ में कुल रु० ४.४४ करोड़ का क्रय किया गया था । वर्ष १९९१-९२ में अब तक यूपिका द्वारा ४.५५ करोड़ रुपये के अनियंत्रित वस्त्रों का क्रय किया जा चुका है । बुनकरों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में वस्त्र मूल्यों का भुगतान भी एक माह के अन्दर किया जा रहा है । वर्ष ८८-८९ के रु० ८३.५८ लाख के बकायें विवादित होने के कारण अभी भुगतान नहीं किए जा सके हैं । इसके अतिरिक्त वित्तीय कठिनाई के कारण यूपिका द्वारा गत वर्ष के रु० ७१.५० लाख के बकाये का भुगतान अभी तक संभव नहीं हो पाया है । उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में कहना सही नहीं है कि हथकरघा निगम एवं यूपिका द्वारा माल की खरीदारी आधे से भी कम कर दी गयी है तथा बुनकरों के रुपयों के बकायों का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

बुनकरों से कर्जो की वसूली नियमानुसार की जा रही है । बुनकरों के प्रदेश से पलायन के संबंध में शासन में कोई सूचना नहीं है ।]

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या–२७ के स्थगन हेतु मा० सदस्यों ने अनुरोध किया है ।

अब हम उठते हैं । दिनांक ९ मार्च, १९९२ को ११.०० बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन रात्रि में ९ बजकर ५२ मिनट पर सोमवार दिनांक ९ मार्च, १९९२ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
२८ फरवरी, १९९२

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा

नोटः–[ ] वह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

परची 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१ पर)

परिशिष्ट

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय, बांदा ।

प्रार्थना

हम सफाई कर्मचारी टाउन एरिया राजापुर एतद्द्वारा नोटिस देते हैं कि हमारे सबसे बड़े त्योहार दशहरे के एक दिन पूर्व तक यदि मांगें नहीं पूरी की जातीं तो हम दशहरा को एक दिन पूर्व यानी दि० २७-३-९० को सफाई कार्य बन्द करके क्रमिक अनशन व अधिकारियों का घेराव शांतिपूर्ण वातावरण में करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी अध्यक्ष, टाउन एरिया एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर होगी .

मांगें

१–यह कि हमारा वेतन भुगतान ६ माह का अवशेष है और हम लोग कर्जदार हो गये हैं और भूखों रहने की समस्या पैदा हो गयी है । एरियर भुगतान का रुपया नगर क्षेत्र समिति को सरकार द्वारा दिया गया है जिसके लिये सुना जाता है कि उसका उपयोग अध्यक्ष स्वयं कर रहे हैं और वेतन वितरित नहीं कराना चाहते कृपया वेतन वितरण दशहरा के पूर्व कराया जाय।

२–यह कि भविष्य निधि का कोई लेखा जोखा नहीं है और न ही इन्सोरेंस का लेखा जोखा है, शीघ्र तैयार कराकर यथावत् मय ब्याज के जमा कर दिया जावे।

३– यह कि जिंस मद का पैसा है उसी मद में खर्च किया जाय ।

४–सुना जाता है कि एक-एक हजार रुपया प्रति कर्मचारी को एन० एस० सी० प्रति कर्मचारी के रूप में जमा किया गया है यदि यह सत्य है तो उनकी एन० एस० सी० शीघ्र दिलायी जाय ।

५–यह कि सफाई कर्मचारियों से मजदूरों की मजदूरी बचाकर मजदूरी का कार्य लिया जाता है जिसके कारण नगर की सफाई नहीं हो पाती, कहने पर अध्यक्ष द्वारा अपशब्दों का प्रयोग एवं न्किालने की धमकी, गैर हाजिर करने की धमकी दी जाती है और ऐसा किया भी जाता है, रोकने की कृपा की जाय ।

६–नया वेतनमान अभी तक नहीं लगाया गया, शीघ्र लगाया जाय तथा उसका एरियर सन् १९८३ से दिलाया जाय और समय में वर्दी दिलायी जाय ।

७–कर्मचारियों का शोषण बन्द किया जाय तथा अवकाश नकदीकरण तथा बोनस आदि शीघ्र दिलाया जाये ।

प्रार्थीगण

सफाई मजदूर

नगर क्षेत्र समिति, राजापुर ।

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

१–श्रीमान् अध्यक्ष, न० क्षे० स० राजापुर, बांदा ।

२–मा० मुख्य मंत्री जी, उ० प्र० शासन. लखनऊ ।

३–मा० नगर विकास मंत्री, उ० प्र० शासन, लखनऊ ।

४–आयुक्त महोदय, झांसी मण्डल, झांसी ।

५–प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय बांदा ।

६–अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कर्वी ।

७–पुलिस अधीक्षक महोदय, बांदा ।

८–सी० ओ० महोदय, कर्वी ।

९–परगनाधिकारी महोदय, कर्वी ।

१०–एस० ओ० राजापुर, बांदा ।

११–स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ उ० प्र० ।

प्रार्थीगण

सफाई कर्मचारी

नगर क्षेत्र समिति, राजापुर (बांदा)

स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ उ० प्र०

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० ८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९ पर)

आगरा जनपद के एत्मादपुर तहसील में वर्ष १९८९-९० एवं १९९०-९१ में होने वाले प्राइमरी स्कूल भवनों के निर्माण की सूची :

वर्ष १९८९-९० में चयनित आवेदन

क्रमांक	ग्राम जहां भवनों का निर्माण हुआ	विकास खण्ड का नाम
१	२	३
१	प्राइमरी पाठशाला, घेरऊ	खन्दौली
२	,, ,, हसनपुर	,,
३	,, ,, शेरखां	,,
४	,, ,, सोराई	,,
५	,, ,, बालसोना	,,
६	,, ,, भागपुर	,,
७	,, ,, नगला दयाली	,,
८	,, ,, नगला अर्जुन	,,
९	,, ,, बाल रिसाल	,,
१०	,, ,, बावली	एत्मादपुर
११	,, ,, सवाई	,,
१२	,, ,,दलित, एत्मादपुर	,,
१३	,, ,, कनराऊ	,,
१४	,, ,, खेड़ी बरहन	,,
१५	,, ,, नगला बर्री	,,
१६	,, ,, नगला स्वरूप	,,

वर्ष १९९०-९१ कार्य योजना

१	प्राइमरी पाठशाला, मुयेर अलीपुर	एत्मादपुर
२	,, ,, बासवाला	,,
३	,, ,,नगला गड़रिया	खन्दौली
४	,, ,, चौकड़ा	खन्दौली

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० ११५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१–७२ पर)

विधान सभा प्रथम सत्र १९९२ के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए अता० प्र० सं० ११५ का संलग्नक

ग्राम प्रधान भगवतपुर के द्वारा वर्ष १९८९-९० में उल्लिखित अवधि में कराए गये नसबन्दी केसों का विवरण

क्रम सं०	नाम	उम्र	व्यवसाय	मेराइटल स्टेटस
१	श्रीमती मनदेई	४०	कृषि	विवाहित
२	,, सहोदरी	३८	,,	,,
३	,, सुनरी	३६	,,	,,
४	,, पारवती	३६	,,	,,
५	,, रामदेई	३६	,,	,,
६	,, हुलिया	३६	,,	,,
७	,, ललती	२८	,,	,,
८	,, समराजी	२९	,,	,,
९	,, सुंदरी	३२	,,	,,
१०	,, गुलैची	३६	,,	,,
११	,, देवमती	३७	,,	,,
१२	,, संजामी	४०	,,	,,
१३	,, कस्तूरबा	३६	,,	,,
१४	,, धनौता.	३७	,,	,,
१५	,, कोमली	३५	,,	,,
१६	,, फिंरती	३६	,,	,,
१७	,, लीलावती	३५	,,	,,
१८	,, मुराती	३४	,,	,,
१९	श्री राम सजीवन	३०	,,	,,
२०	श्री कोमल	३६	,,	,,

परिशिष्ट 'ब'

(देखिये अता० प्र० सं० १२३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, १९९२ के तीसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ऊदल के अतारांकित प्रश्न संख्या-१२३ के उत्तर का संलग्नक

मंगारी नेवादा ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित २६ ग्राम एवं उनमें पाइप लाइन बिछाने की स्थिति

क्रमांक	ग्राम का नाम	पाइप लाइन की स्थिति
१	मंगारी	पूर्ण
२	नेवादा	पूर्ण
३	दल्लीपुर	पूर्ण
४	लल्लापुर	पूर्ण
५	प्रसादपुर	पूर्ण
६	नैनपुर	पूर्ण
७	दुदिलपुर	पूर्ण
८	गंगापुर	आंशिक पूर्ण
९	अमौत	आंशिक पूर्ण
१०	बूची	आंशिक पूर्ण
११	रामनगर	आंशिक पूर्ण
१२	गजेन्द्रा	आंशिक पूर्ण
१३	नेहिया	आंशिक पूर्ण
१४	अहरक	आंशिक पूर्ण
१५	काशीपुर	आंशिक पूर्ण
१६	राजपुर	आंशिक पूर्ण
१७	भानूपुर	आंशिक पूर्ण
१८	घोघली	आंशिक पूर्ण
१९	नईकोट	आंशिक पूर्ण
२०	कुर्रा	आंशिक पूर्ण
२१	जगदीशपुर	आंशिक पूर्ण
२२	चिन्तामनपुर	आंशिक पूर्ण
२३	चितौरा	नहीं
२४	औदार	नहीं
२५	भई	नहीं
२६	सरहद	नहीं

नाथी 'ड'

(देखिये अता० प्रश्न संख्या १६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७–८८ पर)

तालिका—एक

क्र० सं०	नाम कर्मचारी/पद	निलम्बन का कारण	निलम्बन का दि०	आरोप-पत्र दिये जाने का दि०	वेतन सहित या बिना वेतन
१	२	३	४	५	६
१	श्री जय नारायन, चपरासी	कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतना।	५-२-९१	२२-४-९१	बिना वेतन १४-६-९१
२	श्री वीरेन्द्र पाल, सफाई नायक	कार्य से अनुपस्थित रहने एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने।	११-१०-९०	२१-११-९०	बिना वेतन १५-१२-९०
३	श्री रती राम, चपरासी	आदेश की अवहेलना एवं कार्य मे शिथिलता बरतना।	२०-९-९०	५-३-९१	बिना वेतन २३-५-९१
४	श्री प्रेम गुप्ता, मोहर्रिर	वसूली लगन से न करने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन न करना।	२३-१०-९०	१९-१२-९०	बिना वेतन ८-२-९१
५	श्री रामेश्वर निगम, मोहर्रिर	कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने एवं उदासीनता बरतना।	१९-१-९१	६-६-९१	बिना वेतन २६-७-९१
६	श्री राधामोहन खरे, मुहर्रिर	कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने एवं उदासीनता बरतना।	२९-१-९१	१४-३-९१	बिना वेतन ४-५-९१
७	श्री विनोद कुमार निगम, मोहर्रिर	– तदैव –	२९-१-९१	३०-१-९१	वेतन सहित १-२-९१
८	श्री वीरेन्द्र कुमार निगम, मोहर्रिर	– तदैव –	२९-१-९१	४-५-९१	बिना वेतन ८-७-९१
९	श्री रमाशंकर, गेटमैन	– तदैव –	५-३-९१	१३-६-९१	बिना वेतन २-८-९१

अतिरिक्त विधान सभा

१	२	३	४	५	६
१०.	श्री अब्दुल रऊफ, चपरासी	कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही बरतना ।	२७-३-९१	१३-६-९१	वेतन सहित २-८-९१
११	श्री फिदा हुसैन,चपरासी	कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतना ।	३१-५-९१	१८-७-९१	बिना वेतन २२-७-९१
१२	श्री मूलचन्द्र, ड्राईवर	लापरवाही एवं उदासीनता बरतना ।	४-७-९१	२७-७-९१	बिना वेतन २३-८-९१
१३	श्री गौस मोहम्मद, मोहर्रिर	अभिलेखों में हेरा-फ़ेरी करना	२२-७-९१	५-९-९१	वेतन सहित ६-१२-९१
१४	श्री रामबाबू, चपरासी	आदेश की अवहेलना अनुशासन-हीनता बरतना तथा ड्यूटी समय से अनुपस्थित रहना।	२९-१-९१	१३-२-९२	
१५	श्री नत्थू सिंह, रोलर ड्राइवर	आदेश का उल्लंघन	५-८-९१	१४-१०-९१	वेतन सहित २६-११-९१
१६	श्री भइयादीन, चपरासी	हाजिरी रजिस्टर मास्टर रोल में हेराफेरी ।	१६-८-९१	५-९-९१	वेतन सहित २१-९-९१
१७	राजा भइया, चपरासी	दिनांक ८-११-९१ को बिना अवकाश प्रार्थना-पत्र के अनुपस्थित रहने एवं प्रधान लिपिक से अपशब्दों का प्रयोग करने के कारण।	११-११-९१	३१-१२-९१	बिना वेतन २१-१-९२
१८	श्री बाबूलाल साहू, लिपिक	आदेश की अवहेलना व कैशबुक में अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर न कराना एवं सरकारी धन को अपने पास रोके रखना।	१-५-८९	२१-३-९०	बिना वेतन २०-४-९०

१	२	३	४	५	६
१९	श्री बाबूलाल साहू, लिपिक	अनियमितता एवं आदेश की अवहेलना लापरवाही हेतु।	१-५-९१	३-८-९१	बिना वेतन २१-१०-९१
२०	चन्द्रशेखर अवस्थी, स्टोरकीपर	अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यहीनता।	२८-१-९१	१३-८-९१	वेतन सहित १२-१०-९१
२१	नेहरूलाल,सफाई नायक	कार्य असंतोषजनक होने के कारण।	१९-५-८९	१९-६-८९	वेतन सहित १२-७-९१
२२	अशोक कुमार तिवारी, मोहर्रिर	रिक्शा चेकिंग में लापरवाही बरतना।	१९-१-९१	२३-१-९१	वेतन सहित २६-२-९१
२३	अनिल कुमार मिश्रा, मोहर्रिर	तदैव	१९-१-९१	६-६-९१	बिना वेतन २६-२-९१
२४	श्री मिद्दन खां, गेटमैन	अनुशासनहीनता एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतना।	७-५-९१	१८-७-९१	वेतन सहित १-८-९१
२५	श्री जमुना प्रसाद, करसमाहर्ता	फर्जी भवन कर की रसीदें जारी करना एवं आदेशों की अवहेलना करना।	६-११-९०	१३-६-९१ (अतिरिक्त आरोप-पत्र दिया जा रहा है)	—

परिशिष्ट 'ब'

(देखिये अता० प्र० सं० १९० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८ पर) संलग्नक

जनपदों में स्थित अनुज्ञापनों को वर्ष १९८५ से सितम्बर, १९९१ तक आवंटित किये गये अल्कोहल की मात्रा :—

जनपद	इकाई का नाम	१९८५ से १९९१ तक आवंटित अल्कोहल की मात्रा					
		१९८५-८६	८६-८७	८७-८८	८८-८९	८९-९०	९०-९१
उन्नाव	झंडू फार्मास्युटिकल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य×
इलाहाबाद	वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन नैनी, इलाहाबाद।	५१३९	५१३९	५१३९	५१३९	५१३९	५१३९
लखनऊ	अवध आयुर्वेदिक फार्मेसी	—	—	—	२५०० ली	५००० ली०	५००० ली०
अल्मोड़ा	सी० डी० एफ०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य×
सहारनपुर	अरिष्टो फार्मा	—	—	७५०	१०००	१०००	५००
बुलन्दशहर	लोकाहिकारी फार्मेसी	—	—	—	५४०	५४०	५४०

×स्वजनित अल्कोहल युक्त।

पी० एस० यू० पी०—एल० ८३ विधान सभा—(१४१)—१९९३—५७२। (डी० टी० पी०)